लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation
17-7-94
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मुल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय सूची-CONTENTS

अंक 25 मंगलवार, 27 अगस्त, 1968/5 भाद्र, 1890 (शक)

No. 25, Monday, August 27, 1968/ Bhadra 5, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर (जारी)	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS (Contd.)	
तारांकित प्रश्न संख्या	S.Q. Nos.	
विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
691. श्रीलंका को फिल्मों का निर्यात	Export of Films to Ceylon	1-2
692. ढोल निर्माताओं को इस्पात की चादरों का आवंटन	Allocation of Steel Sheets to Barrel Fabricators	2-6
693. भारत अफगानिस्तान व्यापार करार	Indo-Afghan Trade Agreement	6-9
694. मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल नामक फर्म को काली सूची में रखना	Black Listing of Mossrs Aminchand Pyarelal	9-15
696. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल	Heavy Electricals Ltd. Bhopal	15-16
697. राजनैतिक दलों को धन दिया जाना	Donations to Political Parties	17
704. राजनैतिक दलों को धन दिया जाना	Donations to Political Parties	17-19
अल्प-सूचना प्रश्न	Short Notice Question	
13. उदयपुर में जिंक स्मैल्टर में उत्पादन बन्द होना	Stoppage of Production in Zinc smelter at Udaipur	20-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या	Starred Q. No.	
695. नायलोन तथा स्टैनलैस स्टील का आयात	Import of Nylon and Stainless Steel	25
698. बिड़ला उद्योग समूह के बारे में जांच आयोग	Inquiry Commission on Birla Group of Industries	25-26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० विषय	S. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
699. मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपाजिट, कम्पनी, लिमिटेड पर अभियोग चलाना	Prosecution of M/s Guzdar Kajora Coal Mines Ltd. and M/s. Calcutta Safe Deposit Co Ltd.	26-27
700. भारतीय रेलों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure on Advertisements by Indian Railway	27
701. उत्तर रेलवे में दिल्ली में अजमेरी गेट और तुगलकाबाद शैडों में कोयला और लकड़ी उतारना	Unloading of coal and wood at Ajmere Gate and Tughlakabad Sheds (N.Rly)	27-28
702. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक यूनिटों का बन्द होना	Closure of Industrial Units in U.P.	28
703. राज्य व्यापार निगम	State Trading Corpcration	28-29
705. विदेशी तरीकों और जानकारी के लिये केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for Foreign Process and Know how	29-30
706. यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ समझौता	Agreement with European Common Market Countries	30
707. दिल्ली में स्थापित नये उद्योग	New Industries set up in Delhi	30-31
708. टैनिस को गेंदों का उत्पादन	Manufacture of Tennis Balls	31
709. रेल संगदल कर्मचारियों के लिये रोजगार विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित घंटे	Hours of Employment Regulations for Running Staff	31
710. आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Australia	32
711. रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं	Medical Facilities to Railway Employees	32
712. निर्यात संवर्धन योजनाएं	Export Promotion Schemes	32-33
713. रूस को रेलवे डिब्बों तथा पटरियों की सप्लाई	Supply of Rails and Rail Wagons to USSR	33
714. रुपये में भुगतान वाले देशों से टायरों का आयात	Import of Tyres from Rupee Payment countries	33-34
715. मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Messrs. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co.(P)Ltd.Bombay	34

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
716. विदेशी पूंजी विनियोजन	Foreign Investment	35
717. ट्रैक्टरों और शक्ति चालित हलों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Powertiller	35-36
718. प्राकृतिक रबड़ का सम्भरण	Supply of Natural Rubber	36
719. स्वेज नहर के बन्द होने का भारत के व्यापार पर प्रभाव	Impact of Closure of Suez Canal on India's Trade	36-37
720. कोयले के स्टाक	Stocks of Coal	37-38
अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Q. No.**	
5896. बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशनपर लोगों द्वारा दुर्व्यवहार	Misbeaviour of Persons at Bombay Central Railway Station	38
5897. कृत्रिम रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Art Silk Cloth	38-39
5898. व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade	39-40
5899. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में बिना बिके पड़ा माल	Products lying unsold in Hindustan Steel Ltd.	40-41
5900. मद्रास दिल्ली मार्ग पर भोजन यानी (डाइनिंग कारों) में दरें	Rates in Refreshment Dining Cars on Madras Delhi Route	41
5901 अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था, सिकन्दराबाद	All India Railway Commercical Clerks Association Secundorabad	41-42
5902. लालागुडा तथा काजोपेट स्थित रेलवे स्कूल	Railway Schools at Lallaguda and Kazipet	42
5903. बाँसपाड़ी परादीप रेलवे लाइन	Banasapani Paradeep Rail Link	42-43
5904. वस्तुओं के माल डिब्बों के आबंटन के लिये प्राथमिकता	Priority to Commodities for Wagon Allotment	43
5905. लोहे तथा इस्पात का उत्पादन	Iron and Steel Production	43-44
5906. रेलवे उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापक	Headmasters of Railway Higher Secondary and Secondary Schools.	44
5907. 342 डाउन गाड़ी का समय पर चलना	Punctuality of 342 DN Train	44-45
5908. उत्तर रेलवे में 1 डी० के० आर० तथा 2 डी० के० आर० का समय पर चलना	Punctuality of 1 DKR and 2 DKR (N. Rly)	45-46

अ० प्र० सं० U. Q. Nos. विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5909. दिल्ली ले रोहतक तक गाड़ी Train from Delhi to Rohtak	46
5910. फिल्म निर्माताओं को कच्ची फिल्मों का कोटा Quota of Raw Films to Film Producers	46-47
5911. आयरलैण्ड को व्यापार प्रतिनिधिमंडल Trade Delegation to Ireland	47
5913. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों तथा महिला कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वाटर Railway Quarters for wouem and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees	47
5914. रेल गाड़ी संख्या 1067 और 1068 के साथ लगाये जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे First Class Coaches Attachad to Train Nos. 1067 and 1068	47-48
5915. मैसूर नंजनगुडा और चमराजनगर रेलवे स्टेशनों को सुधारना ImProvement of Station at Mysore, Nanjangud and Chamarjnagar Stations	48
5916. बरौनी जंक्शन पर गरहड़ा रेलवे यार्ड के चारों ओर लोहे की चारदीवारी Iron Enclsoure around Garhara Railway Yard, Barauni Jn.	48
5917. पूर्व रेलवे में साहिबंगज लूप लाइन पर केबिन Cabins on Sahibganj Loop Line (E.Rly)	49
5918. डालटनगंज से हो कर जाने वाली गाड़ियाँ Train Passing through Daltonganj	49
5919. मोतीहारी और चपड़ा के बीच रेलवे लाइन Rail Link between Motihari and Chapra	49-50
5920. मोटर साइकिलों स्कूटरों तथा टायरों का निर्माण Manufacture of Motor Cycles, Scooter and Tyres	50-51
5921. रेलवे सम्पत्ति की हानि Loss of Railway Property	51-52
5922. विदेशों में भारतीय चलचित्रों का वितरण Distribution of Indian Films in Foreign Countries	52
5923. लक्ष्मी वर्कशाप, कोटा के फोरमैन के विरुद्ध शिकायत Complaint against Foreman Luxmi Workshop, Kota	52-53
5924. रेलवे अधिकारी तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारी Officers, Class III and Class IV Employees in Railways	53

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5925. प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के कर्मचारियों का उपयोग	Utilisation of Managing Agency Personnel	53-54
5926. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकारी	Officers in Public Undertakings	54
5927. रेलवे में चार्जमैन और फोरमैन	Chargemen and Foremen on Railways	54-55
5928. राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन के तेल का स्टाक	Soyabean Oil Stock with State Trading Corporation	55
5929. भिलाई इस्पात कारखाने में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Bhilai Steel Plant	55
5930. गैर सरकारी कम्पनियों के ऋण को ईक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of Loans to Private Companies into Equity Shares	55-56
5931. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के उत्पादों का निर्यात	Export of H.M.T. Products	56-59
5932. मंगोलिया के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade relations with Mongolia	60
5933. नये उद्योगों के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licenees for new Industries	60-61
5934. भारत में बड़े प्रकाशन गृह	Top publishing Houses in India	61
5935. फिल्मों का निर्यात तथा आयात	Export and Import of Films	61-62
5936. ढोल बनाने के कारखाने	Barrel Manufacturing Units	62
5937. बैरल और ड्रम उद्योग को कच्चे माल का नियतन	Allocation of Raw Material to Barrel and Drum Industry	62-63
5938. बैरल निर्माताओं को इस्पात की चादरों का नियतन	Allocation of Steel Sheets to Barrel Fabricators	63
5939. ढोलों और ड्रमों के निर्माण के लिए भारतीय तेल निगम को औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licence to I.O.C. for Manufacturing Barrels and Drums	63-64
5940. शराब आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Liquor	64
5941. बोकारो इस्पात कारखाने के लिये समिति	Committee for Bokaro Steel Plant	64-65

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5942.	हरियाणा में लोहे के निक्षेप	Deposits of Iron in Harayana	65-66
5943.	अलौह धातुओं की मांग	Demand for non-ferrous metals	66-67
5944.	सीमेन्ट का उत्पादन	Production of Cement	67
5945.	श्रीलंका के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with Ceylon	67-68
5947.	आयातित रूई का वितरण	Distribution of Imported Cotton	68
5948.	आमों का निर्यात	Export of Mangoes	68-69
5949.	बिहार में दिये गये औद्योगिक विकास ऋण	Industrial Development Loans given in Bihar	69
5950.	मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा समस्तीपुर रेलवे क्वाटर	Railway Quarters at Muzaffarpur Darbhanga and Samastipur	69-70
5951.	पूर्वोत्तर रेलवे के कैरिज कर्मचारी वृन्द की रात्रि भत्ता	Night Duty Allowance to Carriage Staff of N.E. Railway	70
5952.	लघु रबड़ उत्पादकों सम्बन्धी समिति	Committee of Small Scale Rubber Cultivators	71
5953.	भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू करना	Enforcement of Metric System in India	71
5954.	रेलवे सम्बन्धी विज्ञापनों के लिये आधुनिक तरीका अपनाना	Adoption of Modernised Techniques for Railway Advertisement	72
5955.	भारतीय रेलों के स्वीकृत रेलवे अभिकरण	Approved Advertisement Agencies of Indian Railways	72-73
5956.	वाणिज्य मंत्रालय में कर्मचारी	Staff in Commerce Ministry	73-74
5957.	रेलवे मंत्रालय से भ्रष्टाचार, घूस और चोरी के मामले	Corruption, Bribery and Theft cases in Railway Ministry	74
5958.	बाढ़ों के कारण आसाम में रेलवे यातायात का अस्तव्यस्त होना	Dislocation of Rail Traffic in Assam due to Floods	74
5959.	भारत में निर्मित मिश्रधातुओं तथा विशेष इस्पात का मानकीकरण	Standard of Alloy and Special Steel produced in India	74-75
5960.	लातीनी अमरीका को निर्यात	Exports to Latin America	75-76
5961.	दिल्ली में कोयले की वैगनों की सप्लाई	Supply of coal wagons to Delhi	76-77
5962.	पूर्व रेलवे, कलकत्ता के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक के कार्यालय के क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Clerks in the Chief Commercial Superintendent's Office E. Railway, Calcutta	77

अ० प्र० सं० विषय	U.Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5963. पश्चिम रेलवे के इतर (फारिन) यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली में अधिक भाड़ा लेने के दावें पत्रों का जमा होना	Accumulation of over charge Sheets in Foreign Traffic Accounts office, Western Railway, Delhi	78
5964. पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित बाह्य यातायात लेखा कार्यालय में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in foreign Traffic Accounts Office, Western Railway Delhi	78
5965. दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हानि	Loss to Durgapur Steel Plant	78-79
5967. विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	79
5968. उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय के मशीन सेक्शन में कमसोल आपरेटरों का चुनाव	Selection of Console Operators in Machine sections of Northern Railway Headquarters	79-80
5969. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	Indian Iron and Steel Co. Ltd	80-81
5970. दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार	Trade with South Korea	81
5971. आंध्र, स्थित संयंत्र के लिए मशीनें सप्लाई करने के लिए भारत चैको-स्लोवाकिया समझौता	Indo Czechoslovakia agreement for supply of Machinery for Andhra Plant	81-82
5972. कोरबा एल्युमीनियम कारखाने को बिजली सप्लाई करने के लिए करार	Agreement for Power Supply to Aluminium Plant Korba	82-83
5973. सतपुड़ा तापीय बिजली घर के लिये कोयले का सम्भरण	Coal Supply for Satupra Thermal Power Station	83
5974. नाइट्रिक एशिड तैयार करने वाले छोटे पैमाने के उद्योग में संकट	Crisis in Small Scale Nitric Acid Industry	83
5975. औद्योगिक विकास महानिदेशालय में रजिस्टर्ड कारखाने	Factories Registered with D.G.T.D.	84
5976. केन्द्रीय लघु उद्योग निगम इन्दौर	Central Small Industries Corporation Indore	84-85
5977. कैपिटल फाइनैन्स आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली	Capital Finance of India (P) Ltd. Delhi	85-86
5978. रेलवे सम्पत्ति की हानि	Loss of Railway Property	86
5979. समस्तीपूर के मैकेनीकल वर्कशापों में पदों की वर्गोन्नति	Upgrading of posts in Mechanical Workshops at Samastipur	86

अ० प्र० सं०	विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5980.	समस्ती पुर मुजफ्फरपुर में रेलवे के एक डिविजन मुख्यालय की स्थापना	Location of a Railway Divisional Headquarters at Samastipur/Muzaffarpur	86-87
5981.	पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई ।	Clearance of Foodgrains by Railways from Punjab, Haryana and Rajasthan	87
5982.	भारत में विदेशी मलकियत वाली चाय कम्पनियों	Foreign owned Tea companies in India	87
5983.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences	87-88
5984.	मफतलाल उद्योग समूह को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Mafatalal Group of Industries	88
5985.	विदेशी तथा भारतीय चाय कम्पनियां	Foreign and Indian owned Tea Companies	88
5986.	औद्योगिक विकास की गति	Rate of Industrial Growth	88-89
5987.	खनिज पदार्थों पर रायल्टी में वृद्धि	Increase in Royalty on Minerals	89
5988.	भारतीय रेलों के खिलाड़ियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां	Advance increments to sportsmen of Indian Railways	89-90
5990.	रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों को आवास	Accommodation to Railway Ministerial Staff	90
5991.	रेलवे के स्थान पर मोटरगाड़ियों द्वारा माल भेजना	Diversion of Goods Traffic to Road Transport	91
5992.	कनाडा की एक फर्म के सहयोग से परामर्शदातु सेवा	Consultancy service in collaboration with a Canadian Firm	92
5993.	कानपुर दिल्ली रेलवे सैक्शन का विद्युत करण	Electrification of Kanpur Delhi Section	92
5994.	चौकीदार वाले रेल फाटकों पर टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone Facilities at Manned Level Crossings	92-93
5995.	आधुनिक क्लबों में प्रयोग के लिये ताशों का आयात	Import of Playing Cards for use in Modern Clubs	93
5996.	मैसर्स भारत वैरल का नाम काली सूची में लिखा जाना	Blacklisting of Messrs Bharat Barrels	93-94
5997.	मैसर्स हिन्द गेलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी	M/s Hind Galvanizing and Engineering Co.	94-95

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
5998. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा मैसर्स कूपर एलैन कम्पनी, कानपुर को अपने अधिकार में लिया जाना	Take over of M/s Cooper Allen Co., Kanpur by the Minstry of Defence	95
5999. अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद्	All India Railway Guards' Council	95-96
6000. दुर्गापुर प्राजेक्ट्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल द्वारा कोक का उत्पादन	Coke Production by Durgapur Projects Ltd. West Bengal	96
6001. विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध विदेशी सलाहकार तथा विशेषज्ञ	Foreign Advisers and Experts Attached to Various Ministries	96
6002. भारत में उद्योगों में विदेशी निवेश	Foreign Investment in Industries in India	96-97
6003. कृषि सम्बन्धी औजारों का निर्माण	Manufacture of Agricultural Implements	97
6005. मेरठ और हापुड़ सैक्शन पर चान्दसारा स्टेशन पर कर्मचारियों और यात्रियों के लिये भवन	Building for staff and passengers at Chandsara Station on Mecrut Hapur Section	97-98
6006. नये तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा निर्मित सामान का निर्यात	Exports of Goods manufactured by New and Heavy Engineering Industries	98
6007. अर्जेन्टाइना को पटसन का निर्यात	Export of jute to Argentina	98
6008. स्टैंडर्ड एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Mfg. Co.	98-99
6009. मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी और मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग	M/s Standard Drum and Barrel Mfg. Co. and M/s Hind Galvanizing	99-100
6010. मैसर्स हिन्द गैलवैनाईजिंग एंड इंजीनियारिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	M/s Hind Galvanizing & Engineering Co. Pvt. Ltd.	100
6011. मैसर्स हिन्द गैल्वैनाईजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी	M/s. Hind Galvanizing & Engineering Co.	100-101
6012. मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी	M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.	101-102
6013. दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति	Wakf Property in Delhi	102
6014. इंजन ड्राइवरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scale of Engine Drivers	102-103

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6015. मालगाड़ी के ड्राइवरों तथा गार्डों के काम के घंटे	Duty Hours of Drivers and Guards of Goods Trains	103
6016. रेलवे पर अधीनस्थ कर्मचारियों का सामयिक स्थानान्तरण	Seasonal Transfers of Subordinates on the Railways	103
6017. रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई शिकायतों की जांच	Enquiries on complaints received by Railway Officials	103-104
6018. विदेशी निवेश बोर्ड	Foreign Investment Board	104
6019. लोहा तथा इस्पात की कीमत में बृद्धि	Upward Revision of Iron and Steel Price	104-105
6020. इटली को कारों के पुर्जों का निर्यात	Export of car parts to Italy	105
6021. भारतीय रुपये के अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव	Impact of devaluation of Indian Rupee on Exports	105-107
6022. कोयला मूल्य समिति	Committee on price of coal	107
6023. दरपुर के निकट गाड़ी और ट्रक की टक्कर	Train truck collision near Badarpur (Delhi)	107-108
6024. स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of scooters	108
6025. पाकिस्तान का रूस के साथ व्यापार करार	Pakistan's Trade Agreement with USSR	108-109
6026. इस्पात उत्पादों का निर्यात	Export of steel products	109
6027. कोयले की मांग	Demand of coal	109-110
6028. बहराइच और जखाल रोड स्टेशन के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Bahraich and Jarwal Road Stations	110
6029. रिवाड़ी की एक फर्म द्वारा जाली रेलवे रसीदों का बनाया जाना	Forging of Railway receipts by a Rewari Firm	110-111
6030. राष्ट्रवादी व्यापार संघ के कर्मचारियों को तंग करना	Victimisation of Nationalist Trade Union Workers	111
6031. चिरावा डब्बा खेत्री रेलवे लाइन	Chirawn/Dabla-Khetri Rail Link	111-112
6032. चाय के सम्बन्ध में भारत श्री लंका समझौता	Indo-Ceylon agreement on Tea	112
6033. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on International Commercial Arbitration	112-113
6034. कपड़ा उद्योग को सहायता	Assistance to Textile Industry	113

अ० प्र० सं०	विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6035.	उत्तर प्रदेश की शाखा लाइनों पर चोरी के मामले	Theft cases on Branch Lines in U.P.	113-114
6036.	दिल्ली से यात्री गाड़ी का मुरादाबाद देरी से पहुँचना	Late Arrival of passenger train from Delhi at Moradabad	114
6037.	चंदौसी में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल	Railway Training School at Chandausi	114
6038.	उत्तर प्रदेश में नये उद्योग	New Industries in U.P.	115
6039.	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में तेल इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखाने	Oil Engine Manufacturing Units in Ghaziabad (U.P.)	115
6040.	राज्य व्यापार निगम द्वारा बर्मा में कपड़ा मिलो की स्थापना	Setting up of Textile Mills in Burma by S.T.C.	115-116
6041.	होली के त्यौहार के दौरान रेलवे सम्पत्ति की हानि	Loss to Railway Property during Holi Festival	116
6042.	एशोसियेटिड इलैक्ट्रिक्ल इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड (यू० के०) को किया गया भुगतान	Payments made to Associated Electrical Industries Ltd. (U.K.)	116
6043.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड	Heavy Electricals (I) Ltd.	117
6044.	एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज को परामर्श फीस का भुगतान	Payment of consultant fee to Associated Electricals Industries Ltd.	117-118
6045.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड के परामर्शदाता	Consultants for Heavy Electricals (I) Ltd.	118
6046.	सरकारी उपक्रमों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं तथा उनकी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण	Survey of items manufactured by and needs of public sector undertakings	118-119
6047.	भारतीय खान ब्यूरो	Indian bureau of mines	119
6048.	खेतरी तांबा प्रायोजना	Khetri copper project	120
6049.	एल्यूमिनियम, विशेष इस्पात तथा अलौह धातुओं का आयात तथा निर्यात	Import of export of Aluminium, special steel aud non. ferrous metals	120-121
6050.	पूर्व योरूप के देशों के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with East European countries	121
6051.	केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद् की स्थायी	Standing committee of the central Advisory Council of Industries	121-122

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	बिषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6052.	काली मिर्च का निर्यात Export of Pepper	122
6053.	ऊनी हौजरी के कारखाने Woollen Hosiery Units	122
6054.	काफी का निर्यात Export of Coffee	122
6055.	टाइलों का निर्यात Export of Tiles	122-123
6056.	राजस्थान और उड़ीसा में ऊपरी निचला पुल Over under Bridges in Rajasthan and Orissa	123
6057.	राजस्थान और उड़ीसा में कुटीर उद्योग Cottage industries in Rajasthan and Orissa	123
6058.	राजस्थान और उड़ीसा को अम्बर चरखों की सप्लाई Supply of ambar charkha to Rajasthan and Orissa	124
6059.	गुना माक्सो रेलवे लाइन Guna Maksi Railway Line	124
6060.	राजेन्द्रनागर और इन्दौर स्टेशनों के बीच यात्री गाड़ी को जलाने का प्रयत्न Attempt to burn passenger train between Rajendranagar and Indore Stations	124-125
6061.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर H.M.T. Bangalore	125-126
6063.	व्यापारियों की गैर-सरकारी स्थायी सलाहकार समिति Non-official standing Advisory Committee of Businessmen	126
6064.	लाइसेंस नीति Licensing Policy	126
6065.	विदेशों से उर्वरकों की खरीद Purchase of Fertilizers for foreign countries	126-127
6067.	उड़ीसा में बांसपानी जोरूरी लाइन का निर्माण Construction of Bansapani Joruri Railway Line in Orissa	127
6068.	जापान के सहयोग से शक्ति चालित हलों का निर्माण Manufacture of Power Tillers with Japanese Collaboration	127-128
6069.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा बोकारो इस्पात को ढांचा तथा उपकरणों की सप्लाई Supply of Structures and Eguipments by H.E.C. Ranchi to Bokaro Steel Plant	128-129
6070.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में सहायक इंजीनियरी की पदोन्नति Promotion of Assistant Engineers in the Heavy Machine Building Plant of H.E.C. Ranchi	129
6071.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi	129-130
6072.	मिर्चों का निर्यात Export of Chillies	130-131
6073.	शराब का बनाया जाना Manufacture of Liquor	131

अ० प्र० सं०	विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6074.	मध्य रेलवे पर खानपान तथा खोमचला लगाने की नई योजना	New Scheme of Catering and Vending on Central Railway	131
6075.	मध्य रेलवे में गाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late running of trains on Central Railway	131
6076.	रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail wagons	132
6077.	हनुमान गढ़ जंकशन और हनुमान गढ़ नगर के बीच रेलवे पुल	Railway Bridge between Hanumanarh Junction and Hanumangarh Town	133
6078.	बीकानेर डिवीजन में स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of stations on Bikaner Division	133
6079.	उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के डिप्टी फोरमैन	Deputy Foreman of Lucknow Division of the Northern Railway	133-134
6080.	उत्तर रेलवे के डी० एस० कार्यालय में टेलीफोन आपरेटर	Telephone Operators in D.S's. Office, Northern Railway	134
6081.	नई दिल्ली में डिवीजन सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के टेलीफोन केन्द्र में आग लगना	Fire in Telephone Exchange of D.S's Office, New Delhi	134-135
6082.	जमशेदपुर में छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग	Small and large scale industies in Jamshedpur	135
6083.	वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस	Licences for the import of goods	135
6084.	बांदा लोको शैड मध्य रेलवे में प्रतिदिन काम के घंटे	Daily working hours at Banda Loco Shed (C. Rly)	135-136
6085.	इंजीनियरी माल निर्यात संवर्धन परिषद	Engineering Export Promotion Council	136-137
6086.	नेफा में रेलवे का विकास	Railway Development in NEFA	137
6087.	जमालपुर रेलवे वर्कशाप	Jamalpur Railway Workshop	137
6088.	रेलवे वर्कशाप जमालपुर	Railway Warkshop, Jamalpur	138
6089.	उत्तर पूर्व रेलवे के ए० पी० ओ० की पदोन्नति	Promotion of A.P.Cs. North Eastern Railway	138
6090.	जमालपुर रेलवे वर्कशाप	Jamalpur Railway Workshop	138-139
6091.	बम्बई दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेल गाड़ी को चलाने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल	Use of Diesel Locomotive for Hauling Bombay Delhi Air Conditioned Express	139

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6092.	गुजरात से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के ऊपर पुल / Bridges over Railway lines passing through Gujarat	139
6093.	बन्द कपड़ा मिलों के लिए गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता / Financial Assistance for closed textile Mills sought for by Gujarat Government	139-140
6094.	स्टीम लोको शैड, डूंगरगढ़ (दक्षिण पूर्व रेलवे) / Steam Loco shed at Dongargarh, S. E. Railway	140
6095.	सरगूजा जिले में चिरमिरी कालेज तथा स्कूल तथा कुरमासिया के बीच उपरि पुल / Overbridge between Chirmiri colleges and school and Kurmasia, District Sarguja (Madhya Pradesh)	141
6096.	रेलवे बोर्ड और कोयला खानों के मालिकों के बीच समझौता / Agreement between Railway Board and colliery Owners	141
6097.	मध्य प्रदेश में सहकारी कपड़ा मिलें / Cooperative Textile Mills in Madhya Pradesh	141
6098.	सिलिगुड़ी में रेल की पटरियों का पकड़ा जाना / Recovery of Rails in Siliguri	142
6099.	रेलवे की आय / Earnings of Railways	142
6100.	महाराष्ट्र में यवतमाल जिल में रेलवे लाइनें / Railway lines in Yeotmal District in Maharashtra	142-143
6101.	महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइनें / New Railway Lines in Maharashtra	143-144
6102.	वायदे के सौदे / Forward Trading	144
6103.	नई दिल्ली फरीदाबाद उपनगरीय सैक्शन / New Delhi Faridabad Suburban Section	144-145
6104.	पूर्वोत्तर रेलवे का भोजन व्यवस्था विभाग में गवन / Misappropriation in the Catering Department of North Eastern Railway	145
6105.	राजस्थान में रेलवे लाइनें का निर्माण / Construction of Railway Lines in Rajasthan	145-146
6106.	चाय तथा पटसन का निर्यात / Export of Tea and Jute	146-147
6107.	भारत के व्यापार करार / India's trade agreement	147
6108.	हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर / Hindustan zinc Smelter	147-148
6109.	बड़ी लाइन का कालका में पारामन तक का बढ़ाया जाना तथा कन्दरौड़ी रेलवे / Extension of Broad Gauge Line from Kalka to Parmanu and	

अ० प्र० सं०	विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	स्टेशन(उत्तर रेलवे)का विस्तार	Enlargement of Kandrori Rly. Station (N. Rly)	148
6110.	राजनीतिक दलों को चन्दा	Donations to political parties	148-149
6111.	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी का जारी किया जाना	Issue of industrial licences	149
6112.	हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन	Production of light commercial vehicles	149
6113.	औद्योगिक लाइसेंस का जारी किया जाना	Issue of industrial licences	150
6114.	भारत में विदेश नियंत्रित कम्पनियां	Foreign controlled companies in India	150
6115.	उद्योग पतियों के सलाहकार ग्रुप	Consultative Groups of Industrialists	150-151
6116.	नई दिल्ली और अमृतसर के बीच तेज रफ्तार वाली रेल गाड़ी	Fast train from New Delhi to Amritsar	151
6117.	रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से आयात	Imports from Rupee payment countries	151-152
6118.	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बेकार पड़ी क्षमता	Idle capacities in the public and private sectors	152-153
6119.	रेलवे बोर्ड	Railway Board	153
6120.	कपड़े पर से नियंत्रण हटाना	Removal of control on cloth	153
6121.	मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Mysore	153-154
6122.	मिराज रेलवे स्टेशन का शाकाहारी जलपान गृह	Vegetarian Refreshment room at Miraj Railway Station	154
6123.	क्यूबा को पटशन के सामान का निर्यात	Export of jute goods to Cuba	154-155
6124.	कच्चे काइ नाइट का निर्यात	Export of Kyanite	155-156
6125.	रासायनिक प्रक्रमों के लिए उपकरणों का आयात	Import of equipment for chemical process	156-157
6126.	आसामी कोयला	Assam coal	157
6127.	खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम	Mining and allied machinery corporation	157-158
6128.	रेल द्वारा कोयले की ढुलाई	Movement of coal by Rail	158
6129.	कालका मेल रेलगाड़ी	Kalka Mail	159

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6130.	दक्षिण मध्य रेलवे पर नई रेलवे लाइनें New Railway lines on South Central Railway	159-160
6131.	स्कूटरों का निर्माण Manufacture of scooters	160
6132.	कानपुर स्टेशन पर जाली रेलवे टिकटों की बिक्री Sale of Fake Railway Tickets at Kanpur Station	160
6133.	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात Export of Cloth to UK	161
6134.	कलकत्ता में मोटर टायरों की कमी Shortage of motor tyres in Calcutta	161-162
6135.	मलकागंज, दिल्ली के पास कबरिस्तान से ट्रक अड्डे का हटाया जाना Removal of truck adda from Graveyard near Malkaganj, Delhi	162
6136.	मैसर्स हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्कस लिमिटेड, कलकत्ता M/s Hindustan Safety Glass works Ltd. Calcutta	162-163
6137.	हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन कम्पनी Hindustan Pilkington Co.	163
6138.	सूती कपड़े के थानों का निर्यात Export of cotton piece goods	163-164
6139.	पश्चिमी रेलवे के दिल्ली इतर (फारन) रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों के काम की सूची Duty list of staff working in Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	164
6140.	रेलवे यातायात लेखा कार्यालयों में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्लर्कों का कार्य Duties of clerks Grade I and II in the Railway Traffic Accounts Offices	164
6141.	बोकारो इस्पात कारखाना Bokaro Steel Plant	165
6142.	टाइप मशीनों का निर्माण करने वाली कम्पनियां Typewriter Manufacturing companies	165-166
6143.	कानपुर की फर्म मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी M/s Cooper Allen Company of Kanpur	166
6144.	केरल में अखबारी कागज का कारखाना Newsprint Factory in Kerala	166-167
6145.	आसाम में सीमेंट का कारखाना Cement Factory in Assam	167
6146.	आसाम में अखबारी कागज का कारखाना Newsprint Factory in Assam	167-168
6147.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मुफ्त रेलवे पास Free Passes for Central Government Employees	168
6148.	समवाय विधि बोर्ड Company Law Board	168
6149.	निदेशकों के पारिश्रमिक Remuneration of Directors	169-170

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6150. आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्कस एसोसिएशन	All India Railway Commercial Clerks' Association	170
6151. परिवहन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वाणिज्यिक वर्ग समाविष्ट करना	Absorption of Transportation staff in Commercial Staff Category	170
6152. परिवहन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वाणिज्यिक वर्ग में समाविष्ट करना	Absorption of Transportation staff in commercial category	171
6153. इंडियन रेलवे केटरिंग कोओपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर को ठेका	Contract to Indian Railway Catering cooperative society, Jodhpur	171
6154. बीकानेर ऐक्स्प्रेस के साथ जोड़े गये बफैकार	Buffet Car attached to Bikaner Express	172
6155. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	172
6156. ऊनी हौजरी का निर्यात	Export of Woollen Hosiory Goods	172
6157. के० सी० टी० कपड़ा मिल, हुबली का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of K.C.T. Mills Hubli	173
6158. राष्ट्रीय राज पथ संख्या 3 पर रेल का उपरि पुल	Railway over bridge on National Highway No. 3	173
6159. कल्याण स्टेशन का पुनर्निमाण	Reconstruction of Kalyan Station	173-174
6160. इगतपुरी मानमाड सैक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Igatpuri Manmad Section	174
6161. केरल से नारियल की जटा से बने माल को उठाने के लिए मालडिब्बों का सप्लाई किया जाना	Supply of wagons for Lifting Coir Goods from Kerala	174
6162. केरल में उत्पादन केन्द्र	Production centres in Kerala	174-175
6163. अकोना रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का लूटा जाना	Looting of Akona Station (C. Rly)	175
6164. औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Industrial Licences	175-176
6165. भारतीय मानक संस्था में रिक्त स्थान	Vacancies in the Indian Standards Institution	176

अ० प्र० सं० विषय	U. Q. Nos. SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6166. भारतीय मानक संस्था	Indian Standards Institution	176
6167. भारतीय मानक संस्था द्वारा दिया गया मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance paid by I.S.I.	177
6168. अगस्त, 1968 में दिल्ली फरुखाबाद गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगना	Fire in a Coach of Delhi Farrukhabad Train in August 1968	177
6169. रेलवे कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन आयोग	Third pay Commission for Railwaymen	177-178
6170. सियालदाह डिविजन पर रेलगाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारी	Running Staff of Sealdah Division	178
6170—क तस्करी के कारण पटसन के उत्पादन पर प्रभाव	Effect on Jute Production due to Smuggling	178-179
6170-ख पूर्णिय जिले में पटसन की खपत	Jute consumption in Purnea District	179
6170-ग कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान	Donation by Companies to Political Parties	179
6170-घ चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	179
6170-ङ बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	Barium Chemicals Ltd., Andhra Pradesh	180
6170-च बेरियम कैमिकल्स लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश की उत्पादन क्षमत	Production capacity of Barium Chemicals Ltd. Andhra Pradesh	180-181
6170-छ रूस तथा अरब देशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Indian Films in USSR and Arab Countries	181
चेकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में	Re. situation in Czechoslovakia	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति सातवां प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from Sittings of the House Seventh Report	
दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक पुरस्थापित	Criminal and Election Law Amendment Bill- Introduced	
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश) 1968-69	Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh), 1968-69	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	
उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1968 पुरस्थापित और परित	Uttar Pradesh Appropriation (No.3) Bill, 1968- Introduced and passed	
उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रपति को उद्घोषणा को जारी रखने के सम्बन्ध में संविहित संकल्प	Statutory Resolution Re. Continuance of President's Proclamation in respect of Uttar Pradesh	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R.K. Sinha	
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	
श्री बै० ना० कुरील	Shri B.N. Kureel	
श्री क० कृ० नायर	Shri K.K. Nayar	
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	
श्री गयूर अली खां	Shri Ghayoor Ali Khan	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet yadav	
श्री रघुवीर सिंह शस्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री शारदानन्द	Shri Sharda Nand	
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में संविहित संकल्प	Statutory resolution re. continuance of President's proclamation in respect of West Bengal	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
बिजली निगम के बारे में चर्चा	Discussion re. Electricity Corporation	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekér	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shrs S.S. Kothari	
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
डा० कु० ल० राव	Dr K.L. Rao	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 27 अगस्त, 1968 / 5 भाद्र, 1890 (शक)

Tuesday, August 27, 1968 / Bhadra 5, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\+ **श्रीलंका को फिल्मों का निर्यात**

691. **श्री एम० एस० ओबराय :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में श्रीलंका ने भारत से तमिल और हिन्दी फिल्मों के आयात पर पाबंदियां लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका फिल्म उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस कारण कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) श्रीलंका सरकार ने भारत से तमिल तथा हिन्दी फिल्मों के आयात पर कोई पाबंदियां तो नहीं लगाई हैं, परन्तु उसकी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 1 जनवरी 1968 से सभी विदेशी फिल्मों के आयात में 20 प्रतिशत की कमी की गई है । अब इस पद के लिए लाइसेंस विदेशी मुद्रा हकदारी प्रमाण-पत्रों पर अदायगी करने पर जारी किये जाते हैं । इससे श्रीलंका को भारतीय फिल्मों के आयात में भी कमी होने की सम्भावना है ।

श्री एम० एस० ओबराय : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि उनकी श्रीलंका की यात्रा के दौरान क्या उन्हें श्रीलंका द्वारा भारतीय फिल्मों पर लगायी गयी रोक के बारे में कुछ और जानकारी मिली तथा इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी : यह रोक वाली बात केवल भारतीय फ़िल्मों के लिए ही नहीं बल्कि श्रीलंका में आयात की जाने वाली सभी विदेशी फ़िल्मों के बारे में लागू होती है। यह मामला विचारार्थ नहीं रखा गया था। जब भी कभी भारतीय फ़िल्मों के विरुद्ध कोई भेद-भाव होगा तो श्रीलंका सरकार के साथ बात-चीत की जायेगी।

श्री एस० कन्डप्न : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्रीलंका की यह रोक इस भय पर आधारित है कि इन फ़िल्मों का सांस्कृतिक प्रभाव श्रीलंका की संस्कृति पर छा जायेगा। स्वतन्त्रता के बाद भारत और श्रीलंका के मध्य सम्बन्धों का समुचित विकास नहीं हुआ है। भारत सरकार इस बात को भूल-गई लगती है कि वे वहां की अपनी बौद्ध संस्कृति की रक्षा करने में बड़े जागरूक हैं। यह बात उन द्वारा हिन्दी, तमिल तथा तेलुगु फ़िल्मों के गीतों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से स्पष्ट हो जाती है। वह बात खैर किसी प्रकार कुछ समय हुए हल कर ली गई थी। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रयास कर रही है कि उनको ऐसा काल्पनिक भय न रहे कि हम उनकी संस्कृति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डाल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : जैसा मैंने कहा है, भारत सरकार की जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। यदि भारतीय फ़िल्मों के विरुद्ध कोई भेद भाव किया जाता है तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी।

ढोल निर्माताओं को इस्पात की चादरों का आवंटन

692. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढोल निर्माताओं को निर्धारित क्षमताओं के अनुसार इस्पात की चादरें आवंटित करने के क्या कारण थे, जबकि सरकार इस्पात चादरों की बहुत कमी होने के कारण मूल निर्माताओं को उनकी एक पारी के अनुसार भी इस्पात आबंटित करने की स्थिति में नहीं थी ;

(ख) 1964 में क्षमताएं निर्धारित करने के क्या कारण थे जबकि यह मान लिया गया था कि इस्पात की चादरों की कमी निरन्तर रहने वाली है ; और

(ग) क्या ऐसी परिस्थितियों में किये गये निर्धारण के परिणामस्वरूप मैसर्स हिन्द गाल-वैनाइजिंग की नई क्षमता और मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के अनधिकृत विस्तार को मान्यता मिल गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भान प्रकाश सिंह) :

(क) इस्पात तैयार करने वाले सभी उद्योगों को इस्पात का नियतन बराबर उनकी एक पारी के अनुसार आंकी गई उत्पादन क्षमता के आधार पर किया गया है।

(ख) लोक-सभा में 7 मई, 1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1968 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) जिन परिस्थितियों में कारखानों की उत्पादन क्षमता को मान्यता दी गयी है। उनके

बारे में लोक-सभा में 24 नवम्बर, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है ।

Shri Sitaram Kesri : Barrels have been a subject of discussions in the House a number of times. Even yesterday too, some questions were put on behalf of the Indian Oil. Prior to 1964, when you made assessements regarding barrels, you had been giving 3, 000 tons of raw material every month to the fabricator whose annual capacity was 45,000 i. e. 3,750 per month. I want to know why did you order for a reassessment when even 3,000 tons of raw material was not available ; and under this order, you recognised the Hind Galvanising, a new firm of fabricators, when the raw material was included in the banned list owing to its shortage and no new firm was to be created ? I want to know how could you order for a reassessment when you were not able to fulfil the demand of 3,000 tons of raw material ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : I would try to meet all the point. There appears to be a confusion in regard to assessed capacity and licenced capacity. As regards the allocation of steel, under the control order in 1946-47, we used to give steel to the consumer industries on their basis of assessed capacity. The idea of licenced capacity came only after 1951 when there rose a question regarding issuing licences. In 1963-64, as has been asked by the hon. Member, there was a meeting of the representatives of the oil companies and the manufacturers of the barrels. After the meeting it was decided that their requirement was 4,700 barrels per month and they were given steel only for 3,000 barrels. It was also considered at that time whether the steel may be given to others also or the capaicity of these people alone be increased. At that time, the manufacturers told that their capacity was more than the assessed capacity. Then a committee was appointed who went into it and reported that if these people were given more steel they could make 4700barrels every month. Their capacity was, therefore, enhanced from 3,000 to 4,700. On that basis this much steel has been given to them and they have made barrels. Then, there was a question about a company. That too was a registered company and they also could make after having a little bit more machinery.

Shri Sitaram Kesri : I feel that at the time when this re-assessment was ordered, the Minister and the officers must have done some misappropriation. The assessment made by you in 1963-64 on the basis of which you allotted 16,000 tons toa firm and 3,000 tons to the Hind Galvanising and later on you reduced the former allotment from 16,000 tons to 9,000 tons and enhanced the later allotment—that of the Hind Galvanising —to 6,000 ; and also that of the Standards whose previous allotment was 5,000 tons, you increased it to 8,000 tons. This all shows that you made assessment only to favour the Hind Galvanising. I want to know whether the hon. Minister is prepared to holda proper inquiry or probe into the affair so that all the malpractices may be eradicated and all may get equal justice ?

Shri F.A. Ahmed : It would be better for me not to speak any thing on this subject since a writ petition is already pending in the High Court in which all these issues have been taken up. After a decision is got in this regard, we will come to know about the new licences and the assessed capacity.

Shri George Fernandes : It is not as much simple an issue as the hon. Minister has stated. In fact, in 1962, the then Chief Minister of West Bengal, Shri P.C. Sen wrote to the Central Government to increase the capacity of the Hind Galvanising and permit them to manufacture a different type of barrels. But since the whole steel then, was in the banned list, the Ministry expressed its inability to enhance this capacity and give a contract to the Hind Galvanising. After that, in 1963, when it be-

came difficult to issue a licence to this company on the strength of Shri P.C. Sen's letter, the Govt. then found out a new method of making reassessments and tried to increase the capacity of the Hind Galvanising. I have got a copy of the notice of the Ministry of Commerce and Industry. It is written therein that :

" The Chief Minister of West Bengal in his letter to the Minister of Industries has urged that Hind Galvanising and Engineering Co. Private Ltd. should be allowed to undertake manufacture of 40 to 45 gallons of standard steel drums. At present, under their restriction certificate, they can only manufacture drums of four to five gallons and up to 10 gallons only of 60 and 90 gallons.

First of all I ask for your permission to place it on the Table of the House. But you please see to it. It has been stated in Shri Chari's note of 26.3.63 why it can not be given :

"In these circumstances, it is not possible to agree to the proposal of Hind Galvanising and Engineering Company. A letter to the Chief Minister of West Bengal is placed below."

If I say that the Chief Minister of Bengal failed in his efforts, then is it not a fact that this reassessment business has been a new way out ? Is it not a nonsense done here ?

Shri F.A. Ahmed : I have already said that we should understand the difference in these two things. One is the assessed capacity and the other one is the licenced capacity. Till the licensing system was not introduced.....

Shri Madhu Limaye: Was the letter written, or not.....

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार देने दीजिए । प्राक्कलित सामर्थ्य के अनुसार उन्हें ढोल बनाने के लिए ये चद्दरें दी गई थीं । परन्तु बाद में, तेल कम्पनी तथा निर्माताओं के प्रतिनिधियों के मध्य यह पता लगा कि वे आवश्यकताओं के अनुसार ढोलों को निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो यह निर्णय लिया गया कि यह विचार किया जाये कि क्या निर्माण के उद्देश्य से नये एककों को पंजीकृत किया जाये या कि वर्तमान एककों के ही निर्माण हेतु सामर्थ्य को बढ़ा दिया जाये । जाँच की गई थी तथा यह मालूम हुआ था कि वर्तमान एककों के पास निर्माण करने का सामर्थ्य है । इस पत्र के होते हुए भी, मामले की योग्यता के आधार पर जांच की गई तथा यह पाया गया कि यह एकका मैसर्ज हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी को, छोटे ढोलों तथा भारी बैरलों हेतु पंजीकृत किया गया और थोड़ी-सी मशीनरी और बढ़ा लेने के बाद वह ड्रमों के निर्माण में भी योग दे सकेगा । अतः उन्हें यह चद्दर भी दी गई तथा निर्माण करने के लिए कहा गया ।

Shri George Fernandes : You have not explained about the letter ; whether you had sent any such letter which said that that could not be done ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने कहा है कि उस पत्र पर विचार किया गया था । जांच के बाद यह निर्णय लिया गया था कि जो एकका निर्माण करने की स्थिति में है उन्हें ये चद्दरें दी जा सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि पत्र पर विचार किया गया था तथा माननीय सदस्य भी उस पत्र को पढ़ चुके हैं और वह पत्र रिकार्ड में भी आ चुका है ।

Shri George Fernandes : I may be permitted to place it on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye : Let him place. We also want to know what is written therein. We are putting question and the hon. Minister is replying. We want to know what is contained in the letter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूँगा।

Shri Madhu Limaye : It is not complete.

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether the Indian Oil Co., a public concern, was also asked to keep galvanised sheets and whether they also kept a large stock with them ? Is it a fact that instead of using these sheets for manufacturing drums which they needed most, they gave those away to the ESSO a foreign company of the U.S.A. ? Also whether it is a fact that they did not call any tender for those sheet and gave away without any tender ? Why was it so ? What action is being taken against the authority responsible for this loss and who neither called any tender nor got the requirement fulfilled, and gave those away to that foreign company who has been inflicting loss to the I.O.C. through its various activities ?

Shri F.A Ahmed : It is not relevant to this question. If the I.O.C. has had some transaction with the Petro-chemical Industry, I can get you the information.

श्री स० मो० बनर्जी : हर बार यह प्रश्न पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से किया जाता है, वह कह देते हैं कि यह औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन है। बैरल और ड्रमों सम्बन्धी सारा ही प्रश्न दुविधा में पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : अब इस बारे में विवाद करने से क्या होगा ? मामला प्राक्कलन समिति के समाने है। उन्हें हमें रिपोर्ट देने दीजिए।

Shri Abdul Ghani Dar : I wanted to know whether the Ministry permitted them to sell the material to whomsoever they like, or, as you said, they were permitted to do so in view of their requirement and capacity ? If they have violated your instructions that they should consume the material for their own use, what action do you propose to take against them ?

Shri F.A. Ahmed : As far as I know, the steel is given to only steel processing industries. If they have done some allocation, I would like to have notice and get you the information. But according to my information that is not a steel processing industry.

Shri K.N. Tiwary : What are the country's requirements in regard to barrels and drums. and what is the existing capacity of the production ? Is it a fact that if they are given quota according to their capacity, they can make good all the requirements of the country ? Is it also a fact that they are given only 40% quota due to which they can not run even one shift fully and that if they are given full quota they will work in double shifts and employ more labour ? In this way, will you not be able to meet all the requirements of the country ?

Shri F.A. Ahmed : According to the figures we have, the total capacity is about 56,000 tons and the raw material provided during 1966 is as follows :

to Bharat Barrels	9,877	tons
to Standard Drum	7,899	"
to Industrial Containers	2,528	"
to Hind Galvanising Co.	5,966	"
to Steel Co. Containers	529	"

Shri K. N, Tiwary : I had asked whether they are given only 40% of their capacity and not the rest of the 60% ? If you increase it to cent percent can't you meet all the requirements of the country ?

Shri F.A. Ahmed : I do not follow what he means. Recently, we have received a proposal that the barrels should be manufactured in the public sector. The licensing Committee has examined the proposal. It is under consideration whether it should be given to the existing units or to the public sector.

भारत-अफगानिस्तान व्यापार करार

+

693. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री अंबुचेजियान :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान की सरकारों ने वर्ष 1968-69 के लिये एक नया व्यापार करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस करार के द्वारा दोनों देशों में व्यापार बढ़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस किस वस्तु का व्यापार बढ़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें नये भारत-अफगान व्यापार करार की मुख्य बातें दी गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नये व्यापार करार के फलस्वरूप कुल भारत-अफगान व्यापार में विस्तार होने तथा साथ ही अपरम्परागत मदों में भारत के निर्यात के बहुविध हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

(i) अफगानिस्तान से भारत में वहीं के हींग, जीरे के बीज तथा दवाई-बूटियों के आयात को स्वतन्त्रता से अनुमति दी जायेगी ।

(ii) अफगानिस्तानी सूखे और ताजा फलों की सीमित मात्रा में भारत में आयात करने की अनुमति होगी ।

(iii) उपर्युक्त मद संख्या (i) और (ii) के आयात के बदले में अदायगी के रूप में भारतीय आयातकर्त्ताओं द्वारा अपरम्परागत वस्तुओं अर्थात् वस्त्र, चाय, दालें तथा नारियल की वस्तुओं से अन्य का कम से कम 15% का निर्यात किया जायेगा और वह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियत ई० पी० प्रक्रिया के अनुसार होगा; और

(iv) अफगानिस्तान से ऊन और रूई का आयात तथा भारत से मशीनरी, मशीनी औजार, आँटोमोबाईल्ज, लोहे तथा इस्पात की निर्माण-सामग्री आदि का निर्यात, जैसा कि व्यापार-करार में तय हुआ है, स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के भुगतान द्वारा किया जा सकेगा ।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न के (ग) तथा (घ) भाग के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूँगा कि इस नये व्यापार करार के परिणाम स्वरूप हमारे निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।

श्री दिनेश सिंह : यह तो वर्ष के दौरान होने वाले कार्य पर निर्भर करेगा।

श्री नि० रं० लास्कर : जब हमारे मंत्री महोदय अफगानिस्तान में गये तो उनके वाणिज्य मंत्री श्री नूर अली ने थल-पथ के बन्द हो जाने से अफगान व्यापार तथा अर्थ व्यवस्था पर पड़े भारी कुप्रभाव पर अपनी सरकार की चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार थल खुलवाने के लिये निरन्तर भरसक प्रयत्न कर रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारी सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : इस मामले पर अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री के बातचीत हुई थी। इस मामले में हमें भी बड़ी चिन्ता है। हमारी बड़ी इच्छा है कि थल-पथ खुल जाये परन्तु पाकिस्तान के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों को देखते हुए हम इस बारे में बहुत ही कम आगे बढ़े हैं। परन्तु हम अपनी ओर से बड़े उत्सुक हैं और अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री से हुई हमारी बातचीत स्पष्ट करती है कि हमारी इसमें रुचि है।

बलराज मधोक : अफगानिस्तान के चारों ओर कहीं भी सागर का स्पर्श नहीं है। क्योंकि पख्तून क्षेत्र पर पाकिस्तान ने बलात् अधिकार कर रखा है, अतः उसका प्राकृतिक मार्ग जो समुद्र पर जाता है पाकिस्तान ने रोक लिया है तथा भारत को भी वह सीधे सड़क मार्ग से अफगानिस्तान जाने से रोकता है। भारत-अफगानिस्तान के मध्य राजनीतिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने की दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूँ कि भारत सरकार अफगानिस्तान को भारत में अपना निर्यात करने के लिए अनुपूर्तित हवाई परिवहन की सुविधा देगी, तथा दूसरे, क्या भारत सरकार अफगानिस्तान से हमें प्राप्त होने वाले आयात की शर्तों में कोई छूट देगी।

श्री दिनेश सिंह : भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य माल लाने के लिए अनुपूर्तित हवाई परिवहन प्रदान करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, क्योंकि समुद्री मार्ग खुला है तथा माल आ जा रहा है। इसकी अनुपूर्ति तो करदाता को करती है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अफगानिस्तान को जाने के लिए वायु मार्ग के अतिरिक्त व्यापार के लिए और भी कोई मार्ग है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी अभी समुद्री मार्ग का उल्लेख किया था।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि इस समय निर्यात के लिये जितने प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, उनका बोझ करदाता पर पड़ता है ? फिर इस सम्बन्ध में यह क्यों कहा जा रहा है कि मंत्री महोदय को राज-सहायता पर इसलिए आपत्ति है कि इससे करदाता पर बोझ पड़ेगा ?

श्री दिनेश सिंह : जब कभी करदाताओं के धन के उपयोग का प्रश्न हमारे सामने आता है, हमें उसके खर्च करने में बड़ी सावधानी से काम लेना होता है। यद्यपि निर्यात के लिए कुछ सुविधायें दी गई हैं, इस मामले में ऐसी किसी बात को महसूस नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने

'नहीं' कहा । मैं अपनी मर्जी से राजसहायता नहीं दे सकता । सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि इस धन को खर्च नहीं करना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि मंत्री महोदय ने काबुल के अपने हाल ही के दौरे में थल मार्ग को फिर खोले जाने के बारे में चर्चा की थी ? यदि नहीं तो वह अफ़गानिस्तान और भारत के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में कैसे सुधार करेंगे जो कि बहुत ही महत्व पूर्ण मामला है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही बता दिया है कि मैंने बातचीत की थी ।

श्री हेम बरुआ : हमें इस बात की जानकारी हैं मंत्री महोदय ने अफ़गानिस्तान सरकार से थल मार्ग के बारे में बातचीत की थी परन्तु हम उस बातचीत का परिणाम जानना चाहते हैं ।

श्री दिनेश सिंह : थल मार्ग का खोलना अफ़गानिस्तान या भारत के हाथ में नहीं है । हम केवल इस बात पर सहमत हुए थे कि थल मार्ग खोलने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये ।

Shri Ghayoor Ali Khan : May I know whether during his recent visit to Kabul, the hon'ble Minister has signed any permanent trade agreement in addition to the Trade Agrement for the year 1968-69, if so, the details there of ?

Shri Dinesh Singh : No, sir. We have not signed any other agreement.

श्री श्रीचन्द गोयल : अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध है । तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगायी है कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी भारतीय वस्तुएं बिक सकती हैं जिससे हम अपना निर्यात बढ़ा सकें ?

श्री दिनेश सिंह : अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से भी अब अच्छे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है । दस वर्ष पूर्व अफ़गानिस्तान के साथ हमारा व्यापार 3.35 करोड़ रुपये का था जो पिछले वर्ष 7.50 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था । जहां तक अफ़गानिस्तान में भारतीय वस्तुओं की बिक्री का पता लगाने का सम्बन्ध है, यह कार्य वहां पर रहने वाले व्यापारी तथा हमारे मिशन कर रहे हैं । अफ़गानिस्तान को बेची जाने वाली भारतीय वस्तुओं की सूची बहुत लम्बी है,

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : हाल ही में समाचार-पत्रों में मलयेशिया तथा एशिया के दक्षिणपूर्वी देशों को छोटे हथियारों तथा सैनिक उपकरणों की बिक्री का समाचार प्रकाशित हुआ था तो क्या वाणिज्य मंत्री ने यह हथियार और उपकरण बेचने के लिये अफ़गानिस्तान के साथ भी कोई बातचीत की थी ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : There is Pakistan in between India and Afghanistan and that is the only land route. In view of this we do not know as to when the goods may be confiscated in the transit. A scheme has been formulated by U.N.O. for the international roadways from Europe to Malaysia. That road passes through Afghanistan and India. I want to know whether Government has made any effort to see that no restrictions are imposed on the movement of goods of both these countries except the restrictions of customs and U.N.O. should stand surety for it ?

Shri Dinesh Singh : Certainly we have made efforts. There is an Asian highway which is subject matter of discussion in ECAFE. In that case also the idea is that there should not be any restrictions on the trade except the rules which can be made by respective nations.

मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल नामक फर्म को काली सूची में रखना

+

694. **श्री अब्दुल गनी डार :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963-64 में मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल नामक फर्म का दाम काली सूची में रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिये, कितनी बार तथा किन-किन कारणों से ;

(ग) उक्त फर्म को काली सूची में रखने के आदेश किन कारणों से वापस लिये गये थे ; और

(घ) क्या किसी मुख्य मन्त्री ने उक्त फर्म के पक्ष में केन्द्रीय सरकार को एक अर्ध-सरकारी पत्र भेजा था ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम अवध) : (क) से (ग) वर्ष 1963-64 में लोहा और इस्पात विभाग ने मेसर्स अमींचन्द प्यारेलाल की फर्म को काली सूची में नहीं रखा था लेकिन 31 जुलाई 1963 को लोहा और इस्पात नियंत्रक ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मानकीकृत संहिता के अधीन इस फर्म और इसकी सहयोगी फर्मों पर 2 वर्षों के लिये रोक लगाई गई थी। फर्म और इसकी सहयोगी फर्मों पर रोक लगाने का कारण यह था कि मेसर्स सुरेन्द्रा ओवरसीज़ (प्रा०) लि० ने, जो मेसर्स अमींचन्द प्यारेलाल की सहयोगी फर्म थी, 1957 में आयात की गई घटिया किस्म की 724 टन इस्पात की गोलछड़ों का हिसाब नहीं दिया था ! रोक-आदेश आदेश की अवधि में वापिस नहीं लिया गया था परन्तु इसे दो वर्ष पूरा होने पर अर्थात् 31 जुलाई 1968 को ही समाप्त होने दिया गया।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेसर्स अमींचन्द प्यारेलाल के विरुद्ध 31 जुलाई 1963 के रोक-आदेश के बारे में किसी मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र नहीं लिखा।

Shri Abdul Ghani Dar : Whether the hon'ble Minister will be pleased to state that the firm of M/s Aminchand Pyarelal was black listed twice and the order of black-listing was also withdrawn twice. The firm was black—wlisted in the month of October but the relevant order was withdrawn in January. I want to know whether Government is now satisfied with the firm, as relevant order has been withdrawn ?

Whether it is also a fact that former Chief Minister of Punjab, Shri Pratap Singh Kairon had writtena D.O. letter and whether this D.O. letter was the cause that the relevant order was withdrawn ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi): As stated in my reply, this firm was not blacklisted. But an order was issued in 1962 to suspend their business and that order is still in force. Again in 1963-64 the business was banned. This order expired in 1965, thereafter in view of PAC

Report in 1966, their business was again banned for three years. That order is in force even today. Shri Pratap Singh Kairon, former Chief Minister of Punjab had not written any letter in connection with black listing of this firm. Ofcouse he had written some letters about industrial licensing.

Shri Abdul Ghani Dar : Whether Government is aware that after blacklisting, M/s Aminchand Pyarelal were succeeded in getting import licence in the name of some other firm and one of such names was mentioned by the hon'ble Minister viz. Suredra Overseas Agency ? If so then why these licences were issued in the new names when the firm had already been blacklisted ?

Shri P.C Sethi : I have stated that the firm was not blacklisted, there was only suspension and banning of business with regard to Aminchand Pyarelal group and that order is still in force.

Shri Rabi Ray : There have been long discussions in the House about Aminchand Pyarelal. I want to know from the hon. Minister what is the difference between black-listing and imposing a ban on business ? And secondly, will the hon. Minister state how much money in donation has been given by Aminchand Pyarelal to the Congress and the other political parties ?

Shri P.C. Sethi : As regards blacklisting, banning or suspension of business, there is a standardised code prepared by the Directorate General of Supplies and Disposals and action in this direction is taken according to that. When a firm is blacklisted, this information is circulated to all the ministries and then it is essential for the Ministries not to have any relation with that firm. Such information is circulated to all the Ministries in case of banning also, but the difference is that they are not bound to act upon that; and it depends upon their own discretion. This is only the difference between the two. As regards donations to the politcal parties, I do not have any information, ordinarily, people give such donations to all parties.

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में एक प्रश्न उठा था कि वे कलकत्ता में पार्क होटल को पूरा करने के हेतु कुछ आयातित वस्तुओं के लिये आयात- लाइसेंस चाहते थे। हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें यह लाइसेंस नहीं दिया जायेगा क्योंकि इस विशिष्ट फ़र्म के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे। परन्तु होटल ऊंचा उठता जा रहा है तथा सरकार का वायदा टूटता आ रहा है। कलकत्ता में हमने यह देखा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि किसी श्री जीत पाल ने यह खुल्ले-आम घोषणा की है कि क्योंकि उनकी कम्पनी ने तथा स्वयं उन्होंने पिछले वर्ष दुर्गापुर कांग्रेस के 90% खर्च को वहन किया है, अतः पृथ्वी पर कोई ऐसी ताकत नहीं जो.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कहा है कि उन्होंने दुर्गापुर कांग्रेस का 90% खर्च वहन किया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने बहुतों से यह कहा है.....

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी ही विचित्र सी बात है.... (**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, जिस समय कि श्री लिमये तथा अन्य माननीय-सदस्यों ने सभा में यह प्रश्न उठाय था— कि सारा विपक्ष भी मिल कर उन्हें नहीं हरा सकेगा क्योंकि कुछ मन्त्री उनकी दाईं बाईं जेबों में पड़े हैं तथा उन्होंने कांग्रेसी काफ़िरों को भारी धन राशि दी है.....

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्हें होटल सम्बन्धी कार्य पूरा करने के लिये क्यों आयात-लाइसेंस दिया गया, क्या उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये थे, यदि हां, तो उन प्रतिबन्धों का अनुसरण क्यों नहीं किया गया ; तथा कांग्रेस को चुनावों के लिये तथा दुर्गापुर कांग्रेस को उन्होंने कितना रुपया दिया ?

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कोई जानकारी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस्पात मंत्रालय के पास होटलों के बारे में कैसे जानकारी हो सकती है ?

श्री तिवारी ;

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस फ़र्म के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे । क्या मैं जान सकता हूँ कि पहले कभी भी अमींचन्द प्यारेलाल का मामला सतर्कता आयोग को भेजा गया था और उनके विचार लिये गये थे, यदि हां, तो उनका क्या मत था ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस फ़र्म तथा अन्य फ़र्मों से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार समिति ने विचार किया है । इस समिति की रिपोर्ट सतर्कता आयोग के पास भी भेजी गयी थी तथा सतर्कता आयोग ने सरकार समिति की रिपोर्ट का पूरी तरह अनुमोदन किया है ।

जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन करने वाले आदान-प्रदानों का सम्बन्ध है, सरकार समिति ने उस मामले को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इन्डिया को भेज दिया है तथा उन्होंने उसे आगे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिये सौंप दिया है । वह जांच अभी चल रही है ।

श्री उमानाथ : इस कम्पनी के काले धन्धे तथा इसकी कार्य प्रणाली के बारे में सरकार समिति ने जांच की है तथा इस समिति ने कई स्थानों पर यह कहा है कि यह कम्पनी अपना काला धन्धा इस कारण कर सकी कि इसको अपने ऐच्छित कारोबार के लिये सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों अथवा स्वयं मंत्रालय से सम्बन्धित जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाती थी । समिति ने यह बात अपनी रिपोर्ट में कही है । मैं समझता हूँ कि वर्ष 1961 के बाद से ही सरकार के हाथ में इस कम्पनी के काले धन्धे के बारे में सतर्कता आयोग की एक रिपोर्ट दे, जिसमें उन दो महत्वपूर्ण माननीय व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने इस कम्पनी से आर्थिक लाभ लिया ; उनमें से एक तो मंत्री मंडल स्तर के व्यक्ति हैं तथा दूसरे....वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं....(**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो बहुत ही गम्भीर आरोप है । उन्हें उनके नाम बताने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक नहीं ।

श्री उमानाथ : मेरी जानकारी तो यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जो रिपोर्ट सरकार के हाथों में हैं, उसमें श्री स्वर्ण सिंह तथा श्री हुकम सिंह जो आजकल राज्य पाल हैं, का नाम इस कम्पनी से आर्थिक लाभ लेने के बारे में लिया गया है । इसका वर्णन मैं इसलिये कर रहा

हूँ क्योंकि सरकार समिति का विश्वास है कि इस कम्पनी को उच्च-स्तर के लोगों से अग्रिम जानकारी प्राप्त होती रही है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस जांच रिपोर्ट को सरकार समिति के सामने प्रस्तुत किया है ताकि उसे किसी ऐसे उचित निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता मिले कि इस काले धन्धे के पीछे वास्तविक दोषी कौन हैं? यदि उन्होंने वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसका कारण यही था कि समिति से वास्तविक अपराधियों को पकड़ने से रोका जा सके?

श्री प्र० चं० सेठी : समिति द्वारा मांगे गये सारे कागजात तथा रिकार्ड उनके सामने पेश किये गये।

Shri Madhu Limaye : Not "asked for" His question is a bit different.

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य मंत्रियों और राज्यपाल के विषय में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। सरकार समिति ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरी ओर, समिति ने इन दोनों मंत्रियों, का स्वर्ण सिंह तथा श्री सी० सुब्रह्मण्यम् को दोष-युक्त किया है।

श्री उमानाथ : मैं केन्द्रीय ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूँ।

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार समिति ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके विपरीत उन्होंने कहा है...

श्री उमानाथ : वह मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार के पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो की एक रिपोर्ट है। वह बतायें कि यह सच है कि नहीं। दूसरे, मैं जानना चाहूँगा कि वह रिपोर्ट सरकार समिति के समक्ष रखी गई अथवा नहीं? यदि वह नहीं रखी गई तो क्या इस कारण ताकि वास्तविक अपराधियों को पकड़ने से रोका जा सके? वह केन्द्रीय ब्यूरों की रिपोर्ट के बारे में खुलासा करें।

श्री प्र० चं० सेठी : सारे सम्बन्धित पत्र तथा रिपोर्ट्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

श्री उमानाथ : वह प्रश्न से हटने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रश्न से हटने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जो भी सम्भव था तथा जो कुछ हमारे पास था वह समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या सारे पत्र सम्बन्धित थे या रखे गये थे। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट समिति के सामने रखी गई थी?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी है तो वह बतायें। यदि जानकारी उनके पास नहीं है तो वह कहदें कि उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कौन सी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की

रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। सारे ही सम्बन्धित पत्र समिति के समक्ष पेश कर दिये गये थे, समिति ने सब रिपोर्टस देखी हैं और यह मामला सतर्कता आयोग को भेजा गया था, इससे पूर्व भी तथा इसके बाद भी भेजा गया था। अतः सतर्कता आयोग आरम्भ से अन्त तक सारे मामले से परिचित रहा है।

श्री उमानाथ : क्या वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा के सामने रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह कल्पना कर सकती है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष पेश की गई थी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं नहीं जानता कि वह कौन सी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। सारा का सारा मामला सतर्कता आयोग के सामने रखा गया था। तथा जांच समिति एवम् सतर्कता आयोग ने उसकी जांच की थी, और सरकार समिति ने भी उसकी जांच की ; और सरकार समिति की रिपोर्ट भी सतर्कता आयोग को भेजी गई है तथा सतर्कता आयोग ने उस रिपोर्ट से अपनी पूरी सहमति प्रकट की है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : कुछ समय पूर्व, केन्द्र सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य में अविकारी इस्पात के यथांश के उपयोग के बारे में एक जांच का आदेश दिया था, और यह फर्म भी उसमें शामिल थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि ऐसी जांच के आदेश दिये गये थे, यदि हां, तो उस जांच का क्या हुआ ?

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे सूचना चाहिये।

Shri Shei Narain : In the meantime, Aminchand Pyarelal were suspended for two years; is it a fact that they owed Rs.195 lakhs as income tax to Government and that is why they were suspended and blacklisted ? I want to know whether this money was recovreed or not ?

अध्यक्ष महोदय : इस्पात मन्त्री आय कर के बारे में कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री शिवनारायण : उन्होंने कहा है कि फर्म को बिलम्बित किया जा रहा था। इसे क्यों निलम्बित किया गया ? आयकर की बकाया धन राशि का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा महत्व-पूर्ण है परन्तु इस्पात मन्त्री इसका उत्तर नहीं दे सकते। यही कठिनाई है। आयकर के बारे में इस्पात मन्त्री कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री शिवनारायण : इसका सम्बन्ध अमींचन्द प्यारे लाल से है।

अध्यक्ष महोदय : अमींचन्द प्यारे लाल से सम्बन्धित हर प्रश्न का उत्तर एक मंत्री नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : वह जानना चाहते हैं कि क्या ब्लैकलिस्ट करने का यह भी एक कारण था ? उन्हें उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह उत्तर दे सकते हैं ।

Shri S. M. Joshi : He is asking whether it was one of the reasons or not ?

Shri P. C. Sethi : They were never blacklisted ; they were banned..... (Interruptions.)

Shri Kanwar Lal Gupta : How many times have the C.B.I. held inquiry against this firm and on what allegations ? What are the findings of the C.B.I. and why did not the Govt. file a criminal case against this firm ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं सभी सरकारी विभागों के बारे में, तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट तथा अन्य विषयज्ञों के बारे में नहीं कह सकता । यह एक व्यापक प्रश्न है जिसका संबन्ध कदाचित अन्य मन्त्रालयों से भी होगा ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ? उन्हें कहिये कि वह हमें बतायें ।

श्री प्र० चं० सेठी : किस सम्बन्ध में जब तक कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं बताया जाता मैं कैसे कह सकता हूं ?

श्री रंगा : अमींचन्द प्यारे लाल नामक इस कुख्यात, फर्म से सम्बन्धित केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए, और क्योंकि उनके पास इस समय जानकारी नहीं है, क्या मन्त्री महोदय सारे रिकार्ड की जांच करके, उन शिफारिशों को, जितना शीघ्र सम्भव हो और यदि तुरन्त इस सत्र के दौरान नहीं तो अगले सत्र में जब हम आयें, सभा पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी ने इस बारे में पहले ही कह दिया है, और इसलिये, मुझे उन महान विभूतियों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या मन्त्री महोदय एक बात विशिष्ट रूप से कहने की कृपा करेंगे ? इन लागाये गये आरोपों के बारे में, यह पहला अवसर नहीं है जब कि ये आरोप लगाये गये हैं । ये नाम भी पहली बार सभा में नहीं बोले गये हैं, पीछे भी कई बार इनका जिक्र हुआ है तथा सम्बन्धित मंत्रियों ने भी सभा में कुछ कहा था ।

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की यह रिपोर्ट सरकार समिति के सामने रखी गई थी, अथवा जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रश्नों के आधार पर अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगा तभी उस आयोग के सामने यह रिपोर्ट रखी जायेगी, और क्या ये दोनों ही रिपोर्ट अथवा उनके सारांश सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । जहां तक इस कम्पनी द्वारा अपनी स्वीकृत सीमा के अधिक का आयात करने का प्रश्न है, इस आयात के सम्बन्ध में दो तीन मामलों पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो जांच कर रहा है । अन्य विषयों के बारे में, जिन्हें लेकर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इस कम्पनी की कार्य-प्रणाली की जांच कर रहा है, मैं निश्चय ही जानकारी एकत्रित करूंगा तथा उसे सभा पटल पर रखूंगा ।

Shri Rabi Ray : I want to know whether the names of these two dignatories are there in this report or not ?

श्री प्र० चं० सेठी : कौन सी रिपोर्ट ?

Meavy Electricals Ltd., Bhopal

+

*696. **Shri Onkar Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that engineers from Madhya Pradesh only have been appointed in the Heavy Electricals, Bhopal, recently;

(b) whether it is also a fact that in the case of underground cables loss to the extent of one lakh of rupees has been sustained due to the negligence of officers and a loss of about one lakh of rupees has been sustained as demurrage as a result of necessary documents not reaching Bombay Port in time;

(c) whether it is also a fact that similarly 4,700 litres of Varnish worth Rs. 30,000 has also been destroyed due to such negligence; and

(d) if so, the names of the officials found guilty and the nature of action taken against them ?

Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):

(a) to (d) A statement is attached.

(a) Over the last 10 years, about 500 Graduate Apprentice Engineers were recruited by Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal, on an all-India basis. Recently, however, a batch of 31 engineers was selected from amongst applicants from Madhya Pradesh State only and by promotion from lower ranks in the Company. This took place because several hundred qualified candidates had applied from this state alone and, in view of the small number required, the management limited its selection to such candidates. This decision of the management has been disapproved by the Government and the management have since confirmed that such action would be avoided in future.

(b) In December, 1960, the Company placed an order for underground Cables valued at Rs. 594,798/—. In August 1961, after cables valued at Rs. 55,088/-had been supplied, the order for the remaining portion was cancelled as the delivery was not considered satisfactory and a fresh order for the cables was placed on another Company at a cost of Rs. 648,600/-. The purchase of cables at higher rates on ground of urgency resulted in additional expenditure of Rs. 108,890/-.

The company has paid a demurrge of Rs. 94,028.48. Out of this, Iron and Steel Controller has been requested to bear responsibility for Rs. 25,693.96 as this portion represents demurrages due to delay in transmission of documents through his office.

(c) A quantity of 4,700 litres of "Thermo Hardening Varnish" was purchased from indigenous sources. The quality was satisfactory at the time of purchase but owing to delay in utilisation, the shelf life of the varnish expired and it could not be used. As a result a loss of about Rs. 30,000— took place.

(d) (i) The decision of the management in the appointment of engineers has been disapproved by Government and the management have since confirmed that such action would be avoided in future.

(ii) Regarding the purchase of cables at higher rates, the management has ordered an enquiry with a view to fix responsibility and the result of

the enquiry is awaited. Regarding demurrage, the company have been asked to examine why such heavy demurrage incurred and to take effective action to ensure that such demurrage did not occur in future.

(iii) A Departmental Committee of the company consisting of two senior officers was appointed to go into the question of non-utilisation of varnish in time. The Committee were of the view that some over-indenting had taken place of certain items of paints and varnish which occured due to inadequate purchase proceedpres, inventory control and experience in the initial stages of the project. Besides, high production targets were also assumed, resulting in purchase of large quantity of these materials. The remedial measures suggested by the Committee to avoid recurrence of such cases have been implemented.

Shri Onkar Singh : Would the hon. Minister may please to state whether in accordance with the policy of the Government of India, all the personnel, other than that of class III and V, should be recruited on all India basis? But the people there have been recruited at the state level — why is it so? If it is in contravention of the rules of the Govt. of India, what steps have the Government taken to avoid that in future?

Shri F.A. Ahmed : As stated in the main answer till date 500 engineers have been recruited on all India basis. But recently 31 engineers have been recruited either by promotions, or from Madhya Pradesh only. Since there is a large number of unemployed engineers in Madhya Pradesh, Govt. had written to the company that such appointments should not be made on the basis of states and these should be on all India basis. The company has agreed to see that in future the recruitments will made on all India basis.

Shri Onkar Singh: May I know whether the government is prepared to appoint a committee to inquire into the loss, as also to suggest measures to avoid such losses and faults in furture and want to know whether the report be placed before the House?

Shri F.A. Ahmed : As regards cables, those were purchased on higher rates, and also not from a particular firm but were purchased from some other firm; and we have told them that the company should inquire into all that and fix the responsibility. We will come to know when their report is received. This case is likely to go the Estimates Committee also, and we will take necessary action on the report we receive.

Shri Ram Gopal Shalwale : Who were responsible for the loss of underground cables worth about a lakh of rupees?

Is it a fact that there are certain Pakistani element working in this factory and they are responsible for this loss? If so, whether Govt. has taken any measures to check such elements working in this important factory, and if not, when it is proposed to be taken up?

Shri F. A. Ahmed : I have replied to the first question that we are conducting an enquiry to find out who is responsible for the losses. Enquiry will be conducted into that and the report of the Estimates Committee will also be received and then the whole matter will be looked into. I do not have the information that the loss has been caused by some Pakistani or any Pakistani, working in this factory.

Shri Yashwant Singh Kushwah : I want to know whether the engineers who have gone to serve Heavy Electricals, Bhopal are out of those engineers who were out of employment due to the completion of the Inter provincial Chamoli project?

Shri F.A. Ahmed : These days many engineers who have recently passed their examinations are not getting employment and some old engineers are also out of employment. In both the conditions they may be out of employment.

Donations to Political Parties

+

*697. **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of Companies in which more than 25 percent foreign capital is invested;

(b) the amount paid by these Companies to the political parties in 1966-67; and

(c) the extent of foreign capital included in the amount paid to the political parties ?

Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Donations to Political Parties

*704. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of companies in which more than 25 per cent of the shares are owned by Government or by institutions investing public money;

(b) the amount donated by the said companies to political parties in the year 1966-67; and

(c) the percentage of Government money or public money in the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi) :

(a) (b) & (c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

श्री स० मो० बनर्जी : पहले नोटिस 10 दिन का होता था और अब यह 21 दिन का है । आप जानते हैं किस प्रकार प्रश्न आते हैं, यह सब बैलट के द्वारा होता है और प्रक्रिया के दौरान कुछ खोए जाते हैं, तब भी, मन्त्री महोदय कहते हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है, कृपया परामर्श दीजिये कि हमें क्या करना है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को दुबारा लेंगे । यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो हम इसे स्थगित कर देंगे । मैं ऐसा करूंगा ताकि यह व्ययगत न हो ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी प्राप्त करने दीजिये । हम इस पर किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्य ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लगभग 30,000 कम्पनियों से इकट्ठी करनी पड़ेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : तो क्या हुआ ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : ये आंकड़े रजिस्ट्रार द्वारा एकत्र किये जाते हैं तब मंत्रालय के रिकार्ड से उनकी जांच की जाती है। जब तक ठीक-ठीक जानकारी के बारे में मुझे पूरा विश्वास नहीं हो जाता तब तक ऐसी जानकारी देना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। लेकिन कुछ कम्पनियों का सर्वेक्षण मैंने अवश्य किया है, यदि उन आंकड़ों से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो सकते हैं तो मैं वह आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन यदि वे बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा इतने थोड़े समय में नहीं किया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : वह जैसी जानकारी उनके पास है वैसी दे दें और तब बाद में उसे ठीक कर लें और सही जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि अगले दो या तीन दिनों में भी इस जानकारी को एकत्र करना सम्भव हो सकेगा। श्री बृज भूषण लाल।

Shri Brij Bhushan Lal : Mr. Speaker, it appears from the newspapers that the donations which are being given by the companies to the political parties are being stopped by law. I want to know from the hon. Minister that the Congress has been ruling in the country for the last twenty years, now what necessity has arisen that the companies are being stopped from making donations by framing laws ?

Is it that the companies have started giving donations to other political parties also and therefore the Government want to make law to stop this thing ?

Shri F.A. Ahmed : It is a wrong notion that the law is being framed because the companies have started giving donations to the parties other than Congress' the fact is that the law is being framed because we want that the money of the companies should be utilized for their development as far as possible or the persons who make investments should get the profit ?

Shri Brij Bhushan Lal : Foreign money is also included in the amount of donation which is made to the political parties by the companies and this cannot be denied that there is an influence of this foreign money on the political parties and individually; I want to know what steps are being taken to stop it ?

Shri F.A. Ahmed : When we are making a law of this type, it will positively effect those who are foreigners and have shares in concerns here. They are also supposed to contribute to that donated cause according to their share.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, it is good that the Government are bringing forth a Bill to stop the donations by the companies and it would have been better if they would have introduced it earlier but I want to know from the hon. Minister whether they have got full information that whether the news published in the newspapers are correct ?

One press report is like this ;

"50 करोड़ रुपये से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली 400 से अधिक कम्पनियों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के 25 प्रतिशत से अधिक शेयर है। राजनीतिक दलों को दान स्वरूप दी जाने वाली प्रति करोड़ राशि में से 25 लाख रुपये सहकार द्वारा राजनीतिक दल को दिये जाते हैं।

Whether the Government are in a position to confirm this information ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं इस जानकारी की न तो पुष्टि कर सकता हूं और न ही विरोध ।

श्री लोको प्रभु : क्या मंत्रालय अन्य दानों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेगा ? क्या मंत्रालय इन दानों में विदेशी अंशदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा ? क्या मंत्रालय इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा कि व्यापार संघों ने अपने प्रतिनिधियों को कितना अंशदान दिया है ? क्योंकि सिद्धान्त ऐसा होना चाहिये कि यदि एक पक्ष अपने को प्राप्त होने वाले दान या सहायता को छोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी छोड़ देना चाहिये ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य के अभिप्राय को नहीं समझा । जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है ऐसे कोई संगठन नहीं है जिनके द्वारा बाहर के देश अंशदान कर सकें, मेरे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनके द्वारा यह जानकारी एकत्र की जा सके । यदि कोई ऐसी धारणा है कि विदेशों से योगदान किया जा रहा है तो यह माननीय सदस्य का कार्य है कि वह सम्बन्धित मंत्रालय को अपना प्रश्न भेजें और वे निश्चय रूप से उनको जानकारी देंगे ।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच है कि श्री एस० के० पाटिल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कुछ अनुभाग..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी यह निवेदन किया था कि उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये जो अपनी रक्षा करने के लिये यहां पर उपस्थित नहीं हैं ।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच है कि कांग्रेस के कुछ वर्ग जिनका नेतृत्व कांग्रेस के वे बड़े-बड़े नेता कर रहे हैं जो आम चुनावों में हार गये थे लेकिन जो अब कार्यकारी समिति में हैं । बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा जो इन नेताओं के हाथ में हैं, दिये जाने वाले दान को रोकने के लिये बनाये जा रहे कानून को अधिनियमित करने से रोकने के लिये दबाव डाल रहे हैं ? इस दबाव को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये नहीं तो यह आरोप निर्विरोध चला जायेगा ।

Shri M. A. Khan : Whether all these restrictions are for us ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य को अपना मत रखने का अधिकार है । दूसरे लोगों को जिनमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, अपना मत रखने का अधिकार है । भिन्न-भिन्न मत रखने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय कहते हैं कि यह मत का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं क्या वे कानून को पुरःस्थापित करने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह पहले ही सभा के सम्मुख है ।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

उदयपुर में जिंक स्मैल्टर में उत्पादन बन्द होना

13. **श्री भोलानाथ मास्टर :** **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **इस्पात खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में जिंक स्मैल्टर में उत्पादन बन्द हो गया है जिससे कर्मचारी बेकार हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर भारी स्टाक जमा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) जस्ता प्रद्रावक में उत्पादन स्थायी तौर पर रोक दिया गया है परन्तु किसी स्थायी या नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है :—

(ख) स्टाक, नीचे बताये अनुसार जमा हो गये हैं :—

जस्ता सिलें	...	4938 मैट्रिक टन
कैडमियम	...	23 मैट्रिक टन
सुपरफास्फेट	....	18650 मैट्रिक टन

(ग) जस्ते और सुपरफास्फेट के आयात को निम्नतम मात्रा तक सीमित करने तथा पुनर्विलोकन करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं । कैडमियम का आयात सीमित कर दिया गया है । जस्ते के विषय में, स्टाक के एक भाग को जस्ता चढ़ाने के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । सुपरफास्फेट के स्टाक के निपटान करने के लिये प्रयत्न जारी हैं । मध्य-प्रदेश राज्य के माननीय मुख्य मन्त्री ने, तात्कालिक रूप से, 15,000 मैट्रिक टन सुपरफास्फेट लेने का वचन दिया है । इन उपायों के साथ फैक्टरी द्वारा 15 सितम्बर, 1968 से उत्पादन पुनरारम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

Shri Bhola Nath Master : This is the only industry in Rajasthan in the public sector which produces silver, cadmium and lead and so far as these three things are concerned there is no problem of sale in respect of these three things. Besides, there is production of Zinc and superphosphate also. The Zinc smelter started its production work in January and in connection with its inauguration our Deputy Prime Minister Shri Morarji Desai had said;

"हम जिंक सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशों से आयात पर

निर्भर रहे हैं जिससे हमारी विदेशी मुद्रा की काफी क्षति हुई है । मुझे प्रसन्नता है कि इस धातू का किस्म उससे बढ़िया है जो फ्रेंच विशेषज्ञों के साथ हुए करार से मिलती है ।"

It was praised six months ago and the production of Zinc Smelter has also increased by 260 percent. It was said in the report which has been circulated amongst us in that respect that :

"हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने आरम्भ काल से ही अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये हैं तथा वह अपने कार्य में खबसफल हुये हैं और भारत में कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी यूनिट उनका जैसा चमत्कारपूर्ण परिणाम दिखाने का दावा नहीं कर सका ।

Daily questions are raised here that the public sector units are unable to give full production but this Hindustan Zinc Ltd. is the only such concern which is giving optimum production. Due to the piling up of huge stocks of Zinc and superphosphate fertiliser this factory was closed in the later half of July, that is after six months, and as the hon. Minister has also told that its work was stopped all of a sudden.

They have stated that they have got accumulation of 5000 tons of Zinc ingots and 2000 tons of Zinc Cathods. The consumption of Zinc in public sector and TISCO, and ISCO is 30,100 tons that is 22,100 tons are required in Iron and Steel Galvanising 5000 tons in Defence and 3000 tons in Post and Telegraphs. My question is that when there is such a need of Zinc in public sector how so much stocks have accumulated ?

Shri P. C. Sethi : It is a fact that the production of this factory reached to full rated capacity very early and the production of 118 and 119 percent in its early days of inception was satisfactory. The difficulty was this that the present capacity of this factory to produce superphosphate is 80,000 tons and regarding Zinc the capacity to produce is 18,000 tons, Upto this time they have produced 43000 tons of superphosphate out of which they sold 23000 tons and yet there is a stock of 18-20 tousand tons of superphosphate with them. Now they have no capacity to stock more superphosphate. Efforts are also being made to clear the accumulated stock. Although the Madhya Pradesh Government had desired to purchase 25,000 tons of superphosphate but the Chief Minister of Madhya Pradesh has given assurance to lift 15,000 tons of superphosphate on immediate basis and the remaining 10,000 tons will also be lifted afterwards. In this way the difficulty in respect of accumulation of stocks will be reduced. As I told in my reply to the main question, this factory is expected to resume production from 15th September 1968.

So far as Zinc is concerned and as the hon. Member stated that the Zinc product of our public is very pure and there is 99.95 percent zinc in it. And due to this pure quality of this zinc the difficulty has arisen that the Rourkela Plant, which was the chief customer of zinc has said that they cannot use it for galvanising because there is less impurity of lead in our product. They want inferior quality of zinc for their use. There were discussions about it and it was the decision that for the time being a trial order of 100 tons of zinc will be placed. We are making efforts not to import zinc atleast for six months and to utilise the indegenous zinc in the country.

Shri Bhola Nath Master : My second question is regarding superphosphate. We havea stock of superphosphate of over 20,000 tons. Imports of superphosphate is also being made from America in large quantities and I have been told that our ships are standing at the

Bombay port since the month of June for which seven lacs of rupees are being paid as demurrage charges. America is making efforts to supply superphosphate to us in more and more quantities. I want to know that when we have our own stocks of superphosphate then when the import of superphosphate from America will be stopped ? The electricity is supplied to Hindustan Zinc Limited at a higher rate. It is being supplied to DCM at the rate of two paise while in public sector the Hindustan Zinc Limited is being supplied electricity at the rate of ten paise. Similarly, Kerala State electricity is supplied at the rate of two and a half paise and here the Zinc Limited gets at the rate of ten paise. Uttar Pradesh Government and other States do not purchase this superphosphate ; whether it is because they think our product very costly ?

Shri P. C. Sethi : I will reply to the last question first. So far as the electricity is concerned, our negotiations are going on with the Rajasthan Government regarding the rate of electricity. The Hon. Member comes from Rajasthan and therefore I request him to negotiate with the Rajasthan Government regarding reducing the rate of electricity and use his influence.

So far as the import of superphosphate is concerned, according to the information received from the Ministry of Food and Agriculture, whereas we required about five lacs tons of superphosphate during 1967-68 and in 1968-69 we will require six lacs fifty thousand tons of superphosphate. The position regarding the production of superphosphate is that its target was of two lacs and seventy thousand tons but its production has been only two lacs tons and therefore we had to import the remaining quantity. We imported about three and a half lacs tons of superphosphate. It was received late because of the closure of Suez Canal and therefore the farmers could not lift it and so the last year's quantity of superphosphate was carried over and as a result whereas we were to import three lacs and thirty thousand tons of superphosphate this year. We imported only one lacs and thirty six thousand tons of superphosphate this year, by reducing that quantity. In this way we are making efforts to balance our import and it has been decided that we should import only that much quantity which is absolutely necessary, keeping in view the capacity of our production. We are making efforts to reduce imports as far as possible and we will import only that much which is absolutely necessary to import. It has been decided in the discussions between Ministries.

Shri Yashpal Singh : I want to know whether the Government already knew about the proportion of demand and supply, if so, recently it has been accepted in this House that there is a difference of Rs.450/- between the prices of superphosphate which we produce and which we import from foreign countries; if we would have tried to know the proportion of demand and supply earlier, how much profit we would have gained and to what extent the loss caused to us due to the stoppage of production in this factory would have been avoided ?

Shri P. C. Sethi : The total selling price of superphosphate of the private sector is Rs. 320/- and we are selling at a lower rate than that. I do not understand how this difference of Rs. 450/-came in.

Shri Kanwar Lal Gupta : Our annual requirement of Zinc is 65,000 tons. For this requirement of 65,000 tons we have imported 51,508 tons Zinc from April to July that is in five months and only 13,492 tons of zinc produced by our factory, and accumulating, will be utilized. I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that we are importing fertiliser, Zinc or other things due to the pressure from America ? I am reading out with your permission, what Shri Raghunath Singh, the Chairman of the Zinc Corporation, stated on dated 19th. He said ;

"श्री सिंह ने कहा है, यह सर्वविदित है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास दस खरब से अधिक उर्वरक है जो उसका एक वर्ष का उत्पादन है। ऐसा भी विश्वास है कि वे विकासशील देशों पर उनके उर्वरक खरीदने के लिये भारी राजनीतिक व आर्थिक दबाव डाल रहा है। ऋण के लिये फिर से धन देने के साथ यह शर्त है कि उनके उर्वरकों को खरीदा जाय।"

Is it correct that the have to purchase the fertilisers on account of the condition attached with the re-financing of loans? If so then whether the Goverument will stop having it so that the finished goods of our factories may be utilised.

Shri P. C. Sethi : As far as the requirement of zinc in concerned, it has been estimated that this year the requiromont will be about 85 to 88 thousand tonnes and not 65 thousand tonnes. As far as the question of import is concerned, I want to say that the production capacity of the country is 18 thousand tonnes of Udaipur and about 10 thousand tonnes of Private Sector. In this way it is about 27-28 thousand tonnes.

Shri Kanwar Lal Gupta : Thirty eight thousand tonnes.

Shri P. C. Sethi : It will come to 38 thousand tonnes next year. It is 28 thousand tonnes this year. Taking into consideration the capacity the import has been fixed. But meanwhile there was considerable shortage of zinc. At one time, near about the year 1966 the work of galvanising was closed due to the shortage of zinc. Taking into consideration the past capacity the actual users were granted unrestricted licences. As there was shortage of zinc therefore it was imported. This is the production of this year. Of these licences some are being materialised. But now it has been decided to take into consideration the production capacity of the country at the time of importing the zinc. Considerable attention will be given that there may be centralised agency of M.M.T.C. and the actual users who function separately and the production capacity will be taken into consideration before importing.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the reply of Hon. Minister about the pressure of America and the statement of Shri Raghunath Singh which I have quoted.

Shri P.C. Sethi : We will import according to our capacity an not due to pressure.

Shri Naval Kishore Sharma : I want to know from the Hon. Minister that when there is more requirement of zinc and the production is short then whether it is not the cause for not utilising the Indian zinc of Public Sector because the imported zinc is cheaper than it? If so, then whether the Hon. Minister has considered this point to bring down the price of Indian zinc in comparison to the price of Foreign zinc. If so, what has the Hon. Minister thought over this matter.

Shri P. C. Sethi : It is correct that the imported zinc is cheap. That is why we proposed while giving the zinc to the people the Indian zinc should also be given along with the imported zinc so that both may be used side by side.

Shri Onkar Lal Bohra : Ninety percent of work was completed at the time of undertaking of the plant which was installed at Udaipur and the rest ten percent of the work has been completed for the last three years. And considerable expenditure has been incurred on it. The reply of my question is that the Government has no knowledge about the cost of production. It has been stated about the production of zinc, superphosphate etc. that since we have not handed over the company to Metal Corporation and such nothing can be said about its cost of production. The second point is that there is a over-staff with the result the expenditure is increasing. Actually this condition should have been included at the time of agreement with collaborators that the production will

be increased in specified time. But you have created this condition by resorting to over-stafting and immediate production. I want to know whether you will make retrenchment of over-staffing.

Shri P. C. Sethi : According to my knowledge there is no over-staffing, It is not at all bad if the full production of the factory is achieved in the first year instead of devoting three years on it. As far as the cost of production of the factory is concerned, the accounting has not been done as the question of compensation has yet not been settled. The case has been referred to the court and so the finalisation of the accounst has not taken place.

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह स्पष्ट हो चुका है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा केवल इस वर्ष 50,000 टन जिंक का आयात करने के लिये अनुत्तरदायी तरीके से मुफ्त लाइसेंस जारी किए गये हैं। इससे देशी कारखाने को अपनी क्षमता कम करने के लिए बाध्य किया गया और इन दो मंत्रालयों में बिल्कुल भी समन्वय नहीं है। मेरे विचार में भारत आने वाले समय में जिंक का निर्यात करने में समर्थ हो जायेगा। जबकि आयातित जिंक का मूल्य 2,800 रुपये प्रति टन है, हमारी लागत व्यय 3,200 रुपये प्रति टन आती है जिसमें उत्पादन शुल्क और राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा लगाया हुआ बिजली की लागत शामिल है। इस संदर्भ में मैं भारत सरकार से जान सकता हूं कि क्या वह उत्पादन शुल्क और राजस्थान में ली जाने वाली बिजली की दर में कमी करके भविष्य में जिंक का निर्यात करने के लिये कदम उठायेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : 1967-68 के लिये हमारी जिंक की आवश्यकता 80,000 टन की है। 1968-69 में यह 88,000 टन होगी और 1969-70 तक यह 96,800 टन हो जायेगी। अगले वर्ष कुल उत्पादन केवल 38,000 टन उपलब्ध होगा। इसलिये निर्यात करना मुश्किल होगा। जहां तक जिंक का आयात का सम्बन्ध है, इसका मूल्य 2,300 रुपये प्रति टन है और इसको एक करने के लिये 500 रुपये का शुल्क लगाया गया है अतएव अगर हम निर्यात करें तो इसके लिये काफी आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। अतएव निर्यात के लिये कोई कारण नहीं बनता। हमारी आवश्यकताएं भी उत्पादन से बहुत अधिक हैं।

श्री तिरुमल राव : क्या यह सच नहीं है कि डी० सी० एम० जैसे एकक अपने उत्पादन को कांग्रेस सरकार को बेंच सकते हैं तो सरकारी क्षेत्र परियोजना अपने माल को कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं बेंच सकते ? इसमें क्या रुकावट है ? ऐसा क्यों है कि गैर सरकारी क्षेत्र हमारी अपनी संस्थाओं की तुलना में अच्छी मंडी बना सकती हैं ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसा क्यों है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक हिन्दुस्तान जिंक के सुपरफॉस्फेट की लागत का संबन्ध है, हम गैर सरकारी क्षेत्रों की तुलना में इसका कम मूल्य पर उत्पादन करने में समर्थ हुए हैं, यह सच है कि हम मध्य प्रदेश को 25,000 टन और राजस्थान को 10,000 टन की सप्लाई कर रहे हैं। हम दूसरे राज्यों के लिये प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इसे अभी कार्यरूप नहीं दिया जा सका है। गैर सरकारी क्षेत्रों के विक्रय मूल्य बहुत कम है। मैं स्वीकार करता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक का विक्रय संगठन अभी इतने पर्याप्त स्तर का नहीं है और उसमें सुधार लाने में काफी गुंजाइश है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Nylon and Stainless Steel

*695. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that either there is a ban on the import of nylon and stainless steel articles or heavy import duty and other taxes are imposed on their import;

(b) whether it is also a fact that many Indian industrialists have set up factories in Nepal for the manufacture of these articles and, if so, the number thereof ;

(c) whether these industrialists have created difficulties for Government by sending the aforesaid articles to India after taking advantage of the facility of free trade on the Indo-Nepal border ; and

(d) whether this has created discontentment among the industrialists in India and, if so, the action being taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) to (d) Import of nylon in India is subject to a Customs duty which varies from Rs.23.94 per Kg. to Rs. 52.05 per Kg. In the case of stainless steel sheets, the customs duty is 100%. The import of both these items is canalised through the State Trading Corporation of India.

2. According to the informati on available, there are 5 factories in Nepal manufacturing stainless steel utensils. All these factories are owned by Nepalese Nationals. The number of factories manufacturing synthetic fabrics is reported to be 4. Two of these are owned by Indian Nationals.

3. Government have received complaints that duty-free imports into India of some articles, which are not based on Nepalese raw materials, is adversely affecting the indigenous manufacturers of these articles. The matter is receiving attention.

बिड़ला उद्योग समूह के बारे में जांच आयोग

*698. **श्री उमानाथ :** **श्री प० गोपालन :**

श्री कामेश्वर सिंह : **श्री पी० राममूर्ति :**

श्री श्रीधरन : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला उद्योग समूह के बारे में एक जांच आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) आयोग अपना काम कब चालू कर देगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) स्थापित की जानेवाली उपयुक्त व्यवस्था किस प्रकार की हो यह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) अब शीघ्र ही निर्णय किए जाने की आशा है । विलम्ब का कारण यह है कि विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित अभी कुछ ऐसे आरोप हैं जिनपर सरकार को अभी अन्तिम रूप से विचार करना है ।

मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपाजिट कम्पनी, लिमिटेड पर अभियोग चलाना

*699. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड के विरुद्ध समवाय अधिनियम की धाराओं 143, 150, 193, 285, 292, 297, 301, 303, और 307 के अन्तर्गत अपराधों के कारण कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ऐसे ही अपराधों के कारण मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपाजिट की कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमें में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यदि उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित फर्म को बन्द करने का आदेश दिया गया तो छोटे और मध्यम दर्जा के हजारों धन विनियोजक नष्ट हो जायेंगे; और

(घ) इन लोगों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री, (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जैसा कि 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4334 के उत्तर में कहा गया था, वह निर्णय किया गया था कि इन परिस्थितयों के अन्तर्गत, वर्णन की गई विभिन्न धाराओं के अधीन, जिनके बारे में उल्लंघन किया गया प्रतीत हुआ, मुकदमे दायर करने से कोई लाभकारी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा । यह विचार किया गया कि, कम्पनी के परिसमापन के लिये न्यायालय को प्रार्थना-पत्र देना श्रेयस्कर कार्य होगा । समापक, पूर्ण मुश्रुति रख सकेगा कि क्या उचित कार्यवाही करनी है व की जायेगी । परिसमापन के लिये आवश्यक आग उठाये जा रहे हैं व शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्ताव करने की आशा की जाती हैं ।

(ख) इस कम्पनी ने, भाग (क) में वर्णित सभी धाराओं का, निदेशक मंडल की आवधिक बैठक न करने के लिये, धारा 205 को छोड़कर उल्लंघन नहीं किया । ऊपर (क) में दिये गये कारणों के लिये, इसके लिये, तथा अन्य तकनीकी चूकों के लिये कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया, व इस कम्पनी के भी परिसमापन के लिये न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने का निर्णय किया गया । कम्पनी के 1964-65 के वर्षों के लेखाओं के पहले मिसिल करने के विषय में धारा

210 एवं 220 के अन्तर्गत चूक के लिये, कम्पनी तथा इसके निदेशक, 1964-65 में दंडित किये गये थे। 1965-66 से संबंधित मामला अनिर्णित है एवं 1966-67 के लेखे के लिये मुकदमा दायर करना है।

(ग) कलकत्ता सेफ डिपाजिट कम्पनी लि० के प्रकाशित तुलन-पत्र से यह देखा जाता है कि इसने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किये हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय रेलों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

★700. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिये आय-व्ययक में कितनी राशि नियत की गई थी तथा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई थी और वर्ष 1968-69 के बजट प्राक्कलनों में कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) उन समाचारपत्रों के नाम क्या है जिन्हें 1666-67 और 1967-68 में भारतीय रेलों (सभी रेलों) से विज्ञापन प्राप्त हुए तथा प्रत्येक समाचारपत्र को वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रदर्शन विज्ञापन छापने के लिये अलग-अलग कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) रेलवे विज्ञापन देने के लिये समाचारपत्रों के चयन का आधार क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1966-67 और 1967-68 के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन पर किया गया वास्तविक खर्च दिखाया गया है। चूंकि रेल विज्ञापन विकेन्द्रित है, इसलिये प्रत्येक रेलवे/प्रशासन द्वारा किया गया वास्तविक खर्च अलग अलग दिखाया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1930/68**]

इन वर्षों तथा 1968-69 के लिये बजट-व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) यह ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) रेल विज्ञापन उन समाचारपत्रों को दिये जाते हैं जिन्हें सूचना और प्रसार मंत्रालय का विज्ञापन और चाक्षुष प्रचार निदेशालय अपने विज्ञापन देता है। विज्ञापन देते समय समाचार पत्रों के परिचालन और उनकी प्रतिष्ठा, उनके परिचालन-क्षेत्र, उनके पाठकों, विज्ञापन विषय और अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

उत्तर रेलवे में दिल्ली में अजमेरी गेट और तुगलकाबाद शेडों में कोयला और लकड़ी उतारना

*701. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला और लकड़ी लाने वाले रेल के माल डिब्बों मेंसे

अजमेरी गेट और तुगलकाबाद शेडों पर कई दिनों तक कोयला और लकड़ी को उतारा नहीं जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे कर्मचारी बड़े व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ करके कोयले और लकड़ी से भरे इन माल डिब्बों पर लगाने वाले हर्जाने का अपवंचन करते हैं ;

(ग) क्या किसी अधिकारी ने इस उद्देश्य से अचानक जाकर जांच की है कि इन माल डिब्बों से निश्चित तारीख को माल क्यों नहीं उतारा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी अधिकारी को यह काम सौंपने का है कि वह यह देखे कि माल डिब्बों से समय पर माल को उतारा जाये और बड़े व्यापारियों को अनुचित महत्व न दिया जाये ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं, अधिकांश माल डिब्बों मे माल निर्धारित कूट-समय के भीतर उतार लिया जाता है ।

(ख) इस तरह का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) और (घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, अधिकतर माल-डिब्बों को निर्धारित छूट-समय के भीतर छोड़ दिया जाता है ।

अधिकारियों और निरीक्षकों, दोनों द्वारा, निरीक्षण किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक यूनिटों का बन्द होना

*702. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री एस० पी० राममूर्ति :**

श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री के कारण उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक यूनिट बंद कर दिए गए थे ;

(ख) उनमें से इस बीच कितने यूनिटों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) अभी तक बन्द पड़े यूनिटों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पुनः चालू किए गए यूनिटों में पूरी क्षमता से अथवा मंदी से पूर्व की क्षमता के अनुसार उत्पादन होना आरम्भ हो गया है ; और

(ङ) बंद पड़े यूनिटों को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

अद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

State Trading Corporation

*703. **Shri Sharda Nand :** **Shri T.P. Shah :**

Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have ever held an inquiry into the working of the State Trading Corporation ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the steps taken by Government during the last one year with a view to ensure better functioning of the State Trading Corporation;

(d) the number of officers transferred from the State Trading Corporation during the last six months; and the names of such officers; and

(e) the reasons for their transfers?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :

(a) to (e) Government have constituted a Committee in April, 1968 to review the trading techniques and methods of the State Trading Corporation and its presen organisational structure with a view to taking necessary steps for further strengthening and improving its operational efficiency. The Report of the Committee ist awaited.

(d) & (e) The following four officers reverted to their parent Departments on expiry of their respective terms of office :—

1. Shri P.K. Seshan, Divisional Manager.
2. Shri N.L. Sahdev, Divisional Manager.
3. Shri D.N. Nandy, Deputy Regional Manager.
4. Shri S.S. Gulati, Assistant Regional Manager.

Shri B.P. Patel and Shri G.S. Sial relinquished charge of their offices as Chairman and Director respectively on completion of their tenure.

विदेशी तरीकों और जानकारी के लिये केन्द्रीय संगठन

*705. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विदेशी तरीके और जानकारी को खरीदने के काम की देख भाल करने के लिये एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस संगठन का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या विदेशी सहयोग को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा हाल में स्थापित किए गए विदेशी विनियोजन बोर्ड को यह संगठन कोई सहायता प्रदान करेगा ; और

(घ) क्या विभिन्न मंत्रालय इस संगठन के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे उनकी शक्तियां कम हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सरकार कुछ उत्पादक क्षेत्रों तथा उत्पादन विधियों के संबन्ध में केन्द्रीकृत आधार पर तकनीकी जनकारी एवं प्रोद्योगिकी प्राप्त करने की संभावना पर विचार कर रही है। जहां भी केन्द्रीकृत आधार पर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का संभव है, वहाँ इसको प्राप्त करने का उद्देश्य

यह है कि विभिन्न फर्म उस जानकारी को बार-बार न खरीदें जिसके कारण विदेशी मुद्रा की देनदारी बढ़ती है। साथ ही उसका उद्देश्य देश में शोध कार्य और तकनीक का विकास करना भी और इस काम के लिये विभिन्न वर्तमान एजेंसियों को उपयोग में लाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी प्राप्त करना समझना और दूसरों को दे सकना किसी एक संगठन के लिये संभव नहीं हो सकेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ समझौता

706. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को हथकरघा, सूती और रेशमी कपड़े से भिन्न अन्य वस्तुओं के बारे में सुविधाएं देने के लिए यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों के साथ क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) वे क्या क्या सुविधायें दे रहे हैं ;

(ग) यूरोपीय साझा बाजार को कितने मूल्य की भारतीय वस्तुओं को निर्यात किए जाने की संभावना है और इससे भारत को क्या लाभ होने की आशा है ; और

(घ) इनके निर्यात में वृद्धि होने की और क्या संभावना हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1931/68]

New Industries set up in Delhi

*707. **Shri Kanwar Lal Gupta** :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new industries set up in Delhi during the last two years and the nature of assistance given by Government to them ;

(b) whether it is a fact that several industries are shifting to places outside Delhi because no facility from Government for such industries is available here ;

(c) whether Government have received any representation from the industrialists of Delhi in this regard; and

(d) if so, the main features thereof and the action taken thereon ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) 3 large scale units and 182 small scale units have been set up in Delhi during the last two years. Government renders assistance in procuring imported raw materials, components, spares and scarce materials. Assistance to the small scale units includes also facilities for the purchase of machinery under Hire-Purchase Scheme, loans from Delhi Financial Corporation, loans under State Aid to Cottage and Small

Scale industries, and loans for purchase of land/construction of factories under the shifting of Industries Programme.

(b) Only three units, established prior to 1966 in the large scale sector, approached Government for permission to change their location from Delhi to Faridabad as they were in need of more spacious premises. Permission has been given to all of them to shift their location. No information has been received about the shifting of any of the small scale units.

(c) and (d) Representation from the industrialists have been received by the Delhi State authorities from time to time regarding difficulties in the procurement of land and high cost of land and raw materials. Assistance wherever possible has been given by the Delhi State authorities.

टैनिस की गेंदों का उत्पादन

★708. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टैनिस की गेंदों की मांग को पूरा करने के लिए इन गेंदों को बनाने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता काफी है और गेंदों के वर्तमान उत्पादकों ने इन गेंदों को बनाने के लिए अपेक्षित "फैल्ट" का आयात कम होने के कारण कुछ अधिष्ठापित क्षमता को प्रयोग में नहीं लाया जा सका ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है कि टैनिस की गेंदों के वर्तमान उत्पादकों को आयातित फैल्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे पूरा उत्पादन कर सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) टेनिस की गेंदों के उत्पादन के लिए वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता इनकी अनुमति मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं समझी गई है। मेसर्स इण्डियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लि० ने टेनिस की गेंदों के उत्पादन के लिए विदेशी मेल्टन क्लाथ (फेल्ट) की कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है।

(ख) विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए फेल्ट सहित कच्चे माल के आयात के लिए अनुमति दी जा रही है।

रेल संगचल कर्मचारियों के लिये रोजगार विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित घंटे

★709. **श्री वृज राज सिंह कोटा** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रोजगार विनियमों के अन्तर्गत इस समय निर्धारित रेलवे संगचल कर्मचारियों के काम के घंटे ऐसे नहीं हैं जिनसे वह गाड़ियों को कुशलता से चला सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : काम के घंटों से सम्बन्धित विनियमों के उपबंध गाड़ियों के समुचित परिचालन, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करके बनाये गये हैं और यह कहना ठीक न होगा कि वर्तमान नियम गाड़ियों के कुशल संचालन में सहायक नहीं हैं।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करार

*710. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की आस्ट्रेलिया यात्रा के पश्चात इस देश के साथ कोई व्यापार करार किया गया है अथवा इस बारे में बातचीत की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

*711. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये, जो रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य एककों से बहुत दूर रहते हैं, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को, जो रेलवे अस्पतालों और चिकित्सा एककों से सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई और सहायता दी जाती है ; और

(ग) क्या दिल्ली में अस्पतालों और स्वास्थ्य एककों से 1½ मील दूर रहने वाले रेलवे कर्मचारियों ने उनके निवास के निकट स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से चिकित्सा कराने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनका अनुरोध स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : जो रेल कर्मचारी रेलवे अस्पताल, स्वास्थ्य यूनिट अथवा रेलवे डाक्टर से दूर स्थित किसी स्थान पर रहते हैं, वे अपने लिये अपेक्षित डाक्टरी सहायता का स्वयं प्रबन्ध कर सकते हैं ।

(ख) इस तरह के कर्मचारी गैर-रेलवे चिकित्सा संस्थानों में इलाज के खर्च की नियमानुसार अनुमत सीमा तक प्रतिपूर्ति के पात्र हैं ।

(ग) 1731 रेल कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाओं से लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त की थी । इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधिकारियों से व्यवस्था करने की सम्भावना का पता लगाया गया था लेकिन वे अंशदान के आधार पर रेल कर्मचारियों को अपनी योजना में शामिल करने के लिये सहमत नहीं हुए ।

निर्यात संवर्धन योजनाएं

*712. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन का योजनाओं के कार्य और उनके भारतीय निर्यात पर होने वाले प्रभाव का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को जारी रखने का है ; और

(ग) सरकार इन योजनाओं पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि व्यय करती है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1967-68 में सरकार द्वारा नकद सहायता योजनाओं पर व्यय की गई राशि 16.47 करोड़ रुपये हैं ।

+ **रूस को रेलवे के माल डिब्बों तथा पटरियों की सप्लाई**

713. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के प्रधान मंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान केवल यह वायदा कर गये थे कि जितनी मात्रा में आप चाहेंगे हम उतनी पटरियां और माल डिब्बे खरीदेंगे, परन्तु उन्होंने पटरियों और माल डिब्बों के लिये कोई भी निश्चित आर्डर नहीं दिया ;

(ख) रूस के प्रधान मन्त्री के वायदे के बाद रूस सरकार से वास्तविक आर्डर प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम है और वह आर्डर कितने मूल्य का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) जनवरी, 1968 में जब सोवियत प्रधान मंत्री भारत आये थे तब उन्होंने दीर्घावधि आधार पर भारत से रेलवे के माल डिब्बों के खरीदने में रुचि दिखाई थी । इसके अनुपालन में मैसर्स मचीनोइम्पोटे, मास्को ने भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के साथ 1975 तक 54,000 रेलवे माल डिब्बों के संभरण के लिये एक सलेश पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सोवियत संघ को इस्पात की पटरियों तथा इस्पात का अन्य सामान खरीदने में रुचि है और उसने 1968-70 में 600,000 मे० टन इस्पात खण्डों के सम्भरण के लिये हिन्दुस्तान स्टील लि० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

Import of Tyres from Rupee-Payment Countries

*714. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of importing tyres in bulk from 'rupee-payment' area was not considered thoroughly while importing them; and

(b) whether it is also a fact that the imported tyres were much inferior to the Indian-made tyres and whether the prices of these tyres were also higher than those manufactured in India ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No, Sir. Before a decision was taken to import tyres from the rupee-payment areas, Government had carefully assessed the demand and supply position. Imports were considered necessary to meet the shortages prevalent in the country at that time.

(b) The specifications of the imported tyres were slightly lower than those for the indigenously manufactured. The landed costs of the imported tyres were lower than the listed prices of the Indian tyres. The sale prices of the imported tyres were however, fixed at the same level as those of the indigenous tyres in order to protect the interests of the indigenous industry, and to prevent re-sale of imported tyres by Actual Users.

+ **मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई**

*715. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई के डामर के ढोल बनाने के कारखाने को निर्धारित क्षमता के सम्बन्ध में तकनीकी अधिकारियों के निष्कर्षों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस कम्पनी को किस तारीख को यह सूचना दी गई थी कि डामर के ढोल बनाने के उनके कारखाने की निर्धारित क्षमता को स्वीकार्य नहीं समझा गया ;

(ग) उद्योग के हित की दृष्टि से डामर के ढोल निर्माताओं की लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुसार डामर के ढोल बनाने की चादरें वितरित न की जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस कम्पनी के डामर के ढोल बनाने के कारखाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता को ध्यान में रखने के लिये सरकार का विचार संयुक्त कारखाना समिति को सूचित करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि लोक-सभा में 30 जुलाई, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में बताया गया था, इस फर्म की डामर के ढोल के संयंत्र की क्षमताओं के बारे में तकनीकी अधिकारियों के निष्कर्ष स्वीकार करने योग्य नहीं समझे गये क्योंकि 1965 में तेल के ढोल बनाने की क्षमता का अनुमान लगाने के सम्बन्ध में तकनीकी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी थी उससे उत्पन्न होने वाली कुछ बातों पर आगे विचार करने की आवश्यकता थी। अभी यह विचार पूरा नहीं हुआ है।

(ख) फर्म को 26-5-66 के पत्र में यह सूचना दी गई थी कि डामर के ढोलों के लिए उत्पादन क्षमता पर पुनः विचार करना संभव नहीं है।

(ग) डामर के ढ़ोलों की चादरें तेल शोध कारखानों तेल कम्पनियों को दी जाती है क्योंकि इन चादरों की मांग तेल शोध कारखानों द्वारा डामर का उत्पादन किये जाने पर ही पैदा होती है। तेल शोध कारखानों द्वारा उत्पादित डामर पैक करने की आवश्यकता के अनुसार ही चादरें उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) संयुक्त संयंत्र समिति को मैसर्स भारत एण्ड बैरल ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि० की डामर के ढोल बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता सूचित कर दी गई है और 1966 में फर्म द्वारा डमर के ढोलों के उत्पादन के बारे में भी बताई गई जानकारी भी दे दी गई है।

विदेशी पूंजी विनियोजना

*716. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कम्पनियों में विदेशी पूंजी लगी हुई थी, उनके वही-खातों में आस्तियों के पुस्तक मूल्य में तथा ऋणों और अन्य देय राशियों के सम्बन्ध में समकक्ष प्रविष्टियों में अवमूल्यन के तुरन्त पश्चात क्या-क्या फेरबदल किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : भारत सरकार ने, अपनी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 129, दिनांक 3 जनवरी, 1968 के अनुसार, जिसकी एक प्रति, 27-2-1968 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के उपबन्धों में इस दृष्टि से संशोधन किया है कि जिससे कम्पनियां, जिन्होंने भारत के बाहर के देशों में स्थिर परिसम्पति खरीदी है, परिसम्पति के अर्जन के पश्चात किसी समय, दरों के विनियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, उनके मूल्यों में समायोजन करने में समर्थ हो सके, यदि इस प्रकार की परिसम्पति के अर्जन करने के बारे में कोई देयता, अवमूल्यन की तिथि तक न दी गई हो, उसके लिये, बढ़ा हुआ मूल्य दिया जा सके । अधिसूचना के प्रेषित होने से, सहस्त्रों संबन्धित कम्पनियों द्वारा, क्या पहले ही समायोजना कर लिये गये हैं, अथवा कर लिये जायेंगे, यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि, अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप, मौलिक मूल्य में की गई वृद्धि, संतुलन पत्रों में विशिष्ट रूप से वर्णन करना आपेक्षित नहीं है ।

Manufacture of Tractors and Power-tillers

*717. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that actually only 11,400 tractors were manufactured in 1967-68 while the production capacity thereof was of 30,000 tractors;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the situation prevailing this year and number of tractors likely to be manufactured this year;

(d) whether it is also a fact that licence for manufacturing 26,000 power-tillers annually was issued in 1967-68 whereas only 585 such tillers were actually manufactured; and

(e) if so, the scheme prepared to provide power-tillers to farmers ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs

(Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) 5 Units are, at present, manufacturing tractors in the country with a total licensed/approved capacity of 30,000 Nos per annum. However, their installed capacity at present is limited to about 16,000 Nos per annum. Against this, they produced 11,394 tractors during 1967-68.

(b) The existing tractor manufacturing units have still to install additional machinery to reach their full licensed capacities. They have been given the necessary foreign exchange assistance for importing the required machinery and they are now in the process of building up their manufacturing capacity. With the installation of

the additional machinery, they are expected to achieve their full licensed capacities, within the next two to three years.

(c) About 19,000-20,000 tractors expected to be produced in the country during 1968-69.

(d) Till the end of March 1968, three firms had been licensed for the manufacture of Power Tillers with a total licensed capacity of 14,000 Nos per annum. Out of the three licensed units, only one has so far gone into production. The production of this unit during 1967-68 was 479 Nos.

(e) With a view to encouraging speedy development of the Power Tiller industry, this industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (D & R) Act, 1951 with effect from the 7th February, 1968. After delicensing, some schemes have been received and these are under examination. The units licensed/approved earlier are being asked to implement their schemes as speedily as possible.

प्राकृतिक रबड़ का संभरण

*718. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** . क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ से बनने वाली वस्तुओं के निर्माताओं ने शिकायत की है कि उन्हें नियंत्रित मूल्य पर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या प्राकृतिक रबड़ की सप्लाई कम है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन निर्माताओं को प्राकृतिक रबड़ की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) चालू मानसून में केरल में असाधारणतः भारी एवं लगातार वर्षा तथा उसके परिणामस्वरूप चुआई के कार्य में व्यवधान होने के कारण प्राकृतिक रबड़ के देशज उत्पादन में, जो सामान्य स्थितियों में भी रबड़ का सामान बनाने वाले उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता, हाल ही में कुछ कमी हुई है । वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये रबड़ का कुछ आयात करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

स्वेज नहर के बन्द होने का भारत के व्यापार पर प्रभाव

*719. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के पूर्वार्ध में अमरीका, रूस, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसराइल से देश-वार भारत ने कितने मूल्य के माल का आयात किया तथा भारत द्वारा इन देशों को कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया ;

(ख) इसमें से कितना व्यापार राज्य व्यापार निगम ने किया है ;

(ग) स्वेज नहर के बन्द रहने से उक्त अवधि में आयात पर कितनी अधिक लागत आई है ;

(घ) भारत के विदेशी व्यापार में विभिन्नता लाने और स्वेज नहर के पश्चिम में स्थित देशों से आयात में कटौती करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) स्वेज नहर का प्रयोग करने के स्थान पर इसराइल द्वारा वस्तुओं को भेजने के लिये ईलट के एक भाग का प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जनवरी-अप्रैल, 1968 की अवधि में (जिसके लिये ब्यौरा उपलब्ध है) सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त अरब गणराज्य तथा इजराइल को भारत से किये गये निर्यातों तथा उनसे भारत को किये गये आयातों के मूल्य तथा उनमें राज्य व्यापार निगम के हिस्से को दर्शाने वाला एक विवरण [अंग्रेजी में] संलग्न है । स्वेज नहर से बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप भारत द्वारा आयातों पर किये गये अतिरिक्त व्यय को ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है, परन्तु यह अनुमान है कि पश्चिमी देशों से हमारे आयातों पर ऊंची भाड़ा दरों के कारण प्रति माह लगभग 2.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होता है ।

भारत के विदेशी व्यापार में जहां तक सम्भव हो उत्पादवार तथा देशवार विभिन्नता लाने की सरकार की नीति है । आयात नीति का लक्ष्य देश की आधारभूत आवश्यकताओं, इसकी विकासपरक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा आयात प्रतिस्थापन का पूरा ध्यान रखते हुए निर्यात अभिमुख उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है । उसका यह भी लक्ष्य है कि सर्वाधिक लाभप्रद स्रोतों से माल का आयात किया जाये । भारत सरकार को ऐसी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

कोयले के स्टाक

*720. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार, आसाम और आन्ध्र प्रदेश में खानों के मुहानों पर जमा हो गयी कोयले की भारी मात्रा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक राज्य में जमा हो गये कोयले की मात्रा के नवीनतम आंकड़े क्या है ; और

(ग) इन राज्यों में कोयला खानों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गर्त्तमुखों पर बहुत अधिक मात्रा के स्टाकों के बारे में सरकार को

पता है। जबकि बिहार में कोयले के स्टाक कुछ अधिक मात्रा के है, आसाम में वह नगण्य ही हैं।

(ख) इन राज्यों में कोयला स्टाकों की नवीनतम स्थिति निम्म प्रकार से हैं :—

(लाख मैट्रिक टनों में)

राज्य	मार्च	अप्रैल अनन्तिम	मई अनन्तिम	जून अनन्तिम
बिहार	26.00	26.00	26.60	30.40
आसाम	0.02	0.02	0.04	0.07
आंध्र प्रदेश	10.37	09.40	09.50	10.60

(ग) मांग के अनुरूप, जहां तक उपलब्ध हों, खाली गाड़ियों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कोयला-स्टाकों के विषय में, जिसका अधिकतर भाग स्लेक कोयले का है, इसके निपटारे का प्रश्न सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड के विचाराधीन है।

Misbehaviour of Persons at Bombay Central Railway Station

5896. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the Bombay Central Railway Station, there are many such people who refuse to give any infotmation about themselves and thus compel that they should be taken to the Police station;

(b) whether it is also a fact that the Guard complained to the General Manager against a person for his having misbehaved with a Member of Parliament two months back; and

(c) if so, the action being taken against such type of persons?

Minister (for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) No.

(b) & (c) Yes, the State Police received a letter from the Guard of Frontier Mail bound for Amritsar. This letter was given to him by Shri Meetha Lal Meena, M. P. complaining about the objectionable behaviour by an unknown person at Bombay Central Station. Equiries made into the allegations did not lead to the identification of the person and hence no further action could be taken in the matter. However, all the Police Officers have been alerted to book persons indulging in such anti-social behaviour and to ensure that no such incident occurs in future.

कृत्रिम रेशमी कपड़े का निर्यात

5897. **श्री बाबूराम पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयेक्स और राज्य व्यापार निगम ने मिल कर 5.10 करोड़ रुपये के मूल्य के कृत्रिम रेशमी कपड़े के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक, देशवार कितने मूल्य के ऐसे कपड़े का निर्यात किया गया है;

(ग) इस सौदे में कितना लाभ होने की आशा है तथा इस लाभ में रेयेक्स का वास्तविक भाग कितना होगा ; और

(घ) भारत में तथा विदेशों में कमीशन एजेंटों के नाम और पते क्या हैं तथा उपर्युक्त सौदों में उन्हें कितने प्रतिशत कमीशन दिया गया है और यह कमीशन किस रूप में तथा किस मुद्रा में दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां,

(ख) निर्यात किये गये कपड़े का देशवार मूल्य इस प्रकार है :

बेलजियम	37,300 रुपये
कनेडा	9,33,400 रुपये
योग	9,70,700 रुपये

(ग) कृत्रिम रेशमी कपड़े के निर्यात से कोई लाभ नहीं होता । रेयेक्स, जो कि रेयन कपड़े के निर्यात के मामले में राज्य व्यापार निगम का सहयोगी है, व्यापार कमीशन के तौर पर एक प्रतिशत प्राप्त करता है ।

(घ) भारत में तथा विदेशों में कोई कमीशन एजेंट नहीं हैं, विदेशी खरीददारों से संयुक्त विक्रय दल द्वारा व्यापार उपलब्ध किया गया और राज्य व्यापार निगम । रेयेक्स की ओर से सप्लाई के लिए रेयेक्स के पंजीकृत सहयोगियों को क्रयादेश वितरित कर दिये गये हैं ।

व्यापार सन्तुलन

5898. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हमारे निर्यात और आयात के देशवार वार्षिक आंकड़े क्या हैं और प्रतिवर्ष व्यापार सन्तुलन में कितना अन्तर था ;

(ख) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन वाले देशों के मामले में निर्यात बढ़ाकर व्यापार सन्तुलन बराबर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) किन-किन वस्तुओं के मामले में हमें विदेशों से आयात पर निर्भर करना पड़ता है और किन-किन देशों से उनका आयात किया जाता है और इन आयातित वस्तुओं का प्रतिवर्ष रुपयों में मूल्य कितना होता है ;

(घ) क्या व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिये इन वस्तुओं के आयात को कम करने के लिये कार्यवाही की जा सकती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान व्यापार सन्तुलन में वार्षिक अन्तर के साथ निर्यात और आयात आंकड़ों को बताने वाला विवरण सभापटल पर रख दिया गया ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1916/68]

(ख) निर्यात की बृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

(1) व्यापार करारों के सम्बन्ध में बातचीत;

(2) विदेशों में निर्यात संवर्धन परिषदों तथा सामान (कामोंडीटी) बोर्डों के कार्यालयों को खोलना ;

(3) व्यापार-मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(4) अध्ययन तथा विक्रय दलों की प्रतिनियुक्ति ;

(5) विदेशों में बाजारों का सर्वेक्षण करना ;

(6) भारतीय उद्यमकर्त्ताओं द्वारा विदेशों में उद्योगों को स्थापित करने के लियेसुविधा देना ;

(7) व्यापार शिष्ट मण्डलों तथा विचार-विमर्श का आदान-प्रदान ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1916/68]

(घ) और (ङ) सरकार की नीति यह है कि वह केवल उन वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और जिनका उत्पादन मांग की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता । आयात नीति पर हमेशा विचार होता रहता है और उसमें बढ़ते हुए स्वदेशी उत्पादन तथा आयात प्रतिस्थापन का ध्यान रखा जाता है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है समुचित परिवर्तन कर दिया जाता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में बिना बिके पड़ा माल

5899. **बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग न होने के कारण हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कितना, किस किस किस्म का तथा कितने मूल्य का बिना बिका माल पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ माल विशेषतया मर्चेन्ट मिल उत्पाद तथा बिलेट- बाजार में उनकी मांग तथा बिक्री की सम्भावना का पता लगाये बिना ही तैयार किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो बिक्रेता बाजार में ये उत्पाद बिना बिके क्यों पड़े हैं ; और

(घ) गोदामों में इस समय सड़ रहे इन उत्पादों को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वह माल, जिसे बेचने में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, 278500 मीटरी टन है जिसकी कीमत लगभग 1000 लाख रुपये हैं इस माल में अधिकतर एराई-जिंग (उदभूत), त्रुटिपूर्ण चीजें, छोटी मात्रा की छड़े, ढांचे तथा अपरीक्षित ब्लूम (मिश्रित) शामिल हैं ।

(ख) से (घ) तक क्योंकि अधिकतर बिना बिका माल एराइजिंग की किस्म का है, इसलिये इसका उत्पादन रोकना कठिन है। बिना बिके माल का शीघ्र निपटारा करने के लिये कीमतों में कमी, व्यापक प्रचार तथा निर्यात के प्रयत्न जैसे विशेष कदम उठाये गये हैं।

मद्रास-दिल्ली मार्ग पर भोजन यानों (डाइनिंग कारों) में दरें

5900. **श्री जी० एस० रेड्डी :** **श्रीमती बी० राधाबाई :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि मद्रास से दिल्ली तक सभी गाड़ियों में जलपान यानों में जनता से वर्धा और नागपुर के बीच महाराष्ट्र बिक्री कर के रूप में 11 पैसे अधिक वसूल किये जाते हैं जबकि रास्ते में पड़ने वाले अन्य राज्यों में ऐसा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों का गन्तव्य स्थान तक जलपान यानों में समान दर का उपादेश देने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि जलपान यानों में भोजन के लिये 1.30 रुपये लिये जाते हैं और भोजन यानों में 1.80 रुपये लिये जाते हैं जबकि खान-पान की वस्तुएं चावल की मात्रा तथा चपातियां और सर्विस वैसी ही होती है अपितु जलपान यानों में अच्छी होती है ; और

(घ) यदि हां, तो दरों के समान न होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलों को हिदायत है कि हर राज्य में, जहां-कहीं बिक्री कर लगाया गया हो, भोजन-यानों और रेलवे स्टेशनों के यूनिटों में होने वाली बिक्री पर सम्बन्धित राज्य द्वारा निर्धारित दर पर बिक्री-कर लिया जाये।

भोजन-यानों और खान-पान की अन्य चल यूनिटों में बेची जाने वाली चीजों के लिए समान दर, जिसमें बिक्री-कर भी शामिल होगा, निर्धारित करने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है ताकि विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले चल खान-पान यूनिटों में अलग-अलग राज्यों द्वारा निर्धारित दरों पर बिक्री-कर लेने की जरूरत न पड़े।

(ग) और (घ) सभी भारतीय रेलों में शाकाहारी भोजन की दर भोजनालय। रेस्तोरां में 1 रुपया 30 पैसे और भोजन यान/रेस्तोरां यान/बुफे यान और गाड़ी के डिब्बों में 1 रुपया 80 पैसे है। स्टेशन अथवा चल यूनिट से गाड़ी के डिब्बों में जो भोजन दिया जाता है, उसके लिए कर्मचारियों आदि पर रेलों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसे देखते हुए प्रति भोजन 50 पैसे सेवा-प्रभार लिया जाता है। भोजन के निर्धारित मीनू में कोई अन्तर नहीं होता, चाहे भोजन स्टेशन पर स्थित खान-पान व्यवस्था से दिया जाये अथवा चल यूनिट से।

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था, सिकन्दराबाद

5901. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था, सिकन्दराबाद डिवीजन ने अपनी बकाया राशि के बारे में रेलवे प्रशासन के सामने कई बार अपनी शिकायतें रखी हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने बकाया राशि, रात्रि भत्ता, क्वार्टरों की व्यवस्था, ऊंचे पदों पर तदर्थ पदोन्नतियों को रोकना आदि शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) से (ग) अन्य रेलों की तरह, दक्षिण मध्य रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं जो कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों को स्थायी वार्तातंत्र के जरिये उठाती हैं और रेल प्रशासन द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न में जिस अमान्यता प्राप्त सेक्शनल एसोसियेशन का जिक्र किया गया है उससे रेलवे की कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

लालागुडा तथा काजीपेट स्थित रेलवे स्कूल

5902. **श्री जो० एम० रेड्डी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम दक्षिण मध्य रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की संस्था को क्षेत्रीय संस्था, सिकन्दराबाद ने रेलवे प्रशासन को उस क्षेत्र में स्कूलों के बारे में कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे पर लालागुड़ा तथा काजीपेट पर स्थित रेलवे स्कूलों का दर्जा घटा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित शिक्षा व्यवस्था अपनाये जाने पर, आठवीं कक्षा तक के मिडिल स्कूलों में, जिनका जिक्र प्रश्न में किया गया है, नवीं और दसवीं कक्षाएं बढ़ाकर या आठवीं कक्षा निकालकर उनका ग्रेड बढ़ाया या घटाया जाना था। चूंकि इन दोनों स्थानों के मिडिल स्कूलों के बच्चे आठवीं कक्षा पास करने के बाद गैर-सरकारी स्कूलों में जाते रहे हैं और चूंकि ग्रेड बढ़ाने से भारी खर्च आता, इसलिये यह निश्चिय किया गया कि इन स्कूलों का ग्रेड न बढ़ाया जाये, बल्कि इनमें से आठवीं कक्षा समाप्त कर दी जाय। इस प्रक्रम में विजयवाडा और विट्गुण्टा के स्कूलों का ग्रेड बढ़ा दिया गया।

बांसपाड़ी-परादीप रेलवे लाइन

5903. **श्री गु० च० नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित बांसपाड़ी-परादीप रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितनी लागत लगी हैं ;

(ग) क्या उस रेलवे लाइन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है तथा उसका निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(घ) इस लाइन का सर्वेक्षण-कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा वह कब पूरा हुआ था ; और

(ङ) उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 46 करोड़ रुपये ।

(ग) इस समय इस लाइन के निर्माण पर विचार नहीं किया जा रहा है । लेकिन, पारादीप बंदरगाह के रास्ते लोह अयस्क का निर्यात करने के लिये कटक से पारादीप तक एक नयी बड़ी लाइन बनाने का काम शुरू किया गया है ;

(घ) सर्वेक्षण की मंजूरी 1963 में दी गयी थी और 1965 ने सर्वेक्षण पूरा हुआ ।

(ङ) लगभग 12 लाख रुपये ।

वस्तुओं के माल डिब्बों के आवंटन के लिए प्राथमिकता

5904. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट-तम्बाकू, काफी तथा सुपारी जैसी वस्तुओं को माल डिब्बों के आवंटन के प्रयोजन के लिये "ग" वर्ग की प्राथमिकता दी जाती है जबकि घरों, अस्पतालों तथा कार्यालयों के लिये आवश्यक इस्पात के फर्नीचर को "च" वर्ग की प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात का फर्नीचर सिगरेटों से अधिक महत्वपूर्ण है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां । लेकिन केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों के लिए इस्पाती फर्नीचर की प्रायोचित संचलन भी मद 'ग" की अग्रता में रखे जा सकते हैं ।

(ख) और (ग) तरजीही यातायात अनुसूची के तीन लक्ष्य हैं, अर्थात् विभिन्न प्रकार के यातायात जैसे, अनाज, उर्वरक, नमक आदि और मूल उद्योगों के लिऐ तैयार माल और कच्चे सामान जैसे सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि के संचलन के लिए उनके महत्व और तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करना, मद (डा०) अग्रता वाली सभी दूसरी वस्तुओं के लिए उनके निश्चित कोटे के अधीन विभिन्न मात्राओं में परिवहन की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि देश की समग्र अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को अधिक संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए सभी प्रकार के यातायात को उपलब्ध परिवहन-क्षमता में अपना हिस्सा मिले ।

लोहे तथा इस्पात का उत्पादन

5905. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये लोहे तथा इस्पात उद्योग के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी और उत्पादन क्षमता स्थापित करने का विचार है ;

(ग) उक्त योजना अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में लोहे तथा इस्पात की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा ; और इसके लिये कौन से साधन उपलब्ध हैं और उसकी कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है; और

(ङ) इस उद्योग के लिये इस योजना में निर्यात सम्बन्धी प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

\+ **Headmasters of Railway Higher Secondary and Secondary Schools**

5906 Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Headmasters of Railway Higher Secondary and Secondary Schools are not considered as Gazetted Officers, whereas their counter-parts in various States are Gazetted Officers;

(b) if so, the reasons for this discrepancy and whether it is proposed to be removed in future; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a), (b) & (c) : Headmasters of Railway Higher Secondary Schools have been granted Honorary Gazetted Status and they are entitled to the usual privileges granted to Gazetted Officers in regard to privilege passes, privilege ticket orders and allotment of quarters. There is no justification to classify them as Gazetted Officers, in consideration of the fact that Senior Supervisors in many departments of the Railway are in non-gazetted service.

342 डाउन गाड़ी का समय पर चलना

5907. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 342 डाउन गाड़ी मई, जून और जुलाई, 1968 में कितनी बार समय से चली तथा उसके देरी से चलने के क्या कारण थे ; और

(ख) यह गाड़ी समय पर चले इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) मई में 13 प्रतिशत, जून में 10 प्रतिशत और जुलाई, 1 1968 में 10 प्रतिशत ।

342 डाउन सवारी गाड़ी के देरी से चलने के कई कारण हैं । उनमें से एक कारण है देर से चलने वाली कुछ दूसरी गाड़ियों, अर्थात् 37 अप पंजाब मेल, 341 अप सवारी गाड़ी,

1 जे० एन० के० सवारी गाड़ी 1 एफ० बी० सवारी गाड़ी आदि के साथ इसका अस्त-व्यस्त क्रासिंग। यह गाड़ी भटिंडा के पास 38 डाउन पंजाब मेल को भी आगे जाने का मार्ग देती है। ये दूसरी गाड़ियां तांबे के तारों की चोरी आदि के फलस्वरूप अधिकतर कण्ट्रोल और दूर-संचार की खराबी के कारण लेट हुई। इस गाड़ी के समय पर चलने का एक कारण यह भी है कि रोहतक-शकूरवस्ती इकहरी लाइन खण्ड पर यातायात चरम सीमा तक प
इस कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) पहले से ही इस गाड़ी को रोहतक-दिल्ली खंड पर चलने वाली एक उपनगरीय गाड़ी कहा जाता है और मेल लेने तथा अग्रता देने के बारे में इसे तरजीह दी जाती है। 342 डाउन सवारी गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और इसके चालन में सुधार लाने के लिए अवरोध की सभी परिहार्य घटनाओं के संबंध में शोधक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर रेलवे में डी० के० आर० तथा डी० के० आर० का समय पर चलना

5908. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 1 डी० के० आर० नई दिल्ली तथा 2 डी० के० आर० रोहतक कितनी बार (प्रतिशत) समय पर पहुंची ;

(ख) यह स्थानीय गाड़ी समय पर पहुचे इसे सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) अन्तिम स्टेशन रोहतक तथा सफदरजंग, नयी दिल्ली से इस गाड़ी को देर से चलाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :(क) जनवरी, 1968 से जुलाई, 1968 तक 1 डी० के० आर० का नयी दिल्ली में और 2 डी० के० आर० का रोहतक में प्रतिशत समय-पालन क्रमश: 46.5 और 37 प्रतिशत था।

(ख) (ग) और (घ) तांबे के तारों की चोरी से बार-बार होने वाली कन्ट्रोल की खराबियों, दिल्ली क्षेत्र में पावर सिगनल-व्यवस्था से उत्पन्न प्रारम्भिक कठिनाइयों और साथ ही भीड़-भाड़ वाले रोहतक शकूरबस्ती इकहरी लाइन के खंड पर कठिन संचालन के कारण ये गाड़ियां लेट हुई। इन गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और अवरोप की सभी परिहार्य घटनाओं के लिए शोधक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

1 डी० के० आर० सवारी गाड़ी रोहतक से उस इंजन द्वारा चलायी जाती है जो 2 डी० के० आर० को लेकर आता है। चूंकि रोहतक में अभी इंजनों का कोई उपयुक्त घूम चक्कर नहीं है, इसलिए वहां इस इंजन को घुमाने के लिये रोहतक से जीन्द भेजा जाता है और वहां से वापस रोहतक लाया जाता है। विश्लेषण से पता चला है कि इस उद्देश्य के लिए

2 डी० के० आर० के पहुंच-समय और 1 डी० के० आर० के छूटने के समय के बीच प्राय; काफी अन्तर नहीं होता, खास तौर पर उस समय जब व्यस्त जीन्द-रोहतक खंड पर इंजन को देरी हो जाती है । 1 डी० के० आर० संवारी गाड़ी के रोहतक से देरी से चलने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से रोहतक में ही इंजन घुमाने के लिए अपेक्षित क्षमता वाले एक घूम चक्कर की व्यवस्था करने के लिए निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है ।

दिल्ली सफदरजंग से 2 डी० के० आर० के देरी से चलने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से 1 डी० एन० डी० सवारी गाड़ी और 2 डी० के० आर० के बीच के वर्तमान 30 मिनट के अन्तर को बढ़ाकर 50 मिनट कर दिया गया है । 2 डी० के० आर० के रेक और इंजन को 1 डी० एन० के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

इन कार्यवाइयों के परिणामस्वरूप इन दोनों गाड़ियों के चालन में सुधार होने की आशा है ।

दिल्ली से रोहतक तक गाड़ी

5909 . **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री 11-10 म० पू० तथा 4-40 म० प० बजे के बीच दिल्ली से रोहतक तक एक गाड़ी चलाने से सम्बन्धित 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस लाइन पर दिन में एक गाड़ी चालू करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) दिल्ली और रोहतक के बीच दोपहर में एक गाड़ी चलाने के प्रश्न की फिर से जांच की गयी है लेकिन रोहतक-शकूरबस्ती इकहरी लाइन खण्ड पर और दिल्ली/नयी दिल्ली/सदर केबिन तिकोने पर संचलन की कठिनाइयों के कारण ऐसा करना फिलहाल परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

फिल्म निर्माताओं को कच्ची फिल्मों का कोटा

5910. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित लोगों को कच्ची फिल्मों का कितना कोटा दिया गया ;

(1) श्री मोहन सहगल (2) श्री पी० एस० वीरप्पा (3) श्री एन० एन० सिप्पी (4) श्री मोहन कुमार (5) राजश्री पिकचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (6) महमूद प्रोडक्शनस (1) श्री वी० शान्ताराम (8) सुबोध मुकर्जी प्रोडक्शनस (9) श्री जोय मुकर्जी (10) श्री एच० एस० रावल;

(ख) क्या कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि इन फिल्म निर्माताओं ने उक्त अवधि में अपनी कच्ची फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयरलैण्ड को व्यापार प्रतिनिधिमंडल

5911. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल संभवत: आयरलैंड की यात्रा करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके जाने सम्बन्धी कार्यक्रम को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वाणिज्य उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों तथा महिला कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर

5913. **श्री सिद्दय्या** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 से इस आशय के आदेश थे कि महिला तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के मामले में विशेष महत्व दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या वे आदेश वापिस ले लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ;

(ग) आदेश व्यावहारिक नहीं पाये गये और दूसरे कर्मचारियों के प्रति भेदभाव बरते बिना अमल में नहीं लाये जा सके।

रेल गाड़ी संख्या 1067 और 1068 के साथ लगाये जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे

5914. **श्री सिद्दय्या** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में मैसूर और बंगलौर के बीच चलने वाली रेल गाड़ी संख्या 1067 और 1068 के साथ लगाये जाने वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे कितने पुराने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन गाड़ियों के साथ खराब और बहुत पुराने प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाये जाते हैं और थोड़ी दूर की यात्रा असुविधाजनक होती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) इन गाड़ियों के लिए पहले दर्जे के 10 डिब्बे हैं और ये कितने पुराने हैं उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

10 वर्ष से कम पुराने—	3 डिब्बे
31 से 40 वर्ष तक के पुराने—	5 ,,
48 वर्ष पुराना —	1 डिब्बा
58 वर्ष पुराना—	1 ,,
	10

(ख) खराब डिब्बे इस्तेमाल नहीं किये जाते हैं। इन गाड़ियों में बहुत पुराने डिब्बे लगाये जाते हैं जैसा कि अन्य गाड़ियों में भी लगाये जाते हैं। लेकिन इन डिब्बों को आवश्यक स्तर तक बनाये रखा जाता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

मैसूर, नजंनगुडा और चामराजनगर रेलवे स्टेशनों को सुधारना

5915. **श्री सिद्दय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, नंजनगुडा और चामराजनगर रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिये कोई योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Iron Enclosure around Garhara Railways Yard, Barauni Jn.

5916. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) the extent of loss of Railway property suffered anually in the absence of a proper iron-enclosure around the Garhara Yard at Barauni Junction;

(b) whether Government are aware that the absence of a proper enclosure around the said yard, some employees and some anti-social elements from the adjoining villages collude with one another and cause the aforesaid loss to the Railway property;

(c) if so, whether Government propose to stop this kind of loot of the Railway property by providing the iron enclosure around the said yard;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) if so, when the said enclosure is likely to be provided there ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha);

(a) to (d) The extent of loss to railway property at the Garhara yard was Rs. 3,993/- during the year 1967-68, out of which property worth Rs. 1,251 was recovered. 79 persons were arrested during 1967-68.

(e) the proposal for construction of a boundary wall around the Garhara transhipment yard is being included in the Works Programme for 1969-70

Cabins on Sahibganj Loop Line (E. Rly.)

5917. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government's attentio has been drawn to the difficulty being experienced by people in the absence of a cabin at Babhangama village between Colgong and Shivnarayanpur Stations on the Sahibganj Loop Line, Eastern Railway;

(b) whether Government also propose to construct a cabin at village Amapali between Mirza Cheuki and Pirpaniti Stations of the Sahibganj Loop line; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) **and** (b) Presumably the reference is to the proposals for opening of new stations at Babhangama between Colgong and Shivnarayanpur stations and at Amapli between Mirza Cheuki and Pirpainti stations. These proposals are under examination.

(c) Does not arise.

Trains passing through Daltonganj

5918. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one train passes through such an important plac as Daltonganj i.e. the train from Gomoh to Dehri-on-Sone, resulting in great in convenience to passengers belonging to Daltonganj ;

(b) whether it is also a fact that the train from Barwadih to Gomoh does not pass through Daltonganj, resulting in non-availability of a train to passengers bound for Daltonganj and using trainsgoing to Barwadih, Dhanbad and Calcutta and none of these trains passes through Daltonganj ;

(c) if replies to parts (a) and (b) be in the affirmative, the steps proposed to be taken by Government to remove these difficulties ;

(d) whether Government propose to increase the number of trains touching Daltonganj ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Daltonganj is, at present, served by two pairs of passenger trains, namely, 1GD/2 GD Gomoh-Dehri-on Sone Passengers and 1 BDM/2 BDM Barwadih-Mughalsarai Passengers via Dehri on-Sone.

(b) 1 GB/2 GB Passenger trains run between Gomoh and Barwadih. Daltonganj lies on Barwadih-Dehri-on-Sone section and not on Gomoh-Barwadih scetion. Daltonganj passengers travelling to and from Barwadih, Dhanbad and Howrah can travel by 1GD/2 GD Passengers and connected trains (in the case of Dhanbad and Calcutta with a change at Gomoh).

(c), (d) & (e) The existing train services at Daltonganj are adequate for the present quantum and pattern of traffic offering there. Traffic justification does not exist for introduction of an additional train at present.

+ **Rail Link between Motihari and Chapra**

5919. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have ever taken into consideration the advantages accruing both to the public and Government by connecting Motihari and Chapra, the headquarters of Champaran and Saran Districts, respectively, direct by rail after constructing a bridge over the Narayani river ;

(b) if not, whether Government propose to consider the scheme to connect Motihari and Chapra direct by rail ; and

(c) the details in regard to the advantages and disadvantages of the aforesaid scheme ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a), (b) & (c) No investigations have been carried out in the past for this link, Due to paucity of funds, it is not possible to consider the question of construction of a new direct rail link between Chapra and Motihari, which invovles construction of a costly bril ge across the Gandak river (-Narayani).

मोटर साइकिलों । स्कूटरों तथा टायरों का निर्माण

5920. **श्री के० कृ० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का निर्माण करने वाले समवायों के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ख) उनके द्वारा कुल तथा प्रत्येक समवाय द्वारा अलग-अलग कितने मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ग) स्कूटरों तथा मोटरसाइकिलों के टायर बनाने वाले समवायों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) बड़े क्षेत्रों में मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम तथा पते और उनके द्वारा 1966-67 और जुलाई, 1968 तक तैयार की गई गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

कम्पनी का नाम और पता	वाहकों का नमूना	उत्पादन संख्या में 1966	1967	1968 (जनवरी से जुलाई)
1. मेसर्स आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इन्डिया लि०, बान्डुम, बम्बई-78	लम्ब्रैटा स्कूटर	8,632	13,270	9,609
2. मेसर्स बजाज आटो लि० चिंचवाद, पूना-19	वैस्पा स्कूटर	10,389	15,982	11,177

कम्पनी का नाम और पता	वाहनों का नमूना	उत्पादन संख्या में 1966	1967	1968 (जनवरी से जुलाई)
3. मेसर्स एनफील्ड इंडिया लि०, रायेल एनफील्ड बिल्डिंग, तीरुवोलियूर मद्रास-19	फैन्टाबलस, स्कूटर	1,950	1,044	289
	मोटर साइकिलें (शेरपा। एनफील्ड)	6,359	6,405	5,808
4. मे० आइडियल जावा (इन्डिया) प्रा० लि०, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मैसूर-2	मोटर साइकिलें	9,397	8,735	5,293
5. मे० एसकार्टस लि०, 18/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	मोटर साइकिलें (राजदूत)	9,283	8,108	5,294

(ग) स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के टायर बनाने वाली कम्पनियों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

(अ) स्कूटर टायर बनाने वाले

(1) मे० डनलप इन्डिया लि०, कलकत्ता

(2) मे० फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इन्डिया प्रा०, लि० बम्बई।

(3) मे० सीट टायर्स आफ इन्डिया लि०. बम्बई

(4) मे० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लि०, मद्रास

(5) मेसर्स इंचेक टायर्स लि०, कलकत्ता।

(ब) मोटर साइकिल टायर बनाने वाले।

(1) मे० डनलप इन्डिया लि०, कलकत्ता

(2) मे० फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कं० आफ इन्डियां प्रा० लि०, बम्बई।

(3) मे० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लि०, मद्रास

(4) मे० इचेक टायर्स लि० कलकत्ता।

रेलवे सम्पत्ति की हानि

5921. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में चोरी, तोड़फोड़, दुर्घटनाओं तथा कुप्रबन्ध और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : 1963-64 से 1966-67 तक की अवधि में रेल सम्पत्ति को जो हानि हुई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i)	चोरी	1,29,07,014 रुपये
(ii)	तोड़-फोड़	24,17,009 रुपये
(iii)	दुर्घटनाएं	3,29,54,304 रुपये
(iv)	कुप्रबन्ध या घटिया सामान का उपयोग किये जाने के कारण	1,000 रुपये

विदेशों में भारतीय चलचित्रों का वितरण

5922. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :** **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकटवर्ती देशों में, विशेषतया अरब देशों में भारतीय चलचित्र तथा गीत बहुत लोकप्रिय हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चलचित्रों का वितरण गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है जो इस सुविधा का दुरुपयोग भी करते हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रबन्ध को अपने हाथों में लेने की संभावना पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि चलचित्रों का वितरण गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है तथापि किसी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिये समुचित संरक्षण हैं ।

(ग) जी, अभी नहीं ।

Complaint against Foreman Luxmi Workshop, Kota

5923. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a great commotion among the employees of the Luxmi Workshop, Kota as a result of slapping of a Head-Clerk on the 19th July, 1968 by a Foreman and telegrams were sent to him and the General Manager ;

(b) whether one Clerk was slapped by him three years before also;

(c) whether an iron smith employee was also slapped by the same Foreman five years before and he had won the case against that Foreman in the High Court;

(d) if so, the action taken by Government against this Foreman; and

(e) the steps taken to avoid the recurrence of such incidents in future ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) A statement is attached.

(b) to (e) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Statement

In the morning of 19.7.1968 there was a case of allegations and counter-allegations of assault by the Assistant Electrical Foreman of the Wagon Repair Workshop, Kota, Shri Ranga Nathan and his Junior Clerk, Shri Ramamurthy Verma. The Workshop Electrical staff saw the Electrical Engineer in the evening of the same day and represented that Shri Ranga Nathan, Assistant Electrical Foreman had assaulted Shri Ramamurthy Verma On the next day i.e. 20.7.1968, the Assistant Electrical Foreman made a counter-complaint to the Assistant Electrical Engineer alleging that he had been assaulted by his clerk Shri Ramamurthy Verma on 19.7.1968. Thereupon the Assistant Electrical Engineer nominated one Welfare Inspector of Kota Division to inquire into the whole case and the matter is still under investigation. No telegrams seem to have been received in this connection.

रेलवे अधिकारी तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारी

5924. **श्री कार्तिक उराव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में विभिन्न वेतनमानो में अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी है ; और

(ख) वेतनमानों में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के कर्मचारियों का उद्योग

5925. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धक अभिकरण व्यावस्था के उन्मूलन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये नई दिल्ली में हाल में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडलों के महासंघ ने यह मांग की थी कि जब तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त प्रबन्धक उपलब्ध नहीं होते प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था के वर्तमान कर्मचा रयों की सेवाओं का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या प्रबन्धक कर्मचारियों को दिये जाने वाले परिश्रमिकों के बारे में भी कोई मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक मांग क्या है और उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के सत्र ने कम्पनी सचियों एवं कार्यकारियों के एक अखिल भारतीय सम्मेलन का संगठन, 20 तथा 21 जुलाई, 1968 को किया था । सरकार को अभी तक

सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस बात की जानकारी नहीं है कि सम्मेलन ने, प्रश्न के भाग (क) तथा (ग) में दी गई प्रकृति का कोई संकल्प पारित किया था, अथवा मांग की थी। फिर भी, सम्मेलन के अध्यक्ष श्री जी० एम० मोदी ने, अपने स्वागत भाषण में यह टिप्पणी की थी कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उन्मूलन करना त्रुटिपूर्ण होगा।" उन्होंने कम्पनियों को प्रबन्धन पारिश्रमिक नियमन करने में मुक्त होने की वकालत की। पहले किये गये निर्णयों के उपलक्ष में सरकार, प्राप्त होने पर सम्मेलन की शिफारिशों की परीक्षा करेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकारी

5926. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य उद्योगों में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के बिहारी अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है तथा कुल अधिकारियों की संख्या में उनकी संख्या कितनी प्रतिशत है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिन-जिन राज्यों में हैं, उनमें उन राज्यों के ऐसे अधिकारियों की संख्या उन उपक्रमों के कुल अधिकारियों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में चार्जमैन और फोरमैन

5957. **श्री गाडिलिंगन गौड** : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :

क्या **रेलवे** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1772 के उत्तर के सम्बन्ध में रेलवे में काम करने वाले चार्जमैनों और फोरमैनों के मंजूरी ढांचे के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि रेलवे और अन्य सरकारी उपक्रमों दोनों में "फोरमैन" और "चार्जमैन" पदनाम समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अन्य सरकारी उपक्रमों में इन पदनामों वाले पदों के काम, उत्तरदायित्व और कार्यभार भिन्न-भिन्न हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न परिमाण की अलग-अलग निर्माण- प्रक्रियाओं में लगाया जाता है। उनके संगठन का ढांचा भी भिन्न-भिन्न है। कुछ मामलों में रेलवे के फोरमैन और चार्जमैन के वेतनमान अन्य सरकारी उपक्रमों में उसी प्रकार के कर्मचारियों के वेतनमान से कम हैं, कुछ अन्य मामलों में समान और कुछ में अधिक भी हैं। इसके अलावा रेलों के फोरमैन और चार्जमैन के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के

लिये द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं, तदनुसार वे उनके कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप हैं। रेल कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों के बीच कोई तुलना उचित नहीं है क्योंकि उनके कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व, अर्हताएं, भर्ती का ढंग पदोन्नति सरणि, काम का ढंग, कारखाने की सुविधाएं आदि सदैव समान नहीं होती।

(ग) सवाल नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन के तेल का स्टाक

5928. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से आयातित 60,000 मीटरिक टन सोयाबीन तेल का भारी भण्डार जमा पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें से अधिकांश तेल नहीं बिक सका है और खाने के योग्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण कितनी राशि की हानि हुई ?

वाणिज्य उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 20 अगस्त 1968 को राज्य व्यापार निगम के पास 30,603 मे० टन सोयाबीन तेल का भण्डार था। कुछ ही दिनों में 27,188 मे० टन की खेप प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। अप्रैल 1968 से 37,661 मे० टन तेल बेचा जा चुका है जिसमें से 14,581 मे० टन का प्रेषण किया जा चुका है और बाकी तेल के प्रेषण की तैयारी हो रही है। यह तेल खाने के योग्य है। सोयाबीन तेल के आयात अथवा बिक्री में कोई हानि नहीं हुई है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees bn Bhilai Steel Plant

5929. **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employed in each department of the Bhilai Steel Plant during the last five years upto the Ist July, 1968 and relative number of other employees and the difference (in percentage) which exists there ;

(b) in case the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is less, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken to fill their eligible quota ?

Deputy Minister of Steel Mines & Metals (Chowdhary Ram Sewak) (a), (b) & (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गैर-सरकारी कम्पनियों के ऋण को "ईक्विटी शेयरों" में बदलना

5930. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों को दिये गये ऋणों की राशियों को जिनका भुगतान उन कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता, "ईक्विटी शेयरों" के रूप में बदलने के सम्बन्ध में कोई कानून लाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कानून कब तक पुरःस्थापित किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) मामला परीक्षान्तर्गत है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के उत्पादों का निर्यात

5931. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के उत्पादों का अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों में देशवार कुल कितना निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) यदि पिछले पांच वर्ष में किन्हीं अन्य देशों को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के उत्पादों का निर्यात किया गया है तो कुल कितना निर्यात किया गया है ; और इस अवधि में इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीका तथा यूरोपीय देशों को निर्यात किये गये मशीनी औजारों और घड़ियों का कुल परिमाण तथा उनसे देशवार कमाई गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

1963-64 से 1967-68 के वर्षों में निर्यात किये गये मशीनी औजार

वर्ष	देश	किया गया निर्यात			
		परिमाण संख्या		मूल्य (लाख रुपये में)	
1963-64	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	1		0.28	
	स्विटजरलैंड	4		0.89	
		5		1·17	
1964-65	फ्रांस	4		0.76	
	स्विटजरलैण्ड	3		0.69	
	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	1	8	0.49	1.94

वर्ष	देश	किया गया निर्यात			
		परिमाण संख्या		मूल्य (लाख रु० में)	
1965-66	स्विटजरलैण्ड	3	3	0.70	0.70
1966-67	अमरीका	1		0.40	
	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	1	2	0.43	0.83
1967-68	अमरीका	14		4.82	
	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	3		1.34	
	नीदरलैण्ड	18		6.52	
	फ्रांस	यूनिट हैड		0.24	
	स्वीडन	3		1.29	
	ब्रिट्रेन	5	43	1.97	16.1
	योग		61		20.8

1963-64 से 1967-68 की अवधि में निर्यात की गई घड़ियां

वर्ष	देश	परिमाण संख्या		किया गया निर्यात (मूल्य रुपयों में)	
1963-64 से					
1964-65	कुछ नहीं	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
1965-66	अमरीका	300		11,760	
	ब्रिट्रेन	1300	1600	50,071	91.8
1966-67	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	28		1,327	
	नीदरलैण्ड	200		9,526	
	अमरीका	200		9,975	
	नार्वे	6		283	
	नीदरलैण्ड	6 जमा फालतू		962	
	ब्रिट्रेन	20		992	
			460		23,065
1967-68	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	7		350	
	अमरीका	12		723	
	ब्रिट्रेन	60		2,884	
			79		3,957
	योग		2139		88,853

57

(ग) मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर द्वारा 1963-64 से 1967-68 की अवधि में अन्य देशों को निर्यात किये गये कुल मशीनी औजारों तथा घड़ियों की संख्या तथा इस अवधि में उनसे देश वार कमाई गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

1963-64 से 1967-68 तक पिछले पांच वर्षों में निर्यात किये गये मशीनी औजार

वर्ष	देश	किया गया निर्यात			
		परिमाण संख्या		मूल्य रु० लाखों में	
1963-64	रूस	4	4	1.19	1.19
1964-65	कुछ नहीं	कुछ नहीं		कुछ नहीं	
1965-66	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	4		0.92	
	न्यूजीलैण्ड	1		0.25	
	आस्ट्रेलिया	1		0.24	
	पोलैण्ड	22		4.95	
	चैकोस्लोवाकिया	40		10.20	
	नाइजीरिया	2		0.60	
			70		17.16
1966-67	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	4		1.58	
	न्यूजीलैण्ड	1		0.81	
	पोलैण्ड	55		20.49	
	चैकोस्लोवाकिया	विशेष सहायक सामान		0.96	
	नाइजीरिया	1		0.41	
	बलगारिया	7		2.22	
	हंगरी	6		3.90	
	आस्ट्रेलिया	2		1.65	
			76		31.02
1967-68	जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	1		0.63	
	न्यूजीलैण्ड	4		1.53	
	आस्ट्रेलिया	4		1.63	
	श्रीलंका	4		1.28	

	पोलैण्ड	5		2.98	
	बलगारिया	2		0.71	
	सिंगापुर	1		0.24	
	रूस	15		4.26	
			36		13.26
	योग		186		62.63

1963-64 से 1967-68 की अवधि में निर्यात की गई कलाई घड़ियां

वर्ष	देश	किया गया निर्यात				
		परिमाण संख्या			मूल्य रु० में	
1993-64 से 1964-65	कुछ नहीं		कुछ नहीं			
1965-66	कनाडा	80	80	3.480	3,480	
1966-67	यूगान्डा	24			1,214	
	कुवैत	10			495	
	न्यूजीलैण्ड	5			256	
	कनाडा	200			9,959	
	केन्या	30			1,437	
+ हथकरघा तथा हस्तशिला निर्यात निगम, नई दिल्ली		70	339		5,094	18,455
1967-68	आस्ट्रेलिया	42			2,085	
+ हथकरघा तथा हस्तशिला निर्यात निगम, नई दिल्ली		310			23,718	
+ एयर इण्डिया		24			1,236	
सिंगापुर		5			226	
कनाडा (घड़ियों के हिलने डुलने वाले पुर्जे)				100	2,008	
त्रिपुली		421			21,989	
संयुक्त अरब गणराज्य		50	852		3,365	54,627
+ निर्बाध विदेशी मुद्रा के बदले			1271		852	76,562
+ निर्यात विदेशी मुद्रा के फल						

मंगोलिया के साथ व्यापार सम्बन्ध

5932. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगोलिया के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय उस देश के साथ आयात तथा निर्यात किन-किन वस्तुओं का होता है और इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि मंगोलिया के साथ व्यापार करार केवल 13 फरवरी, 1968 को ही हुआ था, इसलिये उल्लेखनीय मात्रा के कोई व्यापार सौदे, जिनके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा उपार्जित हो, अभी तक हुए नहीं मालूम पड़ते, वाणिज्यिक संसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा 1967-68 के लिये प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि मंगोलिया से कुल आयात तथा उसको निर्यात क्रमश: 120 रु० तथा 657 रु० का रहा था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नये उद्योगों के लिये लाइसेंस देना

5933. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योग स्थापित करने के लिये जनवरी, 1968 से अब तक कितने नये लाइसेंस दिये गये हैं और किनको ;

(ख) क्या जनवरी, 1968 से पहले एक अथवा अधिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली थी ;

(ग) क्या इन शिकायतों का निपटारा हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियों को नये लाइसेंस क्यों दिये गये, जिनके विरुद्ध पहले शिकायतें प्राप्त हुई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री श्री (फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जनवरी से जून, 1968 की अवधि में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 18 लाइसेंस दिये गये हैं ।

समय-समय पर दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा निम्नलिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है :—

(1) दि "वीक्ली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज ऐण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" ;

(2) दि "इण्डियन ट्रेड जर्नल" ; और

(3) दि "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड"

इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं और जनता को बिक्री के लिये भी उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

— — —

भारत में बड़े प्रकाशन गृह

5934. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा बन्धु पुस्तक प्रकाशन क्षेत्र में भी गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन प्रकाशन गृहों में भागीदारी की; और

(ग) देश के सबसे प्रमुख दस प्रकाशन गृहों के नाम क्या है और उनको इन कम्पनियों में कुल प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पूंजी कृत प्रकाशन गृहों के बारे में इच्छित सूचना, संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Export and Import of Films

5935. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) how far the policies of Government are responsible for the general feeling in public that earning of foreign exchange is the first consideration with Government while exporting films abroad rather than focussing India's image adroad ;

(b) whether it is a fact that our cultural values have been endangered by exporting films like 'Evening in Paris' 'Night in London' 'China Town' etc. ; and

(c) the details in regard to the number of films imported from abroad and the expenditure incurred thereon and the amount of profit earned by exporting Indian films during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) While Government is anxious to increase foreign exchange earnings from export of films, she is equally concerned with building up of the image of India abroad .

(b) No, Sir.

(c)

Length in metres (000)
Value in Rupees crores

	Imports		Exports	
	Length	Value	Length	Value
1965-66	2359	0.22	6842	1.70

1966-67	8149	0.71	4384	1.36
1967-68	4675	0.53	10077	3.89

Information regarding profits earned by exporting Indian films is not maintained.

ढोल बनाने के कारखानें

5936. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1964 में कल्पित अनुमान के अनुसार निर्माण क्षमता को बढ़ाकर ढोलों की बढ़ी हुई मांग को सफलता पूर्वक पूरा किया गया हैं ; और

(ख) क्या 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (ख) और (ग) में पूछी गई जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जैसा कि लोक-सभा में 7 मई, 1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1698 के उत्तर में बताया जा चुका है, उत्पादन क्षमता आंकने का काम पीपों की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति करने की दृष्टि से आरम्भ किया गया है । समय-समय पर जितना कच्चा माल मिलेगा निःसन्देह उसी स्तर पर मांग की पूर्ति हो सकेगी ।

(ख) इस समय पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और जानकारी अभी एकत्र की जा रही है ।

बैरल और ड्रम उद्योग को कच्चे माल का नियतन

5937. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार किसी उद्योग को कच्चे माल का नियतन कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो बैरल और ड्रम उद्योग को लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर कच्चे माल का नियतन नहीं करने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या बैरल के मूल निर्माता कच्चा माल मिलने पर उपभोक्ताओं की पूर्ण मांग को पूरा कर सकते थे और क्या प्रति मास 4700 टन की अपेक्षित सप्लाई को पूरा करने के लिये जिसे मूल निर्माता आसानी से पूरा कर सकते थे, क्षमता का निर्धारित करना उचित था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) कच्चा माल नियत करते समय सामान्य रूप से लइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता का ही ध्यान रखा जाता है तथा इस्पात तैयार करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में इस्पात का नियतन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के लागू होने से पूर्व

ही आंकी गई क्षमता (इस्पात खपाने की क्षमता) के आधर पर की जा रही है। उक्त अधिनियम को लागू होने के बाद इन उद्योगों के बारे में वही प्रक्रिया जारी रखी गई है।

(ग) लोक सभा में 7 मई, 1968 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1998 के उत्तर में स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

बैरल निर्माताओं को इस्पात की चादरों का नियतन

5938. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त संयंत्र समिति को 1966-67 में विभिन्न निर्माताओं को उनकी निर्धारित की गई क्षमता के अनुपात में कम प्राप्त हुई इस्पात की चादरों का समंजन करने के लिये किस तारीख को सलाह दी गई थी ;

(ख) निर्माताओं की उनकी क्षमता के अनुपात में कच्चे माल का नियतन करने की सामान्य प्रक्रिया को छोड़ कर उनके पास उस समय निलम्बित क्रयादेशों के अनुपात में नियतन करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या क्रयादेशों के आधार पर निर्माताओं को इस्पात की चादरों का नियतन करने से पहले निलम्बित क्रयादेशों के उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे की जांच की गई थी ;

(घ) क्या सरकार द्वारा आबंटन करने में यह परिवर्तन करना उचित था ; और

(ङ) क्षमता का निर्धारण करने के क्या कारण थे, जिससे मूल निर्माताओं को कठिनाई हुई जिन्हें पहले की अपेक्षा कम कच्चा माल मिलने लगा, जब कि सरकार को मालूम था कि 4700 टन प्रति मास की अपेक्षित सप्लाई-दर कभी पूरी नहीं हो सकती थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जिन परिस्थितियों में कच्चा माल नियत करने के लिये 1966 में भिन्न तरीका अपनाय गया था, उसके बारे में लोक सभा में 23 जुलाई 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने दिनांक 21/23 नवम्बर, 1968 और 11 जनवरी, 1968 के अपनी पत्रों में किये जाने वाले अल्प नियतनों के बारे में संयुक्त सयंत्र समिति को उचित सलाह दे दी थी भाग (घ) से सम्बन्धित जनकारी एकत्र की जी जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जयेगी। इस सम्बन्ध में लोक सभा में 7 मई, 1698 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1968 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

———

ढोलों और ड्रमों के निर्माण के लिये भारतीय तेल निगम को औद्योगिक लाइसेंस

5939. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के प्रार्थना पत्र पर इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शराब आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा

5940. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) विदेशों से शराब आयात करने के लिये 1967-68 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(ख) कुल कितने मूल्य की शराब आयात की गई थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) वर्ष 1967-68 में शराब आदि के आयात के लिये 23.46 लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये ।

(ख) वर्ष 1967-68 में आयातित शराब का कुल मूल्य 36.92 लाख रुपये था जिसमें रक्षा आवश्यकताओं के लिये किया गया आयात शामिल है और अनधिकृत आयात भी शामिल हैं जो लाइसेंसों के अन्तर्गत नहीं है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये समिति

5941. **श्री अंबुचेजियान :** **श्री मणी भाई जे० पटेल :**

श्री रा० कृ० सिंह : **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के कार्य को शीघ्र करने तथा उसके निर्माण-कार्यों पर खर्च में बचत करने के उपाय सुझाने के लिये उच्च अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और पदनाम क्या है ;

(ग) समिति का मुख्य कार्य क्या है ; और

(घ) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जो यह देखेगी कि बोकारो

इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्यों में कहां कहां बचत की गुंजाइश है। समिति के सदस्य निम्न-लिखित है :—

(1) श्री एस० एस० जागोटा, परामर्शदाता (उत्पादन) वित्त मन्त्रालय, ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज।

(2) श्री के० बी० राव, परामर्शदाता (उद्योग और खनिज-संपत्), योजना आयोग।

(3) एम० बी० सिलगार्डो, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन कक्ष, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड।

(4) मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी का एक प्रतिनिधि।

(5) श्री जे० सी० लूथर, निदेशक, लोहा और इस्पात विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय-संयोजनक।

(ग) और (घ) कम्पनी के विचारार्थ विषय हैं :—

(i) 5-6 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की अन्तिम क्षमता के लिए कारखाने को संयंत्र और अन्य सुविधाओं के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी ;

(ii) कारखाने की भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में भिन्न भिन्न कर्मचारियों की आवश्यकताओं और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करना और उनमें संशोधन अथवा सुधार करने के लिये सुझाव देना ;

(iii) बहु मंजिले मकान बनाकर अथवा दूसरे तरीकों से मकानों और अन्य सुविधाओं के निर्माण में बचत करने की संभावनाओं का पता लगाना ;

(iv) दूसरे सम्बंधित क्षेत्रों में बचत की संभावनाओं का पता लगाना। आशा है कि समिति अक्तूबर 1968 के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

———

हरियाणा में लोहे के निक्षेप

5942. **श्री अम्बुचेजियान :** **श्री एस० आर० दामानी :**

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रणजीत सिंह :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के तोशाम क्षेत्र में लोहे के विशाल भण्डार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि अयस्कों में लोहा 50 प्रतिशत से अधिक है ; और

(घ) क्या महेन्द्रगढ़ में भी लौह अयस्क के विशाल भण्डार पाये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के उप मन्त्री (चौ० राम सेवक) :

(क) हरियाणा के हिसार जिले के तुशान क्षेत्र में लोहे के केवल छोटे संचय पाये जाने की सूचना मिली है ।

(ख) और (ग) लौह-अयस्क पट्टी की चौड़ाई 0.08 मीटर से 0.50 मीटर के बीच में है और इसकी लम्बाई 50 मीटर की है । उपलभ्य राशि लगभग 2,500 मैट्रिक टन की मात्रा की कही जाती है। अब तक विश्लेशित नमूनों में लौह मात्रा की प्रतिशतता 39.2 से 58.8 प्रतिशत तक की है ।

(घ) धनोटा-धनचोली तथा छप्परा-मंत्री-बिहारीपुर क्षेत्रों में 50 मीटर गहराई की 20-40 लाख मैट्रिक टन लौह अयस्क की उपलभ्य राशियों की सूचना है । लौह मात्रा लगभग 60 प्रतिशत है ।

अलौह-धातुओं की मांग

5943. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश के बाजार में अलौह-धातुओं की कुल कितनी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो अलौह-धातु कुल कितनी मात्रा में सप्लाई किये जाते हैं तथा उनकी कितने प्रतिशत कमी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौ० राम सेवक) :

(क) और (ख) जी, हां, । देश में अलौह-धातुओं की मांग का निर्धारण अलौह-धातुओं के आयोजना दल द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1969 से शुरू होने वाली चौथी योजना के लिये विकास योजनाओं को रूप देने के सम्बन्ध में की गई है । अलौह धातुओं की, उन धातुओं के विषय में जिनके सम्बंध में निर्धारण किया जा रहा है, 1969-70 और 1973-74 की अनुमानित मांग तथा स्वदेशी सप्लाई नीचे दिखाई गई है । आंकड़े अन्तिम है और इन्हें अन्तिम रूप योजना आयोग में और विचार करने के पश्चात दिया जाएगा । यह वर्णनीय है कि विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने की स्थिति में स्वदेशी सप्लाई का आयात द्वारा आवर्धन किया जायेगा ।

अलौह-धातुओं की अनुमानित मांग तथा स्वदेशी सप्लाई

(मैट्रिक टनों में)

	1969-70	1973-74

धातु	मांग	स्वदेशी उत्पादन (रद्दी माल की उपलब्धता सहित)	मांग	स्वदेशी उत्पादन (रद्दी माल की उपलब्धता सहित)
एल्यूमिनियम +	184,000	137,000	315,000	359,000
तांबा	84,900	19,200	124,300	50,300
जस्ता	96,800	38,000	141,700	106,000
सीसा	66,600	16,700	97,400	50,400

+ (निर्यात के लिये व्यवस्था सम्मिलित है)

सीमेंन्ट का उत्पादन

5944. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेन्ट के विनियंत्रण के पश्चात् इसकी उत्पादन क्षमता में कुल कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 25 लाख 90 हजार मी० टन ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री लंका के साथ भारत का व्यापार

5945. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में श्रीलंका के साथ हमारे व्यापार से हमारी आय में वृद्धि हुई है ; और

(ख) श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) श्रीलंका के साथ एक व्यापार करार करने के अतिरिक्त, भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को भारत से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए फरवरी, 1966 में 2 करोड़ रुपये का क्रमवार ऋण तथा मशीनों, मशीनी औजार आदि के आयात के लिये अगस्त, 1967 में 5 करोड़ रुपये का एक अन्य ऋण दिया। यह निर्णय भी किया गया है कि आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति स्थापित की जाये, जिसे आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग के लिए निरंतर उपाय ढूढ़ने तथा क्रियान्विति का कार्य सौंपा जाये। कोलम्बो में शीघ्र ही भारतीय निर्यात उत्पादों की एक प्रदर्शनी की जा रही है जिससे श्रीलंका में आयातक भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की अनेक वस्तुओं को स्वयं देख सकें। श्रीलंका के टेंडर

नोटिसों तथा निर्यात अवसरों का भारत में काफी प्रचार किया जा रहा है ताकि उस देश की मांग की पूर्तियों के लिए हमारे निर्माता / निर्यातक भाव उद्घृत कर सकें।

आयातित रूई का वितरण

5947. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने आयातित रुई को मिलों में वितरित करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर लिया है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) मिलें 1965, 1966 तथा 1967 के किसी भी वर्ष की अवधि में अपने चालू तकुओं के आधार पर, विदेशी रुई (सार्वदेशिक तथा पी० एल०-480) के नियतन के लिए पात्र हों।

(2) संभरण के किसी भी प्रान्त से सार्वदेशिक रुई की अपनी आवश्यकतायें बताने के लिए मिलों को विकल्प दिया जाये।

(3) विदेशी रुई का आयात करने का विकल्प अपनाने वाली मिलें उन्हें आवंटित की गई रुई का आयात करने के लिए भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ के पक्ष में गारंटियां देंगी और दोषी पाये जाने पर उनका आबंटन समाप्त हो जायेगा।

(4) आबंटन वास्तविक उपभोग के लिए किया जायेगा। परन्तु आयातित पी० एल० 480 रुई की बिक्री, उधार अथवा हस्तांतरण करने की अनुमति होगी।

(ग) सरकार योजना पर विचार कर रही है।

आमों का निर्यात

5948. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को आमों के निर्यात बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत वर्ष कितने आमों का निर्यात किया गया था और उसका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) आमों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) 1966 में यूरोप के कुछ देशों में एक आम प्रतिनिधिमंडल, उन देशों में भारतीय आमों के विपणन की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए भेजा गया था।

(2) विदेशों को आमों के निर्यात पर एयर इण्डिया भाड़े में विशेष छूट दे रहा है।

(3) 1967 में राज्य व्यापार निगम ने यूरोपीय देशों को वाणिज्यिक स्तर पर आमों के निर्यात की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए समुद्र मार्ग से आमों की कुछ छोटी खेपें भेजी थी।

उन्होंने यूरोपीय देशों में स्थित हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को आमों के नमूने के पार्सल चुने हुए बहु-विभागीय भंडारों और होटलों में वितरण के लिए भेजे जिससे उनकी मांग का अनुमान लगाया जा सके।

हमारे आमों के व्यापक प्रचार के लिए उन्होंने दो विवरणिकाएं भी तैयार की है और उन्हें यूरोपीय देशों के बहु-विभागीय भंडारों और उपभोक्ताओं में वितरित किया है।

(4) आमों के निर्यात की तकनीक के विकास के लिये केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(ग) विगत वर्ष (1967-68) में 18,19 लाख रु० मूल्य के 1075 मे० टन आमों का निर्यात किया गया।

Industrial Development Loans given in Bihar

5949. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of individuals, firms and companies in Bihar who were given loans for the industrial development by the Government of Bihar during the last ten years from 1957 to 1967 ;

(b) the total amount given as loans by Government during the said period and the minimum and the maximum amount given as loan to a company ;

(c) whether it is a fact that loans were given to many bogus firms, companies and individuals and many did not establish industrial establishments in spite of getting loans ;

(d) if so, the names thereof and whether Government propose to take any action against them; and

(e) if so, the nature thereof ;

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) **to (e)** The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Railway Quarters at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur

5950. Shri Ramavatar Shastri ; Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that quarters have been constructed at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur for the North Eastern Railway employees ;

(b) if so, the number thereof separately ;

(c) the number of quarters which are fitted with electricity and electric fans and in which lavatories have also been provided;

(d) whether it is also a fact that lavatories have not been provided in over 100 quarters at Muzaffarpur, 100 quarters at Darbhanga and 150 quarters at Samastipur;

(e) if so, the reasons therefor; and

(f) the time by which lavatories would be provided in these quarters ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Total number of quarters constructed at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur are 717, 239 and 1127 respectively.

(c) 378, 9 and 432 quarters at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur respectively have been provided with electricity and electric fans.

(d) Lavatories have been provided in 697, 205 and 1094 quarters at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur respectively.

Lavatories have not been provided in 20, 34 and 33 quarters at Muzaffarpur, Darbhanga and Samastipur respectively. Community latrines, however, exist for these quarters.

(e) Quarters without lavatories are mostly old and non-standard.

(f) The non-standard quarters are brought to the standard types on a programmed basis subject to the availability of funds.

Night Duty Allowance to Carriage Staff of N.E. Railway

5951. Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Carriage staff of the North Eastern Railway at Samastipur, Muzaffarpur, Darbhanga, Narkatiaganj, Sonepore and Barauni has not been paid the balance of night duty allowance for the period from the 1st October, 1962 to 1st April, 1967 ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action Government propose to take for the payment of these arrears ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) :

(a), (b) and (c) With effect from 1.8.1962 and upto 1.4.1967, the nominated categories of Carriage and Wagon Depot were eligible for the grant of Night Duty Allowance, provided more then 16 originating or terminating goods trains were examined by them. In terms of this yardstick, the Carriage and Wagon Depot staff at Barauni Junction, Samastipur, Sonepur, Muzaffarpur, Darbhanga and Narkatiaganj, were not initially eligible for the allowance. Later, as a result of further scrutiny, it was found that the staff at the Carriage and Wagon Depots Narkatiaganj and Darbhanga qualified for the grant of the allowance from the years 1963 and 1965 respectively due to an increase in the number of trains. The number of staff and the amounts due to them are being worked out and the payment of the same is expected to be completed by the end of September, 1968.

On and from 1-4-67, the basis for eligibility of the night duty allowance has been liberalised. Now all Class III and IV staff drawing pay upto Rs.470/— who are classified 'Continuous' or 'Intensive' under the Hours of Employment Regulations, are eligible for the allowance and are being paid accordingly.

लघु रबड़ उत्पादकों सम्बन्धी समिति

5952. **श्री एस्थोस :** **श्री नायनार :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री विश्वनाथ मैनन :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु रबड़ उत्पादकों की समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने, जिसे रबड़ की चार हेक्टार की तथा उससे छोटी जोतों की अर्थ-व्यवस्था की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था । अपने प्रतिवेदन में ऐसी जोतों की वर्तमान दशा पर विस्तृत रूप से उल्लेख किया है और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सिफारिशें की हैं । उनकी मुख्य सिफारिशें ये हैं ; कम उपज वाले बागानों में अधिक उपज वाले बीज-पौधों का पुन: रोपण किया जाये छोटी जोत वालों के लिये नियत सहायता को केरल सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त छोटी जोतों पर भी लागू किया जाये, छोटी अलाभने कर इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जाये, भविष्य में अधिक उपज देने वाले बीज-पौधों को बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए पौधशालाओं का विस्तार किया जाये, क्षेत्रीय चुआई प्रशिक्षण स्कूलों का गठन किया जाये, छोटे तथा सस्ते धूम्रगृहों को छोटे उत्पादकों में लोकप्रिय बनाया जाये, जिन क्षेत्रों में रबड़ की जोतें अधिक हैं वहां सहकारी परिष्करण केन्द्रों का गठन किया जाये, छोटे उत्पादकों को दिये जाने वाले पुन: रोपण उपदान की मात्रा में वृद्धि की जाये, अधिक वित्तीय सहायता तथा अच्छी विपणन सुविधाओं के द्वारा रबड़ विपणन समितियों को प्रोत्साहन दिया जाये ।

(ग) समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

Enforcement of Metric System in India

5953. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri S.S. Kothari :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the metric system has been enforced all over India but not in Madras; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) The metric system has become legally compulsory throughout India, including Madras;

(b) The question does not arise.

रेलवे सम्बन्धी विज्ञापनों के लिये आधुनिक तरीका अपनाना

5954. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे सम्बन्धी विज्ञापनों के लिए रेलवे ने कोई आधुनिक तरीका अपनाया है और यदि हां तो उन तरीकों का ब्यौरा क्या है और उनके अपनाने से क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सामूहिक संचार के उन विविध माध्यमों से है जिनका प्रयोग रेलें अपने लाभ के लिए कर सकती हैं। रेलें प्रेस, रेडियो, सिनेमा स्लाइड, फिल्म, प्रदर्शनियों तथा पोस्टरों, इश्तिहारों, फोल्डरों, ब्राशरों, पेम्फलेटों आदि प्रकाशनों जैसे सामूहित संचार के सभी माध्यमों का इस्तेमाल कर रही हैं।

विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार कार्य इस प्रयोजन से किया जाता है कि रेलें राष्ट्र के जीवन में जनता की जो जो सेवाएं कर रही हैं, उनके प्रति जनता में अधिक जागरूकता पैदा की जा सके। लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस प्रचार-कार्य का क्या परिणाम रहा है।

भारतीय रेलों के स्वीकृत रेलवे अभिकरण

5955. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे की स्वीकृत सूची में, सम्मिलित भारतीय तथा विदेशी सहयोग वाले विज्ञापन अभिकरणों के नाम क्या है तथा उनके स्वामियों के नाम आदि क्या है;

(ख) स्वीकृत विज्ञापन अभिकरणों की सूची पिछली बार कब तैयार की गई थी, उनको स्वीकार करने की कसौटी क्या थी और स्वीकृति की विशिष्ट शर्तें क्या थीं ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक अभिकरण को (प्रत्येक रेलवे द्वारा अलग अलग) कितना-कितना अभिकरण कमीशन दिया गया ; और

(ग) इस सूची में कितनी अवधि के पश्चात पुनरीक्षण किया जाता है और अगली बार इसका पुनरीक्षण कब अपेक्षित है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) रेलों पर विज्ञापन एजेन्सियों की सेवाएं दो प्रयोजनों से प्रारम्भ की जा सकती है ;

(i) स्टेशन परिसरो, प्रकाशनों आदि रेलवे माध्यमों के लिए वाणिज्यिक विज्ञापनों के रूप में राजस्व उपार्जित करने के लिए, और

(ii) विज्ञापनों, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों आदि के लिए कला-कृतियां तैयार करने और लाभप्रद समझे जाने पर विज्ञापन अभियान के संचालन के लिए। रेलवे माध्यमों से वाणिज्यिक विज्ञापन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय रेलें उन सभी विज्ञापन एजेन्सियों को स्वत: मान्यता दे देती है, जो 'एडवटाइजिंग एजेन्सी एसोसिएट आफ इंडिया'' की सदस्य है और इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर्स सोसायटी द्वारा प्रत्याचित है। रेलें अनुमोदित विज्ञापन-एजेन्सियों की अलग सूची नहीं रखती है।

क्षेत्रीय रेलें जिस विज्ञापन एजेन्सी द्वारा कला-कृतियां तैयार कराती हैं उसे कोई अनुमोदन अथवा मान्यता नहीं देतीं।

इस सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुसार रेलें उन विज्ञापन एजेन्सियों का इस्तेमाल नहीं करतीं, जिन्हें विदेशी सहयोग मिला हुआ हो।

(क) सवाल नहीं उठता।

(ग) सूचना मंगायी जा रही है। मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सवाल नहीं उठता।

वाणिज्य मन्त्रालय में कर्मचारी

5956. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उनके मन्त्रालय के कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी फालतू पाये गये और उनके सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाने का विचार है ;

(ग) अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में कितने अतिरिक्त कर्मचारी (श्रेणी-वार) नियुक्त किये गये और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये हैं ; और

(घ) मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों आदि के साथ कार्य करने वाले फालतू कर्मचारियों का जिनके लिये उपयुक्त मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है, ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय के कुछ निदेशालयों तथा अनुभागों का 1967-68 के अन्त में सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु सर्वेक्षण के निष्कर्ष चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुए।

(ख) सर्वेक्षण की सिफारिशों के क्रियान्वित करने का इस समय निर्बल प्रभाव यह है कि तृतीय श्रेणी के पांच कर्मचारी फालतू हैं। वर्तमान निर्देशों के अनुसार ऐसे मामले को गृह मंत्रालय के फालतू कर्मचारी प्रकोष्ठ को पुन: नियोजन के लिये सौंपा जाता है।

(ग) 4.68 से 30-6-68 तक की अवधि में निम्नलिखित अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये।

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
1	4
2	6
3	3
योग	13

इसी अवधि में 7 राजपत्रित पद बनाये गये।

(घ) कोई नहीं ।

रेलवे मन्त्रालय में भ्रष्टाचार, घूस और चोरी के मामले

5957. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में 1 अप्रैल, 1968 से 20 जून, 1968 तक की अवधि में भ्रष्टाचार, घूस, चोरी तथा अन्य अपराधों के कितने मामलों का पता लगा;

(ख) उनमें कितने अधिकारियों (श्रेणी-वार) तथा गैर-अधिकारियों का हाथ था;

(ग) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये तथा कितने मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये ;

(घ) 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये, कितने मामलों में सजा दी गई तथा कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामले नहीं हों इसके लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

\+ **Dislocation of Rail Traffic in Assam due to Floods**

5958. **Shri Ramavatar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to heavy rains and floods in Assam, rail traffic has been dislocated at many places ;

(b) if so, whether Government have taken any protective measures in view of the havoc caused by the floods last year so that the damage could not be caused and traffic not dislocated this year;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the estimated damage caused by the flood at these places ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha):

(a) & (b) Yes. Rail traffic was dislocated at nine places. Protective measures wherever found necessary to safeguard Railway lines have been taken.

(c) Does not arise.

(d) Rs.1.59 lakhs approximately.

भारत में निर्मित मिश्र धातुओं तथा विशेष इस्पात का मानकीकरण

5959. **श्री गाडिलिंगन गौड़ : श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री शिवप्पा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जो मिश्र धातुएं तथा विशेष इस्पात तैयार किया जा रहा

वह मानक के अनुसार नहीं है और इससे इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में पसन्द नहीं किया जाता है और ये प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं ;

(ख) क्या इन उत्पादों को विदेशी बाजारों में भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) भारत में इन उत्पादों का कुल कितना उत्पादन होता है और इसमें से कितनी मात्रा की भारत में ही खपत होती है और इसमें से कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है ;

(घ) प्रति वर्ष इन उत्पादों की कुल कितनी मात्रा का आयात किया जाता है ; और,

(ङ) इन उत्पादों के प्रतियोगिता करने की सामर्थ्य बढ़ाने के लिये इन उत्पादों का मानक निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी; नहीं। यह सत्य नहीं है कि देश में तैयार होने वाला सारा मिश्र और विशेष इस्पात घटिया किस्म का है। साधारणत: मिश्र-इस्पात कारखानों द्वारा तैयार किये जाने वाले इस्पात की क्वालिटी बिलकुल सन्तोषजनक है परन्तु ऐसा हो सकता है कि कुछ दूसरे कारखानों का माल उस क्वालिटी का न हो। इसलिये घटिया किस्म का होने के कारण इनके बदनाम होने तथा कम प्रतियोगितामूलक होने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि विदेशों को इस प्रकार का इस्पात निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में औजारी मिश्र और विशेष इस्पात का कुल आयात इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (हजार रुपये)	
1965-66	129,459	204,931	
1966-67	85,552	235,054	अवमूल्यन के बाद
1967-68	81,704	271,353	

(ङ) भारतीय मानक संस्था ने मिश्र और विशेष इस्पात की अधिकांश किस्मों का मानकीकरण कर दिया है और कई पुस्तिकाएं भी निकाली है। भारतीय उत्पादकों से कहा गया है कि वे इस प्रकार का इस्पात भारतीय मानक संस्था के निर्देशन के अनुसार बनायें।

लातीनी अमरीका को निर्यात

5960. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में लातीनी अमरीका के देशों को हमारा निर्यात बहुत कम हो गया है; और यदि हां, तो कितने मूल्य का निर्यात कम हुआ है; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। 1966-67 में हमारा निर्यात 9.94 करोड़ रु० था जो घटकर 1967-68 में 5.44 करोड़ रु० रह गया।

(ख) इन देशों को किये जाने वाले हमारे निर्यात में पटसन का माल मुख्य होता है। गत कुछ वर्षों में ब्राजील तथा पेरू में पटसन उद्योग का काफी विकास हुआ है। लेफ्टा (लातीनी अमरीकी मुक्त व्यापार संघ) संधि के अन्तर्गत उनके पटसन का माल अन्य लातीनी देशों में आयात शुल्कों के बिना जा सकता है और इसका हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार लातीनी देशों को हमारे निर्यात का विविधीकरण करने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर रही है। हाल ही में ब्राजील तथा अर्जन्टीना के साथ व्यापार करार किये गये हैं। भारत ने लीमा (पेरू) में प्रशांत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया है। रेलवे उपकरणों की पूर्ति के लिये राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि उरुग्वे भेजा गया है। लातीनी अमरीकी देशों को अन्य भारतीय व्यापार तथा निर्यात सम्वर्धन प्रतिनिधिमण्डल भेजने का आयोजन भी किया जा रहा है।

दिल्ली में कोयले की वैगनों की सप्लाई

5961. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जून 1968 में थोक व्यापारियों ने फूट कर व्यापारियों को कोयले की वैगनें सप्लाई नहीं की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ग्रीष्म ऋतु में मूल्य कम होते हैं तो बड़े व्यापारी कोयले की वैगनें को उपयुक्त सप्लाई नहीं करते जिसके कारण कोयले को अत्यधिक कमी हो जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़े व्यापारी नई दिल्ली में अजमेरी गेट के रेलवे स्टेशन यार्ड पर कई दिनों तक अपनी वैगनों के माल नहीं उतारते ;

(घ) क्या इन अर्थों में बड़े पैमाने पर चोर बाजारी हो रही है कि कोयले की वैगनें वास्तविक ग्राहकों को सप्लाई नहीं की जाती और बाजार में अन्य व्यक्तियों को सप्लाई की जाती है और वे अधिक मूल्य लेते हैं ;

(ङ) क्या ऐसे व्यापारियों के लाइसेन्स रद्द करने के द्वारा कोई सख्त कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है, कि दिल्ली के नागरिकों को कोयले की सप्लाई ठीक ढङ्ग से की जाये ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के उपमन्त्री (चौ० राम सेवक) : (क) और (ख) जी, नहीं। कमी, जून, 1968 में रेलवे विभाग द्वारा कोयले के लिए कम संख्या में वैगनों के दिये जाने के कारण थी, जिसका कारण वैगनों का अधिक संख्या में खाद्य पदार्थों के चालन के लिये लगाया जाना था।

(ग) जी, नहीं ।

(घ), (ङ) और (च) यद्यपि, कोयले और कोक के वितरण तथा मूल्यों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है फिर भी दिल्ली में आयातकों द्वारा कोयला/कोक केवल लाइसेन्स प्राप्त खुदरा व्यापारियों या उद्योगों, होटलों आदि जैसे वास्तविक उपभोक्ताओं को दिया जाना जरूरी है, जिससे कि सामान्यत: कोयले/कोक के मूल्य उचित सीमा के भीतर सुनिश्चित रहें । कोयले की निरन्तर तथा पर्याप्त बनाये रखने के विचार से, दिल्ली प्रशासन ने व्यापारियों को लाइसेन्स देने तथा उपयुक्त आयातकों को वैगनों का आवंटन करके अधिप्राप्ति की आयोजना की प्रथा को बनाये रखा है । यदि आयातक अपने कोटे का 50 प्रतिशत भी प्राप्त करने में असफल रहें तो उनको दिया गया वैगनों का कोटा कम कर दिया जाता है और इस प्रकार निर्मुक्त हुए वैगन अन्य आयातकों को या व्यापार में नवागतों को आवंटित किये जाते हैं । इस समय दिल्ली को कोयले कौक की सप्लाई स्थानीय मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है ।

पूर्व रेलवे, कलकत्ता के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक के कार्यालय के क्लर्कों के पदोन्नति

5962. **श्री नम्बियार :** **श्री चक्रपाणि :**

श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री गनेश घोष :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे कलकत्ता के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय की दावा शाखा (क्लेम्स ब्रांच) पिछले 15 वर्षों से निम्न वेतनक्रम में कार्य कर रहे बहुत से क्लर्कों को उच्च वेतनक्रम नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इन क्लर्कों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 93

(ग), (घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान उस आश्वासन की ओर दिलाया जाता है जो लोक सभा में 22-12-67 को सर्वश्री भगवान दास नम्बियार, के० एच० अब्राहम और के० रमानी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 5477 के सम्बन्ध में पूरा किया गया था ।

पश्चिम रेलवे के इतर(फारिन) यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में अधिक भाड़ा लेने के दावे-पत्रों का जमा होना

5963. **श्री नम्बियार :** क्या **रेलवे** मंत्री 26 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के फारिन (इतर) यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली में अधिक भाड़ा लेने के एक हजार से अधिक दावा पत्र कर्मचारियों की कमी के कारण पड़े हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यालय में ड्यूटी सूची के अनुसार कर्मचारियों की कमी है; और

(ग) पश्चिम रेलवे के इतर (फारिन) यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों के प्रति इस अन्याय के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) अतिप्रभार की कितनी पर्चियां आती हैं, कितनी निबटाई जाती हैं और कितनी बाकी रह जाती हैं, इनकी संख्या एक सी नहीं रहती । अगस्त के तीसरे सप्ताह में 640 पर्चियां बकाया होने का मुख्य कारण यह था कि मई, 1968 से जुलाई, 1968 तक आवतियों की संख्या बहुत अधिक रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित बाह्य यातायात लेखा कार्यालय में फालतू कर्मचारी

5964. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली की प्रत्येक शाखा में कितने-कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है; और

(ख) यदि कर्मचारी काम न होने के कारण बेकार नहीं बैठे रहते, तो उन्हें किन कारणों से फालतू घोषित किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) माल शाखा 34 कोचिंग शाखा 8

(ख) ये कर्मचारी यातायात लेखा प्रक्रिया के सरलीकरण और यांत्रिकीकरण के कारण फालतू हो गये हैं । लेकिन जब तक इन्हें वैकल्पिक पदों पर समाहित नहीं किया जाता जब तक इनसे दूसरा काम लिया जा रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हानि

5965. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 1968-69 में होने वाली हानि उसे 1967-68 में हुई हानि से लगभग दुगुनी होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कारखाने के पास कितने मूल्य का इस्पात का सामान बिना बिके पड़ा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1968-69 में कितनी हानि होगी । यह उत्पादन कार्यक्रम, विपणन तथा अन्य बातों पर निर्भर होगा ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पास 1-7-1968 को लगभग 57,000 मीटरी टन इस्पात का सामान बिना बिके पड़ा था ।

Foreign Collaboration

5967. **Shri Sharda Nand :** **Shri T.P. Shah :**

Shri Gopal Saboo : **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of factories running with foreign collaboration and the details of goods being manufactured by them ;

(b) the number of such factories in private sector and public sectors, separately, the amount of foreign capital invested therein and the number of foreigners in India who are working under these collaboration agreements as at present; and

(c) the steps taken by Government during the last one year to reduce the cases of foreign collaboration and to do away with it finally?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):

(a) & (b) It would be extremely time consuming and would take considerably long time to collect the information.

(c) Foreign collaboration in the fields, where indigenous know-how is available or is likely to be developed in the near future is not allowed. Greater stress on research and development within the country is laid at the time of approving collaboration. While according Government's approval for foreign collaboration a condition is imposed that the Indian Company should set up a design and research organisation with a view to achieve self-reliance within the period of collaboration agreed to and that no extension of the period of agreement will be granted.

उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय के मशीन सेक्सन में कनसोल आपरेटरों का चुनाव

5968. **श्री सत्यनारायण सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनसोल आपरेटर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का चयन के बिना नाम निर्देश किया गया था और इस पद का चयन लोक सभा में इसके बारे में प्रश्न उठाये जाने के बाद ही किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्धारित योग्यता में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कार्यालय के कुछ अधिक योग्यता प्राप्त कर्मचारियों ने अपनी चयन की पात्रता के बारे में दिये गये आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये अभ्यावेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों के अभ्यावेदन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) से (ङ) जब पहले-पहल फरवरी, 1967 में उत्तर रेलवे में कन्सोल आपरेटरों के पद मंजूर किये गये थे उस समय उनको भरने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन यह नियम रखा गया था कि कर्मचारियों को यूनिट रिकार्ड मशीन की जानकारी होनी चाहिये और उन्हें उपस्कर सप्लाई करने वालों द्वारा निर्धारित कम्प्यूटरकार्य की मानक रुचि परीक्षा देनी होगी। यूनिट रिकार्ड मशीन की जानकारी वाले 12 वरिष्ठ व्यक्तियों में से केवल 2 व्यक्ति रुचि परीक्षा के मानक स्तर तक पहुँचे। बाद में उनमें से एक ने कहा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और दूसरे को मई, 1967 में जब कम्प्यूटर लगा तो, अन्तिम प्रवरण होने तक, अस्थायी तौर पर, कंसोल आपरेटर के पद पर रख लिया गया। अगस्त, 1967 में कंसोल आपरेटरों के पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित करते हुए सामान्य आदेश जारी किये गये और इन आदेशों में खासतौर पर यह निर्धारित किया गया कि पहले बताये गये आधार पर जो कर्मचारी चुने जा चुके हैं, उनको न हटाया जाये। मई, 1967 में जिस कर्मचारी को रुचि परीक्षा पास करने के बाद कंसोल आपरेटर के रूप में रखा गया था, उसे इसी प्रकार की छूट दी गई थी।

7-5-1968 को लोक सभा में प्रश्न 9909 का उत्तर देने से पहले अगस्त 1967 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के आधार पर प्रवरण के लिए कदम उठाये जा चुके थे और पात्र कर्मचारियों को 27-2-68 को रुचि परीक्षा के लिये भेजा गया। प्रवरण के पात्र जिन कर्मचारियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, उन सभी के नामों पर विचार किया गया।

\+ **Indian Iron and Steel Company Ltd.**

5969. Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri J.B. Singh : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Indian Iron and Steel Co. Ltd. had given 17 per-cent dividend to its shareholders some years ago ;

(b) whether it is also a fact that the dividend was reduced to 8 percent in 1966 and it was further reduced to nil in 1967-68; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps so far taken by Government in this regard after ascertaining the facts ?

Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)

(a) & (b) Yes Sir. The rate of dividend declared by the company for the three

years ending 31st March, 1964 to 31st March, 1966 was 17 percent in relation to its ordinary shares. The corresponding figures for the years 1966-67 and 1967-68 are 8.5 percent and nil respectively.

(c) In absolute terms the dividend declared by the Company for the year ending 31st March, 1967 was the same as in the previous year. But due to doubling of ordinary share capital of the company on account of issuing of bonus shares in the ratio of 1:1 during the year the rate of dividend declared in relation to the ordinary share capital got reduced by half to 8.5 percent. For the year ending 31st March, 1968, however, the Board of Directors of the Company decided not to declare any dividend due to decline in profits before taxation from Rs. 5.5 crores in 1966-67 to Rs. 1 crore for 1967-68. The Directors have attributed the decline in profits, in the main, to lower output, lower turnover and increase in labour costs. Accordingly, in the Notice issued by the Company on July 23, 1968, the Board of Directors indicated that prior and unavoidable commitments in regard both to capital expenditure and loan repayments prohibit distribution of the Company's reduced cash resources.

On the material at present available with the Government no action on the part of the government, is called for.

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

5970. **श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में दक्षिण कोरिया गणतंत्र के किसी प्रतिनिधि-मण्डल के साथ हाल में वार्ता हुई थी।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय भारत का दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के साथ अलग-अलग कुल कितना व्यापार होता है ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) जी, हां। कोरिया गणतंत्र के एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मंडल से दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मामलों पर 6 से 8 अगस्त, 1968 तक बातचीत की। दोनों प्रतिनिधि मण्डलों के बीच हुई वार्ता के सम्मत कार्यवृत्त की प्रतियां तथा व्यापार सम्बन्धी बातचीत के बाद जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) 1967-68 में कोरिया गणतंत्र को हमारा निर्यात तथा वहां से किया गया आयात क्रमश: 133.49 लाख रुपये तथा 40.51 लाख रुपये के लगभग था। इस अवधि में उत्तर कोरिया को हमने कुछ भी निर्यात तथा वहां से कुछ भी आयात नहीं किया।

आंध्र स्थित संयन्त्र के लिए मशीनें सप्लाई करने के लिए भारत-चेकोस्लोवाकिया समझौता

5971. **श्री चंगलराया नायडू :** **श्री अम्बचेजियान :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र स्थित संयन्त्र के लिए मशीनों की सप्लाई के सम्बन्ध में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) समझौते के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया सरकार द्वारा कितनी सहायता दिये जाने की व्यवस्था है; और

(घ) भारत हैवी प्लेट एण्ड वसेल्स लिमिटेड द्वारा कौन-कौन सी वस्तुएं बनाई जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दि स्कोडक्सपोर्ट फारेन ट्रेड कारपोरेशन, चेकोस्लोवाकिया, जिसके कम्पनी ने करार किया है संयन्त्र द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ करने के लिए मशीनें, उपकरण तथा प्रतिमानित सहायक सामान सहित उपकरण तथा यन्त्र, लंगर डालने की सामग्री और फालतू हिस्से तथा प्रलेखों सहित विशेष सहायक सामान देगा। वह अपने द्वारा दिये गये मशीनों और साज़-सामान को लगाने के लिए तकनीकी सहयोग भी देगा।

(ग) करार के अन्तर्गत जिसमें स्कोडाएक्सपोर्ट द्वारा दी जानेवाली मशीनों उपकरणों और यन्त्रों जिनमें स्टैंडर्ड सहायक सामान, लंगर डालने की सामग्री, फालतू हिस्से तथा विशेष सहायक सामान सम्मिलित है, यूरोप के पत्तन पर जहाज तक पहुँचाने का कुल क्रयमूल्य 2,02,27,904 रु० होगा जिसका भुगतान चेकोस्लोवाकिया के समाजवादी गणतंत्र द्वारा "आर्थिक करार 1959" के अन्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृत ऋण में से किया जायेगा; और

(घ) यह कम्पनी उर्वरक, पैट्रोरसायन तथा अन्य रसायन उद्योगों जैसे विभिन्न किस्मों के स्तंभों, पेशर, वैसल्स, हीट एक्सचेंजों तथा डिपेंडेंस आदि के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण करेगी।

कोरबा एल्यूमीनियम कारखाने को बिजली सप्लाई करने के लिये करार

5972. **श्री भारत सिंह चौहान : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमीनियम कम्पनी ने कोरबा में अपने प्रस्तावित एल्यूमीनियम कारखाने के लिए बिजली के संभरण हेतु मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के साथ कोई पक्का करार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और वह ऐसा कब करना चाहते हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौ० रामसेवक) : (क) और (ख) कोरवा (मध्य प्रदेश) एल्यूमिनियम प्रायोजना के लिये बिजली की सप्लाई के लिये समझौते को अंतिम

रूप देने के सम्बन्ध में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकारियों के मध्य बातचीत काफी आगे पहुँच चुकी हैं और जल्द ही समझौता सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है।

सतपुड़ा तापीय बिजली घर के लिये कोयले का सम्भरण

5973. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पथखेड़ा कोयला खान के अतिरिक्त कोयला प्राप्त करने के प्रबन्ध समय पर पूरा कर लेगी ताकि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र की आवश्यकतायें पूरी हो सकें ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौ० राम सेवक) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सतपुड़ा तापीय बिजली घर की प्रावस्थानुसार आवश्यकताओं को, पत्थरखेड़ा कोयला खान से पूरा करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लिये हैं और वर्तमान संकेतों के अनुसार कोई कठिनाई दिखाई नहीं दे रही। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के सतपुड़ा तापीय बिजली घर की आवश्यकताओं में भविष्य में होने वाली सम्भावित वृद्धि को पूरा करने के लिए खान में दो नये झुकाव के कटाव के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

नाइट्रिक एशिड तैयार करने वाले छोटे पैमाने के उद्योग में संकट

5974. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडियम नाइट्रेट के मूल्य चौगुने हो जाने के कारण नाइट्रिक एसिड तैयार करने वाले छोटे पैमाने के उद्योग में संकट पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह संकट इस वर्ष सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 60 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है;

(ग) क्या सोडियम नाइट्रेट जो कि नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ के मूल्यों में असामान्य वृद्धि होने के कारण देश में नाइट्रिक एसिड तैयार करने वाले बहुत से छोटे पैमाने के उद्योगों के बन्द हो जाने का खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो नाइट्रिक एसिड के छोटे निर्माताओं की सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) उस रसायन पर जिसका पहले उर्वरक के रूप में बिना शुल्क दिये आयात किया जाता था अब औद्योगिक इस्तेमाल के लिये आयात किये जाने पर सीमा शुल्क लगा दिये जाने के कारण सोडियम नाइट्रेट के मूल्य में वृद्धि हो गई है। लघु एककों के पास से सोडियम नाइट्रेट न मिलने और उसके मूल्य अधिक होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) और (घ) लघु एककों की सहायता करने के लिये राज्य निगम ने 1,800 टन सोडियम नाइट्रेट का आयात करने का प्रबन्ध कर लिया है।

Factories Registered With D. G. T. D.

5975. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the names of the factories registered with the Directorate-General of Technical Development upto July, 1968 and the respective dates on which each one of them was registered .

(b) the articles produced by these factories and the quantity thereof produced annually;

(c) the basis on which assitance in the shape of loan or grant is given to these factories by Government;

(d) whether Government have any control over the production of these factories; and

(e) if so, the percentage of production on which Government exercise control in the case of each fatcory ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)

(a) The names of the industrial units registered with DGTD are published perido ically in the Hand Books of Indigenous manufacturers of (i) Engineering Stores and (ii) Chemical and Miscellaneous Stores which are priced publications.

(b) The articles produced by these units are also indicated in the above publications. The annual production of various industries are given in the Annual Reports of D. G. T. D. which are also priced publications.

(c) No loan or grant is given by Government to these units.

(d) & (e) No, Sir, except to the indirect extent that production is affected by the quantum of such raw materials as have to be allocated by the D. G. S. & D. either because they are of the imported variety or are in scarce supply.

Central Small Industries Corporation, Indore

5976. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the nature and amount of loan, assistance or grant provided by the Small Industries Service Institute situated at the Central small Industries Corporation, Indore to small industries located in Uttar Pradesh and other States in 1966-67 and 1967-68 and the names of these industries;

(b) the amount of loan, assistance or grant proposed to be granted to such industries in 1968-69 and the names thereof; and

(c) the full details in this regard ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhrudin Ali Ahmed) :

(a) Direct financial assistance to small scale industrial units is not rendered by the Small Industries Service Institutes. As such no loans or grants have been advanhed by the Small Industries Service Institute, Indore to small scale units.

(b) and (c) Do not arise.

Capital Finance of India (P) Ltd.

5977. Shri J. B. Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Shri T. P. Shah :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the date when the Capital Finance of India (P) Ltd., Financer and Automobile Dealer, was established and the number of persons holding share in the said company along with the number of shares held by each and the places where its offices are located in Delhi ;

(b) whether it is a fact that the share money is not being returned to the shareholders in spite of its being demanded by them ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to look into the fact that the Managing Director of the said company has purchased shares worth about five lakhs of rupees in the Bharat Steel India Limited, 14-F Connaught Place, New Delhi with the amount deposited in the Capital Finance India (Private) Limited and he has got a house constructed for him with this share capital ;

(e) whether Government propose to intervene to ensure the refund of share-money to the shareholders by Capital Finance of India (Private) Limited ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) The Capital Finance of India (P) Ltd., was originally registered at Lahore on 4th April, 1946 and soon after partition it was revived in India under the Displaced Persons (Debt Adjustment) Act. The shareholders of this company and their respective holdings are given below :

Shri R. P. Kapoor	3,300
Mrs. Raj Kapoor	200
Master Bharat Kapoor	100

The company's registered office is situated at A—2/11 Safdarjang Extension, New Delhi. Department of Company Affairs has no knowledge as to whether company is maintaining any office other than its registered office.

(b) The share capital of a company cannot be refunded under the Companies Act, even if the shareholders ask for the refund.

(c) The Companies Act, 1956 prohibits refund of share capital unless the company proposes to reduce its capital which is in excess of its wants. The shareholders can only participate in the surplus, if any, when the company is wound up.

(d) The company has purchased the share worth Rs. 5 lakhs in the Bharat Steel Tubes Limited. The Department of Company Affairs has no information as regards the construction of a building by the company's managing director.

(e) & (f) The Government has no power to ask the company to refund the share money to the shareholders. As has already been mentioned in (b) and (c) above that a company cannot refund its share capital.

Loss of Railway Property

5978. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of the Railway property stolen, lost or damaged during the last one year ;

(b) the amount of compensation paid by the Railway Department therefor;

(c) the quantity of the goods recovered and the number of persons arrested in this connection; and

(d) the action taken by Government to reduce the number of such incidents during the last one year ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a), (b), (c) & **(d)** The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

समस्तीपुर के मैकेनीकल वर्कशापों में पदों की वर्गोन्नति

5979. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर, गोरखपुर और इज्जतनगर के मैकेनीकल वर्कशापों के कर्मचारियों के पदों की वर्गोन्नति कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और समस्तीपुर में वर्गोन्नति के आदेशों को कब से क्रियांवित रूप में लाया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी :

समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में रेलवे के एक डिविजन मुख्यालय की स्थापना

5980. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर तथा मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर कुल कर्मचारियों की संख्या, रेलवे भूमि का कुल क्षेत्र आने और जाने वाली कुल गाड़ियों की संख्या, अस्पताल तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं तथा विभिन्न दिशाओं के लिये सीधी गाड़ियाँ पकड़ने की सुविधाओं सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) रेलवे के डिविजन का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय करने के लिये अन्य किन बातों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) उक्त दोनों स्थानों में से एक में डिविजनल सुपरिटेन्डेन्ट का कार्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6941/68**]

(ख) मण्डल मुख्यालयों का चुनाव करते समय मुख्यत: परिचालन और प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से विचार किया जाता है।

(ग) 13-6-68 को पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मण्डलीकरण के लिये जारी की गई अधिसूचना, बाद में 4-7-1968 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा रद्द कर दी गई है। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डलीकरण के प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई

5981. **श्री ब्रज राज सिंह कोटा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1968 के अन्त तक पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान से रेलों द्वारा कुल कितने टन खाद्यान्न की ढुलाई की गई?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : अप्रैल से जून, 1968 तक की अवधि में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से रेलों द्वारा 15,89,279 मीटरिक टन खाद्यानों की ढुलाई की गई।

भारत में विदेशी मलकियत वाली चाय कम्पनियां

5982. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8329 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच ऐसी चाय कम्पनियों को, जिनके मालिक विदेशी हैं गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष दी जाने वाली विदेशी मुद्रा और उनके द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष की राशि विदेशों को भेजी गई लाभ सम्बन्धी जानकारी एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आवश्यक जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जानी है और इस कार्य में कुछ समय लगेगा

लाइसेन्सों का जारी किया जाना

5983. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फर्मों को जारी किये गये लाइसेन्सों के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चूंकि अपेक्षित आंकड़े कई स्थानों से प्राप्त करने होंगे अतः अभी तक पूर्ण जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है।

मफतलाल उद्योग समिति को लाइसेन्स देना

5984. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 30 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मफतलाल उद्योग समूह को लाइसेन्स देने सम्बन्धी जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चूंकि सूचना बहुत से साधनों से एकत्र करनी है, अतः सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

विदेशी तथा भारतीय चाय कम्पनियां

5985. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8179 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विदेशियों और भारतीयों की मलकीयत में चाय कंपनियों में लगी पूंजी के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आवश्यक जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जानी है और इस कार्य में कुछ अधिक समय लगेगा।

औद्योगिक विकास की गति

5986. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किये जाने वाले औद्योगिक विकास की गति के सम्बन्ध में कोई अस्थायी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अस्थायी प्रगति का निर्णय किया गया है;

(ग) औद्योगिक विकास की इस गति को प्राप्त करने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का अनुमानित परिव्यय कितना है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास की गति क्या होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की मई, 1968 की बैठक में सामान्य रूप से यह महसूस किया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का ब्यौरा तैयार करने में 8-10 प्रतिशत विकास की गति का लक्ष्य रखा जाना चाहिये ।

(ग) इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये चौथी योजना के लक्ष्यों का निश्चय सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में होने वाले परिव्यय के साथ-साथ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही किया जायेगा ।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में विकास की गति 5 6 प्रतिशत तक प्राप्त करना संभव हो सकता है ।

खनिज पदार्थों पर रायल्टी में वृद्धि

5987. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला तथा लौह अयस्क को छोड़ कर मुख्य खनिज पदार्थों पर रायल्टी की दर बढ़ाने का हाल में निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में कितनी दर बढ़ाई जायेगी; और

(ग) इससे प्रत्येक अयस्क की उत्पादन लागत कहाँ तक बढ़ेगी तथा इससे विभिन्न खनिज पदार्थों के निर्यात पर कहाँ तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौ० राम सेवक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना 23 जुलाई, 1968 को श्री हरदयाल देवगुण द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी ।

(ग) लौह अयस्क, मैंगनीज-अयस्क, अभ्रक, कोयला, हीरे तथा बहुमूल्य और मध्यम बहुमूल्य पत्थरों आदि जैसे महत्व के निर्यातोन्मुख खनिजों के विषय में, जो कि 1967 में निर्यात किये गये खनिजों का 95 प्रतिशत भाग थे, स्वामित्व दरों में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई है । बाकी खनिजों के विषय में, क्योंकि दरें अभी हाल ही में बढ़ाई गई हैं, इस कारण स्वामित्व दरों में वृद्धि का उत्पादन लागत पर तथा खनिजों के निर्यात पर जो प्रभाव हुआ उसका निर्धारण करना संभव नहीं है ।

भारतीय रेलों के खिलाड़ियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां

5989. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय रेलों के उन खिलाड़ियों को अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने के लिये आदेश जारी किये हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में रेलवे का प्रतिनिधित्व किया है और उच्च स्थान प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कुछ खिलाड़ियों को, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किये थे, वेतन वृद्धियाँ नहीं दी गई हैं, जबकि उन कर्मचारियों को, जिन्होंने उत्तर रेलवे से भिन्न अन्य रेलों का प्रतिनिधित्व किया था और दूसरे तीसरे स्थान प्राप्त किये थे, वेतन वृद्धियाँ दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उपेक्षित कर्मचारियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित खिलाड़ियों के कुल कार्य और विजय-श्री प्राप्त करने में उनके योगदान के साथ-साथ इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पहले ही पुरस्कृत हो चुके हैं, यह निश्चय किया गया कि अग्रिम वेतन-वृद्धियां न दी जायें । चूंकि इन मामलों में रेल प्रशासन प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करते हैं, इसलिये यह कहना संभव नहीं है कि ऐसी कोई असंगति पैदा हुई है ।

रेलवे मन्त्रालय के कर्मचारियों को आवास

5990. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के पूर्व रेलवे मुख्यालयों, डिवीजनल और अतिरिक्त डिवीजनल कार्यालयों में काम करने वाले कितने रेलवे मन्त्रालय के कर्मचारियों को रेलवे से निवास स्थान प्राप्त हुये हैं ;

(ख) उपरोक्त मांग (क) में उल्लेख किये गये कर्मचारियों में से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको निवास स्थान नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या निवास स्थान के आबंटन के लिए इस श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ठहरने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करने के बारे में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) 1,148

(ख) 4,253

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस काम के लिये उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टर बनाने का विचार है ।

रेलवे के स्थान पर मोटर गाडियों द्वारा माल भेजना

5991. **डा० ज्ञानेन सेन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में रेलवे के स्थान पर सड़क द्वारा माल भेजे जाने के कारण रेलवे को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कितनी हानि हुई ;

(ग) चालू वर्ष में कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) इस हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) हाल के वर्षों में रेलों का कुछ यातायात सड़क परिवहन के पास चला गया है और इससे रेलों को कुछ संभाव्य राजस्व की हानि जरूर हुई है।

(ख) और (ग) सड़क परिवहन के निरंतर विकास के अतिरिक्त, यातायात का परिणाम तरह-तरह की अनेक बातों पर निर्भर होता है, जैसे उत्पादन और बिकाऊ फालतू माल की मात्रा और अर्थ व्यवस्था की सामान्य स्थिति। यह बताना अत्यन्त कठिन है कि रेलवे के यातायात और आमदनी पर सड़क प्रतियोगिता का क्या प्रभाव पड़ा है। इस बात के संकेत है कि इस प्रतियोगिता से रेलवे राजस्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन इसके कारण आमदनी को कितनी हानि है, इसका सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(घ) सेवा के स्तर में सुधार करने के लिये रेलें बराबर प्रयत्नशील हैं। माल डिब्बों की समय पर सप्लाई हो और माल भेजने में समय कम लगें—ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार ध्यान दिया जाता है। नई दिल्ली और कानपुर ब्रिज नयी दिल्ली और मद्रास, नई दिल्ली और हावड़ा, वाडी बन्दर और मद्रास, वाडी बन्दर और शालीमार जैसे स्टेशनों के बीच सुपर-एक्सप्रेस मालगाड़ियां चलायी गयी हैं, ताकि यथा सम्भव कम से कम समय में माल गन्तव्य स्टेशन पर पहुँच जाये। मध्य रेलवे में कुछ अत्यधिक तेज माल गाड़ियां चलाई गई हैं; वे गन्तव्य पर पहुँचने में उतना ही समय लेती है जितना कि तेज सवारी गाड़ियां। रास्ते में माल की हानि और क्षति को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। अपर असम से कलकत्ता तक चलने वाली 'टी स्पेशले गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का पहरा रहता है ताकि रास्ते में माल की हिफाजत रहे। वाणिज्यिक दृष्टि से जहाँ कहीं उचित होता है, वहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की दरें भी घटा दी जाती है। ग्राहक को रेल एवं सड़क परिवहन को संयुक्त सुविधा प्रदान करने के लिए माल उठाने और सुपुर्द करने की व्यवस्था की जाती है। कलकत्ता क्षेत्र में एक चलती-फिरती बुकिंग सेवा चालू की गई हैं; जिससे माल गोदाम की सुविधायें प्रायः व्यापारियों के परिसरों तक पहुँच गई हैं। असम के कुछ चाय बागानों में एक 'गार्डन कलेक्शन सर्विस' चालू की गई है। घर से माल उठाने और उसे घर तक पहुँचाने और महंगे पैकिंग को खत्म करने और साथ ही रास्ते में माल को क्षति और चोरी से बचाने के लिए बम्बई-अहमदाबाद, बम्बई-नई दिल्ली, ग्वालियर-नई दिल्ली और नई दिल्ली-कानपुर के बीच कन्टेनर सेवाएं चालू की गई है। बाजार सम्बन्धी अनुसंधान करने और यातायात की खोज और विकास के लिए प्रत्येक रेलवे में एक विपणन एवं सङ्गठन बनाया गया है।

कनाडा की एक फर्म के सहयोग से परामर्शदात्री सेवा

5992. **डा० रानेन सेन :** **श्री चेंगला राय नायडू :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की किसी फर्म ने बम्बई की एक फर्म के सहयोग से भारत में एक परामर्शदातृ सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कनाडा फर्म ने क्या शर्त रखी हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें ये हैं :—

(1) जल तापीय तथा नाभिकीय विद्युत इन्जीनियरी के क्षेत्र में परामर्श देने वाली इंजीनियरी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक भारतीय कंपनी स्थापित की जायेगी ; और(2) प्रस्तावित नई कंपनी में कनाडा की फर्म के इक्युटी पूंजी में अधिकांश अश होंगे।

(ग) ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

कानपुर-दिल्ली रेलवे सैक्शन का विद्युतीकरण

5993. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली लाइन के कानपुर-दिल्ली सैक्शन के विद्युतीकरण का काम अगले वर्ष तक पूरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) कानपुर-दिल्ली खण्ड पर विद्युतीकरण का काम पूरा करने के लिये कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, कानपुर-टुण्डला खण्ड पर यह काम जारी है और आशा है 1970-71 में किसी समय इस खण्ड पर बिजली-गाड़ियां चलने लगेंगी। टुण्डला-दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) कानपुर-टुण्डला खण्ड के विद्युतीकरण की लागत 15.1 करोड़ रुपये हैं जिसमें चल-स्टाक की लागत शामिल नहीं है। टूण्डला दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण को अनुमानित लागत का हिसाब अभी नहीं लगाया गया है।

चौकीदार वाले रेल फाटकों पर टेलीफोन की सुविधायें

5994. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कितनी है जहाँ टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और चौकीदार वाले कुछ फाटकों की तुलना में उनकी प्रतिशत क्या है; और

(ख) इन रेल फाटकों पर ये सुविधायें कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) चौकीदार वाले जिन समपारों पर टेलीफोन नहीं लगे हैं उनकी संख्या 11,685 है और यह चौकीदार वाले कुल समपारों का 81.1 प्रतिशत हैं;

(ख) स्टेशन सीमाओं और निगम सीमाओं के भीतर तथा स्टेशनों के बीच पड़ने वाले समपारों पर यातायात और संरक्षा की दृष्टि से टेलोफोन लगाये जा रहे हैं। चोकीदार वाले सभी समपारों पर फिलहाल टेलोफोन लगाने का कोई विचार नहीं है।

आधुनिक क्लबों में प्रयोग के लिये ताशों का आयात

5995. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 में हमारे आधुनिक क्लबों में प्रयोग के लिये देश में ताश के 1,79,32,000 पैकटों का आयात किया गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार की विलासिता की वस्तु पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा को खर्च करने के स्थान पर उसका प्रयोग किसी अन्य अनिवार्य तथा जीवनोपयोगी वस्तु को आयात करने के लिए नहीं किया जा सकता था ;

(ग) वर्ष 1966-67 में इनके आयात के लिए जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये थे; उनके नाम तथा पते क्या है ; और

(घ) विदेशी ताशों के आयात के लिये आयात लाइसेन्स दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि भारत में अच्छी किस्म के ताश काफी मात्रा में बनाये जाते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। वर्ष 1966-67 के दौरान ताश के केवल 17932 पैकिटों का आयात किया गया था।

(ख) से (घ) तक जनवरी 1957 से ताश के आयात पर रोक लगा दी गई है। व्यापार लेखे में उल्लिखित नाम मात्र के आयात में जब्त किया हुआ तस्करी माल तथा ओ० जी० एल० IV के अन्तर्गत बिना आयात लाइसेन्स के, 400 रुपये तक, बिना मूल्य लिये, सप्लाई की जाने वाली विज्ञापन सामग्री भी शामिल है।

मैसर्स भारत बेरल का नाम काली सूची में लिखा जाना

5996. 5996. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री मैसर्स भारत बैरल का नाम काली सूची में रखे जाने के बारे में 23 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फर्म को न्यायालय द्वारा सम्मान पूर्वक दोष मुक्त किये जाने पर काली सूची में रखने से सम्बन्धित मानकीकृत संहिता के किसी उपबन्ध द्वारा उस फर्म को उन्हीं कारणों से काली सूची में रखा जा सकता है, और

(ख) यदि नहीं, तो मेसर्स भारत बैरल का मामला भिन्न आधार पर क्यों लिया जा रहा है, और उसका नाम काली सूची में से इस आधार पर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, कि महाराष्ट्र सरकार की विशेष अपील की अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय केलिये विचाराधीन है

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) मानकीकृत संहिता में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि न्यायालय द्वारा अभिमुक्त किये जाने पर काली सूची में रखने के आदेश स्वतः प्रतिसंहृत हो जाते हैं। ऐसे प्रत्येक मामले पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० ने पंजाब उच्च न्यायालय से उनको काली सूची में रखने के आदेश को कार्यरूप देने से रोकने के लिये अन्तःकालीन आदेश ले लिए हैं। इस आदेश का पालन करते हुए काली सूची में रखने के आदेश को 23-6-68 से अस्थगित रखा है। चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अभी अंतिम निर्णय देना है और इस बात को देखते हुए भी कि महाराष्ट्र राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में फर्म को अभियुक्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील की है, इस मामले में काली सूची में रखने के आदेश प्रतिसंहृत नहीं किये गये हैं।

मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी

5997. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग इन्जीनियरिंग कंपनी के अभ्यावेदन देने मात्र से ही सरकार द्वारा उनकी नई क्षमता को मान्यता दे दी गई थी यद्यपि वह उद्योग वर्जित सूची में था;

(ख) क्या सरकार वर्जित सूची के किसी उद्योग में किसी अन्य क्षमता को मान्यता दे सकती थी;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सभी अनियमितताओं को माफ करके उन्हें 1962 से अगस्त, 1964 तक उनकी नई क्षमता को अंतिम रूप से मंजूर किया गया था, तेल के ढोल निर्माण करने दिया था;

(घ) क्या सरकार मैसर्स अमी चंद प्यारे लाल और रामकृष्ण कुलवत राय से यह पड़ताल करेगी कि क्या मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कंपनी द्वारा उनसे खुली बिक्री की इस्पात की चादरें खरीदी गई थी ; और

(ङ) मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग द्वारा, तेल के ढोलों के निर्माण के लिए छोटे ड्रमों के निर्माण हेतु दिया गया कोटा किस अवधि के दौरान उपयोग में लाया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जिन परिस्थितियों में तेल के पीपों के उत्पादन के लिए मैसर्स हिन्द गैल्वैनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता को मान्यता प्रदान की गई थी उसके बारे में लोक सभा 24 नवम्बर, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार नहीं है।

(ङ) अक्तूबर, 1963 मार्च, 1964 की अवधि में 24 से लेकर 26 पेज तक की इस्पात की चादरों की कमी के कारण ढोल के छोटे निर्माताओं में वितरण के लिए 16 से 20 गेज तक की

10,000 मी० टन इस्पाती चादरों का एक विशेष कोटा उपलब्ध किया गया था जिसका वे उपयोग कर सकते थे। अन्य निर्माताओं के साथ-साथ मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग को इस काम के लिए 1,600 गेज की 1600 मी० टन इस्पाती चादरें नियत की गई। चूंकि अपेक्षाकृत पीटी गेज की चादरों के विशेष कोटे का उपयोग कुछ ही फर्म कर सकती थी, अतः यह निश्चय किया गया था कि इस कोटे की फर्मों को भविष्य में दिये जाने वाले कोटे में शामिल कर दिया जाये। तदनुसार मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग सहित सभी कारखानों के कोटे 1966-67 की अवधि के लिए अभी दिये जाने वाली मात्रा के अनुसार ठीक कर दिये गये हैं।

यह भी पता लगा लिया गया है कि इस फर्म ने 1962 से अगस्त, 1963 तक अन्य स्रोतों से 509,642 मी० टन इस्पात प्राप्त किया था जबकि पता चला है कि इसी अवधि में उन्होंने 672,300 मी० टन इस्पात की खपत की। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा नियत की गई मात्रा में से ढोलों एवं पीपों के उद्योग के लिए इस्पात की शेष मात्रा का उपयोग कर लिया था।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा मैसर्स कुपर ऐलन कम्पनी कानपुर को अपने अधिकार में लिया जाना

5998. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने मैसर्स कूपर ऐलन कंपनी, कानपुर को अपने अधिकार में लेने का अंतिक निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

(ग) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (ख) तथा (ग) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कूपर ऐलन एवं नार्थ वैस्ट टैनरी इकाइयों की, प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा अपने अधिकार में लेने के प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है। इस स्तर पर यह संकेत देना सम्भव नहीं है कि अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा।

अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद्

5999. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री के० अमात :**

श्री गु० च० नायक : **श्री म० माझी :**

श्री प० ला० बारूमाल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर सरकार ने अंतिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन मांगों को स्वीकार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) भारतीय गार्डों की ओर से विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन मिले हैं जो उनके वेतन-मान रनिंग भत्ते की दरों के पुनरीक्षण, मंहगाई भत्ते की संगणना के लिए रनिंग भत्ते के एक भाग को वेतन मानने, पदोन्नति के अधिक सुअवसर देने आदि के सम्बन्ध में हैं। इन सभी मांगों की ब्यौरेवार जांच की गई है लेकिन रनिंग भत्ते के पुनरीक्षण सम्बन्धी मांग को छोड़ कर अन्य किसी का औचित्य नहीं समझा गया। सभी कोटि के रनिंग कर्मचारियों (जिसमें गार्ड भी शामिल हैं) के रनिंग भत्ते सम्बन्धी नियमों और दरों के पुनरीक्षण के लिये सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में मिली है और उसकी जांच की जा रही है।

दुर्गापुर प्राजेक्ट्स, पश्चिम बंगाल द्वारा कोक का उत्पादन

6000. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर प्रोजक्ट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के प्रबन्ध के अधीन दुर्गापुर कोक भट्टी संयन्त्र द्वारा वर्ष 1960-61 1967-68 तक वर्ष वार कुल कितने मूल्य कोक का उत्पादन किया गया ;

(ख) वर्ष 1960-61 से 1967-68 तक दुर्गापुर कोक भट्टी संयन्त्र द्वारा तैयार किये गये कोक का वर्षवार कितने मूल्य का भण्डार बिना बिका पड़ा है; और

(ग) उक्त अवधि में वर्ष वार कितने रुपयों का लाभ अथवा हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौ० राम सेवक) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्ध विदेशी सलाहकार तथा विशेषज्ञ

6001. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1955 से 1967 तक प्रति वर्ष भारत सरकार प्रत्येक मन्त्रालय के साथ सम्बद्ध प्रत्येक देश के (एक) सलाहकारों (दो) विशेषज्ञों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में उद्योगों में विदेशी निवेश

6002. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उद्योग-वार अब तक कुल कितनी गैर सरकारी विदेशी पूंजी लगाई गई है;

(ख) गैर सरकारी निगम क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग में लगी कुल पूंजी में गैर सरकारी विदेशी व्यापार पूंजी का कितना भाग है; और

(ग) अब तक प्रत्येक उद्योग में लगी कुल गैर सरकारी विदेशी व्यापार पूंजी में अमरीका ब्रिटिश तथा पश्चिमी जर्मन का कितना-कितना भाग है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण अनुबन्ध 1 संलग्न है।

(ख) इस रूप में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने नाला एक विवरण अनुबन्ध संख्या 2 संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1919/68

Manufacture of Agricultural Implements

6003. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no quality control over the manufacture of agricultural implements and their spare parts;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the several firms are manufacturing many spare parts of the same type and the farmers experience difficulty in repairing when the spare parts manufactured by some other firms do not fit in the agricultural implements;

(d) whether in the absence of competition, inferior stuff is being produced by various factories with an increased cost of production; and

(e) If so, the policy government propose to adopt in regard to the manufacture of agricultural implements ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs(Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) (b) & (e) Agricultural implements and spare parts are being manufactured in large scale sector, small scale sector and many other workshops in various parts of the country. The Indian Standards Institution have issued number of specifcations on agricultural implements with a view to ensuring quality of products and maintaining their standards. No specific complaints have, so for, been received regarding the quality of agricultural implements and their spares produced by the firms registered with the DGTD.

As there are a large number of units manufacturing such implements and their spares all over the country it is not practicable to introduce and enforce quality control in this Industry as a whole.

(c) & (d) : Some difficulty may arise in the fitment of parts manufactured by firms, particularly in the small scale sector, other than those producing the main implement itself. In view, however, of the large number of manufacturers in the field the consumer has a wide choice in selecting the proper and reliable manufacturer of spare parts to meet his requirements.

Building for Staff and Passengers at Chandsara Station on Meerut-Hapur Section

6005. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which building has not been constructed for the staff and the passengers at Chandsara station on the Meerut-Hapur line;

(b) whether Government propose to dispense with the aforesaid station; and

(c) if not, the reasons for not constructing the building for the station there?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) A sleeper hut to serve as a booking office-cum-waiting shed has already been constructed at Chandsara halt. No other accommodation is required to be provided for staff and passengers as it is only a contractor-operated halt.

(b) No.

(c) Does not arise in view of (a) above.

नये तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा निर्मित सामान का निर्यात

6006. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों द्वारा निर्मित सामान से, जो कि निर्यात के लिये जाने लगा है, परिवहन गोदामों और नौवहन आदि की गम्भीर समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इन उद्योगों के कुछ माल के बारे में परिवहन, गोदाम तथा नौवहन की समस्याएं हैं।

(ख) जो समस्याएं वैयक्तिक लक्षण वाली हैं उनका, समय-समय पर, सम्बन्धित अधिकारियों के साथ परामर्श करके समाधान करना पड़ता है।

अर्जेन्टाइना को पटसन का निर्यात

6007. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत धीरे-धीरे अर्जेन्टाइना में ब्राजील को अपना पटसन का बाजार खोता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि सरकार ने अर्जेन्टाइना को अपना निर्यात बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) अर्जेन्टाइना में ब्राजील के माल को प्राप्त अधिमान्य व्यवहार के कारण उस देश को हमारे पटसन के निर्यात पर काफी प्रभाव पड़ा है।

(ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी

6008. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1664 में स्टैंडर्ड ड्रम बैरल मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी की क्षमता 14538 मीटरी टन

निर्धारित करते समय ढोल का ढांचा + बनाने तथा वेल्डिंग करने वाली अर्ध स्वचालित नई मशीनें को हिसाब में लगाने के क्या कारण थे, जबकि उस समय वह मशीन चालू नहीं थी ;

(ख) क्या मशीनरी की सूचियों से यह पता चलता है कि वर्ष 1957, 1961 तथा 1964 में उनके पास जो-जो मशीन थीं, उनकी संख्या तथा किस्मों में बड़ा भारी अन्तर था ; और

(ग) यदि हां, तो 26 मार्च, 1968 की अतारांकित प्रश्न संख्या 5231 का उत्तर देते समय यह बताये जाने के क्या कारण थे कि वर्ष 1961 तथा 1964 में जब कि उनकी क्षमना क्रमश: 6100 मीटरी टन तथा 14538 मीटरी टन निर्धारित की गई थी, उनको संयंत्र तथा मशीनों में कोई अंतर नहीं था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) फर्म द्वारा नई मशीन लगा दी गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा था। यद्यपि निरीक्षण के समय फर्म मशीन को चलाकर नहीं जा सकी किन्तु उसके निर्माता द्वारा दिये गये साहित्य के अनुसार उसकी उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया और इस संबंध में लोक-सभा में 20 फरवरी, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1271 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (ग) समझा जाता है कि इन वर्षों में फर्म के पास जितनी और जिस प्रकार की मशीनें उपलब्ध थी उनकी संख्या एवं किस्म में कोई अधिक अन्तर नहीं है यद्यपि वर्ष 1664 में फर्म ने ढोलों की झलाई और ऊपरी खोल बनाने की आयातित स्वचालित मशीन लगाई थी।

मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और मैसर्स हिन्द गेल्वेनाईजिंग

6009. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि मूल्यांकन प्रतिवेदन गुप्त दस्तावेज नहीं है, क्या वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के वर्ष 1961 और 1964 के मूल्यांकन प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना वांछनीय नहीं है ;

(ख) मैसर्स हिन्द गेल्वेनाईजिंग की नई क्षमता को मान्यता देने तथा मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एंड बैरल को अनधिकृत विस्तार की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस्पात की 18 गेज की चादरों की कमी के कारण बैरलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई ; और

(ग) क्या मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एंड बैरल कम्पनी ने अपनी मशीनों को, जो वर्ष 1956-57 में तेल के बैरल बनाने के लिये उनके पास थी वर्ष 1959 में सेवरी से ट्रांम्बे स्थानांतरित कर दिया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तकनीकी अधिकारियों से मूल्यांकन प्रतिवेदन केवल इसलिये प्राप्त किये गए थे जिससे सरकार निर्णय कर सके। अत: उसे सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) जिन परिस्थितियों में इन दोनों कारखानों की क्षमता के लिए मान्यता दी गई थी उनका उल्लेख लोक सभा में 24-11-1967 को पूछे गए तो तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में किया जा चुका है ;

(ग) इस सम्बन्ध में 30 जुलाई, 1968 को लोक-सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1655 के अनुसार जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

6010. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ख) क्या मैसर्स इंडियन गैल्वेनाईजिंग कम्पनी के पास तारकोल के ड्रमों के निर्माण के लिए भी मशीन थीं और उन्हें मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग-एंड इंजीनियरिंग कम्पनी को बेचा गया था ;

(ग) क्या ड्रम 5/10 गैलन वाले छोटे बनाने के संयंत्र में बनाये जा सकते थे ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ने तारकोल के ड्रम बनाने के लिये उन्हें नई क्षमता को स्वीकृति दी है ; और

(ङ) तारकोल के ड्रमों के निर्माण की 200 टन की वार्षिक क्षमता को 5/10 गैलन वाले छोटे ड्रम बनाने के संयंत्र से कैसे अलग किया जा सकता था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1920-68]

(ख) से (ङ) मैसर्स इंडियन गेल्वेनाइजिंग कम्पनी द्वारा बेचा गया संपूर्ण संयंत्र 5/10 गैलन ढोलों के समेत, जो 24/26 गेज की इस्पाती चादरों से बनते हैं, सभी किस्मों के लाइट ड्यूटी ड्रम बना सकने के योग्य था ।

चूंकि तारकोल के ढोल 24 गेज की इस्पाती चादरों से बनाई जाते हैं, इसलिए यह फर्म आसफाल्ट और तारकोल के ढोल भी बना सकती थी । इसलिए फर्म के इस प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी गई थी कि उसकी छोटे ढोल बनाने की क्षमता में से 200 मीट्रिक टन असफाल्ट और तारकोल के ढोल बनाने के लिए निर्धारित की जा सकती थी ।

मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी

6011. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विभाग से क्रयादेश मिलने पर कोई कम्पनी उद्योग के प्रतिबन्धित सूची में रहते हुए भी सरकार द्वारा अपनी नई क्षमता को मान्यता लेने की हकदार बन जाती है ;

(ख) क्या मेसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी को प्रतिरक्षा विकास को पार्टियों के रूप में निर्दिष्ट सीधे क्रयादेश दिये गये थे अथवा प्रतिरक्षा विभाग के माध्यम से दिए गये थे ;

(ग) यदि क्रयादेश प्रतिरक्षा विभाग के माध्यम से दिये गये थे तो क्या प्रतिरक्षा विभाग ने तत्समय के लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं से कहा था कि वे इन पार्टियों को ढोल सप्लाई करें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन निर्माताओं ने उनकी मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई व्यक्त की थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जिन परिस्थितियों में मेसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड तेल के पीपे बनाने की क्षमता के लिये मान्यता दी गई थी उसके बारे में लोक-सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 1967 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है ।

(ख) से (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स स्टैंडर्ड एंड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

6012. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 30 जुलाई 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैसर्स स्टैंडर्ड एंड केरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के दिनांक 21 अगस्त, 1958 के आवेदन पत्र की, जिसमें कम्पनी का पर्याप्त विस्तार तथा उसे सेवरी से ट्राम्बे ले जाने का उद्देश्य है; एक प्रति सभा पटल पर रखेगी;

(ख) उन्हें कारखाने का पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है, जब कि पहले ही इस उद्योग की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है ?

(ग) क्या शेष जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रार्थना पत्र की एक प्रति उसके साथ नत्थी किये गये पत्रों के ब्यौर (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-1921/68] ।

(ख) जिस चीज के उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के बारे में पूछा गया है वह नई चीज अस्फाल्ट के ढोलों का उत्पादन है जिसके लिये फर्म ने मैसर्स स्टैंडर्ड वैकुलम रिफाइनरी कम्पनी आफ इण्डिया लि० बम्बई को ढोल सप्लाई करने के लिए उसके साथ किये गये संविदा की दृष्टि से आवेदन दिया था । इस विषय पर उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया और चूंकि विशेष रूप से असफाल्ट का आयात घटाने में सहायता मिली थी, अतः यह निश्चय किया गया कि इस फर्म को प्रतिदिन 3,000 डामर के ढोल बनाने के लिये लाइसेंस दिया जाय ।

(ग) और (घ) जानकारी अभी तैयार नहीं है और उसको शीघ्र ही सभा-पटल पर रखे जाने की आशा है।

दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति

6013. **श्री बलराज माधोक** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में अनुमानत: कितने मूल्य की वक्फ सम्पत्ति है;

(ख) पिछले २ वर्ष में इस सम्पत्ति में और कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति से प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है, और इसको किन-किन मुख्य मदों पर खर्च किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र में वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत प्रकाशित वक्फों की सूचियों में अब तक सम्मिलित की गई वक्फ सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 5,45,13,000 रु० है। इसमें से दो तिहाई से अधिक मूल्य मस्जिदों और दरगाहों आदि का है।

(ख) कुछ नहीं, श्रीमान्।

(ग) दिल्ली में वक्फों से लगभग 11,15,000 रु० की कुल वार्षिक आय होती है। यह आय उन कामों पर खर्च की जाती है जिनके लिये वक्फ बताये गये हैं। उक्त धनराशि में से प्रति वर्ष 3,00,000 रु० की राशि वक्फ बोर्ड को मिलती है जो मुख्य रूप से इन मदों पर खर्च की जाती है :—

1. मस्जिदों तथा कब्रिस्तानों की देख-रेख।
2. धार्मिक / शिक्षा संबन्धी / चिकित्सा संस्थाओं की देख-रेख तथा उनको सहायता देना।
3. अनाथालयों की देख-रेख।
4. विधवाओं तथा अपंगों की सहायता करना एवं वृत्तिका देना।
5. निर्धन विद्यार्थियों को क्षात्र-वृत्तियां देना।
6. लावारिस मृत मुसलमानों के मृत्यु संस्कार पर व्यय।
7. वक्फ संलेख में विशेष रूप से उल्लिखित कोई अन्य कार्य।

इंजन ड्राइवरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

6014. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेशन मास्टरों एसिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के समान इंजन ड्राइवरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व इंजन ड्राइवरों का मूल वेतन स्टेशन मास्टरों के मूल वेतन से अधिक था ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० सी० पुनाचा) : रेलों में यातायात बढ़ जाने के परिणामस्वरूप

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के उत्तरदायित्व बढ़ गये, इसलिए उनके वेतन-मान संशोधित किये गये। इंजन ड्राईवरों के मामले में इस तरह का संशोधन आवश्यक नहीं समझा गया।

मालगाड़ी के ड्राइवरों तथा गार्डों के काम के घंटे

6015. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल गाड़ियों के ड्राइवरों तथा गार्डों द्वारा गाड़ी चलाने से पहले लोकोशैड तथा यार्डो में लगाया गया समय तथा गन्तव्य स्थान पर पहुँचने पर गाड़ी तथा इंजन का चार्ज देने में लगा समय काम के घंटों में नहीं गिना जाता; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं, गार्ड और ड्राइवर काम पर आने के समय तब हस्ताक्षर करते हैं उस समय से वे ड्यटी पर माने जाते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेलवे पर अधीनस्थ कर्मचारियों का सामायिक स्थानान्तरण

6016. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह आदेश दिये गये हैं कि अधीनस्थ कर्मचारियों के सामयिक स्थानान्तरण न किये जायें;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने यह भी आदेश दिये हैं कि जांच कर्मचारियों की वरीयता विभागीय आधार होगी; और

(ग) जांच कर्मचारियों के वर्षा ऋतु के मध्य से किये जा रहे स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं। लेकिन कुछ कोटियों के उन कर्मचारियों का आवधिक स्थानान्तरण करने के आदेश है जो जनता के सम्पर्क में आते हैं। इन आदेशों को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन के हित में किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण पर पाबंदी नहीं है।

(ख) जी नहीं। लेकिन प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे मंडल अथवा अखिल रेलवे आधार पर अपने तरीके से वरिष्ठता-सूची बनाती है।

(ग) प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है। ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि वर्षा ऋतु में स्थानान्तरण न किया जाये।

रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई शिकायतों की जांच

6017. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिकायतों की जांच करते समय रेलवे अधिकारी शिकायत करने वाले व्यक्तियों को बुलाते क्यों नहीं या उनको सूचना क्यों नहीं देते और उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय देने के क्या कारण है; और

(ख) क्या उनकी शिकायतों के आधार पर जांच करते समय भारतीय रेलवे न्याय नियमों का अनुसरण करेगी और शिकायत करने वालों को उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने का अवसर देगी ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम पुनाचा) : (क) और (ख) जिन मामलों में तथ्यों का पता लगाने के लिये शिकायत करने वालों की उपस्थित आवश्यक होती है, उनमें उन्हें जांच के दौरान उपस्थित रहने के लिए बुलाया जाता है। अन्य मामलों में जहां जांच के दौरान शिकायत करने वालों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती और रिकार्ड आदि से तथ्यों धा पता लगाया जा सकता है, वहां उन्हें नहीं बुलवाया जाता। सभी आवश्यक साक्ष्य सूचना एकत्रित करने के बाद शिकायतों के बारे में प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कर्मचारियों या ठेकेदारों का पक्ष लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

विदेशी निवेश बोर्ड

6018. **श्री अदिचन :** **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों को दो हिस्सों में अर्थात् एक वह जिसमें विदेशी सहयोग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी और दूसरा वह जिसमें विदेशी सहयोग लेने की अनुमति दी जायेगी—बांटने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार उद्योगों को दो सूची में रखना चाहती है अर्थात् एक सूची में उन उद्योगों को जिसके लिए कोई विदेशी सहयोग देने की अनुमति नहीं दी जायेगी और दूसरी सूची में उन उद्योगों को रखा जायेगा जिनमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी। ये सूचियां प्रकाशित की जायेंगी और इन पर समय-समय पर वर्ष में कम से कम एक बार पुर्नविचार किया जायेगा। जिन उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जायेगी और जिनमें रायल्टी की दरें बढ़ाई जायेंगी उनके सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के प्रार्थना-पत्रों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से विभिन्न उद्योगों के लिए रायल्टी की स्टैंडर्ड दरें बताई जायेंगी।

लोहा तथा इस्पात की कीमत में वृद्धि

6019. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :**

श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात की कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का यथार्थ स्वरुप क्या है ।

(ग) लोहा तथा इस्पात की कीमत बढ़ाने के क्या कारण है और क्या इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में घाटे को पूरा करना है; और

(घ) क्या इंजीनियरी सामान बनाने वालों ने उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है और यदि हां, तो उनके मूल तर्क क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) संयुक्त कारखाना (प्लांट) समिति ने हाल ही में अनेक श्रेणियों के लोहे और इस्पात के लिए 31 जुलाई, 1968 से संशोधित कीमतों की घोषणा की है। ये कीमतें तब तक प्रचलित कीमतों की अपेक्षा अधिक ऊंची हैं । अनेक श्रेणियों के लोहे तथा इस्पात की कीमतों में वृद्धि करने के लिये इस समय कोई दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सभी प्रधान उत्पादकों ने जिसमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भी शामिल है, विभिन्न श्रेणियों के लोहे तथा इस्पात की कीमतों में वृद्धि के लिये कहा था ।

इटली को कारों के पुर्जों का निर्यात

6020. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार तथा उद्योग संघ ने यह सिफारिश की है कि इटली को कारों के पुर्जों के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिये सरकार की इटली के आयातकों का एक शिष्टमंडल आमंत्रित करना चाहिये ताकि वे स्वयं यह देख सकें कि हमारे देश में मोटरगाड़ी उद्योग ने कितनी प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) इस आशय की सिफारिश भारतीय व्यापार तथा उद्योग संघ ने नहीं, अपितु उस भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने की है, जो जनवरी, 1968 में इटली गया था ।

(ख) इटली की सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत आरंभ कर दी गई और उसे इस बात के लिये सहमत करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वह इटली के एक संयुक्त शिष्टमंडल को भारत भेजे जिसमें मोटर गाड़ियों के संकटों तथा सह-साधनों के आयातक शामिल हों ।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव

6021. **श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में किये गये रुपये के अवमूल्यन से वर्ष 1966-67 और 1967-68 में निर्यात बढ़ाने में कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) इन दो वर्षों तथा अवमूल्यन से पूर्व के दो वर्षों में निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) वर्ष 1966-67 और 8967-68 में उनसे पहले वर्ष की तुलना में आयात में कितनी कमी हुई है;

(घ) क्या ये आंकड़े रुपये के अवमूल्यन की उद्देश्य पूर्ति में पूर्ण असफलता के द्योतक हैं ;

(ङ) यदि हाँ, तो इस असफलता के क्या मुख्य कारण है; और

(च) अगले वर्ष रुपये के अवमूल्यन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्द शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक के निर्यात तथा आयात दिखाए गये हैं ।

(घ) से (च) अवमूल्यन के वर्ष 1966-67 में निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके कारण हैं : (1) अभूतपूर्व सूखे की अवस्था जिसके कारण कृषि-उत्पादों की निर्यात हेतु उपलब्धि कम हो गई,

(२) वर्ष 1965-66 में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां जिसके कारण स्थानीय उद्योगों के निवेश कार्यक्रम मन्द हो गये और (3) पश्चिमी यूरोप में आर्थिक मन्दी । इन तत्वों के साथ साथ अवमूल्यन से उत्पन्न अनिश्चितताओं ने वर्ष 1969-67 में अवमूल्यन के पूरे लाभ प्राप्त करने में बाधायें पैदा कीं । हो सकता है कि हमारे निर्यात और भी गिर जाते यदि निर्यात व्यापार को अवमूल्यन द्वारा प्रदान किया गया 57.5 प्रतिशत का अन्तर्निहित सामान्य प्रोत्साहन न मिलता । वर्ष 1667-68 में निर्यात में जो वृद्धि का रुख था वह चालू वर्ष में भी जारी है । पहले तीन महिनों अर्थात् अप्रैल-जून, 1668 के 308.08 करोड़ रुपये के निर्यातों की गत वर्ष की उसी अवधि के निर्यातों से तुलना करने पर 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है । वस्तुत:, हाल के गत वर्षों की सर्वोत्कृष्ट तत्स्थानी अवधि अर्थात् अप्रैल-जून, 1964 में वर्तमान रुपये के हिसाब से 309 करोड़ रुपये के निर्यातों की तुलना में ये निर्यात् अधिक कम नहीं हैं । अवमूल्यन और अन्य अनुकूल बातों जैसे अच्छी कृषि फसल और निर्यात संवर्धन उपायों (उदाहरणार्थ नकद सहायता, आयात प्रतिपूर्ति योजनायें, ऋण सुविधायें, कर सम्बन्धी रियायतें आदि) के परिणाम-आशा है कि वर्ष, 1968-69 में निर्यात-स्तर काफी बढ़ेग। ।

वर्ष 1967-68 में 1,974.28 करोड़ रुपये के भारत के आयात वर्ष 1966-67 के आयातों की तुलना में 5 प्रतिशत कम थे । अवमूल्यन ने आयातों को स्वत: ही हतोत्साह किया । चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीनों अर्थात अप्रैल-जून, 1968 में 520.43 करोड़ रुपये के भारत के आयात गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 6.30 करोड़ रुपये कम हैं ।

विवरण

मूल्य करोड़ रु० में

वर्ष	पुनर्निर्यात सहित निर्यात	आयात
1964-65	1,285.67	2,124.72
1965-66	1,268.88	3,218.43
1966-67	1,156.53	2,078.36
1967-68	1,198.67	1,974.28

टिप्पणी:—1965-66 तक के आंकड़े अवमूल्यन से पूर्व के रुपयों को 57.5 प्रतिशत बढ़ा कर निकाले गये हैं।

कोयला मूल्य समिति

6022. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कीमतें निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये इस वर्ष मार्च में नियुक्त की गई समिति के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया था;

(ख) यदि हां, तो यह गतिरोध किन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है ;

(ग) क्या इस बीच एक बार फिर बातचीत आरम्भ कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौ० राम सेवक) (क), (ख), (ग) और (घ) समिति युक्तियुक्त तथा उचित मूल्य का, जो कि रेलवे विभाग तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा इस विषय पर उपलब्ध सब सामग्री को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए, विचार करने तथा सुझाव देने के सीमित उद्देश्य से गठित की गई थी। निर्णय क्योंकि जल्द लिया जाना था अतः सरकार ने इस विषय पर स्वयं आगे सोच विचार किया। अन्ततः रेलवे विभाग, इस्पात संयन्त्रों, कोयला धावनशालाओं तथा कोकरीज को दिये जा रहे कोयले के संबंध में समझौते हो गये।

Train-Truck Collision near Badarpur (Delhi)

6023. Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it a fact that a train and a truck collided at the railway crossng near Badarpur in Delhi on the 29th July, 1968 resulting in the death of 3 persons;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to avert such accidents in future ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Prosumably the reference is to the accident in which a motor truck dashed against train No . 373 Down Palwal-

Delhi shuttle at level crossing gate No.579 between Faridabad and Tuglakabad stations of the Central Railway an 30-7-1968.

(b) The accident took place as a result of the truck driver suddenly coming on the down track side, while the gateman was in the process of closing the gate, after passing another truck coming from the up track side and before the gateman had the time to close the gate on the down track side, and the truck driver refusing to back the truck despite the gateman's warning.

(c) It is proposed to provide gate signals at this level crossing

स्कूटरों का निर्माण

6024. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के राजस्थान सरकार से एक कारखाना स्थापित करने के लिये इस वर्ष तक प्रस्ताव हुआ है जिस में प्रतिवर्ष 50,000 स्कूटर बनेंगे और ऐसे प्रत्येक स्कूटरों का विक्रय मूल्य 2000 रुपये होगा,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) इस वर्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। हां, राजस्थान में स्कूटरों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार (राज्य उद्योग विभाग) जयपुर से 30 अगस्त, 1965 को प्राप्त हुआ था। यह योजना बैल्जियम की मेसर्स लीपेज कसंल्टिंग इंजीनियर्स नामक एक फर्म से पहले वर्ष 173 सी० सी० के 2,000 स्कूटर और बाद में पांचवें वर्ष में यह संख्या बढ़ाकर प्रतिवर्ष 60,000 तक बढ़ाने के बारे में थी। प्रस्तावित स्कूटर का मूल्य प्रथम वर्ष 2,260 रुपये बताया गया और नवें वर्ष इस मूल्य को कम करके 1,710 रुपये तक लाने का संकेत दिया गया है।

(ख) और (घ) इस योजना पर इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के साथ विचार किया गया था और इसे लाइसेंस देने के उपयुक्त नहीं समझा गया तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया है।

Pakistan's Trade Agreement with U. S. S. R.

6025. Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to stat ?

(a) whether it is a fact that Pakistan has recently concluded an agreement with U, S. S. R. whereby she whould export raw wool, cloth, foot-wear, fruit juice, tobacco, jute products etc. to that country;

(b) whether it is also a fact that most of these commodities are being exported by India to the Soviet Union at present; and

(c) if so, the probable repercussions on our exports to the country ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It is unlikely that our exports to U. S. S. R. in the commodities mentioned, will be affected to any substantial extent.

इस्पात उत्पादों का निर्यात

6026. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस्पात की वस्तुओं के सम्भरण के लिये, ईरान सरकार के साथ कोई करार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि 1968-69 में इस्पात की वस्तुओं के निर्यात की काफी सम्भावनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं, और 1968-69 में अन्य देशों को इस्पात उत्पादों की निर्यात की क्या सम्भावनायें हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस्पात की वस्तुओं के सम्भरण के लिये ईरान सरकार के साथ कोई करार नहीं किया गया है। ईरानीय राज्य रेलवे ने समय-समय पर इस्पात की वस्तुओं के लिए टैन्डर आमंत्रित किये हैं जिनके लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भाव बोले हैं, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जो टैन्डर स्वीकार किये जाते हैं उनके आधार पर उसके द्वारा सामान की सप्लाई की जाती है।

(ख) और (ग) : जी हाँ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा वर्ष 1968-69 के दौरान 37 करोड़ रुपये का लोहा और इस्पात का निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निम्नलिखित देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों के इस्पात और लोहे के सम्भरण के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने हाल ही में क्रयादेश बुक कर दिये हैं ;

कच्चा लोहा—जापान और दक्षिणी कोरिया

एम० एस० बिलेट—लंका, ईरान, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान ओकीनावा

रेले—छाना, मलेशिया, न्यूजीलैंड टर्की और ईरान

छड़ें और ढांचे—रूस, तथा अनेक पश्चिमी एशियाई और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश।

कोयले की मांग

6027. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने देश में कोयले की मांग का अनुमान नहीं लगाया था जिससे उस उद्योग को बहुत हानि हुई है ;

(ख) क्या उस निगम का विचार अब कोयले की मांग का अनुमान लगाने का है ताकि उस उद्योग को और हानि न हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) (क), (ख) और (ग) पूरे देश के लिये कोयले की मांग का अनुमान निगम नहीं लगाता है परन्तु समय-समय पर अपनी कोयला खानों से कोयला उत्पादन के अनुमान अवश्य लगाता है और ऐसा करता रहेगा। निगम अपने कोयले की संभावी मांग के स्तर का भी, वर्तमान तथा भावी ग्राहकों की मांग में संभावित वृद्धि। कमी के विषय में सूचना के आधार पर एक या दो वर्ष पूर्व अनुमान लगाता है।

बहराइच और जखाल रोड स्टेशन के बीच रेलवे लाइन

6028. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर पूर्व रेलवे के बहराइच सिटी (उ० प्र०) और जखाल रोड स्टेशन के फासले को कम करने के उद्देश्य से, इनके बीच एक रेलवे लाइन चालू करने के बारे में एक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी लाइन के चालू किये जाने के परिणामस्वरूप सड़क से भेजे जाने वाला माल भी बहुत बड़ी मात्रा में रेल द्वारा भेजा जाने लगेगा और नेपाल से लाये इस पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलों को इस बात की जानकारी नहीं हैं कि रेल परिवहन सुविधाओं के अभाव में इस क्षेत्र की जनता को कोई कठिनाई होती है।

रिवाड़ी की एक फर्म द्वारा जाली रेलवे रसीदों का बनाया जाना

6029. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह शिकायत प्राप्त हुई है कि रिवाड़ी की किसी फर्म ने 2 करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक राशि की रेलवे रसीदों में जालसाजी की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां। रिवाड़ी के धातु व्यापारियों की फर्म की कथित जालसाज़ी के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के चौकसी निदेशालय में, जनवरी, 1968 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि इस फर्म ने भारी संख्या में उत्तर रेलवे की जाली माल रसीदें बना कर बैंकों में दो करोड़ रुपये से भी अधिक अग्रिम भुगतान ले लिया। उत्तर रेलवे की चौकसा शाखा को भी इसी आशय की सूचना मिली थी।

(ख) रेलों से इस मामले का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि न तो कोई माल बुक हुआ, न

किसी माल की सुपुर्दगी ही मांगी गई। आरोप यह था कि जाली रेलवे रसीदों के आधार पर बैंकों से अग्रिम धन लिया गया जिसे बाद में बैंकों को लौटा दिया गया, परन्तु इससे अभियुक्त फर्म किसी समय भारी धन-राशि अपने पास रखने की स्थिति में हो गयी थी। क्योंकि रेलें इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं थी, अत: रेलवे का चौकसी संगठन इस मामले की जांच को हाथ में न ले सका। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी जांच करने का अनुरोध किया गया परन्तु उसने भी अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में न होकर राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में था। इसीलिये, उत्तर रेलवे के प्राधिकारियों ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक को लिखा है। रेलवे बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव को लिखा है।

राष्ट्रवादी व्यापार संघ के कर्मचारियों को तंग करना

6030. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में राष्ट्रवादी व्यापार संघ के कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रायोजित बचत आन्दोलन का लाभ उठाकर तंग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बायकुला अस्पताल (मुख्यालय अस्पताल) के साथ सम्बद्ध अस्पताल स्टेवर्ड के पद समाप्त किया गया है तथा मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के एक प्रख्यात कर्मचारी का तबादला किया गया है जब कि भुसावल में एक छोटे से अस्पताल के स्टेवर्ड के पद को रहने दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) मध्य रेलवे पर अस्पताल स्टेवर्डों के दो पद थे—एक भायखला में और दूसरा भुसावल में। भायखला में जो अस्थायी पद था वह 1.7.68 से छोड़ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति भायखला में उस पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा था उसे भुसावल स्थानांतरित करना पड़ा और जो व्यक्ति भुसावल में स्टेवर्ड के पद पर काम कर रहा था उसे उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

चिरावा/डब्ला-खेत्री रेलवे लाइन

6031. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9911 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवाड़ी-रोंगस सैक्शन पर खेत्री तांबा परियोजना को डब्ला में मुख्य लाइन से जोड़ने के लिये एक रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लेने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा प्रस्तुत

किये गये चिरावा/डब्ला-खेत्री रेल सम्पर्क परियोजना के पुनरीक्षित यातायात मूल्यांकन की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) चिरावा /डब्ला-खेत्री रेल सम्पर्क परियोजना की संशोधित यातायात मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच की जा रही है और आशा है कि यह बहुत शीघ्र पूरी हो जायेगी ।

चाय के सम्बन्ध में भारत-श्रीलंका समझौता

6032. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत श्रीलंका व्यापार समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) तथा (ख) भारत श्रीलंका व्यापार करार, जो अक्तूबर, 1961 में किया गया था, तब तक वैध है जब तक कि किसी देश द्वारा तीन माह का नोटिस देकर वह संशोधित अथवा समाप्त नहीं कर दिया जाता । मई-जून, 1968 में श्रीलंका के प्रतिनिधि-मंडल की यात्रा के दौरान, उसके साथ दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार गतिविधियों की समीक्षा की गई थी तथा यह तय हो गया था कि पारस्परिक हितों के लिये व्यापार विनिमयों का विस्तार तथा उन्हें बहुविध करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये । यह भी निर्णय किया गया था कि आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति स्थापित की जाये, जिसको आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में दोनों के बीज घनिष्टतर सहयोग के लिये निरन्तर उपाय ढूंढने तथा क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा जाये ।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी

6033. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी में सिफारिश की गई है कि सभी औद्योगीकृत देशों में राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय परिषदों तथा क्षेत्रीय संस्थाओं का जाल स्थापित किया जाये और इसके लिये पूर्व-अपेक्षित कार्यवाही के रूप में एक सुदृढ़ एवं कुशल मध्यस्थ-निर्णय व्यवस्था कायम की जाये;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ । विश्व के देशों में गोष्ठी ने वाणिज्यिक विवाचन केन्द्रों तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के विकास की सिफारिश की है ।

(ख) तथा (ग) हमने भारत में पहले से ही "भारतीय विवाचन परिषद्" स्थापित की हुई है। गोष्ठी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कपड़ा उद्योग की सहायता

6034. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ को 5 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय किया है जो नकद सहायता के साथ में बाँटा जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष किस रूप में सहायता दी गई थी; और

(ग) उससे सूती कपड़ा के निर्यात को कितना बढ़ावा मिलेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) सरकार ने भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ को, वर्ष 1968-69 में किये जाने वाले सूती कपड़े के निर्यात के जहाज पर मूल्य के 5 प्रतिशत की समान दर पर अनुदान देने का विनिश्चय किया है। इस प्रयोजन के लिये गत वर्ष संघ को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी। अप्रैल 1968 से सरकार द्वारा संघ को दी जाने वाली सहायता से मिल तथा हथकरघा निर्मित दोनों प्रकार के सूती वस्त्रों का निर्यात 1968-69 में बढ़कर 120 करोड़ रु० तक हो जाने की सम्भावना है।

Theft Cases on Branch Lines in U.P.

6035. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cases of thefts and other incidents of breach of law are increasing on some Branch lines in Uttar Pradesh ;

(b) whether Government have inquired into their causes; and

(c) the special arrangements made to check them ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes, on some branch lines.

(b) & (c) The increase in the incidence is due to general deterioration in the law and order situation. Maintenance of law and order in Railway premises as also in Railway trains is the responsibility of the state Governments/State Government Railway Police. Close cooperation is maintained with the Government Railway Police at all times for the control of crime and their attention is promptly drawn to any serious crime that occurs and to any increase in criminal activities in any particular area or train for taking remedial measures.

As Railways are also vitally concerned, the following steps are being taken by them :—

(i) R. P. F. staff is posted round the clock in the yards, Goods, Parcel and Transit sheds etc.

(ii) Regular escorting of goods trains on affected Sections is arranged.

(iii) R. P. F. men in plain clothest as well as crime intelligence branch staff are detailed to collect criminal intelligence and to maintain close watch over the criminal activities.

(iv) Armed-Wing patrols and escorts are also provided on notorious sections and spots.

(v) Travelling public are being alerted through different methods of pulicity including Loud-Speakers to guard their personal property against criminal ac tvities.

Late Arrival of Passenger Train from Delhi at Moradabad

6036. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Passenger train from Delhi arrives mostly late at Moradabad ;

(b) the number of times when the said train reached Moradabad in time during the last three months; and

(c) whether Government are aware that passengers for Chandausi and other places have to face much difficulty as a rusult of the late arrival of the said train?

Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a), (b) & (c) During three months May to July, 1968, Passenger trains running from Delhi to Moradabad, viz., 2MD, 4MD, 6MD and 376 Dn. arrived a Moradatbad right time on 31, 56, 37 and 10 occasions respectively. During the same period, the position about the maintenance of connections at Moradabad with Moradabad-Chandausi trains was satisfactory in regard to 2MD & 4MD Passengers and not satisfactory in respect of 376Dn. Passenger.

Railway Training School at Chandausi.

6037. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Training School at Chandausi has been expanded sufficiently ;

(b) whether any scheme in regard to its further expansion is under consideration of Government ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) :

(a) Not in the recent past, excepting that the Loco Training School functioning at Ghaziabad was transferred to Chandausi in May 1967.

(b) No.

(c) Does not arise.

New Industries in U.P.

6038. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any new industries are proposed to be set up in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) whether any memoranda have also been received from the State Government in this regard; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of Industaial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)

(a) to (c) The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. Information about new industries to be set up in Uttar Pradesh during the Plan peeiod will be available only after the Plan is formulated. Some suggestions in this regard have received from the State Government and are under examination.

Oil Engine Manufacturing Units in Ghaziabad, U.P.

6039. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently some land was reserved outside Ghaziabad town for Oil Engine manufacturing units at present functioning within the town ;

(b) whether it is a fact that those who have purchased land there for this purpose have not been able to utilise the same so far in the absence of water and power facilities; and

(c) if so, when these facilities are likely to be provided there ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य व्यापार निगम द्वारा बर्मा में कपड़ा मिलों की स्थापना

6040. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार द्वारा संसार भर में आमन्त्रित किये टेंडर के उत्तर में राज्य व्यापार निगम ने दो पूर्ण कपड़ा मिल स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) क्या इस बीच में राज्य व्यापार निगम को यह टेंडर दे दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) परिणाम अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

होली के त्योहार के दौरान रेलवे सम्पत्ति की हानि

6041. **श्री कार्तिक उराव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष होली के त्योहार के समय सभी रेलवे खंडों (जोनों) पर रेलों की खिड़कियों के शीशों को बहुत क्षति पहुँचायी गयी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे को कुल कितनी हानि हुई और रेलवे की सम्पत्ति को ऐसी हानि से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हाँ, सिवाय दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम रेलवे में ।

(ख) लगभग 43,000 रुपये । रेलवे की परिसीमा और रेल गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य सरकार की रेलवे पुलिस की है और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आवश्यक कर्रवाई के लिए तुरन्त सरकारी रेलवे पुलिस से की जाती है ।

एशोसियेटिड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यू० के०) को किया गया भुगतान

6042. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुरू में दी गई एकमुश्त राशि के अतिरिक्त भारत सरकार तथा एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के बीच हुए करार के विभिन्न खंडों के अन्तर्गत ब्रिटेन की एसोसियेटिड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कितनी धनराशि दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : करार की एक प्रति 6 अगस्त, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर में सभा-पटल पर रख दी गई थी । करार की धारा 26 के विभिन्न खंडों के अधीन मेसर्स एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को भुगतान की गई राशियाँ निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	खण्ड सं०	राशि (लाख रु० में)
1.	16 (क)	31-3-67 तक 53.33
2.	16 (ख)	31-3-67 तक 37.48
3.	16 (ग)	31-3-67 तक 24.44
4.	16 (घ)	31-3-67 तक 264.07
5.	16 (ङ)	कुछ नहीं
6.	16 (च)	कुछ नहीं
7.	16 (छ)	31-3-68 तक 11.64

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (आई०) लिमिटेड

6043. **श्री नन्द कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज के साथ प्लांट और मशीनरी की एजेन्सी खरीदने के बारे में समझौता हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण सलाहकारों ने स्वयं एजेन्टों और सम्भरणकर्ताओं का कार्य किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस करार के पीछे क्या उद्देश्य छिपा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ। इस परियोजना की प्रथम अवस्था की कार्यान्विति के लिए अपेक्षित कुछ मशीनी औजारों, सन्यन्त्र व उपकरणों की खरीद के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रिटेन के बीच 18 अगस्त, 1958 को एजेन्सी खरीदने के बारे में एक समझौता हुआ था।

(ख) और (ग) इस समझौते के अन्तर्गत एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अथवा उनकी सहायक कम्पनियों से कुछ चीजें व उपकरण खरीदे भी गए थे। इन चीजों पर उनका एकाधिकार था और वे उनके द्वारा निकाली गई विधियों तथा परीक्षणों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड, उन कार्यविधियों को अपना लिया है, जिन उपकरणों पर उनका एकाधिकार नहीं था उसके लिए अन्य निर्माताओं से भी तुलना करने के लिए उनकी दरें माँगी गई हैं।

एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को परामर्श फीस का भुगतान

6044. **श्री नन्द कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच हुये समझौते में एसोसियेटिड इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को परामर्श फीस के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई या दी जानी है;

(ख) क्या यह सच है कि परामर्शदाताओं को दी जाने वाली फीस की कुल धनराशि के अनुमान में सरकार और हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भारी मतभेद है; और

(ग) यदि हाँ तो करोड़ों रुपये के ऐसे होने वाले मतभेद के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) तकनीकी परामर्श देने वाले करार के अन्तर्गत 31 मार्च 1967 तक मेसर्स एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को कुल 3.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। करार की शेष अवधि में दिसम्बर, 1970 तक परामर्शदाताओं को अभी और काफी राशि का भुगतान करना होगा।

(ख) और (ग) यह स्पष्टत: हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड की सरकारी उपक्रम समिति की 12वीं रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह कहा गया है कि दिसम्बर, 1967 में समिति के समक्ष दी गई गवाही में कम्पनी के अध्यक्ष ने यह कहा था कि परामर्शदाताओं को कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। जबकि मन्त्रालय के प्रतिनिधि ने बताया है कि यह राशि लगभग 8.03 करोड़ रुपये होगी। अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित अनुमान में विशेषज्ञों को दिये जाने वाले वेतन आदि पर कम्पनी द्वारा आय कर के रूप में दी जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं थी जिसका अनुमान लगभग 2 करोड़ रुपये लगाया गया है। दोनों अनुमानों में भिन्नता का स्पष्ट कारण आय कर की राशि है।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (आई०) लिमिटेड के परामर्शदाता

6045. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से होने वाले करार के विभिन्न पहलुओं और भुगतान के तरीकों की जाँच के बारे में कोई कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की गई तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स के परामर्शदाता कौन हैं; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इस प्रकार की समिति नियुक्त करने की सिफारिश सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति द्वारा उसकी हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० के सम्बन्ध में रिपोर्ट में की गई है जो अप्रैल, 1968 में संसद में प्रस्तुत की गई थी। यह विचाराधीन है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं तथा उनकी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण

6046. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी समन्वयकारी एजेन्सी है, जो नई प्रयोजनायें तैयार करते समय इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसी नई प्रयोजनाओं द्वारा बनायी जाने वाली प्रयोजनाओं में ऐसी विशिष्ट वस्तुएं भी सम्मिलित हों जिनकी आवश्यकता अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को होती है और जो ऐसी सामग्री का आयात करते हों;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों को अपने संयन्त्रों के लिये कच्चे माल का आयात करना पड़ता है यद्यपि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम उसी सामान का निर्माण करते हैं परन्तु वह सामान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वांछित ब्यौरे के अनुसार नहीं होता; और

(ग) यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं का तथा सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकताओं का, जिनको स्वदेशी माल में पूरा किया जा सकता है, सर्वेक्षण करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ग) किसी भी नई परियोजना को स्थापित करते समय अनुमानित उत्पादन क्षमता की इस देश में इन उत्पादों की माँग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सावधानी से जाँच की जाती है। ऐसा करते समय विद्यमान सरकारी उपक्रमों तथा परियोजन को स्थापित करने आदि पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को भी ध्यान में रखा जाता है।

वित्त मन्त्रालय का सरकारी उपक्रम ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के परियोजना प्रस्तावों पर सलाह देता है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है, उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार के प्रस्तावों में संशोधन करने के लिये सुझाव देता है। इस प्रयोजन के लिये ब्यूरो विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा तैयार की जा रही वस्तुओं तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं पर बराबर निगरानी रखता है।

(ख) किसी भी सरकारी उपक्रम को नियमानुसार ऐसे कच्चे माल का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती जो देश में किसी अन्य सरकारी उपक्रम अथवा किसी अन्य देशी साधन से उपलब्ध होते हैं। केवल उपर्युक्त मामलों में ही इस प्रकार के कच्चे माल जैसे अपेक्षित या स्वीकृत विशिष्ट विवरण की मशीनें या पुर्जे जो देश में उपलब्ध नहीं हैं सरकारी उपक्रमों को आयात करने की अनुमति दी जाती है।

भारतीय खान ब्यूरो

6047. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो के, जिसे तीन वर्ष पूर्व भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मिला दिया गया था, कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) खनिज की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम बनाते समय ब्यूरो के अधिकारियों के साथ परामर्श नहीं करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के उप मन्त्री (चौ० राम सेवक) :

(क) भारतीय खान ब्यूरों का समन्वेषण कक्ष भारतीय खान ब्यूरो से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को दिनांक 1 जनवरी, 1966, से अन्तरित किया गया था और न कि तीन वर्ष से भी अधिक समय पूर्व।

कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण, पहले के भारतीय खान ब्यूरो के कर्मचारियों के भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसके लिये भर्ती नियमों का संशोधन किया जाना आवश्यक है। श्रेणी एक तथा दो के व्यघन पदों के सम्बन्ध में नियमों का संशोधन कर लिया गया है। बाकी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वैसी ही कार्यवाही की जा रही है।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों पर केन्द्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और उसी के द्वारा यह तैयार किये जाते हैं। इस बोर्ड में ब्यूरो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

खेतरी तांबा प्रायोजना

6048. **श्री लोबो प्रभु** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा प्रायोजना के सम्बन्ध में 1965 में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1956 से पानी निकालने के कितने सूराख किये गये हैं और उनमें से कितने काम कर रहे हैं; और

(ग) हमारे देशी उपकरणों से सिंहभूम के निक्षेपों में से ताँबा क्यों नहीं निकाला जा रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौ० रामसेवक) :

(क) सम्भवतः निर्देश भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के समन्वेषण कक्ष (जो कि पहले भारतीय खान ब्यूरो का था) द्वारा मधान-कुधान तथा कोलिहान अन्वेषणों पर दी गई रिपोर्ट की ओर है । इन निक्षेपों का विकास खेतड़ी ताँबा परिसमूह के भाग के रूप में विदोहन करने के लिये हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य खेतड़ी ताँबा प्रायोजना में खोदे गये नलकूपों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को खेतरी ताँबा प्रायोजना को पानी सप्लाई करने के लिये अन्वेषणों के सम्बन्ध में 28 प्रायोगिक छिद्र किये । चौनारा-जोधपुरा में मुख्य जल सप्लाई योजना के लिये सन् 1966 से 12 नलकूप खोदे गये हैं । 1977 तक, जबकि मुख्य जल सप्लाई योजना को पूरा किये जाना प्रस्तावित है, सबके चलाये जाने की प्रत्याशा है । नगर को जल सप्लाई करने के लिए खेतड़ी-सिंधाना नदी क्षेत्र में 4 नलकूप खोदे गये हैं । इनमें से दो नलकूप चल रहे हैं और 1968 में खोदे गये बाकी के दो कूपों को जल्द ही चालू किये जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा चौनारा-जोधपुर में 5 नलकूप तथा खेतड़ी ताँबा प्रायोजना के स्थान पर 2 नलकूप प्रायोगिक कूपों के रूप में खोदे गये थे । खेतड़ी-सिंधाना नदी क्षेत्र के नलकूप चल रहे हैं, जबकि चौनारा-जोधपुरा क्षेत्र के 5 नलकूप 12 अन्य कूपों के साथ चालू किये जायेंगे ।

(ग) सिंहभूम के राखा ताँबा निक्षेपों के विद्रोहन की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

एल्यूमिनियम, विशेष इस्पात तथा अलौह धातुओं का आयात तथा निर्यात

6049. **श्री एस०आर० दामानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा वर्ष 1967-68 के दौरान एल्यूमिनियम, विशेष इस्पात तथा अलौह धातुओं की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया, उनका मूल्य कितना था और किन देशों से उनका आयात किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उक्त वस्तुओं का कितना-कितना निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था और कौन कौन से देशों को उनका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) दो विवरण सभा पटल पर रखे गये,

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1922-68

पूर्व योरप के देशों के साथ भारत का व्यापार

6050. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से पूर्व योरप के देशों के साथ भारत का व्यापार घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के संबन्ध में हमारी निर्यात योजनाओं तथा वास्तव में हुए व्यापार में कितना अंतर है ; और

(ग) क्या भारत इन देशों से ऐसी वस्तुओं का अब भी आयात कर रहा है जिन में भारत आत्म-निर्भर है और यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारे व्यापार में कुछ गिरावट आई है। तथापि इस गिरावट का कारण अधिकांशत: हमारे आयातों में कमी का होना है, जो देश में बढ़ती हुई औद्योगिक आत्म-निर्भरता के फलस्वरूप हुई है। जबकि 1967 में 1965 की तुलना में इन देशों से लगभग 26 प्रतिशत आयात कम हुआ था, निर्यात में केवल 3 प्रतिशत की ही कमी हुई। वास्तव में निर्यात की संभावनाओं में निरन्तर सुधार हो रहा है तथा इन देशों को भारत के निर्यात में विविधता आती रही है। अत: हमारी योजनाओं के अनुसार ही, द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्धों की रूपरेखा के अंतर्गत इन देशों को निर्यात विकसित हो रहा है।

(ग) इन देशों से भारत द्वारा केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाता है जिन्हें भारत सरकार के संबंधित विभाग स्वदेशी दृष्टिकोण से निरापद बता देते हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति

6051. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की 2 जुलाई, 1968 को हुई बैठक के क्या परिणाम निकले थे; और

(ख) यदि उन उद्योगों को, जिन्हें अभी भी मंदी से छुटकारा नहीं मिला है, सहायता देने के लिये समिति ने कोई सुझाव दिये थे, तो वे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) उद्योगों की केन्द्रीय परामर्श परिषद की स्थायी समिति ने अपनी 2 जुलाई, 1968 को हुई पिछली बैठक में देश की वर्तमान औद्योगिक की स्थिति पर पुनर्विचार किया और कुछ ऐसे मामलों पर भी विचार किया जिनका औद्योगिक लाइसेंस नीति पर प्रभाव पड़ता है। बैठक के विमर्श इन मामलों पर उद्योग के विचारों के आदान-प्रदान के रूप में अधिक थे। समिति में

कच्चे माल के सम्भरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात के लिये उत्पादान, विपणन सुविधाओं का विस्तार करने तथा मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न सुझाव / निर्णय सरकार के विचाराधीन हैं ।

काली मिर्च का निर्यात

6052. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में काली मिर्च का निर्यात काफी कम हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ऊनी हौजरी के कारखाने

6053. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में ऊनी हौजरी के कितने कारखाने हैं ; और

(ख) इस समय इन कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1046

(ख) कर्ज 1967 में ऊनी हौजरी के कुल वार्षिक उत्पादन का अनुमान 9.5 लाख किलोग्राम है ।

काफ़ी का निर्यात

6054. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफ़ी के निर्यात के सम्बन्ध में वर्ष 1967 के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) काफ़ी बागान के कार्यकारी दल के उप-दल द्वारा वर्ष 1967/68 के लिये सिफारिश किये गए 42,000 मीटरी टन के निर्धारित निर्यात लक्ष्य के मुकाबले 18.15 करोड़ रुपये के मूल्य की 33.949 मीटरी टन काफ़ी का उक्त कर्ज निर्यात किया गया ।

'टाइलों' का निर्यात

6055. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'टाइलों' का निर्यात कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) मलयेशिया, सिंगापुर तथा श्रीलंका जैसे प्रमुख विदेशी बाजारों में स्वदेशी उत्पादन का बढ़ जाना और सीमेंट के टाइल जैसे सस्ते विकल्पों का प्रयोग ।

(2) अधिक समुद्री भाड़ा ।

राजस्थान और उड़ीसा में ऊपरी/निचला पुल

6056. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के दौरान सरकार का राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में अलग अलग कितने ऊपरी / निचले पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) :

(क) (i) 1968-69 में रेलवे लाइन के उपर/नीचे सड़क पुल बनाने का कोई विचार नहीं है ।

(ii) उड़ीसा में 1968-69 में दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) उड़ीसा राज्य के इन दो ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) वर्तमान समपार के निकट पानीकोइली-केन्दुझर रोड एस० एच० II पर 3367 कि० मी० पर जाजपुर-केन्दुझर रोड रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल ।

(ii) रायपुर-विजयानगरम लाइन (केसिंगा स्टेशन यार्ड-एस० एच० II) पर मी० 133/7 पर वर्तमान समपार के निकट ऊपरी पुल ।

दोनों योजनायें अभी अन्तिम निर्णय की प्रारम्भिक अवस्था में हैं । केवल केसिंगा में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की लागत में रेलवे के हिस्से के लिए 1968-69 के बजट में 3 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

राजस्थान और उड़ीसा में कुटीर उद्योग

6057. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के दौरान राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु इस बीच कोई योजनायें बनायी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान और उड़ीसा को अम्बर चरखों की सप्लाई

6058. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान राजस्थान और उड़ीसा को पृथक-पृथक वास्तव में कितने अम्बर चरखे सप्लाई किये गये ;

(ख) इस वर्ष इनमें से कितने वास्तव में काम कर रहे थे ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इस उद्देश्य के लिये कितनी मात्रा में धागा उपलब्ध किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : **(क) से (ग)** 1967-68 में उड़ीसा को 150 अम्बर चरखों की पूर्ति की गई है। इन सब पर काम होता रहा और इस अवधि में 2,704 किग्रा सूत का उत्पादन किया गया।

(नोट: प्रश्न के भाग (ग) के अंतर्गत संभवत: 'उपलब्ध' शब्द के स्थान पर 'उत्पादित' होना चाहिये था क्योंकि चरखा सूत का उत्पादन करता है और चरखे के लिये सूत उपलब्ध नहीं किया जाता है।)

राजस्थान के विषय में इस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Guna-Maksi Railway Line

\+

6059. Shri Yashwant Singh Kushwah:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure so far incurred on the construction of a new Railway line on the Guna-Maksi section and the time by which this work is likely to be completed;

(b) whether the Guna office connected with the said work is being closed down and its employees being sent elsewhere and, if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to leave this work incomplete; and

(d) the reaction of Government to the protests made by the people and their representatives in this connection ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha):

(a) The total expenditure incurred on this line upto June, 1968, is about Rs. 5.40 crores. The line will be completed in due course, taking into account the funds position and the growth of traffic.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise.

Attempt to Burn Passenger Train between Rajendranagar and Indore Stations

6060. Shri Yashwant Singh Kushwah:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an attempt was recently made to set fire to a Passenger train with petrol between Rajendranagar and Indore stations on the Mhow-Ujjain section of the Western Railway ;

(b) whether it is also a fact that there is a hand of Naxalabari type of Communists behind this incident; and

(c) the steps taken to enquire into the incident and punish the culprits?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) No.

(c) Government Railway Police, Indore have registered a case on crime No. 136/68 dated 25.7.68 u/s 128 Indian Railway Act and 436/511 IPC and investigation is in progress. No arrest has been made by the police so far.

H.M.T. Bangalore

6061. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the target fixed for the annual production by the Hindustan Machine Tools Ltd, Bangalore and the quantity produc d in this factory last year; and

(b) the number and names of watches manufactured in the aforesaid factory last year, the number of watches which were sold in the country and the number of those exported and the percentage of foreign parts used in these watches ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):

(a) The targets fixed for the annual production by the Hindustan Machine Tools Limited and the machine tools and watches produced duri ıg 1967-68 are as follows:

	Units	**Target**	**Productin**
Machine Tools	Numbers	2,178	1,80^
Watches	,,	2,50,000	2,50,000

(b) The information is furnished below:—

Year	**Names of watches**	**Number of watches munufactured**
1967-68		
	Citizen	59,079
	Sona	197
	Janata	1,19,649
	Janata (luminous)	14,533
	Pilot	4,360
	Sujata	42,490
	Jawan	9,692
		2,50,000

Number of watches sold in the country during
1967-68 2,44,492
Number of watches exported during
1967-68 931
Percentage of foreign parts
used in the watches 16%

Non-Official Standing Advisory Committee of Businessmen

6063. Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a non-official Standing Advisory Committee consisting of experienced Indian businessmen to promote the country's trade; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) No, Sir.

(b) Government have already set up two high powered advisory bodies viz; (1) The Board of Trade and (2) Advisory Council on Trade. Adequate representation has been given on these bodies to experienced Indian businessmen.

Licensing Policy

6064. Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Licensing Department is obstructing the Industrial progress in the country;

(b) if so, whether Government propose to modify the licensing policy; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):

(a) to (c) Proposals for further liberalisation of the industrial licensing policy are under consideration of Government.

विदेशों से उर्वरकों की खरीद

6065. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को पश्चिम यूरोपीय देशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों का भाड़े सहित मूल्य अमरीका और कनाडा से आयातित उर्वरकों के मूल्यों से अधिक देना पड़ता है :

(ख) क्या यह भी सच है कि इसरायल और फारफोसा से रासायनिक उर्वरक इससे भी कम मूल्यों पर मिल सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम यूरोपीय देशों से ऊंची से ऊंची दरों पर उर्वरक खरीदने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में बांसपानी-जोरुरी रेलवे लाइन का निर्माण

6067. **श्री गु० च० नायक** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में बांसपानी के खान मालिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि वे बांसपानी जोरुरी रेलवे लाइन के निर्माण की लागत देने के लिए तैयार है;

(ख) क्या लाइन का सर्वेक्षण कराया जा चुका है और निर्माण की लागत का अनुमान लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी लागत का अनुमान है और कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क), (ख), (ग) और (घ) रेलवे बोर्ड को खान मालिक संघ की ओर से ऐसा कोई निर्दिष्ट ज्ञापन नहीं मिला है जिसमें उन्होंने बांसपानी-जोरुरी लाइन की लागत का भार वहन करने की सहमति प्रकट की हो।

इस लाइन को एक रेलवे शाखा लाइन के रूप में बनाने का कोई औचित्य नहीं है । फिर भी, बांसपानी-नयागढ़-पारादीप सर्वेक्षण के एक अंश के रूप में इस लाइन के लिये 1964-65 में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था। बाद में मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कहने पर इस 6 मील लम्बी लाईन को एक निजी साइडिंग के रूप में निर्मित करने के लिए 294 लाख रुपये का अनुमान इस कारपोरेशन के पास आगे विचार के लिए भेजा गया। अब यह मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन पर निर्भर हैं कि वे खान मालिकों के साथ कोई उपयुक्त करार करने के बाद इस साइडिंग की मांग करें ।

Manufacture of Power Tillers with Japanese Collaboration

6068. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to manufacture power-tillers in collaboration with the firms of Japan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b) The following four schemes for the manufacture of Power tillers with Japanese collaboration have already been approved by Government :

1. M/S Krishi Engines Pvt. Ltd., Hyderabad	Akitu	Power tillers
2. M/S. V.S.T. Motors Ltd., Bangalore.	Mitsubishi	-do-
3. M/S. J.K. Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., Kanpur.	Satoh	-do-
4. M/S. F.W. Heilgers Ltd., Calcutta.	Kubota	-do-

Two more proposals for the manufacture of Power tillers with Japanese collaboration have been received. One of these is from M/S Indequip Engineering Ltd., Ahmedabad for the manufacture of 'Robin' power tillers and the other from M/S Shetakari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sangli for the manufacture of 'Yanmar' Power tillers. Detailed schemes from these parties are awaited.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र कोढांचों तथा उपकरणों कीसप्लाई

6069. **श्री कार्तिक ओराओं :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को ढांचे तथा उपकरण सप्लाई करने के संबंध में हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन ने जो बचन दिये हुए हैं, उन्हें वर्ष 1971 तक पूरा किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो बोकारो इस्पात संयंत्र भारत सरकार तथा जनता को दिये हुए वचन को कैसे पूरा करेगा ;

(ग) हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, रुड़की ने बोकारो इस्पात संयंत्र को कुल कितने ढांचे तथा उपकरण सप्लाई करने का वचन दिया हुआ है, प्रतिवर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक वार्षिक लक्ष्य क्या रहा है और उस लक्ष्य की तुलना में वास्तव सफलता कितनी मिली है, और

(घ) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में अब तक वास्तव में विक्रय योग्य कितना उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) हैवी इंजीनियरिंग लि०, राँची को बोकारो इस्पात संयंत्र को 98,852 मीट्रिक टन मशीनी उपकरणों, औद्योगिकीय ढाँचों और मशीनी औजारों की पूर्ति करनी है उपकरणें एवं ढांचों की पूर्ति 1868 की दूसरी तिमाही से आरम्भ की जायेगी । सम्पूर्ण माल की पूर्ति 1971 की तीसरी तिमाही तक धीरे-धीरे पूरी करनी है । मशीनी औजारों की पूर्ति सितम्बर 1968 से की जायेगी और सितम्बर 1969 तक जारी रहेगी । उपर्युक्त कार्यक्रम के आधार पर माल की पूर्ति कई बातों पर निर्भर करेगी जिनमें इस्पात व अन्य सामग्री की उपलब्धि और सोवियत रूस से समय पर पूरा करने वाले उपकरणों की पूर्ति आदि शामिल हैं । यद्यपि माल देने के कार्यक्रम में बहुत कम गुंजाइश है, फिर भी बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार इन चीजों की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । जुलाई,

1968 के अन्त तक बोकारो को 876 मीट्रिक टन मशीनी उपकरण तथा 1739 मीट्रिक टन ढांचे अर्थात् कुल मिलाकर 2.615 मीट्रिक टन सामान की पूर्ति की गयी।

(घ) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि० के संयंत्रों में विक्रि योग्य वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हुआ :—

	1966-67	1967-68	1968-69 (जुलाई तक)
भारी मशीनें बनाने का संयंत्र	14.307 मिट्रिक टन	14,656 मिट्रिक टन	6,991 मिट्रिक टन
फाउंड्री फोर्ज संयंत्र	5,058 " "	3,088 मिट्रिक टन	3,911 मिट्रिक टन
भारी मशीनी औजार संयंत्र	7 अदद	15 अदद	2 अदद

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति

6070. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में 17 दिसम्बर, 1965 को पदोन्नति की कसौटी जून, 1962 से पूर्व सेवा में आने वालों के लिए सेवा में आने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता थी जबकि 23 मार्च, 1967 को सहायक इंजीनियरों के लिए पदोन्नति की कसौटी सेवा में आने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता नहीं थी परन्तु 480 रुपये प्रतिमास मूल वेतन था।

(ख) यदि हां, तो पदोन्नति की नीति में इस विशमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) **और (ख)** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

6071. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से वेतन पाने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली में विशेषकार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं और उसको परियोजना में नहीं लगाने के क्या कारण हैं और उसको दिल्ली में नियुक्त करने से क्या सुधार हुए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट परियोजना में एक चीफ इन्जीनियर नियुक्त किया गया है और उसको केवल अत्यावश्यक कर्मचारी दिये गये हैं जबकि वहां पर एक दूसरा चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर्स है और दूसरी ओर चीफ इन्जीनियर (टैक्नीकल) का पद लम्बी अवधि से रिक्त पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मिर्चों का निर्यात

6072. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से 30 जून, 1968 तक विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में मिर्चों का निर्यात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में भारतीय राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्य के उत्पादकों से कितनी मात्रा में मिर्च खरीदी गई;

(ग) विभिन्न राज्यों में सरकार तथा व्यापारियों के पास कितना माल जमा है; और

(घ) गोदामों और व्यापारियों के जमा स्टाक को समाप्त करने के लिये अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) वर्ष 1966 से 31 मई, 1968 तक मुख्य-मुख्य देशों को किया गया मिर्चों का निर्यात (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) निम्न प्रकार से है :

देश	वर्ष		मात्रा लाख टनों में
	1966	1968	जनवरी-मई 1968
लंका	59350	86190	32350
नेपाल	1740	2060	430
कुवैत	250	440	150
यू० के०	20	570	1200
यू० एस० ए०	—	1200	650
अन्य देश	250	5200	9710
योग	61610	15660	44490

(ख) 24-2-68 से 8-3-68 की अवधि में भारतीय खाद्य निगम के आंध्र प्रदेश में 3078 क्विंटल मिर्चों की खरीद की। 1967-68 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा एक मिट्रिक टन मिर्चों की खरीद की गई।

(ग) और (घ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि विभिन्न राज्यों में सरकारों तथा व्यापारियों के पास कितना माल जमा है तथा जमा स्टाक का निपटान करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं।

शराब का बनाया जाना

6073. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 तक देश में शराब बनाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और 15 अगस्त, 1967 को कितनी क्षमता थी ; और

(ख) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शराब बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने नये लाइसेंस दिये गये और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितने लाइसेंस देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

New Scheme of Catering and Vending on Central Railway

6074. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a new scheme of 'Catering and Vending' on the Central Railway ;

(b) if so, when the scheme is proposed to be introduced and the nature thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) (b) and (c) No new scheme of Catering and Vending is proposed to be introduced on the Central Railway. The Railway Administration has standing instructions to strive continuously to improve service to the travelling public under the present system of Catering and Vending. The Railway Catering and Passenger Amenities Committee recently looked into the question of Catering on Indian Railways and has made certain recommendations for improving the Catering arrangements on Railways. Some of their recommendations have already been accepted and instructions issued to all Railways including Central Railway for the implementation of these recommendations and the other recommendations are being examined.

Late Running of Trains on Central Railway

6075. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passenger trains on the Central Railway have been running late for the last six months ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to bring about an improvment in this regard ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The percentage punctuality of Mail/Express and passenger trains on the Central Railway during the last six months is indicated below :

Percentage punctuality

Month	B. G.		M. G.	
	Mail/Express	Passenger	Mail/Express	Passenger
February, 68	74.5	61.9		91.6
March, 68	72.9	57.8	...	92.6
April, 68	69.0	64.9	...	75.8
May, 68	59.2	54.7	...	64.2
June, 68	54.7	56.9	...	48.3
July, 68	66.0	58.3	...	61.3

(b) There are a variety of reasons for late running of passenger carrying trains on the Central Railway including indiscriminate alarm chain pulling, thefts of telecommunication and other essential equipment resulting in control and signal failures etc. dislocating the running schedule of trains on the busy sections where late running of one train sets up a chain reaction in turn affecting a large number of trains.

(c) Every possible effort is being made to ensure the punctual running of passenger carrying trains. A special watch is maintained on the punctuality performance of passenger carrying trains at all levels from the Division to the Railway Board and all cases of avoidable detentions are taken up for corrective and punitive action. Special punctuality drives are also instituted from time to time.

रेल के माल-डिब्बों का निर्यात

6076. **श्री गणेश घोष :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया, कीनिया और हंगरी को सरकारों ने 11 करोड़, 87 लाख रुपये के मूल्य के रेलवे के माल-डिब्बे खरीदने के लिये आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में किन-किन औद्योगिक फर्मों को इन माल-डिब्बों का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक फर्म को कितने कितने मूल्य के माल डिब्बे बनाने को कहा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :—

फर्म का नाम	माल डिब्बों की संख्या	मूल्य	आदेश देने वाले का नाम
मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता और मैसर्स के० टी० स्टील इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई,	1050	7.67 करोड़ रुपये	दक्षिण कोरिया और हंगारी
मैसर्स टेक्स्टाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता	500	2.55 करोड़ रुपये	हंगारी
मैसर्स जैस्सेप एन्ड कम्पनी 'लिमिटेड कलकत्ता'	247	1.65 करोड़ रुपये	कोनिया

Railway Bridge between Hanumangarh Junction and Hanumangarh Town

+

6077. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the construction of an under-bridge between Hanumangarh Junction and Hanumangarh Town to protect the Railway line from the floods in the Ghaggar river ;

(b) the loss to the Railways as a result of the collapse of Railway line between Hanumangarh and Suratgarh due to floods in the Ghaggar river and dislocation of Railway traffic as a result of floods last year ; and

(c) the total amount spent on the additional labourers and earth work on the railway lines between Suratgarh and Anoopgarh which were damaged by floods consequent to which railway traffic had also been dislocated ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Rs. 11. 77 lakhs.

(b) The damage due to breaches amounted to Rs. 58.4 thousands. Loss due to dislocation of Railway traffic has not been assessed.

(c) Rs. 19 thousands approximately.

Electrification of Stations on Bikaner Division

6078. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state the number of stations in the Bikaner Division which have not been electrified and the name of the stations which are likely to be supplied electricity before the 31st December, 1968 ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : 116. Patli and Salemgarh Masani.

Deputy Foreman of Lucknow Division of Northern Rly

+

6079. Shri Arjun Singh Bhandoria : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Deputy Minister in the Ministry of Railways has received any letter regarding corrupt practices of a Deputy Foreman of Lucknow Division of the Northern Railway addressed to him;

(b) whether he is aware that officials of the Mechanical Wing of the Northern Railway have assured him, after accepting a big amount as illegal gratification, that no enquiry would be made against him;

(c) whether it is a fact that the said Deputy Foreman was transferred for committing irregularities; and

(d) the reasons for postponement of the said transfer ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Two letters were received by the Deputy Minister of Railways, one dated 8.6.68 and the other dated 2.8.68 but in both these letters no specific allegations of corruption were made out.

(b) No.

(c) The said Deputy Foreman was initially transferred from Lucknow on 3.8.66 when he as working as Junior Loco Inspector, for certain administrative reasons and because there had been some complaints from his staff against him alleging harsh and rude behaviour and also complaints of irregularities in which he was involved. On 21.9.'67, he as transferred back to Lucknow in the exigencies of service, as a Deputy Foreman in a local arrangement.

Since a senior suitable person has since been selected to replace him on a regular basis, orders for his replacement were issued on 12.7.'68.

(d) The Hon'ble Member is presumably referring to the recent orders w.e.f. 12.7.'68 for the replacement of the Deputy Foreman, Lucknow, by a senior suitable person. Since the person who has been selected to replace the said Deputy Foreman, Lucknow, has proceeded on leave the orders will be implemented as soon as his successor resumes after returning from leave.

उत्तर रेलवे के डी० एस० कार्यालय में टेलीफोन आपरेटर

6080. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टेलीफोन आपरेटरों को डी० एस० कार्यालय उत्तर रेलवे में टी० एल० एज० के स्थान पर लगाया गया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किस तारीख से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या कार्यकारी अधिकारी को दैनिक मजदूरी पर दफ्तरी कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मितव्ययता होने पर भी इन नियुक्तियों के लिए लेखा-परीक्षा और लेखा अधिकारियों की मंजूरी नहीं ली गई थी; और

(घ) क्या स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियों से अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के टेलीफोन में आग लगना

6081. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के टेलीफोन केन्द्र में आग लगने के बारे में 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9988 के उत्तर में उन्होंने बताया था कि रेलवे को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि वह डाक तथा तार विभाग का दायित्व था ;

(ख) क्या 25 जुलाई, 1968 को संचार मन्त्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर में इस हानि के लिये रेलवे आपरेटरों को दोषी ठहराया था ;

(ग) यदि हां, तो किस मन्त्रालय की हानि हुई है; और

(घ) उस आपरेटर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने 'पैक्स बोर्ड पर बिजली का हीटर रखा था और उसके परिणामस्वरूप आग लगी थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, जिम्मेदारी ठीक तरह से ठहरायी नहीं गयी थी ।

(ग) संचार मन्त्रालय।

(घ) एक प्रवर वेतन-मान रेलवे अधिकारी द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि बोर्ड बहुत पुराना था जिससे उसके घिसे हुए तार शार्ट होने के कारण बोर्ड अधिक गर्म हो गया और आग लग गयी। इसीलिए आपरेटर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

Small and Large Scale Industries in Jamshedpur

6082. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the loans given for the small and large scale industries in Jamshedpur and Adityapur, Bihar have not been invested in the industries so far;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the persons misusing the Government money ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Licences for the Import of Goods

6083. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government issue licences for the import of such goods also which are produced in India but Government think them to be inferior to those produced in foreign countries;

(b) if so, the names of the commodities for the import of which such licences have been issued by Government during the last three years ;

(c) the total quantity of the said commodities imported during the last three years and value thereof, commoditywise ;

(d) whether Government are not of the view that the export of Indian goods are affected adversely as a result thereof; and

(e) if so, whether Government propose to change this policy ?

The Deputy Minister in the Ministry Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) The general policy of the Government is not to permit import of items which are produced in the country or for which there is unutilised capacity. Exception is, however, made in respect of special purpose machinery and very specialised items where the specific requirements of the indentor cannot be complied with even by alternative specifications and also in respect of items where the Indian supplier cannot supply the goods in time to serve the economic purpose involved. It is not possible to indicate such items specfically.

(d) No, Sir.

(e) The import policy is, however, constantly kept under review and having regard to indigenous production, suitable changes are made where necessary.

बांदा लोको शैड मध्य रेलवे में प्रतिदिन काम के घंटे

6084. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर बांदा लोको शैड में प्रतिदिन बिना किसी विश्राम के बारह घंटे काम करना होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समूचे देश में अन्य शैडों वर्कशापों में प्रतिदिन 8 घंटे काम होता है;

(ग) यदि हां, तो बांदा लोको शैड के कर्मचारियों के विरुद्ध इस भेदभाव के क्या कारण है; और

(घ) क्या बांदा लोको शैड में कर्मचारियों द्वारा अधिक समय तक किये गये काम के लिये सरकार उन्हें भत्ता देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) काम के घन्टों से सम्बन्धित विनियमों के अन्तर्गत मध्य रेलवे में बांदा स्थित लोको शैड के कर्मचारियों को उनके कार्यभार के आधार पर अनिवार्यतः सांतरालिक कोटि में वर्गीकृत किया गया है और जैसा कि नियमों में निर्धारित है, उन्हें दिन में 12 घन्टे की ड्यूटी पर लगाया जाता है इस 12 घन्टे में कुछ ऐसी अवधियां भी शामिल हैं जिनमें वे काम नहीं करते ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जब वे सप्ताह में 75 घन्टे के उपरान्त काम करते हैं, तो अनिवार्यतः सांतरालिक कर्मचारियों की तरह साधारण से ड्योढ़ी दर पर समयोपरि भत्ता पाने के हकदार होते हैं ?

इन्जीनियरी माल निर्यात संवर्धन परिषद्

*6085. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता की इंजीनियरी माल निर्यात परिषद के अध्यक्ष द्वारा उस परिषद के भारी इन्जीनियरी सामान के बढ़े हुए निर्यात के लिए सुविधा होने के बारे में किये गये अभ्यावेदन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार का तथा कितना कितना माल निर्यात किया जा सकता है ?

(ग) उनके निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार का विचार यथा-शीघ्र इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इन्जीनियरी माल निर्यातकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी ओर इन्जीनियरी माल निर्यात परिषद ने समय-समय पर सरकार का ध्यान दिलाया है,

(ख) और (ग) भारी इंजीनियरिंग में क्या-क्या वस्तुएं शामिल हैं, इसकी कोई खास स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इस वर्ग में जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है वे हैं—ट्रान्समीशन लाइन टावर्स क्रेन तथा हविस तामीराती माल, औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी, मशीन टूल्स, रेलवे माल-डिब्बे तथा सवारी डिब्बे आदि। वर्ष 1968-69 में इन वस्तुओं के निर्यात से 13 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है, किस मद से कितनी आय होगी, यह बताना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) निर्यातकों द्वारा समय-समय पर मांगी गई सुविधाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उन्हें उचित तथा पर्याप्त सहायता दी जाती है।

नेफा में रेलवे का विकास

6085. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में रेलवे का विकास करने के लिए उस क्षेत्र में कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और वह कब तक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति के कारण चौथी योजना में विकास के प्रयोजन से नेफा क्षेत्र में किसी नयी लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की संभावना नहीं है। इस समय यदि इस क्षेत्र में नयी लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया जाता है तो दूर भविष्य में जब कभी इसके निर्माण पर विचार होगा, उस समय यह सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा। इसलिए इस समय कोई सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है।

Jamalpur Railway Workshop

\+

6087. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** **Shri K. Lakkappa :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Heat Treatment Shop in the Jamalpur Railway Workshop (Bihar) the Officers are taking the work of skilled workers from the unskilled workers against the provision made in the rules; and

(b) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government against the officers who have violated the rules ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Railway Workshop Jamalpur.

6088. **Shri K. Lakkappa :** **Shri Lakhan Lal Kapoor :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no security arrangements for the labourers in the Casting wing of the Railway Workshop Jamalpur(Bihar)and there are heaps of clothes all around the place of work which would make getting out of the said place difficult so save one's life in an emergency ;

(b) whether it is also a fact that the labourers of the said worshop are not being provided with chappals, gloves, and sun goggles at present consequent to which their lives are always in danger and some of the labourers have sustained serious injuries also ;

(c) whether it is also a fact that the crane provided to carry the manufactured goods upstairs is lying out of order for the last sixteen months and the labourers have to carry the same on their heads ; and

(d) whether it is also a fact that the bath rooms and latrines meant for the labourers are dirty and insanitary ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Adequate safety arrangements exist. The answer to the latter portion is in the negative.

(b) They are provided with chappals, gloves and goggles. Action has been taken recently to overcome the shortage in this respect.

(c) & (d) No.

Promotion of A. P. os on North Eastern Railway

6089. **Shri Chandrika Prasad** :Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a junior A. P. O. in the same panel was promoted to Class I post on the North Eastern Railway in spite of his record being bad ; and

(b) if so, the reasons for not considering the senior A. P. Os who had good record also, for promotion to class I post ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, only those with good record of service are selected for Class I.

(b) Class II officers are promoted to Class I as a result of a positive act of selection by the Departmental Promotion Committee of the Union Public Service Commission. All eligible Class II Officers are considered in their order of seniority and the most suitable ones are selected.

Jamalpur Railway Workshop

+

6090. **Shri Ram Charan :** **Shri Lakhan Lal Kapoor :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of workers in the Jamalpur Railway Workshop (Bihar) has been reduced from 22,000 to 12,000 and their recruitment and promotion has been completely stopped;

(b) whether it is also a fact that this is due to repairs of steam engines;

(c) whether it is also a fact that the scheme of manufacturing 50 and 70 tonne cranes has also been entrusted to a private company by withdrawing it from the Jamalpur Railway Workshop; and

(d) if so, whether Government propose to equip the Jamalpur Workshop with the latest machinery to start the manufacture of diesel engines and other modern equipment?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) & (b) There has been a small reduction from 10,009 in 1962 to 9,240 in 1967 mainly due to reduction in workload.

(c) No.

(d) Does not arise.

बम्बई-दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेल-गाड़ी को चलाने के लिए डीज़ल इंजन का इस्तेमाल

6091. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में बम्बई-दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी कब डीज़ल इंजन से चलाई जाने लगेगी; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) आवश्यक माल यातायात के संचलन के लिए डीज़ल रेल इंजनों की बड़ी जरूरत है और कुल मिलाकर डीज़ल रेल इंजनों की कमी है। इसलिए फिलहाल इन गाड़ियों को डीज़ल इंजन से चलाने का विचार नहीं है।

गुजरात से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के ऊपर पुल

6092. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के ऊपर कुल कितने पुल हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में बनाये गये पुलों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने पुल 20 वर्षों से अधिक समय से भी पुराने हैं और उनकी सामयिक मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री० सी० एम० पुनाचा) : (क) सात हज़ार दो सौ ।

(ख) पन्द्रह ।

(ग) छः हज़ार चार सौ चौहत्तर। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर साल आवधिक मरम्मत की जाती है ।

बन्द कपड़ा मिलों के लिए गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

6093. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) कुल कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते । इंजीनियरी सामान के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं की ओर से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे कि विभिन्न प्रकार के लोहे तथा इस्पात की कीमतों को बढ़ने न दिया जाय क्योंकि इंजीनियरी उद्योग को पहले ही क्रयादेशों के अभाव तथा श्रमिक-संकट आदि के कारण मंदी तथा बेकार क्षमता से आघात पहुंचा है । सारी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए जिसमें इंजीनियरी सामान के निर्माताओं का अभ्यावेदन भी शामिल है, यह महसूस किया गया कि बाजार की हालत को तथा कोयले की कीमत, रेलवे भाड़ा दर, उत्पादन शुल्क, विक्रय कर, मजूरी तथा मंहगाई भत्ते और रायल्टी में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, लोहे और इस्पात की कीमतों में कुछ वृद्धि करने के लिये आधार था ।

स्टीम लोको शैड, डूंगरगढ़ (दक्षिण पूर्व रेलवे)

6094. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टीम लोको शैड को समाप्त करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप लोको शैड के कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जायेगा तथा उन्हें मजबूर होकर तबादला करना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी कठिनाई होगी;

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किया है कि नागपुर डिवीजन के विद्युतीकरण होने तक भिलाई तथा नागपुर के बीच माल तथा सवारी गाड़ियों को भाप के इंजनों से चलाना जारी रखा जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

Overbridge between Chirmiri College and School and Kurmasia, District Sarguja (Madhya Pradesh)

+

6095. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no over-bridge between Chirmiri College and School and Kurmasia in Sarguja District of Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that many accidents took place there in the past in the absence of an over-bridge ;

(c) whether Government propose to construct an overbridge there to avoid recurrence of such accidents; and

(d) if so, the time by which its construction would be taken in hand and when it would be completed ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a), (b), (c) & (d) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Agreement between Railway Board and Colliery Owners

6096. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the amount of additional expenditure which would have to be incurred by the Railways in 1968-69, according to the agreement reached between the Railway Board and colliery-owners raising the present price of coal; and

(b) the grade of coal involving price increase and the extent of the price increased ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) About Rupees one crore excluding price increase, if any, in the Singareni coal which is still under negotiation.

(b) A statement is attached.

[Placed in Library. See No. L.T. 1928-68]

Cooperative Textile Mills in Madhya Pradesh

6097. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of textile mills in Madhya Pradesh which are being run on co-operative basis ;

(b) the number of textile mills, whose construction has not been completed as yet, the number of those whose construction is still in progress and the names of the Districts where these mills are located; and

(c) the amount of financial assistance provided by the Central Government during the last five years in respect of those textile mills whose construction is still in progress ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) & (b) Only one cotton spinning mill of 12,000 spindles has been licensed in the Cooperative Sector to be set up at Burhanpur (Madhya Pradesh). This mill is still under construction.

(c) No financial assistance has been provided by the Central Government so far.

Recovery of Rails in Siliguri

6098. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Sharda Nand :**

Shri T.P. Shah : Shri Yashwant Singh Kushwah :

Shri J.B. Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the first fortnight of August, 1968 the Security Police recovered rails worth one lakh of rupees from the premises of a steel factory in Siliguri ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The correct position is that on 26.7. 68, the District Police Siliguri in conjunction with Railway Protection Force, Siliguri recovered and seized 323 pieces of rails from the precincts of M/s. Mooljee Iron and Steel Mills, Siliguri. Subsequently, the Railway Protection Force, Siliguri working on a source information raided the premises of the said mill on 28.7.68 and seized a further lot of 478 pieces of rails.

(b) 3 persons have been arrested so far. 2 cases on crime No. 36 (7) 68 u/s 379 IPC and No. 37 (7) 68 u/s 379 IPC have been registered by the local police Siliguri.

"Earnings of Railways"

6099. **Shri Brij Bhushan Lal : Shri T.P. Shah :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of rise in the Railway Earnings in the months of April, May and June, 1968 ; and

(b) the extent thereof in April, May and June, during the corresponding period last year?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The Railway Earnings for the relevant months are given below in Crores of rupees :

Traffic Earning for	1966	1967	1968
April	64.29	69.19	77.40
May	71.79	69.42	78.87
June	57.08	67.38	71.16

महाराष्ट्र में यवतमाल जिले में रेलवे लाइनें

6100. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में रेलवे लाइनें बनाने के लिए इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं और यह सर्वेक्षण कब तक करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) वर्तमान अर्थोपाय सम्बन्धी कठिन स्थिति के कारण चौथी योजना में यवतमाल जिले में किसी नयी लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की सम्भावना नहीं है। इस समय यदि इस क्षेत्र में नयी लाइन के लिये कोई सर्वेक्षण किया जाता है तो दूर भविष्य में जब कभी इसके निर्माण पर विचार होगा, उस समय यह सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा। इसलिये इस समय इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है।

महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइनें

6101. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने कितनी तथा किन नई रेल लाइनों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार का विचार दाव्ही मोतीबाग में से पुसाड तक छोटी लाइन जिसे दूसरे विश्व युद्ध में बन्द कर दिया गया था, को चालू करने का है ;

(ग) क्या सीमेन्ट तथा अन्य उद्योगों के विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यवतमाल जिले में नई रेलवे लाइनें बिछाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) रेलवे की चौथी योजना में शामिल करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित नयी लाइनों/बदलाव योजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

1. मनमाड-औरंगाबाद- नांदेड खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना।
2. आप्ते-खड़पदा-दसगांव-गोवा।
3. शोलापुर-ओसमानाबाद-भीर-पैठान औरंगाबाद-चालिसगांव और भुलिया से नरधाना तक।
4. बलहारशाह-अश्ती-अल्लापल्ली-गुड़पल्ली-सूरजगढ़ भम्रगढ़ से गिडन जगदलपुर को बड़ी लाइन से मिलाना।
5. कालाअम्ब-खापरखेड़ा (रेलवे साइडिंग)
6. कुर्ला-कर्जत का कुर्ला-पानवेल खंड।
7. मिरज-पंढरपुर-कुरडुवाडी-बार्सो-लातूर को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना।

8. मोमीनाबाद के रास्ते लातूर-पूर्ली वैजनाथ ।

9. घुगुस के रास्ते आदिलाबाद-चान्दा ।

10. कोल्हापुर-रतनगिरी ।

11. कारड-चिपलन ।

12. दर्वाह पुसद लाइन को फिर से बिछाना ।

13. बडनेरा-अमरावती-नारखेद ।

14. चोखली के रास्ते खामगांव-जालना ।

15. चिमूर-उमोर ।

16. गंगाखेद से बांधन तक और नांदेड लातूर तक रेलवे लाइन ।

17. मनमाड-मालेगांव-धुलिया नरधाना ।

18. कुरडुवाडी-करमाला नगर, करमाला-औरंगाबाद और कुरडुवाडी-सिंघनापुर रेलवे लाइन ।

19. घुगुस से सिंडोला रेलवे लाइन, और

20. कोल्हापुर-नागपुर रेलवे लाइन का निर्माण ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Forward Trading

6102. **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the forward trading;

(b) whether the Forward Trading Commission, Bombay has suggested not to abolish the forward trading ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard; and

(d) the benefits that accrue to Government from the forward trading ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

(d) Forward trading benefits the functionaries in the trade and industry. It minimises price fluctuations in commodities and provides a medium of insurance to producers, dealers, processors and consumers against adverse changes in prices. These benefits are shared by the community at large.

नई दिल्ली-फरीदाबाद उपनगरीय सैक्शन

6103. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में नई दिल्ली-फरीदाबाद लाइन के उपनगरीय सैक्शन की अवहेलना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उटता ।

Misappropriation in the Catering Department of North-Eastern Railway

+

6104. Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount found to be misappropriated in the Catering Department of the North-Eastern Railway during the period from April, 1965 to March, 1968 and the manner in which the said amount is being recovered; and

(b) whether for misappropriation of such heavy sums, any action was taken against those high officers of the Commercial Department who were directly involved in these irregularities?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) A sum of Rs. 660/- was found to have been misappropriated during the period April, 1965 to March, 1968. Out of this, a sum of Rs.560/- has been made good by the staff concerned. Regarding the balance, action is in progress.

(b) No gazetted official is involved.

Construction of Railway Lines in Rajasthan

+

6105. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the policy of Government in regard to the construction of new railway lines are laid for providing amenities and means of transport to the people or they are constructed only with a view to earn profit by the Railway Ministry ;

(b) the reasonable basis on which Government reject the proposals for the construction of new railway lines in backward areas like Rajasthan declaring them as unremunerative; and

(c) whether Government propose to conduct a fresh survey in regard to the Chittor-Kotah lines and Pratapgarh-Banswara-Dungarpur line ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) & (b) Expansion of Railways in different parts of the country is not based on any State or region-wise considerations. Railway development is planned to meet the rail transport demands likely to be generated by specific industrial projects, expansion of port facilities, exploitation of mineral and forest resources, large scale agricultural development, strategic considerations, and Railways' own operational necessities, having regard to the monetary ceilings laid down for such railway works by the Planning Commission. The Government are also aware of the necessity for constructing new railway lines in backward areas in the country, but the availability of resources both financial and material play a significant part in planning the country's railway development. The Railways have to en-

sure the financial soundness of their enterprises as otherwise their maintenance will become a drain on the national exchequer. For this reason the economic viability of new line projects has to be carefully weighed. The Railways have to contribute 6% to the General Revenues as dividend on the Capital cost of a project. Hence, new projects which do not yield a return of this order with adequate margin even in the 6th year after opening are considered as unremunerative. Detailed traffic surveys are conducted before a new line is classed as remunerative or unremunerative.

(c) No.

Exports of Tea and Jute

6106. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to safeguard India's interests in the matter of exports of commodities like tea and jute in view of tough competition faced by them ;

(b) the extent of increase in the export of tea, jute and textiles under the export promotion policies followed during the last three years and the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the details of fresh offorts being made by the Tea Board to step up the production and sale of tea and the steps taken to increase the area under tea plantations ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The steps taken to make Indian teas competitive in foreign markets include reduction in export duty, tax concessions in respect of expenditure incurred by exporting firms on promotional measuresin foreign markets, and operation of schemes by the Tea Board to assist tea gardens in improving the quality of tea produced.

As regards jute, no positive steps are being taken to encourage its exports as we ourselves are experiencing shortage of raw jute for the last few years. Except for limited exports to U. S. S. R. under the bilateral trade agreement with that country, no exports of jute are being allowed at present.

(b) The value of our exports of tea, raw jute and cotton textiles during the past three years were as shown below :

Value in crores of rupees

	1965-66	1966-67	1967-68
Tea	114.84	156.22	180.20
		(102.26)*	(113.92)*
Textiles (cotton)	64.87	75.75	81.27
Raw jute	2.88	3.41	2.62

(* In pre-devaluation terms)

(c) The Tea Board has given a loan of Rs. 624.43 lakhs so far under the plantation Finance Scheme; this would enable extension and replantation to the extent ofe 1,713.41 hectares. Equipments and machinery worth Rs.586.79 lakhs have also been supplied to-date by the Board under the Hire-Purchase Scheme.

To promote sales of Indian tea abroad, promotional measures have been undertaken in the U. S. A., Canada, the U. K., Ireland, West Europe, the U.A.R., Australia

and New Zealand, with special emphasis on introducing pure Indian tea in packets in retail sale. Publicity for Indian tea is also organised in international trade fairs and exhibitions, and through prominent hotels and restuarants, store-demonstrations, merchandising, public relations and advertising.

India's Trade Agreements

6107. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the countries with which India has signed trade agreements during the years 1967 and 1968 and the details thereof ;

(b) the extent of increase in our exports during this period as a result of those agreements; and

(c) the details of the goods exported to each country during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) A statement showing the counties with which India concluded trade agreements during the year 1967-68 is attached. (Statement-I) [Placed in Library. See No. L. T. 1924-68] The details are given in the Agreements, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) The increase or decrease in the exports is not related to trade agreements only. It depends on many other factors. Comparative figures of exports for the year 1966-67 and 1967-68 are indicated in the statement attached to part (a) of the Question.

(c) A statement is attached. (Statement-II)

[Placed in Library. See No. L. T. 1924-68]

Hindustan Zinc Smelter

6108. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the amount given by Government as compensation to the Metal Corporation of India, Calcutta for taking over their Zinc Smelter and Zawar Mines near Udaipur, Rajasthan which is now known as the Hindustan Zinc Smelter;

(b) in case no compensation has so far been given the reasons therefor;

(c) the action taken so far to work out the compensation, credit and liabilities of the said Metal Corporation of India after its being taken over by Government and the reasons for delay in this regard; and

(d) whether it is a fact that this Corporation has claimed thirty two crores of rupees as compensation while only two crores of rupees, are proposed to be given to them and, if so, the details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) Government have assessed the amount of compensation payable to the Metal Corporation of India for the acquisition of its undertaking in accordance with the principles specified in the Schedule to the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (No. 36 of 1966). Having waited for a considerable time for the Metal Corporation of India to furnish to the Government a complete

inventory of all the properties and assets and all liabilities and obligations of the Company as required under the provisions of the Act to work out the compensation and in view of the failure of the Company to furnish the same, the work of assessment was completed as expeditiously as possible on the basis of available books, documents and other relevant material. The assessment also involved considerable complications and volume of work. An amount of about Rs. 211.69 lakhs was offered to the Company on 28th June, 1968 as compensation and their acceptance is awaited. As regards the claim of Rs. 32 crores referred to, no such claim has been received by the Government from the Company.

बड़ी लाइन का कालका से पारामनू तक का बढ़ाया जाना तथा कन्दरौड़ी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) का विस्तार

6109. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालका-शिमला सैक्शन पर बड़ी लाइन को कालका से पारामनू तक बढ़ाने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से सरकार को माल तथा यात्री यातायात के लिये जालंधर-पठानकोट सैक्शन पर कन्दरौड़ी स्टेशन के विस्तार के लिये भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इनका सर्वेक्षण करेगी और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कालका पारामनू तक बड़ी लाइन बिछाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है और इसलिये सर्वेक्षण शुरू करने का विचार नहीं है। कन्दरौड़ी रेलवे स्टेशन का विस्तार करने के सम्बन्ध में इस स्टेशन पर उन अतिरिक्त सुविधाओं का जायजा लिया जा चुका है जिनकी जरूरत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस स्थान के पूर्णरूप से विकसित किये जाने की स्थिति में पड़ सकती है।

राजनीतिक दलों का चन्दा

6110. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक राजनीतिक दल को कम्पनियों द्वारा कुल कितना चन्दा दिया गया ; और

(ग) इसमें से कितना चन्दा ऐसी कम्पनियों द्वारा दिया गया जिनमें जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वत्त निगम, यूनिट ट्रस्ट और सरकारी क्षेत्र के ऐसे अन्य उपक्रमों के हिस्से है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सम्पूर्ण कम्पनियों के आर्थिक वर्ष एक ही समय में नहीं पड़ते। अतः किसी विशिष्ट अवधि के मध्य दिये गये अंशदानों की राशि बताना, संभव नहीं है। फिर भी मार्च 1966 से,

29 फरवरी, 1968 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास, कम्पनियों द्वारा मिसिल किये गये लाभ-हानि के लेखाओं में प्रकट किये गये अंश-दानों को बताता हुआ एक विवरण-पत्र, सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1925-68]

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

6111. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (1) मफ्तलाल उद्योग समूह (2) लाल भाई सारा भाई उद्योग समूह (3) लार्सेन एण्ड टूब्रो उद्योग समूह तथा (4) टाटा उद्योग समूह को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) उन्हें कितने मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ग) उनमें से कितने लाइसेंसों को प्रयोग में लाया गया और कितने लाइसेंसों को प्रयोग में नहीं लाया गया है ;

(घ) क्या गत 3 वर्षों में इन वाणिज्यिक संस्थानों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या शिकायतें प्राप्त हुई है और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन

6112. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्की व्यापारिक मोटर-गाड़ियां जिनकी देश में बहुत कमी है बनाने के लिये कुछ और फार्मों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस का जारी किया जाना

6113. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) बिड़ला उद्योग समूह (2) साहू जैन उद्योग समूह (3) सिम्पसन उद्योग समूह (4) मूल चन्द उद्योग समूह (5) कौआनी उद्योग समूह को गत 4 वर्षों में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) उन्हें कितने मूल्य के लाइसेंस जारी किये गये ;

(ग) कितने लाइसेंसों को प्रयोग में लाया गया और कितने लाइसेंसों को प्रयोग में नहीं लाया गया ;

(घ) क्या गत चार वर्षों में इन वाणिज्यिक संस्थानों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में विदेश नियंत्रित कम्पनियों

6114. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश नियंत्रित कम्पनियों पर मन्दी का इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि भारत नियंत्रित कम्पनियों पर; और

(ख) क्या यह भी सच है कि मन्दी सर पहले तथा इसके बाद विदेश नियंत्रित फर्मों की आय भारत नियंत्रित फर्मों की तुलना में अधिक थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मन्दी का प्रभाव मुख्य रूप से इन्जीनियरी उद्योगों और विशेषकर मशीनी औजार, ढांचे, इस्पात की ढली वस्तुएं, मालगाड़ी के डिब्बे आदि वस्तुएं बनाने वाले इंजीनियरी उद्योगों पर पड़ा है । इन उद्योगों में विदेशी नियंत्रित कम्पनियों का प्रतिशत बहुत कम है । मंदी मुख्यतः आर्डरों की कमी के कारण आई जिसका प्रभाव विदेशी नियंत्रित एवं भारतीय दोनों कम्पनियों पर समान रूप से पड़ना चाहिये था ।

(ख) फर्मों से जो जानकारी एकत्र की जा रही हैं वह विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

उद्योगपतियों के सलाहकार ग्रुप

6115. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि उद्योग के विकास के संबंध में कार्यक्रम बनाने हेतु बार बार परामर्श करने के लिए उद्योगपतियों के छोटे छोटे ग्रुप बनाये जायें;

(ख) क्या ऐसे ग्रूप बनाये गये हैं; और

(ग) इस ग्रूप में कौन कौन से उद्योगों को सम्मिलित किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली और अमृतसर के बीच तेज रफ्तार वाली रेल गाड़ी

6116. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और अमृतसर के बीच "गोल्डन टैम्पल" (स्वर्ण मन्दिर) नाम की एक तेज रफ्तार वाली एक नई रेल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सप्ताह में सभी दिन अमृतसर और नई दिल्ली के बीच एक "डी लक्स" रेल गाड़ी चलाने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या 'फ्लाइंग मेल" का मार्ग बरास्ता करनाल के स्थान पर, बरास्ता सहारनपुर करने का रेलवे अधिकारियों का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) फिलहाल 27/28 फ्लाइंग डाक गाड़ियों के वर्तमान रास्ते को बदलने का कोई विचार नहीं है ।

रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों में आघात

6117 **श्री लोबो प्रभु :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से गत वर्ष किन किन वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ख) मूल्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक होने के कारण गत वर्ष कितना अधिक भुगतान किया गया ;

(ग) ऐसी किन किन वस्तुओं का निर्यात किया गया जिनकी भारत में कमी है और

(क) साम्यवादी देशों द्वारा व्यापार संतुलन का घाटा कैसे पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1967-68 में रुपये का भुगतान

स्वीकार करने वाले देशों से आयात होने वाली प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1926-68]

(ख) मूल्यों की तुलना केवल तभी संभव है जब खरीदारियां एक केन्द्रीय अभिकरण द्वारा की जायें जैसा कि सरकारी विभागों के मामले में होता है। चूंकि गैर-सरकारी आयात लाइसेंसों की संख्या बाकी अधिक है, अतः मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां तक सरकारी खरीदारियों के संबंध है मूल्यों की जाँच पड़ताल मूल्य वार्ता समिति द्वारा की जाती है।

(ग) विभिन्न वस्तुओं के निर्यात का परिणाम अन्य बातों के अतिरिक्त घरेलू आवश्यकताओं में पूर्ति सेयति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

(घ) द्वितीय व्यापार प्रबंधों के अन्तर्गत निर्यात तथा आयात कुछ समय में एक दूसरे के तुल्य हो जाने चाहिये। किसी निश्चित समय पर व्यापार के वास्तविक आंकड़ों से प्रतिकूल संतुलन प्रकट हो सकता है परन्तु यह असंतुलन का आभास मात्र ही होता है। विभिन्न प्रायोजनाओं के हेतु लिये गये ऋण के भुगतान तथा इन देशों में से कुछ के द्वारा आस्थगित भुगतान पद्धति पर दी गई मशीनों को बड़ी मात्राओं के लिये किश्तों से भी उनके लिये काफी राशि उपार्जित हो जाती है और उस हद तक आयात तथा निर्यात के बीच का अंतर पूरा हो जाता है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बेकार पड़ी क्षमता

6118. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय कितने प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय कितने प्रतिशत श्रमिक फालतू हैं;

(ग) क्या सरकार ने औसत से अधिक उत्पादन पर करों की छूट देकर मूल्य कम करके मांग बढ़ाने के बारे में विचार किया है; और

(घ) क्या इसके विकल्प के रूप में सरकार पारियों की संख्या बढ़ाकर फालतू श्रमिकों के लिये काम उपलब्ध करने के बारे में विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक कारखानों में समान रूप से लागू होने वाला प्रतिशत बता सकना सम्भव नहीं है। स्थापित क्षमता और उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दि प्रोडक्शन आफ सेलेक्टेड इण्डस्ट्रीज इन इण्डिया" में नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) कर नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि औद्योगिक उत्पादन को

प्रोत्साहन दिया जाय और सरकार ने इसके लिये विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में चुने हुए उद्योगों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के लिए उत्पादन शुल्क के 25 प्रतिशत तक कर प्रत्यय के अनुदान के रूप में कर प्रत्यय प्रमाण-पत्र देना तथा आध वर्ष में अतिरिक्त आयकर पर उस वर्ष के लिये 20 प्रतिशत के हिसाब से लगाये गए कम्पनियों के करों में वृद्धि पर कर प्रत्यय देना सम्मिलित हैं।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे बोर्ड

6119. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने अपने और तकनीकी कर्मचारियों के बीच सम्पर्क बनाये रखने के लिये एक सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) रेलवे मंत्रालय में ऐसा सचिवालय स्थापित करने में क्या आपत्ति है जबकि अन्य तकनीकी तथा वाणिज्यिक काम करने वाले मंत्रालयों में ऐसे सचिवालय काम कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलवे बोर्ड का वर्तमान प्रबन्ध एवं तकनीकी ढांचा रेलों जैसी संस्था को चलाने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल, इस समय भारतीय रेलों की कार्य प्रणाली के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जांच कर रहा है।

कपड़े पर से नियंत्रण हटाना

6120. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग पुनर्गठन समिति ने कपड़े के उत्पादन तथा मूल्य पर इस समय लगे हुए आंशिक नियंत्रण को हटाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कपड़ा उद्योग पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर अभी विचार नहीं किया।

मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

6121. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तक देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में राज्य-वार कितना धन लगाया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए बार-बार कहती रही है; और

(ग) यदि हां, तो मैसूर राज्य में कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं अथवा करने का प्रस्ताव हैं और इन विचाराधीन मामलों की स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1951-1968 की अवधि में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर किया गया राज्यवार विनियोजन बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1927/68]

(ख) जी, हां। मैसूर सरकार समय-समय पर भारत सरकार से राज्य में अधिक केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए निवेदन करती रही है।

(ग) मैसूर राज्य में नई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के स्थान के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना पर अंतिम रूप से विचार करते समय निर्णय किया जायेगा।

मिराज रेलवे स्टेशन का शाकाहारी जलपान-गृह

6122. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे में विभागीय आधार पर चलाये जा रहे मिराज रेलवे स्टेशन के शाकाहारी जलपान गृह को लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कितना विशुद्ध लाभ हुआ ; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने विभागीय आधार पर चलाये जा रहे इस जलपान गृह को बन्द करने तथा लोगों से आवेदन पत्र / सार्वजनिक टेंडर मांगें बिना ही इसे एक गैर-सरकारी ठेकेदार को देने का निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 में 12002 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। 1967-68 के परीक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शाकाहारी भोजनालय एक ठेकेदार को सौंपने के प्रस्ताव की जांच की गयी है, परन्तु यह विनिश्चय किया गया है कि उसे यथावत् रहने दिया जाये।

क्यूबा को पटसन के सामान का निर्यात्

6123 **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने पटसन तथा हैसियत के थैलों का भारत से क्यूबा को कोई निर्यात नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से; और

(ग) क्या क्यूबा को इन वस्तुओं का निर्यात भारत ने बन्द कर दिया है अथवा उस देश ने हमारी इन वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) क्यूबा 1966-67 से भारत से पटसन के सामान का आयात नहीं कर रहा है।

कच्चे काइ नाइट का निर्यात

6124. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिये कच्चे काइनाइट के परिष्करण का काम कितने एककों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) परिष्कृत काइनाइट के निर्यात से गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) कच्चे काइनाइट के निर्यात से इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि परिष्करण करने वाले कुछ एककों को कच्चा काइनाइट सप्लाई नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिक निर्यात आय के लिये, कच्चे माल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी): (क) निर्यात के लिए कच्चे काइनाइट के परिष्करण के लिए संगठित क्षेत्र में कोई इकाई नहीं है। छोटी ईकाइयों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऊष्मसह (भट्टियों) के कुछ निर्माताओं ने निस्तापन सुविधाएं संस्थापित की हैं। उनके द्वारा उत्पादित निस्तप्त काइनाइट का अधिकांशतः उन्हीं द्वारा प्रयोग किया जाता है। परिवहन काइनाइट का निर्यात नगण्य है।

(ख) **तथा** (ग) पिछले तीन वर्षों में काइनाइट के निर्यात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

मात्रा : 'लाख मे० टन'

मूल्य : 'लाख रु० में'

वर्ष	**मात्रा**	**मूल्य**
1965	0.31	74.9
1966	0.36	110.9
1967	0.41	158.

निर्यात व्यापार लेखाओं में कच्चे तथा परिष्कृत काइनाइट के निर्यात आंकड़े अलग-अलग नहीं दिखाये जाते।

(घ) तथा (ङ) ऊष्मसह (भट्टियों) वाले उत्पादकों ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनकी उत्पादन क्षमता का पूर्णतः उपयोग करने के लिए कच्चे अथवा निस्तप्त काइनाइट को

प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यह अभ्यावेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

रासायनिक प्रक्रमों के लिये उपकरणों का आयात

6195. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में रासायनिक प्रक्रमों के लिये कितने मूल्य के उपकरण आयात किये गये हैं ;

(ख) हमारे देश में रासायनिक प्रक्रमों में काम में आने वाले उपकरणों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और प्रयुक्त क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में अप्रयुक्त क्षमता के रहते हुए भी उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई है, जिससे असन्तुलन और अधिक बढ़ता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आयात के स्थान पर देशीय उपकरणों का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) भारतीय व्यापार वर्गीकरण में रासायनिक प्रक्रिया संबंधी उपकरणों को अलग से वर्गीकृत न किये जाने के कारण इनके आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) इस समय 43 कारखाने उत्पादन में लगे हुए हैं जिनकी कुल वार्षिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता लगभग 1,10 लाख रुपये का माल बनाने की है ।

(ग) विभिन्न प्रकार के रासायनिक संयंत्रों में काम आने वाली उन वस्तुओं के आयात के लिये देश के हित का ध्यान रखते हुये अनुमति नहीं दी जाती जिनका उत्पादन देश में ही होता है किन्तु उनके आयात पर तकनीकी विकास महा-निदेशक अथवा अन्य प्रवर्तक प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये गुणाव गुण के आधार पर विचार किया जाता है:—

1. माल देने की अवधि इतनी लम्बी है कि उससे फर्म की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती ।
2. देशी निर्माताओं द्वारा बताये गये तकनीको विशिष्ठ विवरण मांग करने वाले प्रयोग करने वाले की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं ?
3. निर्माता तभी माल का उत्पादन कर सकता है जब उसे मांग करने वाला प्रयोग करने वालों के द्वारा वस्तुओं के डिजाइन एवं विस्तृत साफ रेखाचित्र दिये जायें, किन्तु वह इस प्रकार के डिजाइनों व रेखाचित्रों को देने की स्थिति में नहीं है ।
4. आयात किये जाने वाले किसी भी उपकरण पर फर्म का एकाधिकार है अथवा उसे पेटेन्ट कर लिया गया है और विदेशी फर्म उस वस्तु की तकनीकी जानकारी डिजाइन व रेखाचित्र देने के लिये तैयार नहीं है । किसी विशेष वस्तु को बनाने के लिये देशी निर्माता को अपनी आवश्यकता के पुर्जों के आयात के लिये जितनी

विदेशों मुद्रा की आवश्यकता है वह लगभग उतनी ही है जितनी कि पूरी बनी हुई चीज के आयात के लिये है।

(घ आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बनाने की सम्भावना पर बराबर विचार किया जाता रहता है और सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिये क्षमता उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं जो इस समय देश में नहीं बनाई जा रही है।

आसामी कोयला

6126. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसामी कोयला संबंधी अध्ययन दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात, सीमेंट तथा चीनी उद्योगों में आसामी कोयला की उपयुक्तता तथा प्रयोग के सम्बन्ध में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) उससे गन्धक निकालने की क्या संभाव्यता हैं ; और

(घ) आसामी कोयले का जापान को निर्यात करने की क्या संभाव्यतायें हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (चौ० राम सेवक) :

(क) जी, हां। अध्ययन दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है।

(ख) रिपोर्ट बताती है कि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत असम कोयले के संमिश्रण के प्रयोग के साथ हार्ड कोक का उत्पादन किया जा सकता है जो कि ब्लास्ट फरनेस कोक के भौतिक तथा रासायनिक लक्षणों को, परन्तु सीमान्त रूप से गन्धक की ऊंची मात्रा के साथ, पूरा करने वाला हो। अध्ययन दल के निष्कर्षों की पूरे स्तर के ब्लास्ट फरनेस परीक्षणों के द्वारा पुष्टि की जानी है। यह सिफारिस की गई है कि परीक्षण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के एक ब्लास्ट फरनेस में किया जाये। यह भी सिफारिस की गई है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को पहले पहल, 5 प्रतिशत संमिश्रण में असम कोयला प्रयोग करना चाहिये और प्रतिशतता को धीरे-धीरे अनुकूलतम स्तर तक उठाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, बोकारो इस्पात संयंत्र अपने कोकिंग संमिश्रण में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत असम कोयले के प्रयोग का विचार करे।

एक चीनी की मिल तथा सीमेंट उत्पादन में नई कूपक भट्टी प्रक्रिया में असम कोयले के प्रयोग के परिणामों का अध्ययन किया जाना है।

(ग) और (घ) सम्भावनाओं का आगे अध्ययन किया जाना है।

खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम

6127. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम की खनन की मशीनें बनाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

(ख) कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) इस निगम की स्थापना से अब तक इसे कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस निगम को कब तक लाभ होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) इस संयंत्र में पूरा उत्पादन आरम्भ हो जाने पर कोयला खनन मशीनों तथा संबंधित वस्तुओं की 45,000 मी० टन विभिन्न चीजों का उत्पादन किया जायेगा । हां, कुछ वर्षों बाद ही इस उत्पादन-क्षमता तक पहुँचा जा सकेगा । वर्ष 1968-69 में 10,000 मी० टन उत्पादन क्षमता के होने का अनुमान है ।

(ख) इस समय हाथ में कुल कार्य-भार लगभग 30,864 मी० टन है जिसे 1970-71 के भीतर पूरा करना होगा । अगले तीन वर्षों के लिए कुल उत्पादन क्षमता लगभग 42,000 मी० टन है । इससे अगले तीन वर्षों में लगभग 11,136 मी० टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी जिसका मूल्य लगभग 6.0 करोड़ रु० होगा ।

(ग) 31-3-1967 तक कुल 714.30 लाख रुपये की हानि हुई । वर्ष 1967-68 में अस्थायी रूप से 565 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) यह मानते हुए कि पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग होगा, संभावना यह है कि 1973-74 तक ही यह संयंत्र पूरा उत्पादन कर सकेगा ।

रेल द्वारा कोयले की ढुलाई

6128. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के विनियंत्रण के पश्चात् से इसकी ढुलाई के लिये अपनाई गई प्रक्रिया से कोयले के उत्पादक तथा सप्लाई करने वाले असंतुष्ट हैं; और

(ख) क्या रेलवे विभाग ने उनकी कठिनाइयों तथा शिकायतों का विश्लेषण किया है तथा सब दिशाओं में कोयले के लाने ले जाने के लिये अधिक संतोषजनक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) जी नहीं । इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले कोयला उद्योग और व्यापारियों से विचार-विमर्श किया गया था । यह प्रक्रिया सारतः वैसी ही है जैसी कि विनियंत्रण से पहले मौजूद थी । बैठकों में आलोचना की जाती है और समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये जाते हैं, लेकिन नियंत्रण हटाये जाने से पहले भी बैठकों में ऐसा होता था ।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा कोयला उद्योग और व्यापारियों और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर बैठकें की जाती है और ऐसे सुझाव अपनाये जाते हैं जो व्यावहारिक हों और समान रूप से स्वीकार्य हों । किसी ने भी वर्तमान प्रक्रिया के बदले कोई वैकल्पिक ठोस प्रस्ताव या सुझाव नहीं रखा है । समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठकों में जो विचार-विमर्श होता है, उससे विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित करने और समय-समय पर जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उनका हल ढूंढने में सहायता मिलती है ।

कालका मेल रेलगाड़ी

6129. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा जाने वाली कालका मेल रेलगाड़ी के रवाना होने के समय से लगभग दो घंटे पहले उसे दिल्ली मुख्य स्टेशन पर प्लेटफार्म पर लाया जाता है, परन्तु उसके डिब्बों को तभी खोला जाता है जब कि गाड़ी छूटने में आधे घंटे से अधिक समय न हो, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें इतने लम्बे समय तक प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और विशेष रूप से कुलियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे इतने समय तक कोई अन्य काम नहीं कर सकते ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या यह सच है कि डिब्बों को खोलने में जानबूझकर देरी की जाती है, क्योंकि कुलियों ने डिब्बे खोलने के लिये रेलवे कर्मचारियों को जल्दी डिब्बे खोलने के लिये घूस देनी बन्द कर दी है और क्या सरकार इस स्थिति के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक: कार्यवाही करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) हावड़ा जाने वाली कालका मेल में दिल्ली से हावड़ा जाने वाले सवारी डिब्बे सुबह 6 बजे प्लेटफार्म पर लाये जाते हैं जबकि गाड़ी सुबह 8 बजे छूटती है। इन सवारी-डिब्बों को तब तक ताला लगा कर बन्द रखा जाता है जब तक कालका से गाड़ी के आने के बाद सुबह लगभग 7 बजे वे गाड़ी में नहीं लगा दिये जाते। इससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यात्री आमतौर पर गाड़ी के प्रस्थान समय से एक घंटे से पहले स्टेशन पर नहीं आते। इसके अलावा कक्षों को इसलिए भी जल्दी नहीं खोला जाता ताकि ऐसे लोगों द्वारा डिब्बों, विशेषरूप से शौचालयों का दुरुपयोग रोका जा सके जो वास्तविक यात्री नहीं हैं और डिब्बों के साज-सामान को चोरी से बचाया जा सके।

(ख) ऊपर भाग (क) में बताये गये कारणों को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) जी नहीं, यह सही नहीं है।

दक्षिण मध्य रेलवे पर नई रेलवे लाइनें

6130. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे पर तीन रेलवे लाइनें बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि ये नई रेलवे लाइनें बना दी जायें तो उनकी क्या दूरी होगी तथा उन से क्या लाभ होगा ; और

(ग) इन नई रेलवे लाइनों से किन किन मुख्य वस्तुओं का परिवहन होगा और प्रति वर्ष कितनी आय होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

स्कूटरों का निर्माण

6131. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने स्कूटरों के निर्माण के लिये भारत सरकार को एक आवेदन पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या थी ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार स्कूटरों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर पुन: विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) स्कूटरों का निर्माण करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1965 में आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त हुआ था । इस योजना में बेल्जियम की एक फर्म के सहयोग से 125 सी० सी० के 60,000 स्कूटर प्रतिवर्ष बनाने का प्रस्ताव था । यह अनुमान था कि इसके लिए 175 लाख रुपये के पूँजीगत सामान की आवश्यकता होगी, जिस में से आयातित उपकरणों का मूल्य 85 लाख रुपये होगा । प्रस्तावित स्कूटर का कारखाने से चलते समय का मूल्य 1,700 रुपये से लेकर 1,750 रुपये तक बताया गया था ।

(ग) इस योजना पर इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के साथ विचार किया गया थ किन्तु इसे उपयुक्त नहीं पाया गया और अंतिम रूप से नवम्बर, 1967 में इसे अस्वीकृत कर दिया। गया ।

(घ) सरकार ने उपयुक्त आर्थिक क्षमता वाले एक और स्कूटर बनाने वाले कारखाने का लाइसेंस देने का निश्चय किया है ।

कानपुर स्टेशन पर जाली रेलवे टिकटों की बिक्री

6132. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून और जुलाई 1968 में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगभग 2000 रुपये के मूल्य के जाली रेलवे टिकट बेचें गये थे; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा): (क) जुलाई 1968 में कानपुर सेन्ट्रल से दिल्ली के लिए तीसरे दर्जे के डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के टिकटों, की बिक्री के एक मामले की छानबीन हो रही है । संदेह किया जाता है कि ये टिकट जाली थे ।

(ख) इस तरह के भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिए कार्यवाई तेज कर दी गयी है ।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

6133. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने ब्रिटेन को कपड़ा निर्यात करने के सम्बन्ध में हाल ही में एक योजना की सिफारिश की है जिसके अनुसार निर्यात-गृहों को पिछले दो वर्षों में उनके द्वारा किये गए कार्य के आधार पर 75 प्रतिशत कोटा दिया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत खुला रहेगा और जिसे ब्रिटेन में उच्चतम मूल्य पर कपड़ा बेचने वाले को दिया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने यह विचार किया है कि उपरोक्त योजना से केवल बड़े बड़े निर्यातकों को लाभ होने की सम्भावना है, जबकि सूती कपड़ा मिलों की स्थिति खराब ही बनी रहेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिश के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) सूती कपड़ा उद्योग को मन्दी से राहत देने और छोटी सूती कपड़ा मिलों के लिये हानिकारक निर्यात गृहों के एकाधिकार को कम से कम करने के लिये सरकार ने ब्रिटेन को कपड़ा निर्यात करने के लिये क्या वैकल्पिक योजना बनायी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद ने 1 दिसम्बर 1968 से 30 नवम्बर 1969 के वर्ष में ब्रिटेन को सिले सिलाए कपड़ों सहित सूती कपड़े के निर्यात के लिए कोटा देने की एक योजना तैयार की है। योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :--

(1) सुस्थापित निर्यातकों को, उनके विगत निष्पादन के आधार पर, देने के लिए कोटे के 85 प्रतिशत का आरक्षण ;

(2) नई कपड़ा मिलों और नये निर्यातकों को देने के लिए कोटे के 10 प्रतिशत का आरक्षण ; और

(3) कोटे का 5 प्रतिशत सर्वाधिक मूल्य प्राप्ति के आधार पर सभी के लिए खुला रखना।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् का कहना है कि योजना तैयार करते समय सभी संबद्ध तत्वों का उसने ध्यान रखा है तथा ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात में दिलचस्पी रखने वाली विभिन्न पार्टियों का इस योजना से समाधान हो जायेगा। सरकार शीघ्र ही योजना पर अन्तिम विनिश्चय करेगी।

कलकत्ता में मोटर टायरों की कमी

6134. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर टायरों की कलकत्ता में बड़े पैमाने पर चोरबाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे मोटर टायर, जो वृहत कलकत्ता में बनाये जाते हैं, आसानी से मिल सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) हाल ही में कलकत्ता में कार और ट्रकों के टायर कम्पनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर न मिलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) टायर कम्पनियों को यह परामर्श दिया गया है कि वे कारों तथा ट्रकों की कुछ किस्मों के उन टायरों का उत्पादन बढ़ाएं जिनकी कमी है। जहां तक स्कूटर, ट्रैक्टर और कार के टायरों का सम्बन्ध है, इन्हें पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत "आवश्यक वस्तु" घोषित किया जा चुका है।

(ग) सरकार का प्रदेश के आधार पर व्यक्तिगत एककों द्वारा तैयार किये गये टायरों के वितरण का नियमन करने का कोई विचार नहीं है।

मलकागंज, दिल्ली के पास कबरिस्तान से ट्रक अड्डे का हटाया जाना

6135. **श्री अर्जुन सिंह भादौरिया :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त ट्रक अड्डा मल्का गंज, दिल्ली के पास कबरिस्तान से हटा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं जबकि तीन वर्ष पहले सभा को आश्वासन दिया गया था कि ट्रक अड्डा शीघ्र ही हटा दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत इस स्थान को खाली कराने के सभी उपाय दिये जा रहे हैं। ट्रक यूनियन को यह स्थान अंजुमन-ए-रायां दिल्ली ने पट्टे पर दिया था। सूचना मिलने पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अंजुमन के सचिव को एक नोटिस दिया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह मामला वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत वक्फ आयुक्त को भी जांच के लिए भेजा था जिसने घोषणा की कि उक्त कब्रिस्तान अंजुमन-ए-रायां, दिल्ली के सचिव के प्रबन्ध में ही है। ट्रक यूनियन और अंजुमन-ए-रायां के बीच पट्टे के करार की अवधि इस मास के अन्त तक समाप्त हो जायेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अंजुमन-ए-रायां के सचिव से कहा है कि वह पट्टे के करार की अवधि न बढ़ायें और कब्रिस्तान से ट्रक यूनियन का कब्जा हटा दें।

मैसर्स हिन्दुस्तान सेफटी ग्लास वर्क्स लि०, कलकत्ता

6136 **श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि०, कलकत्ता द्वारा उनके मंत्रालय को भेजे गये ज्ञापन-प्रत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या यह कम्पनी सेफ्टी ग्लास का निर्माण किसी विदेशी फर्म के सहयोग से करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सेफ्टी ग्लास का निर्माण उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है। फिर भी मैसर्स हिन्दुस्तान विलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को परामर्श दिया गया है कि वह इसका सुनिश्चय करे कि वह सेफ्टी ग्लास के अन्य निर्माताओं को अच्छे शीट ग्लास उपयुक्त मूल्यों पर और पर्याप्त परिमाण में देते रहेंगे

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन कम्पनी

6137. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पिलकिंग्टन कम्पनी ने सेफ्टी ग्लास का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या उसने मशीनों आदि के आयात के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है फर्म ने सेफ्टी ग्लास के उत्पादन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली है। सेफ्टी ग्लास एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूती कपड़े के थानों का निर्यात

9138. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में सूती कपड़े के थानों का इंडोनेशिया तथा अन्य देशों को भारत का निर्यात काफी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी वृद्धि हुई है तथा उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनसे विदेशी मुद्रा कितनी प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) उन देशों के नाम, जिनको गत तीन वर्षों में सूती कपड़े के थानों के निर्यात में वृद्धि हुई है, और साथ ही निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित विवरण में दिये गये हैं :—

	1965		1966			1967		
	मात्रा, लाख वर्ग मीटर में	लाख रु०	लाख अमरीकी डालर	मात्रा, लाख वर्ग मीटर में	लाख रु०	लाख अमरीकी डालर	मात्रा, लाख वर्ग मीटर में	लाख रु०	लाख अमरीकी डालर
इण्डोनेशिया	36.7	34.6	7.2	0.7	0.8	0.1	112.0	154.6	20.4
सूडान	305.4	169.7	35.5	224.7	92.4	32.0	363.3	431.4	56.9
ब्रिटेन	1341.2	1252.7	261.8	1105.9	1207.8	196.5	1481.7	2090.3	275.9
अमरीका	341.3	278.4	58.2	525.3	599.1	91.5	413.2	713.4	94.2
थाइलैण्ड	0.4	0.8	0.1	0.4	1.1	0.2	1.2	2.7	0.4
सऊदी अरब	80.7	48.1	10.1	51.1	35.1	6.1	77.7	82.2	10.8

पश्चिमी रेलवे के दिल्ली में इतर (फारिन) रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों के काम की सूची

6139. **श्री चक्रपाणी :** क्या रेलवे मन्त्री पश्चिमी रेलवे के दिल्ली में स्थित फारिन रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के काम की सूची सभा पटल पर रखेंगे जिसमें प्रत्येक के नाम के आगे उनके कार्य का ब्यौरा और अपेक्षित जनदिन दिये हुए हों ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : जो सूचना मांगी गयी है वह बड़ी विस्तृत है और तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसके संकलन में जितना परिश्रम करना पड़ेगा उसके अनुरूप परिणाम नहीं निकलेगा ।

रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्लर्कों का कार्य

6140. **श्री अनिरुद्धन :** क्या रेलवे मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8180 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारतीय रेलवे के यातायात लेखा कार्यालयों में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ।

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हाँ ! ग्रेड I के क्लर्कों को अधिक महत्वपूर्ण काम दिया जाता है, जैसे मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में नियमों और विनियमों का अर्थ लगाकर और उनको लागू करना, लेखा रजिस्टर रखना, बिलों की जांच करना आदि । ग्रेड II के क्लर्कों को नेमी ढंग के काम करने पड़ते हैं । जैसे वाउचर और बिल आदि तैयार करना, नेमी पत्र-व्यवहार, आवती और प्रेषण सम्बन्धी काम आदि ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाना

*6141. **श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के अधिकारियों ने कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी श्री ए० जे० बहादुर की सेवाएं पुनः बिहार सरकार को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस कारखाने के एक निर्माण इंजीनियर श्री एल० के० झा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है; और

(ग) क्या यह कार्यवाही करने का कारण यह है कि इन अधिकारियों ने इस कारखाने में चोरी के एक मामले का पीछा किया था ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) जी, हाँ !

(ग) श्री एल० के० झा के मामले में चोरी के आरोपों के बारे में जाँच करने के लिये गठित जांच समिति की उपपत्तियों के अनुसार कार्यवाही की गई और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चोरी का आरोप कदाशय पूर्ण था । जहाँ तक श्री बहादुर का सम्बन्ध है, कुछ अन्य बातें थीं जिनके कारण बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने ऐसा किया और राज्य सरकार उसे नौकरी पर अन्यत्र भेज रही है ।

टाइम की मशीनों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

6142. **श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाइप की मशीनों का निर्माण करने वाली कितनी भारतीय कम्पनियाँ इस समय भारत में चल रही हैं और उनके नाम क्या हैं वे कहाँ-कहाँ हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इनके निर्माताओं ने शिकायत की है कि उन्हें इस उद्योग के विकास के लिये प्रोत्साहन नहा दिया जाता; और

(ग) क्या बाँध पर उठाये जाने वाले छोटे टाइपराइटरो का भारत में निर्माण करने के सम्बन्ध में किसी विदेशी कम्पनी के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) टइपराइटर निर्माताओं से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इस उद्योग के विकास के लिए उन्हें प्रोत्साहन एवं सुविधाएं नहीं दी गई हैं ।

(ग) मेसर्स स्पैरी एण्ड कारपोरेशन, न्यू यार्क के सहयोग से छोटे टाइपराइटर बनाने के लिए मेसर्स रैमिंगटन रैंड आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

1. बड़े क्षेत्र में टाइपराइटरों के चार निर्माता हैं जिनके नाम, स्थान और उनकी लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :

1. मैसर्स रैमिगंटन रैंड आफ इण्डिया लि० स्थान कलकत्ता वार्षिक लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता 36,000 अदद (दो परियों में काम करने पर)
2. मैसर्स गोदरेज एण्ड वोमसी मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि० स्थान बम्बई वार्षिक लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता 24,000 अदद (एक पारी में काम करने पर)
3. मैसर्स रायल कारपोरेशन प्रा० लि० स्थान मद्रास वार्षिक लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता 20,400 अदद (एक पारी में काम करने पर)
4. मैसर्स जे० के० मशीन्स लि० स्थान कलकत्ता वार्षिक उत्पादन क्षमता 12,000 अदद (एक पारी में काम करने पर)

उपर्युक्त कुल लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता 92,400 अदद

2. इनके अतिरिक्त लघु क्षेत्र में एक कम्पनी है :
मैसर्स क्वालिटी आफिस एप्लाएन्सेज प्रा० लि० स्थान बहादुरगढ़ (हरियाणा) स्वीकृत अधिष्ठापित उत्पादन — 2,000 अदद क्षमता

———

कानपुर की फर्म मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी

6143. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री क० रमानी :**

श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री इ० के० नायनार :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर की फर्म मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों के बारे में निरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कब तक विचार किये जाने की सम्भावना है तथा बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख) तथा (ग) निरीक्षक की रिपोर्ट की प्रारम्भिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। कार्यवाही की सम्भव पंक्तियाँ विचाराधीन है। इस स्तर पर निरीक्षक की रिपोर्ट के व्यूरों को प्रकट करना जनता के हित में नहीं होगा।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

6144. **श्री प० गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और उसे कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जी, हाँ। केरल में 75,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाले अखबारी कागज बनाने के एक संयन्त्र की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इसे स्थापित किये जाने के स्थान अथवा कार्यान्वित किये जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

आसाम में सीमेन्ट का कारखाना

6145. **श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कारखाने के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आसाम राज्य के बोकाजन में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में अखबारी कागज का कारखाना

6146. **श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक अखबारी कागज का कारखाना खोलने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आसाम में एक कागज के गूदे का कारखाना आरम्भ करने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या परियोजना रिपोर्ट तैयार है; और

(घ) कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मुफ्त रेलवे पास

6147. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **रेलवे** मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1708 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि रेलवे कर्मचारियों के लिए मुफ्त पासों के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती जैसा कि उपरोक्त उत्तर में कहा गया है, तो यह सुविधा सभी केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों (केन्द्रीय) को उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : भारत में रेलवे के आविर्भाव के समय से ही रेल कर्मचारियों को मुफ्त पास की सुविधा दी जाती रही है । दूसरे देशों में भी रेल कर्मचारियों को ऐसी ही रियायतें दी जाती हैं । जहाजरानी कम्पनियाँ, एयर लाइनें आदि अन्य परिवहन उपक्रम भी अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा देते हैं । माननीय सदस्य ने जिस अतारांकित प्रश्न सं० 1708 का हवाला दिया है उसके भाग (ग) के उत्तर में जो कहा गया था, वह यह था कि रेल कर्मचारियों को पास देने के लिए बजट में धन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती । इसका मतलब यह नहीं था कि इस तरह के मुफ्त पास वित्तीय प्रभाव के बिना केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी दिये जा सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को इस समय छुट्टी-यात्रा से सम्बन्धित जो रियायतें उपलब्ध हैं, द्वितीय वेतन आयोग ने उन्हें उदार बनाने के प्रश्न की भी समीक्षा की थी और सिफारिश की थी कि इस योजना के बुनियादी ढाँचे को ज्यों का त्यों रहने दिया जाये । रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत देने से वित्तीय दायित्व बहुत बढ़ जायेगा ।

समवाय विधि बोर्ड

6148. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री जुगल मंडल :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 के पहले छः महीनों में **कम्पनी कानून बोर्ड** ने कितने मामलों में (एक) निरीक्षण (दो) जाँच और (तीन) मुकदमा चलाने के आदेश दिये; और

(ख) जिन कम्पनियों के मामलों में ये आदेश दिये गये थे उनके नाम तथा पते क्या हैं और उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०1928/68]

निदेशकों के पारिश्रमिक

6149. **श्री कांशीनाथ पाण्डेय :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों से तथा 1968 के पहले छः मास में समवाय अधिनियम की धारा 309 के अन्तर्गत निदेशकों के लिये 5,000 रुपये प्रति मास से अधिक पारिश्रमिक की स्वीकृति दी है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन पर आयकर नहीं लगता है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 5,000 रुपये प्रति मास से अधिक पारिश्रमिक देने पर किन्हीं समवायों को क्षमा कर दिया गया है और ऐसे समवायों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हाँ, श्री मान् । सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1929/68]

इस प्रकार की स्वीकृतियाँ, कम्पनी अधिनियम की धारा 309 (3) के उपबन्धों के अनुसार दी गई है, जिसके अनुसार एक कम्पनी अपने प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्ण-कालिका निदेशक को शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत तक पारिश्रमिक दे सकती है, तथा यदि इस प्रकार के निदेशक एक से अधिक हों, तो उन सब को मिलाकर शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत तक दिया जा सकता है । साधारणत: इन्हीं वैद्धानिक सीमाओं के अन्दर ही विभिन्न कम्पनियों के कार्यशील निदेशकों को पारिश्रमिक स्वीकृति किया जाता है, भले ही वह, कुछ मामलों में 5,000 रुपये प्रतिशत से अधिक हो जाय । पारिश्रमिक निश्चित करते समय कम्पनी विधि बोर्ड अनेक दृष्टिकोणों पर विचार करता है जैसे, कम्पनी का आकार, इसका व्यापारवर्त, लाभ स्थिति, सम्बन्धित निदेशक की तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार की योग्यतायें एवं अनुभव एवं उसके कार्य-भार की प्रकृति, जो उस पर एक प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिका निदेशक के नाते, आयेगी ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 के उपबन्धों के अन्तर्गत, कम्पनियों को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों (निदेशकों सहित) को, किसी प्रकार का कर मुक्त पारिश्रमिक दण्ड देने से मना की गई है । अत: कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, आय-कर मुक्त पारिश्रमिक स्वीकृत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (6) (सात) के उपबन्धों के अन्तर्गत, सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों को विदेशी प्राविधिज्ञों को आयकर मुक्त पारिश्रमिक स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है तथा ऐसे मामलों में जहाँ इस प्रकार को प्रविधिज्ञ, एक कम्पनी का निदेशक भी हो तो भी वह इस प्रकार के कर मुक्त पारिश्रमिक को प्राप्त करता है क्योंकि आय-कर अधिनियम, 1961 के कथित उपबन्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 के उपबन्धों का निवर्तन करती है ।

(ग) 5,000 रु० प्रति मास के, अनुकुलतम पारिश्रमिक जैसी कोई बात नहीं है । फिर भी थोड़े से मामलों में अधिक पारिश्रमिक स्वीकृति करने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है । ऐसी

शिकायतों से सम्बन्धित कम्पनियाँ, मैसर्स, ग्रेव्स काटन लिमिटेड बम्बई मैसर्स काम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड बम्बई, मैसर्स लार्सन एण्ड टाउब्रो लिमिटेड,मैसर्स रैलिस इन्डिया लिमिटेड, बम्बई; मैसर्स गैस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड; कलकत्ता; मैसर्स हिन्दुस्तान लोवर लिमिटेड बम्बई तथा मैसर्स आन्ध्र शुगर लिमिटेड था ।

आल इन्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन

6150. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री अ० सि० सहगल :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल 8 मई, 1967 को अम्बाला छावनी में और 27 अप्रैल, 1968 को पुन: दिल्ली में उनसे मिला था और एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर 8 मई 1968 से पहले सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अवर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक वर्ग में रखा जा रहा है और जिससे वाणिज्यिक वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) से (ग) यद्यपि उल्लिखित तारीखों को कोई अभ्यावेदन नहीं मिले थे, भारतीय रेलों में वाणिज्यिक क्लर्कों की ओर से विभिन्न स्रोतों से कई बार अभ्यावेदन मिले हैं । उनकी जांच की गयी है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की गयी है या की जा रही है ।

(घ) चूंकि डाक्टरी आधार पर जिन कर्मचारियों को अपनी कोटि के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है उनको वैकल्पिक काम देने के लिए रेल प्रशासन बाध्य है, इसलिए वाणिज्य या अन्य विभागों के जिन पदों के लिए वे उपयुक्त हों, उन पर उन्हें रखना ही पड़ता है । फिर भी, इस मामले में आगे विचार किया जा रहा है ।

परिवहन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वाणिज्यिक वर्ग में समाविष्ट करना

6151. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में परिवहन का कार्य करने वाले कितने अवर्गीकृत कर्मचारियों को वाणिज्यिक कर्मचारी वर्ग में समाविष्ट किया गया है; और

(ख) अवर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अन्य कौन से मार्ग हैं और अन्य वर्गों में समाविष्ट किये जाने वाले अवर्गीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

परिवहन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वाणिज्यिक वर्ग में समाविष्ट करना

6152. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्यिक वर्ग में अवर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों को समाविष्ट करने से, स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों में नियोग्यता का, विशेषतया रंग का अन्तर न बता सकने का, डाक्टरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है ताकि उन्हें वाणिज्यिक वर्गों में नौकरियां मिल सकें ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा): हालांकि खासतौर पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों में अभी तक इस तरह की प्रवृत्ति देखने में नहीं आयी है, फिर भी सरकार को इस बात का पता है कि कुछ मामलों में रेल कर्मचारियों ने इस आशा में जान बूझ कर अपने को रंग भेद परीक्षा में फेल हो जाने दिया कि इस तरह वे ऐसे वैकल्पिक पद पा सकेंगे जो उनके लिए आकर्षणकारी हैं। आदेश जारी किया गया है जिससे बीमारी का बहाना बनाने के ऐसे मामले खत्म हो जायेंगे ।

Contract to Indian Railway Catering Cooperative Society, Jodhpur.

6153. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of places for which contract was given by the Northern Railway to the Indian Railways Catering Cooperative Society, Jodhpur from 1962 to 1968 for drinking water and foodstuffs and the terms of the contract;

(b) the total number of members of the Society, their names and addresses;

(c) whether any proper and impartial inquiry has ever been held to ascertain the actual numbers of member of the Society; and

(d) whether fictitious names have been shown in the guise ofmembers of the Scheduled Castes on the pretext of which the office bearers of the Society have been deceiving his Ministry and, if so, the action taken in this regard ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : A statement giving the requisite information is attached.

Statement

The Northern Railway have entrusted dining car contract on 89 Up/90 Down Delhi-Bikaner Expresses and the stall contracts at Pokaran and Jaisalmer stations to the Indian Railway Catering Cooperative Society, Jodhpur on the usual terms from 1962 to 1968. The stalls at Pokaran and Jaisalmer have not yet started. The Society also holds the Buffet car contract on 1 JSB/4 JSB Samdari-Bhildi passenger trains which was awarded to them in 1960 and renewed from time to time. No drinking water contract was given to the Society.

The Society had 29 members on 31-3-1968. The membership has recently increased to 33. Names and particulars of the members are not readily available. Since there was no allegation against the society in the past, there was no occasion to inquire into this aspect.

No complaint has been received in regard to any fictitious names of members in the society. As per declaration given by the chairman of the society, there are four scheduled caste members at present. The society does not obtain any preferential treatment because of the presence of scheduled caste members.

Buffet Car Attached to Bikaner Express

6154. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Policemen and Government employees in collusion with each other, take ticketless travellers from Bikaner to Delhi and back in the Buffet Car attached to the Bikaner Express running between Delhi and Bikaner; and

(b) whether it is also a fact that once controlled articles were seized from Delhi in this very Buffet car, which was being carried in an illegal manner ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No such case has come to notice.

(b) On 4-1-1967 sixty five cases of Brittannia bread were detected in excess of permissible limit in the Buffet Car at Loharu station. Suitable action was taken against the Buffet Car contractor.

Import of Newsprint

6155. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of newsprint imported every year; and

(b) the amount of foreign exchange spent by Government each year thereon ?

The Deputy Minister of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) & (b) Total quantity and value for Newsprint imported during 1965-66 to 1968-69 (April, 1968) is as follows :—

Quantity in tonnes
Value in Rs. '000'

Commodity	1965-66		1966-67		1967-68		1968-69 (April, 1968)	
	Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val
Glazed Newsprint Paper	4846	3892	2132	2762	2743	3250	160	177
Other Newsprint Paper	80405	57919	105260	121003	78867	91160	16606	18443
Total	85251	61811	107392	123735	81610	94410	16766	18620

Note :—Figures for the years 1966-67 onwards are at post-devaluation rate.

ऊनी हौजरी का निर्यात

6156. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 की तुलना में 1967-68 में ऊनी हौजरी के निर्यात में कुछ प्रगति हुई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी, हां, 1967-68 में 3.73 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किये गये जबकि 1966-67 में 2.63 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किये गये थे ।

के० सी० टी० कपड़ा मिल, हुबली का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6157. **श्री मोहसिन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने के० सी० टी० मिल, हुबली को सरकारी अधिकार में लिये जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही एक ऐसा मिल है, जिसके बारे में मैसूर राज्य ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

Railway Over-Bridge on National Highway No. 3

+

6158. Shri Baswant :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether funds have been allocated for the construction of Asangaon over-bridge on the National Highway No. 3 of the Bombay Division on the Central Railway ; and

(b) the time by which the construction of over-bridge is proposed to be completed ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) The estimate for the work sent by the Railway to the State Government of Maharashtra in June, 1968, has not yet been approved by the latter. As soon as the estimate is finally approved and the State Government undertake their portion of the work on approaches, the Railway will simultaneously synchronise Railway's portion of the work of bridge structure.

Reconstruction of Kalyan Station

6159. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had included the work of reconstruction of Kalyan station of the Bombay Division in the Railway Budget for the year 1965-66;

(b) whether this work is proposed to be included in the Budget for the year 1969-70; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No. However, the work of provision of an additional platform for suburban trains and other alterations in Kalyan Yard at an anticipated cost of Rs. 12.82 lakhs was included in 1964-65 Works Programme. This work did not include the construction of Kalyan Station Building.

(b) No.

(c) the proposed remodelling of station building at Kalyan is linked with the town planning scheme of Kalyan Town. The latter proposal has not yet been finalised.

Electrification of Igatpuri-Manmad Section

6160. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work of electrification of the Igatpuri-Manmad section has since been completed ;

(b) when the electric trains would be introduced on this section; and

(c) whether the Manmad-Bombay Express would be introduced from the 1st October, 1968 in view of the demand made by public and, if not, the reasons therefor ?

Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) Goods trains are already being hauled by electric locomotives and electric traction may be utilised for passenger trains also when more locomotives become available.

(c) No. Due to lack of section capacity on Bombay-Igatpuri section and terminal facilities at Bombay and Manmad, it is not possible to introduce this train.

केरल से नारियल की जटा से बने माल को उठाने के लिए मालडिब्बों का सप्लाई किया जाना

6161. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान माल डिब्बों के न मिलने के कारण नारियल की जटा से बने माल के बेचने वाले व्यापारियों को अपने माल को केरल से अन्य स्थानों जैसे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को पहुँचाने में होने वाली कठिनाई की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) और (ख) नारियल की जटा का यातायात दूसरे सामान्य यातायात के साथ निम्नतम प्राथमिकता की कोटि में होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी निकासी मीटर लाइन पर मांग के अनुकूल हुई तथा बड़ी लाइन पर भी बहुत हद तक सन्तोषजनक रही । केवल जुलाई, 1968 में फायरमैनों की हड़ताल के कारण तथा अगस्त 1968 के आरम्भ के कुछ दिनों में हड़ताल के प्रभाव के परिणामस्वरूप यातायात की निकासी में कमी पड़ी । पहली फरवरी से 20 अगस्त, 1968 की अवधि में बड़ी लाइल के 1224 और मीटर लाइन के 139 माल डिब्बों में नारियल की जटा लादी गयी । इसके अलावा 6200 क्विंटल नारियल की जटा 'फुटकर' में लादी गयी । केवल दक्षिण रेलवे द्वारा एक अभ्यावेदन मिलने के अलावा इस यातायात को निकासी सम्बन्धी कठिनाई अनुभव करने की कोई शिकायत नहीं मिली ।

केरल में उत्पादन केन्द्र

6162. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार के उत्पादन केन्द्रों के भाव में पुनर्गठन और संरचना के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इन केन्द्रों को केरल राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) मिस्त्रियों के लिए सेवा नियमों को बनाने उपयुक्त मिस्त्रियों को स्थायी पदों पर घोषित करने और कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्यकलापों में अंशदान देने की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है ।

Looting of Akona Station (C. Rly.)

6163. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Akona station on the Banda-Kanpur section of the Central Railway was looted recently;

(b) if so, the details of cash and property looted;

(c) whether any of the dacoits were proclaimed ones and if so, the number thereof;

(d) the number of dacoits reported by the Station Master who looted the station; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to obviate such situation in future ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) On the night of 6.8.68, four persons armed with guns committed robbery at Akona Railway Station and removed from the Station safe, railway cash amounting to Rs. 121.50 and a ticket tube. In addition, they took away forcibly the personal belongings of the two Assistant Station Masters, valued about Rs. 155/-. One of the robbers has since been arrested and he has disclosed the names of others. The Police are now on their track.

(c) & (d) The Police investigation is in progress. It is not so far known whether any of the robbers are proclaimed offenders. According to the complaint made by the Station staff of Akona, 4 persons armed with guns and spears committed the robbery.

(e) As a preventive measure, patrolling by Railway police in the affected sections has been intensified.

Grant of Industrial Licences

6164. **Shri Jageshwar Yadav** :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Licences are issued only to those persons who can pay large sums of money as gratification;

(b) whether such licences are given mostly to Sindhis and Punjabis and, if so, the reasons therefor; and

(c) whether it would not help in reducing unemployment to some extent if such licences are granted to the landless and jobless persons ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) and (b) No, Sir.

(c) Industrial licences are granted on the basis of the merits of the scheme submitted, including, inter alia, the capacity of the entrepreneur to implement it.

भारतीय मानक संस्था में रिक्त स्थान

6165. **श्री ए० एस० सहगल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्था नई दिल्ली में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की श्रेणियों में रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की श्रेणी में हुए रिक्त स्थानों को तुरन्त भर लिया जाता है परन्तु अन्य कर्मचारियों के रिक्त स्थानों के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1 अप्रैल, 1967 से अधिकारियों के विद्यमान रिक्त स्थानों की संख्या आठ तथा कर्मचारियों की श्रेणियों में पांच हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय मानक संस्था

6166. **श्री ए० एस० सहगल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था के अन्दर थपड़ मारने की घटना के संबंध में कोई जांच है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच अधिकारी से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय मानक संस्था द्वारा दिया गया मकान किराया भत्ता

6167. **श्री ए० एस० सहगल : क्या औद्योगिक विकास तथा समावाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने अपने कर्मचारियों का मकान-किराया भत्ता 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है ;

(ख) क्या किराये की रसीद देने पर या उस सम्बन्ध में घोषणा पत्र देने पर बढ़ाया मकान किराया भत्ता मिल सकता है ;

(ग) क्या 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को किराये की रसीद देने की आवश्यकता नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) उन्हें रसीद देने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अगस्त, 1968 में दिल्ली-फरूखाबाद गाड़ी के डिब्बे में आग लगना

6168. **श्री बेद व्रत बरुआ : श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री समर गुह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादरी के निकट 7 अगस्त, 1668 को दिल्ली- फरुखाबाद गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने के परिणामस्वरूप 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बहुत से व्यक्ति घायल हो गये ;

(ख) क्या ऐसा यात्रियों की जांच करने वाले रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ ; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस दुर्घटना के सिलसिले में किसी के गिरफ्तार किये जाने की सूचना अभी तक नहीं मिली है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये तीसरा वेतन-आयोग

6169. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फेड्रेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन ने रेलवे कर्मचारियों के वेतन-क्रमों और भत्तों के पुनरीक्षण के लिये तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति रही है कि केवल रेल कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन आयोग नियुक्त न किया जाये ।

Running Staff of Sealdah Division

6170. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Running staff of the Sealdah Division of the Eastern Railway had refused to perform officiating duty from the mid-night of the 27th July 1968 ;

(d) whether it is also a fact that many Passenger and Goods train services have been suspended as a result thereof ;

(c) whether it is also a fact that the Railway Administration have suspended 39 persons with a view to discouraging the members of the Running staff;

(d) whether it is also a fact that the Railway officers are not prepared to have any talks with them so as to enter into any agreement; and

(e) the action proposed to be taken by Government to solve this problem ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes; certain running staff have refused to officiate in higher grades.

(b) There had been certain dislocation of train services in the initial stage due to refusal to officiate by the running staff. However, normal services have been restored subsequently by bringing certain staff from other divisions.

(c) Certain employees have been placed under suspension for refusal of duty.

(d) to (e) The decision to stop working in higher grades from 27.7.68 was taken by an unrecognised sectional association called Eastern Railway Loco Running Staff Association. It is not the policy of the Government to have any negotiations with an unrecognised body. It is however, pointed out that there are already two recognised composite Unions on Eastern Railway having negotiating facilities with the Railway Administration. The staff concerned should represent their grievances through recognised channels so that the matter is considered at the appropriate level.

Effect on Jute Production due to Smuggling

6170—A. Shri Mrityunjay Prasad:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Jute Mills in the country have discontinued or curtailed the purchase of jute due to the increased smuggling of jute outside ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Jute Consumption in Purnea District

6170-B. Shri Mrityunjay Prasad :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the quantity by jute consumed by the local mills in Purnea District during 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 and the quantity sent outside the Disiriot in these years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

During the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 jute mills in Purnea District consumed 70,870 bales, 48,100 bales 48,000 bales, and 61,700 bales respectively of jute. Quantity of jute sent outside the District is not available.

कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान

6170-ग **श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग-प्राप्त कुछ कम्पनियां भी राजनीतिक दलों को दान देती रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्होंने 1967 में राजनीतिक दलों को दान दिया है; और

(ग) उन्होंने उपर्युक्त अवधि में कितना दान दिया है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना संग्रह की जा रही है, व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

चल चित्रों का निर्यात

6170- घ **श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 से 1961 तक की अवधि में मेरे महबूब, आरती, तकदीर, आरजू, जिवैल थीफ, राम और श्याम, फूल और पत्थर, आये दिन बहार के, उपकार, गुमराह, नया दौर, साधना, गंगा-जमुना और बरसात जैसे चलचित्रों का विदेशों को निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन चलचित्रों के निर्माताओं तथा पते क्या हैं ; और

(ग) उक्त अवधि में इन चलचित्रों के निर्यात से विदेशों से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई और किन-किन देशों में ये चलचित्र दिखाये गये ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

6170-ङ **श्री उमानाथ :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री के० रमानी : **श्री पी० रमामूर्ति :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली के नाइट्रेट का बेरियम केमिकल्स लिमिटेड, रामावरम जिला खाम्मम, आंध्र प्रदेश, को दिया जाता है ;

(ख) क्या इस कारखाने के प्रबन्धकों ने चिली के नाइट्रेट के साथ उत्पादन किया है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक किन-किन उत्पादों का उत्पादन किया गया है और जब से इस कारखाने को यह कोटा दिया गया है, तब से कितना उत्पादन हुआ है ;

(घ) इस कार्य के लिये अब तक कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार को इस कारखाने द्वारा चिली के नाइट्रेट का दुरुपयोग किये जाने की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो चिली के नाइट्रेट के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश की उत्पादन क्षमता

6170-च **श्री एस्थोस :** **श्री विश्वनाथ मैनन :**

श्री अनिरुद्धन : **श्री नम्बियार :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में खाम्मम जिले में रामावरम स्थित बेरियम केमिकल्स लिमिटेड में नाइट्रिक एसिड संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करने के लिये इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कारखानें को बेकार रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस फैक्टरी के प्रबंधक बम्बई की एक कम्पनी से नाइट्रिक एसिड खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस खरीद के क्या कारण हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करने के लिये इस फैक्टरी का एक संयंत्र है,

(ङ) क्या यह भी सच है कि फैक्टरी के गन्धक संयंत्र की एक वर्ष तक बेकार रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो उस संयंत्र में उत्पादन बन्द करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सूचित किया गया है कि मैसर्स बैरियम कैमिकल्स लिमिटेड रामाबरम (आंध्र प्रदेश) ने प्रतिवर्ष 330 मीट्रिक टन नाइट्रिक ऐसिड बनाने का एक कारखाना स्थापित कर लिया है। वर्ष 1967 में 69 मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन होने की सूचना मिली है।

(ग) इस विषय में सरकार का कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1967 में उपोत्पाद के रूप में इस फर्म ने 5 मीट्रिक टन गंधक का उत्पादन किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रूस तथा अरब देशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन

6170-छ. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से 1967 तक तथा वर्ष 1968 के पहले छः महीने में भारत में निर्मित कितने चलचित्रों को रूस तथा अरब देशों में दिखाया गया;

(ख) उन निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं, जिन्होंने उपरोक्त अवधि में ये उपरोक्त देशों में चलचित्र भेजे हैं; और

(ग) उन चलचित्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने उपरोक्त अवधि में उपरोक्त देशों में सब से अधिक विदेशी मुद्रा कमाई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चैकोस्लोवाकिया की स्थिति के बारे में

RE. SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने चैकोस्लोवाकिया के बारे में प्रश्न उठाना चाहा था लेकिन मैंने उसकी अनुमति नहीं दी और कुछ माननीय सदस्य इसे आज उठाना चाहते हैं, लेकिन समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि सुरक्षा परिषद् ने भी अपनी बैठक फिलहाल स्थगित कर दी है इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिये सरकार से हर दिन वक्तव्य देने को कहा जाये, यदि कोई गम्भीर बात होगी, तो मैं स्वतः उससे ऐसा करने को कहूँगा। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियां (आवेदनों पर शुल्क) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 17 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1485 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दी माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दी माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर का 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक टिप्पणियां।

(3) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1910/68]

अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संघटन के कार्यों की त्रैवार्षिक समीक्षा

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोल) : मैं भी च० मु० पुनाचा की ओर से अप्रैल, 1965 से मार्च 1968 तक मार्ग, चल स्टाक, सिगनल व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में रेलवे की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संघटन के कार्यों की त्रैवार्षिक समीक्षा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1911/68]

सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा समापन अथवा पुनः स्थापन अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भी दिनेश सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा समापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा समापन अथवा पुनः स्थापन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 619 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०1912/68

देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में दूसरा विवरण

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं डा० कु० ल० राव की ओर से देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में दूसरा विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1913/68]

वर्ष 1967-68 के लिए कोयला बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखा प्रतिवेदन

श्री प्र० चं० सेठी : मैं कोयला खान (परिक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये कोयला बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1914/68]

कपड़ा आयुक्त संघटन ऊन नकली रेशम, संघठन व्यवस्था तथा कर्मचारी-सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन और अग्रिम संविद विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) कपड़ा आयुक्त का संघटन—ऊन, नकली रेशम, संघठन व्यवस्था तथा कर्मचारी—के बारे में अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति।

(2) अग्रिम संविद (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) एस० ओ० 2776 जो दिनांक 9 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० ओ० 2777 जो दिनांक 9 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1915/68]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने अपनी 27 अगस्त, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसमें मोटर-गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1965 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के पेश किये जाने का समय 30 नवम्बर, 1968 तक बढ़ा दिया गया है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
सतवां प्रतिवेदन
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS
SEVENTH REPORT

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक
CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई तथा प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :—

"कि कतिपय आपत्तिजनक सामग्री की छपाई तथा प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।,,

श्री जार्ज फरनेन्डीज इसका विरोध करना चाहते हैं; सामान्यत: विधेयक पुर:स्थापित करते समय उसका विरोध नहीं किया जाता ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I am opposing this Bill at the introduction stage for some valid reasons. It is said in the statement of Objects and Reasons that the matter was discussed at the meeting of the National Integration Council recently held at Srinagar and the intention was to expedite this process. Sir you are aware that sometime back the Bill of similar nature was introduced in Andhra Pradesh Legislative Assembly which sought to put restrictions on the Press. The matter was raised in this House and the Information and Broadcasting Minister told the House that the Centre was in touch with the State Government when that matter is under consideration and a final shape of the Bill has not yet been determined, why have the Government brought this Bill through which restrictions are sought to be put on newspapers.

Clause 6 of the Bill is most objectionable. Because under this clause, the Central Government or a State Government or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of the Communal harmony and affecting or likely to affect public order, may, by order in writing addressed to the printer, publisher or editor, prohibit the printing or publication of any document or any class of document of any matter relating to a particular subject or class of subjects for a specified period or in a particular Issue or issues of a newspaper or periodical.

The Home Minister should before he proceeds with the Bill consult bodies like the All India Newspapers' Editors Conference, Indian Federation of Working Journalists and

such members of Parliament as have sufficient knowledge of censorship. We cannot therefore, support the introduction of a measure that curbs the freedom of the Press.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I do not want to oppose the introduction of the Bill, but the measure is contraversial and needs detailed examination. I want to know whether the Home Minister is going to refer it to a Select Committee.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा की राय के खिलाफ नहीं चल सकता। इस विधेयक पर राष्ट्रीय अखण्ता परिषद में विचार विमर्श किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे यथाशीघ्र पारित करके अधिनियम का रुप दे दिया जाये। तथापि यदि सभा इसे प्रवर समिति को सौंपना चाहे, तो मैं मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। मैं इसे सभा के निर्णय पर छोड़ता हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह विधेयक सारे देश पर लागू होगा, और राज्य सरकारें उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के लागू कर सकती हैं, क्या गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ बात-चीत की है ताकि वे इस विधेयक को ध्यान में रखकर उस पर आगे विचार-विमर्श न करें ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, on a point of order under Rule 65 the period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the Speaker allows the motion to be made at a shorter notice.

In addition to this, I would like to invite your attention to rules 69 and 70 so leave to introduce a Bill can only be given when it fulfils the requirements of the above rules.

Shri Madhu Limaye : The financial memorandum appended to this Bill is incomplete and, therefore, the Bill itself is incomplete. The Minister should bring it in a complete form.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (रोजीकोड): यह विधेयक श्री नगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। विधेयक के खण्ड २ के अन्तर्गत पूजा स्थल भी आ जाते हैं और उनमें हस्तक्षेप किये जाने का गम्भीर खतरा है। अत: मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यह मामला विधि तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 249 से है। अत: मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या इस मामले में संसद को विधि बनाने के लिये राज्य सभा में संकल्प की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक कानूनी पहलुओं का सम्बन्ध है, मैंने कानूनी महिरों से परामर्श किया है, उन लोगों का मत है कि यह विधेयक उस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये निर्णयों की शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाये। अत: हम चाहते हैं कि यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम बन जाये। परन्तु यदि सभा इसे प्रवर समिति को भेजा चाहे तो हम बाधा नहीं डालेंगे।

आन्ध्र प्रदेश का विधेयक वहां की प्रवर समिति के विचाराधीन है। हम इस बारे में मुख्य मंत्री को परामर्श नहीं दे सकते तथा वह हमारे परामर्श के अनुसार चल भी नहीं सकते, क्योंकि वह विधेयक राज्य विधान मण्डल के हाथ में है और राज्य विधान मण्डल के अपने अधिकार होते हैं, परन्तु यह देखना है कि उक्त विधेयक राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों से परे हैं।

यह विधेयक तथा आन्ध्र प्रदेश का विधेयक एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं।

यह विधेयक पंजाब सुरक्षा विधेयक के खण्ड २ तक ही सीमित है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश विधेयक पंजाब सुरक्षा विधेयक से भी परे हैं तथा अधिक व्यापक है।

'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्दों के बारे में प्रश्न उठाया गया है। उनके अर्थ गलत लगाये जाने का कोई खतरा नहीं है। शब्द इस प्रकार है कि कोई भी बात सार्वजनिक व्यवस्था का मामला नहीं हो सकती तथा केवल साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली घटना को ही सार्वजनिक व्यवस्था का विषय समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1868, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा कुछ आपत्तिजनक, मामलों के मुद्रण तथा प्रकाशन के विरुद्ध उपबन्ध रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश)—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (UTTAR PRADESH)-CONTD.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Sir, I had said in the House yesterday that howsoever good the President's rule may be, the people would not like it when compared to the representative Government. One of the main reasons for the backwardness of Uttar Pradesh is that the financial assistance given to the State by the Centre is meagre when compared to its population. The State has one-sixth of the total population of India but the Central assistance is comparatively less. 35 percent of the population of Uttar Pradesh resides in backward districts.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The apathy of the Government towards Uttar Pradesh is clear from the way they are treating the flood-stricken areas of Deoria and Ballia districts. The people of

these districts are very poor. But the Government is providing them relief only in the shape of salt, grams and match boxes whereas those people have lost everything they had.

The hon. Minister has given figures regarding law and order situation in the State. The law and order situation in the State is deteriorating whereas the number of police officers and constables is on the increase.

The methods resorted to by the police are also outrageous. A judicial enquiry into the recent police firing in Ballia should be held.

The people of Uttar Pradesh and Bihar are sugarcane producers. As a result of the policy adopted by Shri Jagjiwan Ram they got a very good price for their sugarcane. The minimum price for sugarcane should not be below Rs. 9 per maund. An atomic power plant should be set up in Uttar Pradesh so that the condition of the State should improve. With these words, I support the demand.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur): Sir, Uttar Pradesh is under President's rule and the Mid-term elections are going to be held in the State. It is very necessary to ensure that the officials of the State do not participate in politics. The allegation that the Chief Secretary of the State has been visiting the Congress should be enquired into. It has been alleged that he has been visiting Shri C. B. Gupta with official files. It will be dangerous for the administration of the State if the officials interfere in politics.

In Uttar Pradesh transfers of officials are taking place keeping in view the interest of the Congress party during the coming Mid-term elections. No transfer of officials should be made till the elections in the State are over.

Shri Sheo Narain (Basti): Uttar Pradesh is under Governor's rule. The Governor has raised the rate of electricity by Rupees eight per horse power. The rate of power has almost been doubled. It is unfair and we demand that the previous rate should be restored.

Basti, Gorakhpur and Deoria districts of Uttar Pradesh are flooded every year by the waters of Ghagra river. I had submitted a suggestion to the U. P. Government to control the river by incurring an expenditure of Rs. Sixteen Crores. That expenditure is worthwhile; since the agriculturists would benefit thereby and the agriculture production will increase.

The officers of Uttar Pradesh are very honest. I agree with Shri Vajpayee that the transfers should not be effected.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 7 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत् हुई ।

The Lok Sabha then reassembled after lunch at Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR. DEPTUY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Sheo Narain : I have visited the districts of Nainital and Almora. Those districts are very much affected by poverty. Bundelkhand area has suffered from the shortage of drinking water and something ought to be done in this direction.

I am sorry to say that there is no law and order in the State. Harijans are particularly subjected to atrocities by all including police. Their plight in Basti and Gonda districts is very miserable. The former Finance Minister, Shri T. T. Krishnamachari had included the districts of Basti and Ballia under the purview of Patel Commission. Gorakhpur district should also not have been ignored.

The previous United Front Government had discontinued the educational grants to Harijan children in the State. The grant should be restored and measures should be adopted to table the serious problem of educated unemployment in the State.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur): Mr. Deputy Speaker Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to express my views on Supplementary Demands for Grants for Uttar Pradesh.

The district of Gorakhpur has taken an active part in the struggle for freedom. The people of the district are so poor that they cannot afford themselves even one square meal a day. The density of population of the eastern districts of Gorakhpur, Deoria, and Basti is very high and consequently the pressure on land is heavy. Agriculture is main profession of the region but due to failure of monsoons 3 years out of 5 are dry and consequently paddy crop suffers. The recent increase in the rate of electricity for tubewells is likely to worsen the situation still further. It has made irrigation very expensive and many farmers are thinking of switching over to diesel oil since it is cheaper.

The eastern districts of Uttar Pradesh suffer due to lack of irrigation facilities while there is enough irrigation potential in the region which can be tapped. There is great scope for lift irrigation and tube-wells. Gandak canal has not so far been completed due to lack of resources. Its execution will be very beneficial to the agriculturists and should be completed without any further delay.

The rate of electricity supplied to the industrialists from Rihand Project is too low as compared to the rates for electricity supplied for agricultural purposes. The question of reducing the rates of electricity for agricultural purposes and the supply of water resources should be carefully considered. The National Extension Service block should be abolished and the money saved on this account should be utilised for the provision of electricity, manure and seeds to the farmers.

It is not proper to malign the majority community in the name of communal riots. There were communal riots in Allahabad recently due to the festival of Holi. Those who do not want to participate in the festival of colours should not go to the places where the festival is being observed. It is worth noting that prior to 1900 there were no communal riots in the country. There is an international conspiracy behind such riots in order to weaken the country. There is a need to make the basic changes in the educational system of India. Present system of education is responsible for the increased unemployment. Unless the system is abolished the unemployment will continue to increase.

Even the trade unionism has crept up in the educational institutions which is not an healthy sign. Teachers are beaten up and even killed every now and then.

In the interest of the security of the country it is essential to build roads quickly. More attention should be paid on the construction of roads in the border areas.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut). May I know whether an opportunity will be provided to me or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस चर्चा को एक घंटे में समाप्त करेंगे। इ पश्चात् हमारे पास तीन घंटे का समय बचेगा। माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : All should get the time. You may give them a minute or two.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने इस ओर से भी किसी को नहीं बुलाया है। माननीय सदस्य को समय दिया जायेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : You provided me an opportunity just now otherwise I will not speak afterwards even if I am given an opportunity.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): श्री महाराज सिंह भारती को बोलने दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): इन अनुपुरक मांगों के लिए एक घंटे का समय रखा गया था। इससे प्रत्येक दल को दस अथवा 5 मिनट भी नहीं मिलते। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने इसको बढ़ाकर दो घंटे कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय समाप्त हो गया है उसमें केवल 10 मिनट का समय शेष है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर): श्री महाराज सिंह भारत उत्तर प्रदेश की मांग अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए बहुत उत्सुक थे और वह कल शाम 7 बजे तक अवसर मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। जनसंघ के दो सदस्य इन मांगों पर बोल चुके हैं। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है हम समय नहीं चाहते। कम से कम उन ग्रूपों को जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में रुचि रखते हैं, इन अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय को दो घंटे तक बढ़ा दिया था और यह दो घंटे लगभग समाप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सम्बन्धी उद्घोषणा पर चर्चा के लिए हमारे पास तीन घंटे का समय है। यदि कुछ सदस्य इन अनुपूरक मांगों की चर्चा में भाग लेना चाहेंगे तो मैं आधे घंटे का समायोजन करूंगा। आज प्रातः जब मामला उठाया गया था तो यह कहा गया था कि दोनों मामलों को इकट्ठा कर दिया जाये तथा इनका उत्तर बाद में दिया जाये। परन्तु सभा द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। मैं सभा की सहमति से समय का समायोजन करा रहा हूं। अन्य चीजों पर समय में कटौती कर दी जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati : The days of a democracy are numbered in a country where all officers big as well as small are formulating the policies according to th er own will and interest.

This is what is happening in Uttar Pradesh. Police Raj is prevailing all over the State. At some places the ladies are forced to walk in procession in naked form. Lathi charge is done on the people who come for help. If these things are not changed the democracy will go to the doldrums.

Very high rates are charged for electricity in Uttar Pradesh. It was decided on the All India level that electricity rates will not be charged more then twelve naya paise per unit from any farmer in India. It was also decided that Central and State Governments will give subsidy for the purpose if the cost comes more. Rates of electricity for

tube wells have recently been increased and as a result thereof it has become difficult even for the well to do farmers belonging to western Uttar Pradesh to afford it. Even a distinction is made between private and Government tubewells for the purposes of supplying electricity as low rates are charged for the latter.

The Uttar Pradesh language Act came into force on the 26th January 1968 and President accorded its assent on the Act on 6th April 1968. About three thousand Hindi Typewriters were also purchased as a result thereof. But the Chief Secretary reverted to English deliberately violating everything. This Chief Secretary is not new to the State. He had also some years back as Secretary of Irrigation and Power. At the time of the construction of Matitilla Dam he was there. Keeping in view the ultimate cost he was asked to look into the matter. He gave the signal of all clear. But a vigilance committee formed for the purpose afterwards revealed that lakhs of rupees have been embezzled. I would, therefore, request that this man is indulging in all sorts of objectional activities and he may be recalled.

Half of the land received as a result of fixing ceiling on holdings have been distributed to the Harijans.

No provision has been made in the budget for constructing a dam on the river Tons although there was a proposal for it. Hundreds of thousands of people suffer every year due to floods. Nothing has been done so far to control the floods. Some steps should be taken in this direction so that sufferings of the people could be minimised.

We have been importer of phosphate manure continuously and losing the precious foreign exchange. But the phosphate is available in abundance in the Himalya ranges found from Dehradun to Himachal Pradesh. But nothing has been done to exploit the source It can be easily used for manufacturing fertilizer. I would appeal to the Government to take necessary steps for the purpose.

श्री श्रीनिवास मिश्र : हमारे दल को समय नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को केवल पांच मिनट का समय दे सकता हूं ।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : The reason for the backwardness of the State is that the ruling party in the State for the last twenty years did not pay attention to the problems of the State because of the internal differences. Secondly it never received the desired and necessary financial assistance from the Central Government. During the last three five years plans Uttar Pradesh has received little allocation as compared to other States. That is why it could not do much progress. It is, therefore, necessary to allocate enough money to Uttar Pradesh in the Fourth Five Year Plan so that it could develop itself at faster rate. Now central project has been started in Uttar Pradesh during the last two Five Year Plans as it has failed to supply cheap land and power. Basic changes should be made in this policy.

Rs. 192.42 crores have been allotted to various states for development ports. But nothing has been allotted for Uttar Pradesh under this heading as it is a land locked state.

Uttar Pradesh is also backward in so far as industry is concerned. Steps should be taken for the industrialisation of the state.

Although Uttar Pradesh is primarily an agricultural state it does not produce much for its population. The reason is that irrigation, manure and fertilizer potentialities of the state have not been developed. Secondly the farmers have no incentive. Renumerative prices should be ensured to the farmers for their produce.

There is a shortage of tractors in the state. 14700 tractors are needed immediately for supply to persons who are in the waiting list. I would request that a factory may be set up in Uttar Pradesh for manufacturing tractors.

The Government should provide proper loan facilities to the farmers to enable them to purchase agricultural implements. A pamphlet should be distributed amongst the farmers detailing his capacity to take loan.

There is a discrimination in the renumeration of the employees of the district board which should be done away with.

There is a large smuggling from Pilibhit to Nepal. Steps should be taken to check it.

Cracks of the Narusagar dam which occurred last year due to heavy rains have not yet been repaired fully. Even the findings of the Committee set up to make enquiries have not been made public.

Two Ayurvedic colleges of the state located in Jhansi and Hardwar have not been functioning well. They should be affiliated to some University.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.C. Pant): Although this discussion was limited to the supplementary demands yet it has been enhanced all subjects pertaining to the general budget. All the hon. Members who have taken part in this discussion have expressed this concern over the backwardness of the State. Uttar Pradesh is a big State having large population and it has its own geographical and historical importance in the country.

So far as agriculture is concerned I would state that state has made good progress in this field during the last few years. Modern techniques have been adopted. More land has been brought under irrigation. Consumption of manure has also increased. Inspite of all this much more has to be done. Natural resources of the State have to be exploited to make the State progress swiftly.

More industries based on agriculture would have to be developed. It is not that nothing has been done in this direction in Uttar Pradesh. There are about seventeen thousand industries in Ghaziabad and Allahabad. Now we have to decentralize them and scatter them all over the State so that all may be benefitted from them. It cannott be done without the cooperation of all the political parties. In the Fourth Five Year Plan the State has to be taken ahead with a much faster rate.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये ।
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

We all should join hands so that progress of the State could be accelerated. Increased Central assistance alone will not help much. I was speaking about the question of Central assistance. During the First Plan we had given Rs. 87 crores to Uttar Pradesh which was increased to Rs. 355 crores in the Third Plan. Therefore, it is not correct to say that we have neglected the State in any way. What is more necessary is that the State Government should also try to raise its resources. Only then the pace of progress in the State can be accelerated.

So far as the Fourth Plan allocation is concerned, the question of fixing some criteria for Central assistance to states is being discussed. More aid will perhaps be given to backward states and the population will also be one of the criteria for sanction of

more Central aid. I hope with this increased aid and the resources of its own the State Government will be able to catch up with the other States in the country.

Much stress has been laid during the debate on the need to develop agriculture and irrigation facilites in the State. In the Supplementary Demands we have set aside Rs. 18 crores for increasing agricultural production and emphasis has been laid on improved seeds and fertilisers being made available to the farmers. An amount of Rupees one and a half crores has been earmarked for providing storage facilities. Rupees two and a half crores have been provided for irrigation facilities. Hon. Members expressd concern about the Gandak Projects. I want to assure the hon. Members that the Project will be completed by 1972-73 as scheduled. Every effort will be made in this direction so that irrigation facilities are extended to 7 lakh acres more.

Rs. 50 lakhs have been earmarked for family planning schemes. Rs. 3 crores have been provided for revenue expenditure which includes certain items such as elections, police reorganisation, provision of collectorates and tehsils; and maintenance of roads.

Many hon. Members made particular reference to police and the law and order situation in the State. We are doing our best to keep up the morale of the police force and strict action is taken against officers found guilty in any way. Thus in 1967-68 there were 200 cases of dismissals and 477 cases of reduction in rank of guilty officers, As well as action was taken against many others.

It was also said that the incidence of crime has been on the increase There is no doubt that the number of crimes had increased in the years 1966 and 1967 as compared to 1965. But in 1968 their number has come down.

The need for opening more industries in the State was also stressed. There is no doubt that during the last three plans enough industries had not been set up in Uttar Pradesh and we have to make up this deficiency. But it should be realised that the heavy industries cannot be set up on the techno-economic basis alone. We have to locate these industries in places whereby the whole country is benefited. But many other industries can be set up in Uttar Pradesh. For example, rock phosphate has been found there. The survey and other work is being expedited and soon something will come out of that.

Concern was expressed about the sugar and textile mills in the State. It is a fact that sugar mills are facing grave difficulties due to shortage of sugarcane. But after partial decontrol of sugar the price of sugarcane has increased and it is hoped that production of sugarcane would be increased and enough sugarcane would be coming to the factories. We have also to see that sugar is produced at cheap rates as it is in the south.

So far as the Saryu scheme is concerned, there is a proposal in the fourth Five Year Plan that this scheme should also be completed.

Land property tax has not been reintroduced but the arrears are being realised. There is no proposal to reimpose it. Shri A. B. Vajpayee said that the Governor is acting in such a way and transferring officers so as to help the Congress during the coming mid-term elections. But this allegation of his is quite baseless. So far as transfers are concerned the Governor has issued orders that unless unavoidable high officials should not be transferred till the mid-term elections are over so that nobody can make such an allegation.

It has been said that the Governor's rule is nothing but the employee's rule. But I ask them who was responsible for the Governor's rule there. They themselves brought

about this situation. They could not remain together for even 10 months. I hope they have now got some experience from it, and perhaps they have now come to realise the responsibilties attached to this office.

It has also been said that the officers have started taking the files to Sri C. B. Gupta. When Shri Charan Singh was going to be the Chief Minister of the State the officers took the files to him. So perhaps the people are pretty wise and have taken time by the forelock.

Shri Sharda Nand : I wanted a clarification from the Hon. Minister about the electricity rates. He said that he would reply in the end.

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want to know whether the Government intend to bring the D. A of State Government employees at par with the Central Government employees and if so, what assistance Government can render for this purpose ?

157 persons were discharged from service as a result of the strike there. In the Uttar Pradesh Advisory Council meeting in Naini Tal a resolution was passed unanimously for reinstating them. What is the Government going to do in this matter ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर प्रदेश की ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक में क्या तय हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक मंहगाई भत्ते का प्रश्न है यदि राज्य सरकार संसाधन जुटा सकती है तो वह उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये स्वतंत्र है। केन्द्रीय सरकार इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती।

Shri Hukam Chand Kachwai : He should answer the question.

सभापति महोदय: शांति, शांति। कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालिये।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1-39, 42-108, 119-142 और 144-156 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये उत्तर प्रदेश सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Uttar Pradesh for the year 1968-69 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
9	निर्वाचन	56,11,000
10	सामान्य प्रशासन	9,900
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	22,87,400
14	कारागार	74,600

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रु०
15	पुलिस	26,55,900
17	वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य	1,37,400
18	शिक्षा	1,800
19	चिकित्सा	15,22,300
21	कृषि संबंधी विकास	500
23	पशुपालन और मत्स्य पालन	400
24	सहकारिता	12,00,000
25	उद्योग	8,90,000
26	नियोजन और समन्वय	100
28	सूचना निदेशालय	3,000
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	300
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	6,02,300
32	सिंचाई अधिष्ठान	26,00,000
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं	2,45,59,300
36	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	4,000
44	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	1,15,700
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	10,00,00,000
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1,06,21,000
47	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,00,00,000
48	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,43,09,300
49	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,00,31,400
50	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,82,000
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	9,65,40,000

———

उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक

UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय

वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1668-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : I shall only speak on two points. One is about police atrocities. Police atrocities and excesses have been increasing in the State. There are instances where police actions have crossed all limits of civilised behaviour. Even in British times the people were not subjected to such atrocities. Recently, the police of Firozabad thana in Agra district set a new record of barbarism. In Totalpur and Sophipur village they looted 11 houses for 36 hours, misbehaved with women and even raped them. They dismantled pacca houses, destroyed property worth lakhs of rupees, damaged crops standing in the fields and looted cash, jewellery, valuables, foodgrains and other things. It is most unfortunate that police shoul act in such a shameful manner. Since the 12th 71 persons have been fasting untodeath Judicial enquiry should be held in this case. Any judge of the High Court of Allahabad should be entrusted this task and the police officials responsible for these atrocities should be suspended forthwith and transferred from Agra.

The affected families should be duly compensated for the damage done to themp and the properties which had been attached should be made over to them.

Such cases have happened in Chhata, Ballia and Gonda also. These atrocities of the police have got to be checked.

Shri Sheo Narain : The demand in regard to tubewells is genuine. Why the tax has been raised ? Why the power rate has been increased ? This position should be clarified by the hon. Minister.

Shri K. C. Pant : The incident that took place in Agra district is really most unfortunate. We have all the sympathies for the affected persons. It is the duty of the Government to bring to book the officials who are found responsible for such an inhuman behaviour. At present the whole thing is being inquired into. Necessary action will be taken on the basis of the findings of the inquiry.

It has been urged that the D. A. of the State Government employees in U. P. should be brought at par with that of the Central Government employees. Primarily, it is for the State Government to do whatever it thinks proper in the matter. Even then, a raise in D. A. of the U. P. Government employees has recently been granted.

It has also been said that electricity charges have been raised in the State and that it would result in great hardship to the farmers using pumping sets for irrigation purposes. There is no doubt that electricity charges have been raised but they have been raised in such a manner that the farmers using pumping sets will not have to bear any extra burden...

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): He is giving wrong information....

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहले एक न्यूनतम दर थी । अब उसे बढ़ा दिया गया है । यदि निजी नलकूपों का अधिक प्रयोग होगा तो दर लगभग वही बैठेगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : He is giving wrong information.

Shri K. C. Pant : I am giving the information that has been supplied to me. If he is not satisfied he can write a letter to me or raise it in the Advisory Committee.

Shri Sharda Nand : While speaking on the Bihar budget, the hon. Minister had stated the farmers would not be required to pay more than 12 paise per unit. I want to know whether this will apply to the farmers of Bihar only or the U. P. farmers also will get this benefit ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उत्तर प्रदेश के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के सम्बन्ध में संविहित संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF UTTAR PRADESH

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 25th February, 1968, in respect of Uttar Pradesh issued under Article 356 of the Constitution by the President, as varied by subsequent Proclamation dated 15th April, 1969, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968."

We are not happy that the President's rule has been imposed in the biggest state in the country i. e. Uttar Pradesh. It is known to everybody that after the general elections, the situation in Uttar Pradesh had been most fluid. All efforts were made to instal a popular Government but all that was in vain. The situation in the State had deteriorated day by day and a stage came when the Governor felt that it was not possible to run the administration in accordance with the provisions of the Constitution. After taking stock of the situation he recommended that the President's rule be enforced there. And on the recommendation of the Governor of Uttar Pradesh the President's rule was enforced there. After the enforcement of the President's rule in U. P. an Advisory Committee was constiuted to advise the President on the legal aspects of the administration in respect of the State. Later it was thought proper that the Committee should advise onother matters also. Accordingly, the Advisory Commitee has been expressing its views on other matters also and they are given due importance.

It is very sad that during the last few months some unfortunate incidents had taken place at several places in Uttar Pradesh. In reply to a Short Notice Question yesterday the Home Minister threw light on what Government intended to do in the matter.

We got the information from two or three places of serious matters and so we decided that they should be enquired into by the judicial officers instead of by executive officers.

The hon. Member, Shri Shiv Charan Lal made a mention of what happened in Agra. So we thought that action should be taken atonce in this connection. Hence an enquiry was instituted immediately. The in-charge of the police station was accordingly suspended. Two other officers were also suspended and four transferred from there.

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए।
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

I want to make this thing quite clear that whenever anything is brought to our notice we take immediate action on that. I want to assure the House that we are not doing anything in Uttar Pradesh taking into consideration the practical aspect. But this is quite clear that till a popular Government is formed there, President's Rule will have to be worked out there. It is a matter of great regret that when we are to discuss the fourth Five Year Plan there is no popular Government in Uttar Pradesh. Therefore, in order to maintain the interest of the people there the Governor has appointed a committee, consisting of most of the Members of Parliament of Uttar Pradesh. The views of that committee are sought and considered before taking any action. Hence it is quite evident that we do not take into account the practical aspect while doing anything there.

As I have already said the views of the committee thus appointed are always considered and materialised. Agricultural and industrial production has been kept at the top but we want that priority should be given to irrigation, transfer and communications. At the same time I want the growing population in Uttar Pradesh should be checked so that economic progress may be effective. I would also like to say that in the field of labour there has been comparative peace for the last one year.

The hon. Member, Shri Banerjee has given an amendment on this proposal. The hon. Member may think that when the Chief Election Commissioner after taking the views of all the parties has decided to hold elections in February then why the period of President's Rule is being extended ? In this connection I would like to say that we do not want that the President's rule should remain when there is no need for that but because there is provision in our Constitution that it can be extended for a period of six months so we have done so. That does not mean that the rule must last for six months. It can be discontinued even before that. That is the limited point. I hope the hon. Members will appreciate that.

This is all that I wanted to say and hope that the hon. Members will support.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गयी उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरन्तर लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री स० मो० बनर्जी का एक संशोधन है । क्या वे उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : जी हाँ, मैं अपनी संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं :—

सभापति महोदय : संकल्प तथा संशोधन, दोनों, सभा के सामने हैं ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश, अपना संसदीय ढांचा बनाये रखने में असफल रहा है तथा राष्ट्रपति को वहां का प्रशासन सम्हालने के लिये कहा गया है। परंतु यह पहला राज्य नहीं है जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अथवा लागू होने वाला है। छः राज्यों में पहले ही ऐसी स्थिति हो चुकी है। अतः इस बारे में विचार करने का यह उचित समय है। क्या इस अवधि में सब राज्यों में जो कुछ हुआ है उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मंत्रिमण्डलीय मंत्रिवाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। 1967 के आम चुनावों में यह सिद्ध कर दिया है कि जनता अब यह नहीं चाहती है कि केवल कांग्रेस ही बहुमत में आये विरोधी दल उसका अच्छी तरह से विरोध न कर सकें। इसके अलावा कुछ दलों को मिला कर मिली जुली सरकार बनाने का भी प्रयत्न किया गया है। परंतु यह एक अथवा दो राज्यों को छोड़कर यह प्रयोग भी असफल सिद्ध हुआ है। इसका असफल रहने का कारण यह था कि कांग्रेसी नहीं चाहती थी कि वह अधिक समय तक विरोध दल के रूप में काम करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विरोधी दल में रहते हुए भी प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह लोकतंत्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करे। परन्तु कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। परंतु दुःख की बात है कि सत्रह वर्ष तक सत्तारूढ़ के बावजूद भी कांग्रेस अपना उत्तर-दायित्व निबाहने में असफल रही है।

जब कांग्रेस ने विरोधी दल के रूप में काम करना आरंभ किया तो उन्होंने लोकतंत्र का हनन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ऐसा राजस्थान में किया। उसके पश्चात् अन्य दलों ने भी ऐसा करना आरंभ कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस समस्या का हल निकालना कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या यह उचित समय नहीं है कि हम लोक-तंत्र के हित को बनाये रखने के लिए कोई उपाय निकाले। इस सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि यहां पर स्विटजरलैण्ड की सरकार की तरह भी सरकार यहां भी बनाई जाये जिसमें सभी दल का अपना अपनी संख्या के अनुयत्न से प्रतिनिधान हो। इस प्रकार से कोई भी सदस्य अपने दल को नहीं छोड़ सकेगा। समय समय पर सरकार को यह सुझाव दिया गया है परन्तु इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है।

अब भी यह पहली बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुमत होगा। जनसंघ जैसे अन्य दल की बहुमत प्राप्त करने का दावा करते हैं। यह बात भी निश्चित नहीं है कि क्या कोई दो दल आपस में मिलकर बहुमत बना सकेंगे। परंतु मेरा निवेदन यह है कि क्या इस प्रयोग को उत्तर प्रदेश में लागू करना अधिक अच्छा नहीं होगा। शायद वे कहें कि सबसे बड़े राज्य में इसका प्रयोग करना क्या लज्जा की बात नहीं होगी ? लेकिन क्या फ्रांस के लिये, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है और जिसकी प्रजातंत्रात्मक संस्था की परंपरा भी अधिक लम्बी है, पहली पद्धति को त्याग कर फ्रांस को डिगालबाद के अन्तर्गत लाना लज्जा की बात थी ? यदि यह फ्रांस के लिए पर्याप्त अच्छा था और यदि आप कहते हैं कि उनके पास एक उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार तथा विधान मण्डल का एक करार साधन है तो उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा एक प्रयोग करना किसी प्रकार सम्भव नहीं होगा ?

सभापति महोदय : उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य नहीं है यह सम्बिधान के अन्तर्गत कार्य करता है।

श्री रंगा : सम्बिधान के अन्तर्गत ही मैं भी कह रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल आस्तिक में आयेगा तो राज्यपाल के लिए छूट होगी कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के नेता को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए बुलाये। उसको अपने मंत्रिमण्डल में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में छूट होगी। सभी राजनीतिक दल उसको सहयोग दें तथा मंत्रिमंडल बनाने में उसकी सहायता करें। जैसाकि पश्चिमी बंगाल में 12 या 13 दलों को मिलाकर तथा सबको प्रतिनिधित्व देकर संयुक्त विधायक दल ने सम्भव कर दिखाया था। कांग्रेस सहित सभी दलों के लिये इस प्रकार मंत्रिमंडल बनाना सम्भव होना चाहिये और यह मंत्रिमंडल विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के मंत्रिमंडल से ऐसी सरकार बनेगी जिसका अब तक की सम्विद अथवा कांग्रेस सरकार से अधिक अच्छा प्रशासन होगा और उसमें व्यय भी कम होगा तथा वह सरकार अधिक उत्तरदायी, अधिक ईमानदार तथा अधिक सक्षम सिद्ध होगी।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने सभा में यह अनुशासन दिया है कि वे किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए अथवा उत्तर प्रदेश में अपने दल के लिए अथवा सम्पूर्ण देश में अपने दल के लाभ के लिए, राष्ट्रपति शासन का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते। लेकिन यह क्या है जो उन्होंने इन सारी अनुपूरक मांगों को पास करवाने के लिए किया है ? जब बजट तैयार किया गया था उस समय उनको इन बातों का ध्यान क्यों नहीं आया जिन पर कि वे आज उत्तर प्रदेश में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त व्यय करना चाहते हैं और विभिन्न वर्गों के लोगों की सद्भावना, उनके वोट तथा उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं ? किसानों में उर्वरक का वितरण करने अथवा भूमि संरक्षण की बात का ध्यान क्या उनको पहले नहीं आया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या उनका कहना यह है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जनता के हित के सारे कार्यकलाप स्थगित कर दिये जाने चाहिये थे ? क्या जनता के हित के लिये कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिये था ? मेरा कहना तो यह था कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और इसे किसी दल के राजनीतिक लाभ के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा। लेकिन लोकहित के कार्य जारी रहेंगे और उनमें वृद्धि होती रहेगी।

श्री रंगा : जब श्रीमती सुचेता कृपलानी अथवा श्री चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब भारत सरकार उत्तर प्रदेश को सहायता देने के लिए अनिच्छुक थी। लेकिन अब, अचानक भारत सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों तथा अन्य लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो गई है। इसीलिये वे उनको 19 करोड़ रुपये देने के लिये तैयार हैं। उन्होंने बजट में उत्तर प्रदेश के लिए पहले ही 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रखी थी और अब 8 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित कर दिये हैं। उन्होंने भोपाली पम्पड़ कैनाल प्रोजैक्ट, जमानिया पम्पड़ कैनाल प्रोजैक्ट तथा दलामू कैनाल प्रोजैक्ट को आरम्भ किया है। वहाँ 500 गैर सरकारी ट्यूबवैल हैं; 1500 पम्पिंग सेट हैं और 3400 बड़े कुएं हैं। उनसे 32,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की गी। राज्य के ट्यूबवैलों में से 9,000 ट्यूबवैलों को मजबूत किया

जा रहा है। पहले यह सब कुछ नहीं किया गया था लेकिन अब किया जा रहा है। गण्डक परियोजना के लिये 2 करोड़ रुपये केन्द्र से तथा एक करोड़ रुपये बिहार के भाग में से दिये जा रहे हैं। जो पहले नहीं किया गया था वह सब इस समय जादू की भांति हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में सहकारियां का बड़ी बुरी तरह शोषण किया गया है। रिजर्व बैंक से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर ऋण लेकर लोगों को 9 या 10 प्रतिशत पर इन नये शाहूकारों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सरकार, रिजर्व बैङ्क तथा अन्य लोग उत्तर प्रदेश की सहायता करने को इच्छुक नहीं थे लेकिन आज पर्याप्त धन उसकी सेवा में पेश किया जा रहा है। तराई क्षेत्र में सहकारी समितियों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिद शिन्दे): रिजर्व बैंक की दर 4 प्रतिशत है बाकी $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत।

श्री रंगा : अब तक रिजर्व बैंक $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर ऋण देता था लेकिन अब वे 4 प्रतिशत मांगते हैं, इस प्रकार रिजर्व बैंक भी एक दूसरे शोषक के रूप में भी उपस्थित हुआ। वह गरीब किसानों को किस दर पर ऋण दे रहा है; $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत दर अथवा 10 प्रतिशत दर अथवा 12 प्रतिशत दर पर ? किसानों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे अधिक निष्ठुर रही है। उस समय भी उनको कोई मदद नहीं दी गई। लेकिन राष्ट्रपति शासन में तराई क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

सहकारी निरीक्षकों की ओर अधिक नियुक्ति की जा रही है जैसे कि उन्होंने किसानों का शोषण न किया हो। कुछ समय पहले खादी विकास अधिकारियों की छंटनी की गई थी लेकिन अब उनको काम दिलाया जा रहा है। ये खादी विकास अधिकारी चुनावों के दौरान शासक दल के लाभ के लिए कार्य करते रहे हैं। वे पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियों को भी वजीफा देना चाहते हैं।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है वे उत्तर प्रदेश में एक सहकारी कताई मिल लगाना स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि कुछ कांग्रेसियों की ऐसी इच्छा है नहीं तो हर जगह यह कताई मिल बेकार हो रहा है।

दस जिलों में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए ऋण भी दिये जा रहे हैं। एक करोड़ से भी अधिक रुपया दिया जा रहा है।

अब प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न आता है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश ही सब राज्यों की अपेक्षा अधिक उपेक्षित रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिक उद्योग, अधिक विश्वविद्यालय, अधिक हाई स्कूल, अधिक पॉलीटैकनिक, अधिक कृषि-विश्वविद्यालय है लेकिन प्राथमिक शिक्षा की कमी है। सबसे अधिक निरक्षरता उत्तर प्रदेश में है, पिछड़े हुए वर्ग तथा आदिम जाति के लोग सबसे अधिक उपेक्षित हैं। अनुसूचित जातियों की उपेक्षा की गई है और हरिजन लोग सबसे अधिक अनपढ़ हैं। कांग्रेस को आज तक कहां विजय प्राप्त करने के कारणों में से एक कारण यह भी है। पिछड़े तथा सामाजिक रूप से गिरे हुए लोगों में साक्षरता लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये और इस प्रकार अपनी ही राजनीतिक क्षमता तथा संगठन का विकास किया। अब सरकार

किसानों में साक्षरता लाने के लिए प्रयोग करना चाहती है। आज तक लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही। अब लोगों की आवश्यकताओं का शासक दल के राजनीतिक लाभ के लिये शोषण किया जा रहा है।

लेकिन कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति शासन का अपने दल के लाभ के लिये अनुचित उपयोग नहीं किया जायेगा। अगर वे लोगों के प्रति ईमानदार हैं और सच्ची भावना से लोगों को ऐसा कहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों से, एक सर्वदलीय सरकार बनाने की दृष्टि से, बातचीत आरम्भ करें और पहली बार एक पर्याप्त अच्छा प्रशासन और एक सुदृढ़ मंत्रिमंडल बनाने में सहायता करें। नहीं तो श्री चरण सिंह के दस-सूत्रों की पुनरावृत्ति हो जायेगी जो उन्होंने संविद के सामने रखे थे। अगली बार भी वही बात होगी चाहे श्री चरण सिंह हों अथवा श्री गुप्ता जी अथवा अन्य कोई और। उत्तर प्रदेश पहले की भांति उन राजनीतिज्ञों के दबाव में पिसता रहेगा जो राजनीतिक सत्ता को हथियाना चाहते हैं न केवल अपने लिए न केवल अपने दलों के लिये अपितु उच्च वर्ग के उन लोगों के लिए, जो अब तक उस राज्य में राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाये रखने में सफल रहे हैं।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : उत्तर प्रदेश राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है और यदि आज उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल की सलाह से भारत सरकार उस राज्य को सहायता देना चाहती है तो विपक्षी दलों को इस पर नाराजी प्रकट नहीं करनी चाहिये, यदि उत्तर प्रदेश की मांग को पूर्णत. मान भी लिया जाता है तो भी उत्तर प्रदेश चौथी योजना के अन्त में इतना पिछड़ा हुआ ही रहेगा, उतना ही जितना कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में अन्य विकसित राज्य भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनका प्रशासन राज्य में हित के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जिनसे उत्तर प्रदेश राज्य की वास्तविक स्थित सामने आई। राज्य-पाल एक नवीन प्रक्रिया, योजना बोर्ड, को लेकर सामने आये हैं जिसमें वहां के संसद सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि राज्य की समस्याओं को हल करते समय उनके विचारों को भी समन्वित किया जा सके।

हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि वे प्राथमिक विद्यालयों तथा जिला बोर्ड के विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करें, हम उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्णय का स्वागत करते हैं जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े हुए अध्यापकों ने वर्गों को दस रुपये का लाभ वेतन वृद्धि के रूप में मिलेगा।

मैं यह भी आशा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो लोग 1950 या उससे पहले सेवा निवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं, उनके पेंसन अनुदान में परिवर्तन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वृद्ध सरकारी कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में अथवा केन्द्र सरकार की योजना में हमेशा उपेक्षा की जाती है। जैसा कि अन्य राज्यों में किया जा रहा है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों का वेतन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिये, जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई थी उनको वापिस काम पर ले लेना चाहिये। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी

लेकिन केन्द्र सरकार ने उनको वापिस लेने से इनकार नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार भी वैसा ही क्यों नहीं करती ? उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के नेताओं को वापिस काम पर लेने से क्यों इंकार करते हैं ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 जिले हैं । उत्तर प्रदेश के शेष अन्य जिलों में शिक्षा संस्थानों में एम० ए० अथवा एम० एस० सी० तक पढ़ाई होती है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन 14 जिलों में एम० ए० या एम० एस० सी० की पढ़ाई नहीं होती, ऐसा भेदभाव क्यों है ? यदि ऐसा तर्क दिया जाता है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तो अन्य जिलों में भी उच्च शिक्षा को समाप्त किया जा सकता है । गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भी संशोधन होना चाहिये ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा से वंचित न हो ।

आज भी उत्तर प्रदेश में अध्यापकों को कई महीने तक वेतन नहीं दिया जाता, उनको 100 रुपये दिये जाते हैं और 200 रुपये की रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में चोर बाजारी हो रही है । मेरे विरोध करने पर मुख्य सचिव ने चैक द्वारा वेतन दिये जाने की पद्धति को आरम्भ किया है । इस पद्धति का सारे उत्तर प्रदेश में चालन किया जाना चाहिये ताकि अध्यापक अपने वेतन से वंचित न हों ।

उत्तर प्रदेश योजना बोर्ड सरजू परियोजना के मामले को केन्द्रीय योजना आयोग के सामने उठाती रही है । इसको उत्तर प्रदेश के कर दाताओं के लिये भार स्वरूप न बनाया जाय । सरजू परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग की ओर से उपहार स्वरूप होना चाहिये ।

फैजाबाद डिवीजन की जनसंख्या भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक है । फिर भी, छः जिलों वाले इस डिवीजन में कोई उद्योग नहीं है, पिछली तीन योजनाओं के दौरान इसको कोई सहायता नहीं दी गई । इस क्षेत्र में न कोई विश्वविद्यालय हैं, न इन्जीनियरिंग कालेज, न मेडिकल कालेज और न ही कोई सरकारी उपक्रम । इलैक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री आ रही है, केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों मिल कर इसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिसके लिए यह डिवीजन हकदार है, पटेल आयोग के निर्णय को फैजाबाद डिवीजन पर भी लागू किया जाना चाहिये ।

विधि तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ फैजाबाद जिले में जहांगीरगंज का थानेदार मुगलों की भांति शासन कर रहा है, फैजाबाद जिले में उभरी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य की पुनः जांच कराई जानी चाहिये, घाघरा नदी इसी जिले से होकर जाती है तथा इस जिले में कई क्षेत्र तथा जमीनें बस्ती जिले के अन्दर तक चली गई हैं । इस जिले के भूख से मर रहे कुछ निर्जन व्यक्तियों की भूमि पर चन्द्र सिंह के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अनधिकार कब्जा कर रखा है । इस मामले की जांच की जानी चाहिये ।

अयोध्या श्री रामचन्द जी का जन्म स्थान हैं । उसका पर्यटक केन्द्र के रूप में विराम किया

जाना चाहिये। उसके आस पास के स्थानों का भी सुधार किया जाना चाहिये ताकि लोग वहां आयें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अकबरपुर तथा अन्य स्थानों में अस्पतालों के लिये अनुदान दिये है, परन्तु गत तीन वर्षों से कोई अस्पताल नहीं बनाया गया है, राज्य सरकार को वचन पूरे करने चाहिये।

उत्तर प्रदेश में किसानों की बहुसंख्या है और फैजाबाद डिवीजन में किसान रहते हैं। क्या कारण है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। सरकार ने फैजाबाद-रायबरेली सड़क बनाने का वचन दिया था। इस कार्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश का शीघ्र विकास करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि यह एक पिछड़ा प्रदेश है, फैजाबाद डिवीजन के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

Shri Ramji Ram(Akbarpur) : The district of Faizabad in Uttar Pradesh has been ignored for the last 21 years. Uttar Pradesh is a backward State. Special attention should be given for its proper development.

The buildings of Primary Schools in the State are in a miserable condition and there is no proper arrangement for the seating of students. The children studying in those buildings do not enjoy even the basic amenities. Those buildings should be inspected and reconstructed in a proper manner.

Compulsory education is being completely ignored in the State. Scheduled caste people constitute more than twenty percent of the total population of the State. They are not provided with proper housing and educational facilties. No arrangements have been made to provide employment to them. It is disappointing that Harijan boys and girls do not get admission in colleges. As a consequence thereof, they have to face great difficulties, concrete steps should be taken to remedy this situation.

"The Harijan Sudhar Shiksha Samiti" set up under the supervision of Harijan Welfare Directorate is composed of such Congressmen from whom government dues are yet to be realised or who have been accused of embezzlement. There is no boarding house for Harijan students in the State. The money allocated by the Government for building boarding houses for Harijan students was being utilised for certain other purposes. The money should be utilized for the purpose for which it has been allocated.

The district of Faizabad is backward and undeveloped. Spinning mills should be established in that area and the development of handloom industry in the area should be encouraged.

The number of polico stations in the district has been increased and the number of personnel therein also requires to be increased. The attitude of police officials of the area is indifferent to its problems. They are not willing to listen to the grievances of the people.

About twelve acres of land has been attached to the bungalow of the District Magistrate of our district. The previous District Magistrate used to give this land for cultivation but the present incumbent has refused to do so. Land should be allotted to the landless labour. Unless that is done, agriculture will not improve.

Tanda and Akbarpur areas of Faizabad district are dry. It is necessary to provide irrigation facilities in that area.

The neo-Budhists are also having the same plight as other Harijans are facing. They are also Harijans and they should also be provided the facilities which are being extended to other Harijans.

There are no pucca roads. Pucca roads should be provided in this backward area. The town of Tanda has a population of about 36,000. There is only a District Board dispensary there. The proposal to convert this dispensary into a hospital is not matorialising. A Government hospital should be set up there.

The condition of Roadways in the district is very distressing. Improvement should be made in U.P. Roadways. The condition of buses is very bad. Late running of buses should stop.

Shri B.N. Kureel (Ramsnehighat) : I support the motion for extension of President's rule in Uttar Pradesh by six months. It is wrong to state that the Congress is responsible for the introduction of President's Rule in U.P. Samyukta Vidhayak Dal failed to elect a a leader and they are, therefore, responsible for bringing about President's rule.

During the tenure of Samyukta Vidhayak Dal Government the administration had completely failed in the State. There was complete anarchy. The condition has not fully improved yet. Due to the laxity of administration Harijans and other weaker sections of the community are suffering. Nobody listens to their grievances. The police authorities are committing excesses. These excesses should be considered at a high level and necessary improvements should be made in police administration.

The country as well as the State of Uttar Pradesh have benefited from planning. Big industrialists and agriculturists have benefited from the plans, but the condition of Harijans and landless labour has not improved. Small scale industries should be established in the fourth Plan so that weaker sections of society may also be able to derive benefit therefrom.

Certain land reforms have been effected and consolidation of holdings has been done. As a consequence of consolidation certain land had been allocated for the construction of houses for Harijans. That land has been usurped and the Harijans are as they previously were. Land should be allotted to the landless people in the rural areas.

A lot has been done for the educational advancement of the Harijans. In view of the changed circumstances the amount of scholarships decided in 1953-54 should be enhanced.

Shri Ranga has objected to new schemes being introdueed in Supplementary Budget If new facilities are being extended to the agriculturists, he should have no objection.

श्री क० कु० नायर (बहराइच) : श्रीमान, माननीय मन्त्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने वाद-विवाद शुरू करते समय कहा है कि राज्यपाल कठिन कार्य कर रहे हैं तथा दलगत हितों से दूर रह कर प्रशासन चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि ऐसा है, तो राज्यपाल बधाई के पात्र हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल पर केन्द्र का नियंत्रण होता है तथा कोई दृढ़ इरादे वाला ऐसा व्यक्ति ही, जो संकट पैदा होने पर अपने पद से पृथक होने को तैयार रहे, ऐसा काम कर सकता है।

वर्तमान प्रशासन के विरुद्ध मेरी एक शिकायत यह है कि जिला स्तर पर प्रशासन बिल्कुल निकम्मा हो गया है। बहराइच जिले में जहां से सुनकर मैं आया हूँ, पुलिस ने बहुत आतंक फैला रखा है, बलात्कार तथा डाका डालने के मामलों में पुलिस कर्मचारियों का हाथ होता है। 1957 में एक

पुलिस अधिकारी ने एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया। बाद में उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया।

नबम्बर, 1967 में जरवाल नामक एक गांव में डाका पड़ा। डाके वाले दिन थाने का प्रभारी अधिकारी छुट्टी पर था। ऐसी शिकायत है कि वह अपराधियों के साथ मिला हुआ होता है और अपराध के दिन काम पर नहीं आता। जब अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो वे इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। सम्भवत: प्रशासनिक व्यवस्था के ठप्प होने का एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है तथा उसकी समस्यायें भी बहुत अधिक हैं, मुख्य सचिव तथा पुलिस के महा अधीक्षक को उन मामलों पर विचार करने का समय नहीं मिलता।

अत: ज़िला प्रशासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यदि अधिकारी इन मामलों को नहीं सुनते तो हमें उन पर विचार करने के लिये कोई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये। ऐसा तभी सम्भव है जब राज्यपाल लोगों की शिकायतें शीघ्र सुनने तथा उन्हें दूर करने के लिये प्रत्येक ज़िले में समिति नियुक्त करने की व्यवस्था करें।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The people of Ballia district are angry with the police because of the police firing there on 8th August. There was no justification for resorting to firing as there was no communal tension. Judicial enquiry should be conducted in this matter so that the guilty persons may be punished and such incidents may not recur in future.

The family of the youngman killed as a result of this firing should be adequately compensated.

It is very sad that the officers do not pay any attention to public grievances. In Takrauli village of Ballia district the Muslims have been allotted some land by the village Pradhan for burial of dead bodies there. But they are not allowed to do so there. Some gundas have a hand in this. This complaint should be immediately attended to.

All school and college buildings in Ballia were heavily damaged by the floods last year. We wrote to the State as well as the Central Government for help in this connection but so far nothing has been done. This should be attended to without further delay. The question of providing a boarding house for the Harijan students should also be examined.

It is a matter of great regret that the SVD Government stopped the aid given to Harijans for house building and industrial purposes.

There are large number of landless Harijan labourers in Eastern U.P. They are engaged in cultivation in the Pilibhit and other districts. But they are being prevented to cultivate that land on the plea that the land is forest land although there are no forests there. Government should take into account the feelings expressed by those people and allow them to cultivate that land.

There was a Community Listening Scheme in U.P. The S.V.D. Government was thinking in terms of discontinuing this scheme but the Cabinet could not come to any decision, so the scheme continued. But now the scheme is being discontinued. Many persons would be rendered jobless as a result thereof. So, this matter should be re-examined sympathetically.

The proposal regarding Rasri Sugar Factory has been under consideration for the

last eleven years. But nothing has come out of it so far. Decision should be taken in this matter without any further delay.

The enhancement in electricity rates would have an adverse effect on agricultura production. This matter should be reconsidered. I want to say a word or two about the Hindi typewriters. They have been purchased but typists are not being appointed to work on them. If we want advancement of Hindi we should not remain content only with machines.

The pension used to be given to the freedom fighters in my district and other eastern districts has been stopped. Government should see that these people are given some assistance.

Uttar Pradesh is a backward State. So far as education and hospital facilities are concerned, there is great scope for improvement there. There is also widespread unemployment in U.P. This is a very serious problem and some solution should be found out for it.

Shri Jageshwar Yadav (Banda): After the imposition of the President's rule in the State corruption has become more rampant. No department is free from this malady. In the judicial department also cases remain pending for years and the persons who cannot arrange for their bail have to rot in jail without judgement from the courts. The officers, irrespective of their departments, have no sense of discipline. Their only aim is to make money. Unless steps are taken to get rid of these corrupt officials, administration cannot be improved.

The Jhansi divison comprising Jalaun, Hamirpur, Banda etc. has seen no development. Many rivers originate from here. Dams can be constructed on these rivers. Canals can also be taken out from these rivers for irrigation purposes. Government should devise some plan for development of this area. I urge the Government to pay special attention to this Division.

There is a case of a railway line pending from many years. Starting from Lalitpur via Khajuraho, Ajaygarh via Banda district and on to Manakpur this line terminates at Badgarh station. If this line is connected it would be very advantageous for the people of this Division.

There is no need to extend the President's rule for another 6 months. Instead elections should be held as soon as possible so that a popular Ministry may be installed in the State.

Shri Gayoor Ali Khan (Kairana) : During the last 21 years of Congress rule the State has not made any progress as the ruling party was engaged in settling its internal feuds. Last the SVD Government came into office and it was hoped that they would be able to do something for the development of this State. But the Central Government could not tolerate the SVD Government's remaining in office and they played such tricks which resulted in the resignation of Shri Charan Singh from the Chief Ministership of the SVD Government. After that no party was given any opportunity to form a popular Government and President's rule was imposed there. Today we see that mal-practices, corruption and bribery are rampant in the administration there.

The law and order situation in the State has deteriorated very much. The police atrocities are beyond description. How is it justified to extend such an administration for a further period of six months there ? Presumably the demand for extension of thePresident's rule is being made to solidify the position of the Congress party so that it may come into power there. But this dream of the Congress party would not be realised as the SVD Government has won the hearts of the people during its brief tenure of 10 months. The

SVD Government has rendered so much service for the people in this brief period which the Congress Government could not render during the last 20 years of its rule.

It is useless to say that the crimes in the State have come down after the imposition of the President's rule. The fact is that the police officials refuse to register cases. The persons who go to the police stations for registering the cases are beaten up. Such things should be stopped.

There is no need to extend the President's rule there. Mid-term elections should be held during September-October so that a representative and stable Government may be installed there early.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : The proposal to extend the President's rule in the State for another six months should be supported as almost all political parties agree that the elections should be held there in February next. It is a matter of great regret that even after 20 years of independence the people of U.P. are lagging behind very much and groaning under poverty. This problem should be attended to and its solution found out at the national level.

It is an absolute lie to say that the Central Government has favoured Uttar Pradesh. In all 8 lakh tubewells have been sunk in the country. Out of these 4 lakh tubewells have been sunk in Madras and $1\frac{3}{4}$ lakh in Maharashtra whereas only 43000 tubewells have been sunk in Uttar Pradesh. We have accepted the principle of balanced development. Therefore all the States should be developed on a uniform basis. 80 percent of our population lives on agriculture. Therefore, it is not possible to make any real headway unless something is done to improve the lot of the farmers in this country. Adequate attention should be paid towards the problems of the farmers. What actually happened during the tenure of the SVD Government, instead of giving more facilities to the farmers they enhanced the rates of electricity.

Even if we assume that the people are angry with the Congress party and they have voted against the Congress in many States, it is not proper to blame the Congress party because we have seen how the coalition Governments functioned in the various States. The slogan of a national Government is dangerous and reactionary. Such a Government cannot succeed unless it has a common political ideology and programme before it.

The Central Government is not to blame for the backwardness of the State. The administration of the State is to be blamed for this as it has failed to place its problems before the Centre in an effective manner. Now the Governor has set up a high level commission on planning in which all the political parties have been represented. These people should invite the attention of the Central Government towards the problems of the State so that action may be taken for solving these problems.

The eastern districts of U.P. are very backward. The Patel Commission has made certain recommendations for the development of these districts. But they have not been implemented so far. It has been suggested that whatever big industries Government intend to set up and whatever communication facilities they intend to provide in the State, the eastern districts of U.P. should be given preference over others. With these words, I support this Resolution.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): The difficulties of the people of the State have been aggravated after the imposition of the President's rule there. The Government have enhanced the rate of procurement of wheat from Rs. 76 per quintal to Rs.81 per quintal. But what actually happened was that the wheat was purchased at the rate

of Rs.65 per quintal from the market and sold to Government at the rate of Rs.81 per quintal. It means that the difference of these two prices was shared by the Government inspector and broker and the poor farmer was looted in this manner.

Although the Central Government had promised earlier that the rates of electricity would not be allowed to exceed 12 paise per unit in any part of the country, yet the Governor of Uttar Pradesh has issued orders to the effect that the farmers will have to pay the electricity charges at the rate of 23 paise per unit. It means that the farmers would be compelled not to use tubewells which will have an adverse effect on agricultural production.

There are many farmers in the country who have taken power connection for their tubewells. It would be most proper to allow them to make use of power for operating their crushers.

The Governor had issued an ordinance for the setting up of a Publicmen Inquiry Commission at the instance of the SVD Government. But that ordinance has now been withdrawn. This commission was to be set up by the High Court for probing into charges against public men—whether they be ministers or politicians. I am not able to understand why this ordinance has been withdrawn now by the Government.

There was a Director of Vigilance when Shrimati Sucheta Kripalani was the Chief Minister of Uttar Pradesh. 200 cases were referred to it by her for making a probe. The SVD Government also directed the Director of Vigilance to investigate these cases. But after the imposition of the President's rule there this ordinance was also withdrawn and that officer was reverted and transferred elsewhere. He was well known for his honesty but he has been penalised for this.

I am connected with several Sanskrit institutions in the State. There was an independent organisation to carry out inspection of these institutions. But this organisation has now been merged with the office of the Director of Education. The clerks of the Deputy Inspectors will now demand money from these institutions also on the plea of getting more aid for them.

The administration there has become very careless now so far as public complaints are concerned. I am telling this from my personal experience. They do not care to reply letters from M.Ps or even Union Ministers.

The SVD Government had not imposed any restriction on the use of crushers by farmers for crushing sugarcane and the farmers got reasonable prices for their produce. But now the farmers fear that some restrictions would again be imposed on them during the President's rule and that they would be compelled to give all their sugarcane to the sugar mills during the coming season. I hope that the earlier concession will not be withdrawn.

The eastern districts are extremely backward from the economic point of view.

For the economic development of these districts the State should be divided into two independent administrative units—one for the western districts and the other for the eastern districts so that there may not be scope for any complaint in future.

Shri Sharda Nand (Sitapur) : The President's rule should not be extended there or another six months. On the contrary it should be lifted as early as possible. The farmers in the State are facing great difficulties after the imposition of the President's rule. Water for irrigation is not being made available to them. The power charges have also been enhanced. We wanted a clarification from the hon. Minister on this point.

In U. P. a Cane Union and Govt. made a plan to construct concrete roads. But in a decade the work has not been completed as the PWD had neglected this work. Now they say that they have notg ot the money. I request the Central Govt. now to get the half built roads completed.

There was a proposal to set up a small tractor factory in Uttar Pradesh. What has happened to that proposal ? Six or seven licences have been issued for manufacturing of high power tractors. But no provision has been made for the manufacturing of small tractors which are so much in demand.

Injustice has been done with regard to education in Uttar Pradesh. Attempts are being made to reimpose English there. The primary teachers in villages are in great difficulty. I want that investigation should be entrusted to C. B. I. in this regard.

Nothing has been done with regard to consolidation of holdings in U.P. Firstly the staff did not complete the work in time and when the time of their work is up then they made wrong entries and harassed the farmers. This aspect should also be looked into.

People are greatly against family planning in U.P. They should not be compelled to get themselves operated. Taking all these things into consideration, I suggest that the President's Rule should now come to an end there.

श्री रंगा : (श्री काकुलम) स्पष्टीकरण के रूप में मैं व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि मैंने नलकूपों और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया था। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रगति या उसको उपलब्ध होने वाली धनराशि का विरोध करता हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इन्हें इन बातों पर पहले ही विचार कर लेना था और राष्ट्रपति के शासन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये थी। वे इन सब बातों पर अब विचार कर रहे हैं और मुझे इस कुछ राजनीतिक हित शंका होती है। अन्यथा मैं पास की गई अनुदानों के पक्ष में हूँ।

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I am glad that you have classified it. We have received many suggestions. We will consider all of them and take necessary action.

It is not correct to say that the Centre has been giving more assistance to U.P. after it has come under President's Rule. We have always been giving the requisite assistance to U.P. It may be possible that their assistance is now being utilised in such a manner that it is doing more good to public than befor.

In general we have never made any discrimination with U. P. The assistance is not being given on political consideration. Our main aim behind this assistance is to solve of the problems of the people as early as possible.

Prof. Ranga has said something about Constitution. The procedure to be adopted for the allocation etc. I want to tell him is all humility, that we have to work according to our Constitution and if he wants to make any a mendment in the Constitution there is a set procedure for it. He has suggested that we should have all party Govt. at the Centre. Humbly I say that we have a bitter experience of all party Governments in the States. They will take the country to the dogs. If few parties unite themselves and form a Government without any ideology or understanding, no public interest will be served and the country will suffer,

Sri R. K. Sinha has said so many things in regard to Faizabad. I agree that a lot of work has to be done for the development of Faizabad Division. We will consider their demands regarding the development of that area. Every effort will be made to solve their problems during the President's rule.

So for as the question of amendment to the Gorakhpur University Act, the matter is under consideration by the U. P. Government and it is hoped that a proper decision will be taken in that matter in due course.

Shri Ramji Ram has put forward the case of Harijans. I want to say that it has always been the policy of the Government to give special help to Harijans, Adivasis and other backward classes, so that they may make progress. If any specific difficulties experienced by these people are brought to our notice, appropriate action will be taken in that matter.

Much has been said regarding police firing in Ballia. The Government is considering to appoint a senior member of the State's Revenue Board to investigate the matter.

Several hon. Members have referred regarding unemployment problem in U. P. The entire country is facing the similar problem. But it is very serious in U. P. We are giving special attention to solve this problem in the Fourth Plan.

Reference has also been made with regard to problems facing Eastern Districts. A special report has been prepared with regard to these Districts. But it cannot be said how far the recommendations made in this reports have been implemented. It is a known fact that there are problems and special efforts should be made to solve those problems. U. P. is one State and efforts should be made for its overall development.

Some members have complained of corruption in administration. Such type of allegations will discourage the officers from doing work. Specific charges against officers should be brought to our notice. So that necessary action may be taken. General charges will discourage all officers. There are ome officers who are honest. There may be some dishonest officers also. If the allegations are found correct necessary action will be taken against corrupt persons. Allegations have also been made against the officers and Chairman of the Zila Parishads. I again request the hon. Members not to make general allegations.

I want to tell the hon. members that the President's Rule is for a short period. We cannot start such schemes which may put heavy burden on the Government. We want that a positive programmes of public good and public welfare are launched during the period of President's Rule.

It has been said that the Centre was trying to topple down the SVD Government. It is a well known fact that how that Government fell. It is of no use to accuse anybody. The correct way is to try to understand things correctly.

We were compelled to impose President's Rule only when we were satisfied that the Government could not work constitutionally. It has always been our efforts that comocractic institutions in our country may function according to the constitution so that there may not be political instability. People suffer due to instability.

We want that the elections should be held in February. Since it is not possible to hold elections within six months we have to extend the President's Rule for

another six months. With these words I feel that the House will accord its sanction for extension of President's rule for another six months.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री स० मो० बनर्जी के संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

'कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरन्तर लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में संविहित संकल्प

STATUTORY RESOLUTI ON RE. CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF WEST BENGAL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पश्चिमी बंगाल के बारे में संकल्प पर विचार करेंगी।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को, 22 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरन्तर लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को, 22 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरन्तर लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

इस बारे में कुछ संशोधन हैं। सर्व श्री स० मो० बनर्जी और देवेन सेन में इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री ज्योतिमय बसु से संशोधन का क्या हुआ ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री गणेश घोष : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ही संशोधन सभा के सामने हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन को जिन परिस्थितियों में लागू किया गया है वह सर्वविदित है। पश्चिमी बंगाल में कई दलों की साँठ-साँठ के कारण ही यह कठिनाई हुई। वहां राजनीतिक कठिनाइयां इस सीमा तक पहुँच गई कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक हो गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। और इसी कारण वहां मध्यावधि चुनावों के आदेश दे दिये गये।

वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोगों की कठिनाइयां दूर करने और प्रशासन में सुधार करने के लिये कदम उठाये गये हैं। हम यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सार्वजनिक हिताओं कल्याण के लिये ठोस कार्यक्रम आरम्भ किया जाये।

इसके अतिरिक्त हम यह भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सी योजनाएं जिनके लिये धन की मंजूरी दे दी गई है लेकिन जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है, को उचित रूप से क्रियान्वित किय जाये।

इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। सबसे अधिक कठिनाई इस बात की है कि हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का भार मध्यावधि चुनाव के बाद आने वाली सरकार पर न पड़े।

पश्चिमी बंगाल में हाल ही की बाढ़ से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता देने की यथा सम्भव कोशिश की जायेगी।

जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के पश्चात कानून और व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। जैसे ही राज्य प्रसासन में पक्षपात पूर्ण रवैया समाप्त हो जायेगा कानून और व्यवस्था सामान्य हो जायेगी।

श्रमिकों की स्थिति में भारी सुधार हुआ है। बहुत से कारखाने और औद्योगिक संस्थाओं, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के कुछ समय पूर्व कार्य करना बन्द कर दिया था, अब उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है। श्रमिकों में बहुत कम असंतोष है और सरकार यह चाहती है कि श्रमिकों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्ण हल किया जाये।

राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात पश्चिमी बंगाल में घटाव नहीं हुए हैं। देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण वहां कुछ असामान्य की स्थिति हैं। चूंकि अब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है अत: यह आशा की जाती है कि औद्योगिक और इस क्षेत्र में कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जायेगी।

आगामी मध्यावधि चुनावों के बारे में लोगों में कुछ गलत फहमी है। यह भी आरोप लगाये गये हैं कि चुनाव को स्थगित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चुनाव की तारीख मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, चुनाव आयोग और मुख्य राजनीतिक दलों से सलाह करके निर्धारित की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे परामर्श के पश्चात फिलहाल यह तारीख नवम्बर से निर्धारित की है। यदि इस तारीख में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ही किया जायेगा। हम तो पश्चिमी बंगाल में निष्पक्ष और न्यायोचित चुनाव देखना चाहते हैं ;

उपाध्यक्ष महोदय : आप शायद और बोलना चाहेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब अब अपना भाषण कल जारी रखें।

बिजली निगम के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. ELECTRICITY CORPORATION

ज्योतिर्मय बसु (डायमंड़ हार्बर) यह ब्रिटिश एकाधिकार प्राप्त फर्म है और इसे पूरे कलकत्ते में बिजली वितरण और विद्युत जनना करने का अधिकार है। उन्होंने 13 सप्लाई उपक्रमों को अपने हाथ में लेकर ज्यादनी की है। वे उपक्रम अधिक बिजली पैदा नहीं करते दामोदर घाटी परियोजना जो सरकारी उपक्रम है हानि में चल रही है। वह प्रतिवर्ष लगभग 100 मेगवाट बिजल 5 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से सी० एस० सी० को बेचती है और सी० एस० सी० उसे 17 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दुबारे बेचती है। अत: एक और तो सरकारी उपक्रम को भारी हानि होता है और दूसरी ओर ब्रिटिश इलेक्ट्रीक सप्लाई इसका लाभ उठा रही है।

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम एक व्यापारिक संस्था है जो अधिकांश रूप से भारतीय पूंजी से और सरकारी क्षेत्र का बिजली का व्यापार करती है। 1958 में इस निगम ने 15010 लाख यूनिट बिजली बेची थी जबकि 1967 में इसने 25200 लाख यूनिट बिजली बेची है। इससे सरकारी कोष को हानि हुई है। निगम के लाभ में पिछले वर्षों की तुलना 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारतीय पूंजी का उपयोग कर इस निगम ने गत दस वर्षों में बहुत लाभ अर्जित किया है। 1952 तक यह एक करोड़ रुपये था और अब यह दो करोड़ रुपये से कम नहीं है।

इस तथ्य के बावजूद कि राज्य बिजली बोर्ड ने पश्चिमी बंगाल सरकार को कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को चलाने तथा उसे अपने अधिकार में लेने की इच्छा व्यक्त कर दी है चुनाव के लिए चन्दा एकत्र करने वाले इस निगम की अवधि में विस्तार करने में लगे हुए हैं। यदि अवधि में वृद्धि की जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार उनको लूटमार के लिए और अवसर दे रही है। किसी विदेशी कम्पनी को मार्शल मार्डों, हवाई अड्डों, पकनों तथा गोलाबारूद के कारखानों के नियंत्रण के मामलों में अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि वह चाहे तो समूची चीज में तोड़फोड़ कर सकते हैं। यह कि महत्वपूर्ण पहलू है।

कांग्रेस सरकार द्वारा 1956 में औद्योगिक संबंधी नीति में यह कहा गया था कि पहली श्रेणी में वे उद्योग होंगे जिनके भावी विकास की जिम्मेदारी राज्य पर होगी। अनुसूची क में बिजली का उत्पादन तथा आवेदन दिये हुए हैं। अपने ब्रिटिश मास्टरों को प्रसन्न करने के लिये सरकार इस संकल्प का उल्लंघन कर रही है।

यह कोई राजनैतिक मामला नहीं है। यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि क्या हम भारतीय ऐसी संस्था को चला सकते हैं कि नहीं। सरकार को इस संस्था को 1910 के प्रथम दिन अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसके लिए एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसके आन्तरिक प्रबन्धों में परिवर्तन न किया जाये।

प्रतिकर की राशि का अनुमान लगाने के लिए अच्छे तथा ईमानदार लोगों का एक विशेषज्ञ निकाय नियुक्त किया जाना चाहिए यद्यपि मेरा दल इसमें विश्वास नहीं रखता।

भारतीय रुपये की कोई कमी नहीं है। सरकार जीवन बीमा निगम अथवा ऋण पत्र जारी कर धन एकत्र कर सकती है।

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है मेरे विचार में यह 12 करोड़ से अधिक नहीं होगी। अतः मैं डा० कु० ल० राव से इस निगम को अपने हाथ में लेने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री नारायण दण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने विचारों को कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम के पट्टे के नवीमाण तक ही सीमित रखूंगा। मुझे खेद है कि मैं श्री बसु के द्वारा पेश की गई दलील का समर्थन नहीं कर सकूंगा। पट्टे के नवीकरण से औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन नहीं होगा। इस संकल्प के अनुसार श्रेणी क में दिये गये उद्योगों के भावी विकास के लिए राज्य जिम्मेदार है। वर्ग 'क' में बिजली का उत्पादन तथा वितरण भी शामिल है परन्तु इस बारे में सभी नये एकक केवल राज्य सरकार द्वारा ही स्थापित किये जायेंगे। यहां पर उल्लेख नये एककों का किया गया है। अतः इससे गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्यमान एककों का विस्तार करने की मनाही नहीं है। यदि राष्ट्र हित में आवश्यक हो तो सरकार नये एककों की स्थापना में गैर-सरकारी उपक्रमों का सहयोग भी प्राप्त कर सकती है।

प्रधान मन्त्री ने अपने 7 अप्रैल 1949 में वक्तव्य में कहा था कि सरकार का विचार विद्यमान विदेशी हितों पर कोई प्रतिबन्ध अथवा शर्त लगाने का नहीं है जो कि उसी प्रकार भारतीय उपक्रमों पर लागू नहीं है। सरकार अपनी नीति को इस प्रकार बनायेगी जिससे विदेशी पूंजी भारत में ऐसी शर्तों पर लग सके जो दोनों के लिए लाभदायिक हों।

दूसरे यह भी कहा गया था कि विदेशी कम्पनियों को लाभ कमाने की अनुमति होगी उनके लिए भी वही नियम होंगे जो सबके लिए हैं।

तीसरे जब भी किसी विदेशी कम्पनी को हाथ में लिया जायेगा उसके लिए उचित प्रतिकर दिया जायेगा। अतः औद्योगिक नीति संकल्प तथा 1949 के प्रधान मंत्री के वक्तव्य के संदर्भ में लाइसेन्से की अवधि बढ़ाने का जहां तक सम्बन्ध है मुझे खेद है कि बसु द्वारा बताये गये आधारों पर संकल्प नहीं ठहर सकता।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गई हैं अथवा नहीं। मुझे केवल इतनी जानकारी है कि इस उपक्रम को 199 में कम किया जा सकता है। परन्तु अब इसकी अवधि घटा कर 1980 कर दी गई है।

मैं जानता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में राज्य बिजली बोर्ड इस निगम का प्रबन्ध कर सकता है। मैं उनकी क्षमता में सन्देह नहीं करता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य बिजली बोर्ड के पास पहले ही बहुत काम है। दूसरे इसके साधनों पर भारी दबाव है। तीसरे बिजली अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस निगम को अर्जित करने में 46-47 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसमें से लगभग एक तिहाई राशि अर्थात 13 अथवा 15 करोड़ की राशि विदेशी मुद्रा में देनी होगी। प्रश्न यह है कि क्या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के पास इतने साधन हैं यदि है तो क्या उनको किसी अन्य चीज पर नहीं लगाया जा सकता ?

किसी एक क्षेत्र में बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिए एक से अधिक उपक्रम नहीं बनाये जा सकते हैं। अत: एक कम्पनी का वहाँ पर एकाधिकार होगा। प्रश्न यह है कि क्या इस निगम को अर्जित करना वांछनीय है और क्या इसका अर्जन 1980 से पूर्व किया जाना चाहिए ? परन्तु जहा तक चर्चा का सम्बन्ध है पट्टे के नवीकरण से औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन नहीं होता है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :(मंदसौर) हमारा यह निश्चित मत है कि बिजली जैसे महत्व-पूर्ण क्षेत्र में विशेषकर कलकत्ता तथा इसके आस पास के सामरिक महत्व के क्षेत्र में विदेशियों को प्रभाव जमाने की अनुमति नहीं जानी चाहिए। जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने कहा बिजली सप्लाई निगम दामोदर घाटी निगम से सस्ते दरों पर बिजली लेकर उसको 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को बेच रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुनाफे को विदेशों में भेजा जा रहा है। अत: हमें उतनी ही विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

उचित लाभ से अतिरिक्त जो लाभ कमाया जा रहा है उस पर राज्य तथा जनता का अधिकार है न कि निगम का। इन लाभों का प्रयोग उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर बिजली की सप्लाई क्या किया जा सकता है।

मेरे विचार में यदि एक बर इस निगम को हाथ में लेने का निर्णय कर लिया जाता है तो साधन एकत्र किये जा सकते हैं। इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते। यदि सरकार दृढ़ निश्चय हो तो वह साधन जुटा सकती है। साधन जुटाने में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता कर सकती है।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि निगम को हाथ में लेने के पश्चात इसकी कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए। मेरा विश्वास है निगम में ही एक विदेशी है शेष सभी तकनीकी व्यक्ति तथा इन्जीनियर भारतीय हैं। वे किसी से भी कम सक्षम नहीं है। अत: हमें हमारे इन्जीनियर इस निगम को सफलता पूर्वक चला सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो विश्व के किसी भाग से भी विदेशियों को बुलाया जा सकता है।

कलकत्ता सामरिक महत्व का क्षेत्र है। इसकी सीमाएँ पूर्वी पाकिस्तान के समीप हैं। अत: बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नीति सम्बन्धी निर्णयों को विदेशियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अत: मैं मंत्री महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन करूँगा कि 1971 तक इस निगम को अपने हाथ में ले लिया जाये। और किन्हीं परिस्थितियों मे ठेके का नवीकरण न किया जाये।

Shri Shashi Bhushan (Khargove) : It is British monopoly concern. We cannot trust the Britishers at the time of danger from Pakistan. As we all know the foreign petrol companies created an artificial scarcity at the time when we were attacked in the Kutch by Pakistan. In the interest of the notional security this Calcutta Electric Supply Corporation should be nationalised. I fail to understand the proposition that we will not be having enough finances to take over that concern. I am sure that people will be ready to give money to the Government if demanded.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस प्रश्न के एक अथवा दो उन पहलूओं की ओर

सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनका माननीय सदस्यों ने उल्लेख नहीं किया है। इस कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड में केवल एक ही भारतीय श्री शचीन्द्र चौधरी हैं जो कि भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं। इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि 1966 से पूर्व भी वह इस कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड के सदस्य थे। वित्त मंत्री नियुक्त होने के बाद उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। परन्तु वित्त मंत्री के पद से हटने के बाद उनको कम्पनी निदेशकों के बोर्ड में पुनः नियुक्त कर दिया गया। मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि वह इस कम्पनी को क्या परामर्श दे रहें हैं ? क्या यह परामर्श देश के हित में है अथवा ब्रिटिश अंशधारियों के हित में ?

कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी वही ढंग अपना रही है जो कलकत्ता ट्रायवेज कम्पनी द्वारा अपनाये गये थे। प्रतिवर्ष नवीकरण तथा परिवर्तन के नाम पर भारी राशियों का विनियोजन किया जाता है। परन्तु इस धन को निर्धारित प्रयोजनों के लिए क्या नहीं किया जाता।

पिछले छः महीनों से क्यू कोसीपुर प्लांट में एक टरबो-जेनरेटर बेकार पड़ा हुआ है और उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। हमें यह बताया गया है कि इसकी मरम्मत में कई वर्ष लगेंगे। भुनगोर परवर स्टेशन में एक कालिख तथा गर्दा हटाने वाला एक इनसेनरेटर गत कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है।

मेरा निवेदन है कि इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या कम्पनी के उपकरणों तथा संयंत्रों का रख रखाव ठीक ढंग से किया जाता है एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाये।

कम्पनी के चेयरमैन ने कम्पनी की वार्षिक आम सभा में अपने भाषण में कहा है कि उनको परामर्श दिया गया है कि अवमूल्यन के पूर्व के परिसम्पत्त को बट्टे-खाते डाल दिया जाये। आमतौर अवमूल्यन के बाद के परिसम्पत्त को बट्टे-खाते डाला जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले की जांच की गई है। देश के हित में इस कम्पनी को शीघ्र हाथ में ले लिया जाना चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Rabi Ray (Puri): I thank you, Sir, for allowing a discussion on the question nationalisation of the Calcutta Electric Supply Corporation, a British monopoly concern. On the attainment of independence it was hoped that prevailing British capital in the country will be nationalised. But this hope has not been materialised. Vast scale corruption is going on in the Calcutta Electric Supply Corporation.

Sons of big industrialists, ministers and other influential persons are appointed as engineers without any interview or test in this concern. I can mention the names of such persons. No advertisement was made for these posts.

Corruption is rampant in every department of this concern. One Superintendent of the Central Stores was caught red handed selling 32 Kv. gm filled cables to Durgapur. I would request the hon. Minister to hold an enquiry into all these matters.

This concern has collected three to four crores of rupees by way of rent and security of the meters from the consumers and for which no accounts have been maintained,

Some persons working in the foreign concerns located in the north-eastern India, Assam and Bengal are doing espionage work for the foreigners which is dangerous to security.

I would request the hon. Minister to take over this concern so that the monopoly of these people can be done away with.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (डा० क० ला० राव) : वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रस्तावक ने जो सुझाव दिये हैं उनके लिए मैं प्रस्तावक का धन्यवाद करता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि क्या इस उपक्रम को अपने हाथ में न लेना औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन नहीं है। माननीय सदस्य श्री दाण्डेकर ने पहले ही बता दिया है कि ऐसा नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन तथा वितरण के लिये 316 उपक्रम थे। अब इनकी संख्या घट कर 164 रह गई है। इनमें से 3 उपक्रम ऐसे हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बिजली का 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। ये 3 उपक्रम है 1. कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी 2. बम्बई स्थित टाटा तथा अहमदाबाद बिजली उपक्रम। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि इस देश में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली का 14 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अतः कलकत्ता बिजली सप्लाई कम्पनी देश में बिजली के उत्पादन में कुछ योगदान दे रही है। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि यदि इन गैर-सरकारी उपक्रमों का अर्जन किया जाता है तो इनको विशेष नियमों के अनुसार धन का भुगतान करना होगा।

इस कम्पनी को हाथ में लेने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये देने होंगे। इसमें से लगभग 14 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में देने होंगे। यदि इतनी बड़ी राशि का प्रबन्ध हो जाये तो सरकार छोटे छोटे 161 गैर-सरकारी उपक्रमों को हाथ में लेना चाहेगी जो ग्रामों में बिजली सप्लाई करने में बाधक है। ये उपक्रम चार राज्यों को छोड़कर समूचे भारत में फैले हुए हैं जो व्यावहारिक रूप से बिजली का कुछ उत्पादन भी नहीं कर रहे हैं।

श्री रविराव : प्रश्न देश की सुरक्षा का है।

डा० रानेन सेन (बारसार) : इस मामले विशेष में प्रतिकर दिये बिना प्रबन्ध को हाथ में ले लिया जा सकता। कठिनाई क्या है।

डा० कु० ल० राव : यह वास्तविकता का प्रश्न है। यदि हमारे पास 40 अथवा 50 करोड़ रुपये हों, तो हम सारे देश में छोटे अकुशल उपक्रमों को अपने हाथ में ले सकते थे। यदि हमें धन का कोई स्त्रोत उपलब्ध हो जाये, तो हम ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उसका प्रयोग करते।

इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, उस पर 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च है जिसे वहन करने की इस समय हमारी स्थिति नहीं है अतः इसे अपने हाथ में लेना संभव नहीं है। हम केवल इस बारे में सावधान रहते हैं और हमें यह देखते हैं कि कम्पनी कहीं बहुत ज्याद मुनाफा तो नहीं ले रही है। इसके अतिरिक्त, हमारा उस पर नियंत्रण रहता है और यदि वह बिजली अधिनियम की छठी अनुसूची में निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेती है, तो हमें कार्यवाही करने का अधिकार है। इसलिये इस बारे में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

जहाँ तक उसके रख-रखाव के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में जांच करूंगा और उसके अवमूल्यन सम्बन्धी पहलू पर भी विचार करूँगा।

कलकत्ता विजली सप्लाई निगम की दरें भी दिल्ली के मुकाबलें काफी कम हैं। इस समय की स्थिति यह है कि वे हमसे ज्यादा विजली ले रहे हैं। वे वास्तव में दमोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल राज्य से विजली खरीद रहे हैं। वे प्रति वर्ष 1000 किलो वाट विजली खरीद रहे हैं क्योंकि कलकत्ता में अधिकाधिक विजली की खपत हो रही है। वे अपने एककों का विस्तार नहीं कर रहे हैं और अपने पड़ोस में उपक्रमों से बिजली ले रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस उपक्रम को अगले एक वर्ष में अर्जित करना संभव नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि इसे अगले 10 वर्षों में अवश्य अर्जित किया जाये,

जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिला सकता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त मैकेनिज्म है और इस कारण कोई कठिनाई नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 28 अगस्त, 1968/ 6 भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 28,1968/Bhadra 6, 1890 (Saka).

Tirthraj Press Allahabad.